(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2) सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 42 वां दिवस (संख्या 26

वृहस्पतिवार
दिनांक 2 अप्रेल, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मेघराज तावड़।

राजस्थान कन्या छात्रावास सरदारपुरा

661. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर, सरदारपुरा में राजस्थान कन्या छात्रावास, जो महिला आश्रम भीलवाड़ा द्वारा सचालित है, के पास कितनी भूमि है? क्या यह छात्रावास आदिवासी छात्राओं के लिए खोला गया था? यदि हां, तो इस छात्रवास के पास जो भूमि है वह किस से खरीदी गई थी? यदि हां, तो किससे और कितने में?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास की भूमि सेन्टपाल को बेची गई? यदि हां, तो किस रेट में और कितनी रकम प्राप्त की और किसने की? उस रकम का क्या किया गया? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) राजस्थान कन्या छात्रावास उदयपुर महिला आश्रम, भीलवाड़ा द्वारा संचालित है तथा यह अनुदानित संस्था होने के कारण इसकी स्वयं की भूमि पर समाज कल्याण विभाग का नियंत्रण नहीं है, अतः भूमि की सूचना विभाग के पास नहीं है। छात्रावास आदिवासी छात्राओं के लिए चलाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड नम्बर (2) में मंत्रीजी ने कहा कि जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। तो पहले खण्ड में तो आपने यह बता दिया कि भाई, यह छात्रावास अनुदानित है। अनुदानित भले ही हो लेकिन जो आदिवासी छात्रावास समाज कल्याण के अन्दर है उसकी जो भूमि है वह सेन्टपाल को कैसे बेची गई है? मेरा मूल प्रश्न यह है कि किसके नाम से, किस से भूमि खरीदी और यह कितने की थी? अगर बेच दी गई तो कितने में बेच दी और किस ने बेची?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, खरीदने और बेचने का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिए मैंने पहले ही निवेदन किया 'जी नहीं।'

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

प्रश्नकर्ता।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण विभाग इतनी तो जानकारी रखता होगा। जो जमीन समाज कल्याण विभाग के पैसे से खरीदी गई, समाज कल्याण विभाग ने जिसके लिए पैसा दिया, जिस पर छात्रावास बना, उस छात्रावास की जमीन बेची जाती है तो वह सरकार के नालेज में है या नहीं? और नहीं है तो क्यों नहीं है? आपने कह दिया कि प्रश्न नहीं उठता। जब आप पैसे दे रहे हैं तो यह प्रश्न कैसे नहीं उठता?

श्री हरसहाय मीणा : जिन संस्थाओं को ऐड देते हैं वह संस्था यदि ऐसी एक्टीविटीज करती है जिससे लड़कों के श्रम से आय होती है, उसके बारे में विवरण रखती है, उसको स्वीकृति लेकर ही खर्च कर सकती है। लेकिन अगर वह अपनी निजी आय से किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करती है तो समाज कल्याण विभाग को सेंक्शन कोई आवश्यक नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : क्या छात्रावास की कोई कमेटी बनी हुई है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, क्या यह सही है कि इस जमीन को खरीदने के लिए समाज कल्याण विभाग ने ही प्रारम्भ में धन दिया था और उस धन से ही यह जमीन ली गई थी?

श्री हरसहाय मीणा : समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए धन दिया, उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। इस तरह की बात है तो मैं आपको बता दूंगा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : कब बता देंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय यह आपको जानकारी नहीं है, यह आश्चर्य की बात है। मुख्य मुद्दा यह है, इस होस्टल को स्थापित करने के लिए माणिक्यलालजी वर्मा ने सरकार से सहायता लेकर इतनी बडी जमीन ली भविष्य के विकास की कल्पना लेकर लेकिन जो इस समय मैनेजमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोपर्टी बेच कर खुर्दबुर्द कर रहे हैं और आप कहते हैं कि कोई रिकार्ड पर नहीं आ रहा है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए छात्रावास बनाने के लिए उदयपुर में बहुत बड़ा एरिया लिया था माणिक्यलालजी वर्मा ने, उनकी कल्पना थी इसको बनाने की। उनके उत्तराधिकारी, जो आज इसे चला रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। तीन तीन बार बेच चुके हैं। क्या आप इसकी जांच करायेंगे?

Page No 3

(3)

श्री हरसहाय मीणा : मुझे जानकारी मिली है कि समाज कल्याण विभाग ने कोई पैसा नहीं दिया खरीदने के लिए । संस्था ने कहीं से जुटाया होगा, मैं नहीं कह सकता। इसकी जानकारी और कर लेंगे । इस तरह की कोई बात है तो जानकारी कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के जो छात्रावास हैं, चाहे विभाग ने पैसा नहीं दिया हो लेकिन जिस प्रयोजन से जिस जाति के लिए छात्रावास बना, उस छात्रावास के लिए जो भूमि खरीदी है, जो समाज कल्याण विभाग का उसके पीछे उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं ? यदि पूर्ति नहीं हो रही है और भूमि बेची जा रही है तो क्या सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती ?

श्री हरसहाय मीणा : भाई, अभी निवेदन किया कि जिन छात्रों के लिए जो ऐडेड होस्टल्स हम चलाते हैं, जो ऐडेड होस्टल्स हैं उनका समाज कल्याण विभाग का सुपरविजन होते हुए भी उसमें क्रय विक्रय भूमि का होता भी है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। वह अलग संस्था है उसी से लेन देन होता है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जैसे कोई मान ले, निजी शिक्षण संस्था या कोई भी संस्था चलती हैं इस आधार पर कोई बहुत बड़ी पूंजी या धन एकत्रित किया है जनता से उसके विकास के लिए, उसको कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप से बेच दे, क्या आप यह अधिकार देंगे उस आदमी को कि वह प्रोपर्टी को बेच कर खुर्द बुर्द कर दे और सरकार मौन बैठी रहे ?

श्री हरसहाय मीणा : मैंने निवेदन किया कि इस तरह की कम्पलेंट है तो आप फर्मायें, मैं उसकी जांच करवा लूंगा कि क्या इस तरह का घोटाला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । अगला प्रश्न ।

श्री मेघराज तावड़ : समाज कल्याण विभाग में....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री मेघराज तावड़XXX

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया गया है माननीय सदस्य....

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री हरिसिंह।

प्रश्न संख्या 662.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री समर्थलाल।

जयपुर नगर के मन्दिरों को किराये से आय

663. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितने मन्दिर हैं? इनमें रहने वाले किरायेदारों से कितनी आय होती है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन किरायेदारों से किराया वसूल नहीं हो रहा है, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि मन्दिरों के पुजारी व देवस्थान विभाग के अधिकारी मिलकर मन्दिरों की भूमि एवं मकानों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं?

देवस्थान मन्त्री (श्री हरसहाय मीणा): (1) जयपुर शहर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियन्त्रित कुल 99 राजकीय मन्दिर हैं। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिरों में आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आने वाली सम्पदा के किरायेदारों की संख्या 261 है तथा उनसे 9,02,536/—रुपये वार्षिक आय अनुमानित है। इसी प्रकार राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मन्दिरों में व्यावसायिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में आने वाली सम्पदा के किरायेदारों की संख्या 33 है तथा उनसे 304512/—रु० की वार्षिक आय है। राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिरों की सम्पदा को किराये पर संबंधित सुपुर्दगार द्वारा दिया जाता है तथा वही उस सम्पदा से प्राप्त किराये की आय से मन्दिर, उसकी सेवा पूजा एवं रख रखाव का खर्च चलता रहता है। ऐसे मन्दिरों के सम्बन्ध में देवस्थान विभाग को निरीक्षण तथा अनुपयोगी सम्पदा को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। देवस्थान विभाग के अन्तर्गत केवल राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मन्दिर एवं उनकी सम्पदा ही सीधा नियन्त्रण में है। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिरों की आय राज्य कोष में तथा आत्म निर्भर श्रेणी

XXXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरसहाय मीणा)

के मन्दिरों की आय सम्बन्धित मंदिरों के फण्ड में जमा की जाती है । राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों की सम्पदाओं में रहने वाले किरायेदारों की सूची एवं उनसे प्राप्त आय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जयपुर शहर में स्थित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों में रहने वाले जिन किरायेदारों के विरुद्ध किराये की बकाया निकल रही है, उन्हें नियमानुसार नोटिस दिया जाकर किराया जमा कराने हेतु लिखा जाता है । नोटिस की अवहेलना करने पर उनकी किरायेदारी समाप्त की जाकर संबंधित किरायेदार के विरुद्ध राजस्थान भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में किराया वसूली एव बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बकाया किराया की वसूली हेतु एरियर आफ लैण्ड रेवेन्यू माना जाकर संबंधित जिलाधीश को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु भी समस्त खण्डीय सहायक आयुक्तों को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

(3) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय रखी गई) ।

श्री समर्थलाल : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने किराया नहीं दिया उनमें से ऐसे कितने लोग हैं, जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? क्या उन किरायेदारों को हटा दिया गया है?

श्री भंवरलाल शर्मा : लिख कर दे दो जांच करा लेंगे ।

श्री हरसहाय मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है ।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सूची उनके पास में भी है ।

श्री समर्थ लाल : सूची तो उन लोगों की है, जिनको किराये पर दे रखा है । ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने किराया नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

इस सूची को मैंने देखा है, बहुत लम्बी चौड़ी है । इसमें आपने यह जानकारी नहीं चाही है कि कितना किसमें बकाया है ।

यह उत्तर मन्त्री महोदय के लिए देना सम्भव नहीं है । अन्य कोई प्रश्न हो तो पूछें ।

श्री भंवर लाल शर्मा : जिन किरायेदारों से किराया वसूल नहीं हो रहा है,

(श्री भंवर लाल शर्मा)

सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिये, स्पष्ट बताना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही कर रहे हैं, यह मन्त्री महोदय ने बता दिया।

श्री हरसहाय मीणा : उनके खिलाफ कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है, जो सूची आपने दी है, उस सूची के अन्दर जितने किरायेदार हैं, उनमें से अधिकतर वह व्यक्ति हैं जो देवस्थान विभाग के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर के रिश्तेदार हैं ?

क्या यह सही है कि जो सूची आपने दी है, उस सूची के अन्दर अधिकतर वह व्यक्ति हैं. वह किरायेदार हैं, जो भूतपूर्व देवस्थान मन्त्रियों के रिश्तेदार, प्राइवेट असिस्टेन्ट प्राइवेट सैक्रेटरी हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। कौन किसका रिश्तेदार है, इसका क्या सम्बन्ध है। मन्त्री महोदय ने आपको सूची दी है उसमें बता दिया इतने किरायेदार हैं।

(व्यवधान)

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, इस तरह की कोई बात उनके नोटिस में है, वह मुझे अवगत करायेंगे तो मैं जांच करवा लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो कोई परम्परा चालू की होगी तो वह जनता पार्टी के टाइम में की गई होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप स्वयं मन्त्री महोदय से संतुष्ट हैं ? आप उनको कहिये कि पूरी तैयारी करके आयें।

श्री अध्यक्ष : मैं भी पूरी सूची नहीं पढ़ सका। काफी लम्बी चौड़ी है, इसमें सारी सूचना है, प्रश्न पूछे ही नहीं जाने चाहियें।

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री समर्थ लाल: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है, माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, जो सूची दी है, यह सूची सवर्ण लोगों की है ? इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एस. सी. या एस. टी. का हो।

श्री अध्यक्ष : इतनी डिटेल मन्त्री महोदय के पास नहीं हैं।

श्री हरसहाय मीणा : कास्ट्स और ट्राइब्स को नहीं लिया है तो वह अलग प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछें, जिसकी लम्बी चौड़ी सूची हो। जो लम्बी चौड़ी सूची दी जाती है,, अध्यक्ष

(श्री देवीसिंह भाटी)

महोदय, उसको हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए आप व्यवस्था दें जो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों में ऐसा प्रावधान है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, जो किराया बकाया है यह राशि कितनी है ? एक। कब से है ? दो। और सरकारी कार्यालय हैं, उनमें कितनी है ?

श्री हरसहाय मीणा : यह मेरे पास जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, इसके बारे में जानकारी लेकर बता दूंगा, कितनी बकाया है। यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुल कितनी बकाया है, यह तो बता सकते हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सूचना थी, माननीय मन्त्री महोदय ने दे दी।

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री महादेवसिंह।

श्री हरसहाय मीणा : मैं निवेदन करूं यह बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है, मैं पढ़ने लगूं तो एक घण्टे से ज्यादा समय लगेगा। फिर भी पूरी नहीं हो पायेगी।

(व्यवधान)

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया था उसका उद्देश्य यह था विभाग के जो अधिकारी ...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया। श्री महादेव सिंह। अंकित न हो।

श्री समर्थलाल : × × ×

श्री अनंग कुमार जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

ग्राम खण्डेला के सैकण्डरी स्कूल की क्रमोन्नति

664. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

हायर सैकण्डरी स्कूल बनाये जाने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? क्या उन मापदण्डों के अन्तर्गत खण्डेला क्षेत्र के खण्डेला ग्राम के सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत कर हायर सैकण्डरी स्कूल बनाये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षामंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : 10 +2 योजना विचाराधीन होने से राज्य में अभी नये हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं।

श्री महादेवसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कोई भी हायर सैकण्डरी स्कूल

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महादेव सिंह)

नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां तो कम से कम हायर सेकण्डरी स्कूल होना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह नहीं कहा, अध्यक्ष महोदय, कि इस साल नहीं खोले जा रहे हैं। अभी 10+2 योजना विचाराधीन होने से राज्य में नये नहीं खोले जा रहे हैं। जब नये खोले जायेंगे तो जरूर इस पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न संख्या 665

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री शोभराज मल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री सूरज पाल सिंह।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्यालय

666. श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं फिर भी कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्यालय नगरीय क्षेत्रों में होने से डाक्टरों की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काउन्ट नहीं की जातीं जब कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक ही प्रकार की कार्य प्रणाली है एवं उनका अधिकांश कार्य क्षेत्र ग्रामीण है ?

(2) क्या सरकार इस सन्दर्भ में गम्भीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा : (1) जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पद स्थापित डाक्टरों को गांवों में भी दौरा करना पड़ता है उन स्थानों पर जहां—

अ) नगर पालिका क्षेत्र नहीं है।

ब) तहसील का मुख्यालय नहीं है।

स) गांव की आबादी पांच हजार से कम है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा डिस्पेन्सरी में कार्यरत डाक्टरों को 75) रु0 ग्रामीण भत्ता देय होता है। एवं इन्हीं स्थानों पर कार्यरत डाक्टरों की ग्रामीण सेवाएं मानी जाती हैं।

(2) राज्य सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

श्री सूरजपाल सिंह : यह विचार कब तक हो जायेगा ? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि भीनमाल पंचायत समिति में केवल एक ही पी0 एच0 सी0 है और वहां रेफरल हास्पिटल भी हो गया है जब कि 5 हजार की आबादी पर अन्य डिस्पेन्सरी को कन्वर्ट कर दिया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : हर एक पंचायत समिति में एक पी0 एच0 सी0 है और पी0 एच0 सी0 रेफरल में कन्वर्ट हुआ उसका नाम है उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यानि, अपग्रेडेड पी0 एच0 सी0, उसको अप ग्रेडेड सेंटर किया है, इसका

Page No 9

(9)

(श्रीहीरालाल देवपुरा)

मतलब स्थानान्तरण दूसरी जगह कर दिया जाय, यह नहीं है। वह वहीं रहेगा, अपग्रेड हो गया है तो काम ज्यादा हो गया है। दूसरा आपने पूछा, जिस पर विचाराधीन की बात कही है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पी0 एच0 सी0 म्यूनिसिपल हल्कों में है, पंचायत समिति में आम तौर पर पंचायत समिति, क्षेत्र आता है म्यूनिसिपल एरिया पंचायत समिति क्षेत्र में नहीं आता लेकिन कुछ पी0 एच0 सी0 ऐसे हैं जो पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर है जहां म्यूनिसिपल एरिया है जहां कई डाक्टर रहते हैं उनको ग्रामीण भत्ता देय नहीं होता। इस पर राज्य सरकार विचार करेगी, जो डाक्टर पी० एच० सी० का है उसको म्यूनिसिपल एरिया में काम नहीं करना है उसको ग्रामीण क्षेत्र का काम करना है। इसको मैं देखकर एग्जामिन करूंगा और निर्णय लूंगा कि इस पर क्या कार्यवाही करनी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दादोर छोटा सा गांव है वहां पर ....

(व्यवधान)

क्या मन्त्री महोदय उसको अलग-अलग करने का ....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

जमवा रामगढ़ बांध, जयपुर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

667. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जमवा रामगढ़ बांध जयपुर नगर के पास एक अच्छा पर्यटन स्थल होते हुए भी उसे पर्यटन केन्द्र नहीं बनाया गया ?

(2) क्या भविष्य में सरकार ऐसा करके उसका पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जयपुर में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार उनके ठहरने की व्यवस्था होटलों की कमी के कारण जयपुर के नजदीक रमणीक स्थल जमवा रामगढ़ बंध पर एवं आमेर के अन्दर पर्यटकों के ठहरने हेतु छोटे एवं बड़े निवास समूह पर्यटन ग्राम के रूप में, विकसित करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जयपुर जिले में किन-किन स्थानों को पर्यटन स्थल के महत्व का मान कर उनके विकास की योजना सरकार बनाने का विचार कर रही है ? कब तक इस योजना को पूरा किया जायगा ? नहीं, तो क्यों ?

10

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) पर्यटन मन्त्री : (1) जमवा रामगढ़ एक पिकनिक स्थल है। वहां पर्यटकों की सुविधा के लिए एक पर्यटन ग्राम बनाया जायगा।

(2) पर्यटन ग्राम बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसी से कवर हो जाता है।

(3) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा जमवारामगढ़ में तथा ग्रामेर के नजदीक कूकस में एक एक पर्यटक ग्राम बनाने की योजना प्रस्तावित है। इसे छठी पंचवर्षीय योजना काल में ही क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

(4) जयपुर जिले में जयपुर एवं ग्रामेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर लोकप्रिय बनाने की कई योजनाएं विचाराधीन हैं। जिनको पंचवर्षीय योजना में धन उपलब्ध होने पर क्रियान्वित किये जाने पर विचार किया जायगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय मैं पर्यटन मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जयपुर में इतने पर्यटक ग्राते हैं जिनको थ्री स्टार ग्रौर फाइव स्टार होटलों में ठहरने को जगह नहीं मिलती इसलिए एक दिन में ही तंग ग्राकर वापस चले जाते हैं। क्या उनको ठहराने के बारे में सोचा है? दूसरी बात, जमवारामगढ़ में दो मील लम्बी ऐसी झील बन सकती है। जैसे काश्मीर में तैरते हुए ग्रावास गृह है उसी प्रकार वहां तैरते हुए ग्रावास गृहों की व्यवस्था हो सकती है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ऐसे कीमती स्थलों को ग्रब तक नहीं देखा गया। पंचवर्षीय योजनाग्रों में तो पांच साल चले जायेंगे। जिनसे हम को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है उन पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था जल्दी ही ग्राप कब तक करा पायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमें सारे राजस्थान के टूरिज्म सेंटर्स को डेवलप करना है ग्रौर जितना प्रावधान है, उसका सारे राजस्थान के पर्यटन स्थलों को देखते हुए विचार किया जायगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : राजस्थान का सेंटर होते हुए भी ग्रामेर ग्रौर जमवा रामगढ़ का विकास नहीं करेंगे....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगला प्रश्न। इसमें भाषण हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : प्रश्न पूछ रहा हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, क्या जल महल के विकास की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष : ग्रलग प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं, ग्रध्यक्ष महोदय। जयपुर जिले के बारे में क्लीयर लिखा हुग्रा है मेरे प्रश्न हैं—क्या नाहरगढ़

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रोड और जल महल को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जयपुर गुलाबी नगर है, मैंने आल इन्डिया कांफ्रेंस में भी यह बात कही थी इसके विकास के लिए खास तौर से ध्यान दे रहे हैं। हमने एक मेला भी आर्गेनाइज किया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को निमंत्रित नहीं किया होगा ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, परेशानी तो यही है, मैंने पूछा था प्रश्न में निहित है कि जयपुर जिले में किन किन पर्यटन स्थलों के विकास की योजना पर सरकार विचार कर रही है और जयपुर शहर जिले से बाहर नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि गत वर्ष बजट में 25 लाख रुपया रखा गया था और वह रुपया खर्च नहीं हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह फर्माया है कि आमेर का पर्यटन स्थल की दृष्टि से विकास किया जायगा। मैं यह जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार के जो प्रस्ताव विचाराधीन है उनमें कौन कौन सी योजनाएं हैं और कितने समय में वे क्रियान्वित कर दी जायेंगी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वह फाइनल हो रहा है, वह अभी फाइनल नहीं हुआ है। उसमें सारे राजस्थान को ध्यान में रख कर प्रस्ताव बनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। यह गुलाबी शहर है, मंत्री महोदय इसकी प्रशंसा करते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय यह जो प्रश्न का खंड 4 है इसका खुलासा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जितना होना चाहिये था वह हो गया है।

अगला प्रश्न।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक छोटा-सा प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के खंड 4 का खुलासा नहीं किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के पास जमवारामगढ़ बांध, चरण मंदिर, जलमहल आदि ऐसे अनेक रमणिक स्थल है, जिनका विकास करके पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनको क्या आप अपनी योजना में शामिल करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बहुत से स्थान हैं। हर माननीय सदस्य

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अपने अपने यहां के पर्यटन स्थल का विकास चाहता है।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जो भी पर्यटक है वह यहां जरूर आता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हिन्दुस्तान में यह तीसरे नम्बर पर है। सारे पर्यटक यहां पर आते हैं। इस दृष्टि से राजस्थान में और जयपुर शहर के आस पास के पर्यटन स्थलों का विकास होना चाहिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप उनके आवास की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और इस कारण पर्यटक वापस चला जाता है। उनकी जेब यहीं पर खाली हो इसलिए यह जरूरी है कि पर्यटकों के लिए आवास की समुचित व्यवस्था इन पर्यटन स्थलों पर की जाय ...

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन पर कार्यवाही न थोपें। अगला प्रश्न। माननीय शिक्षा-मंत्री जी।

कुशलगढ़ में महाविद्यालय खोलना

668.श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुशलगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल में इस वक्त कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

(2) अध्ययनरत छात्रों में से कितने छात्र अनुसूचित जाति व जनजाति के, कितने पिछड़ी जाति के तथा अन्य छात्र कितने हैं?

(3) क्या मौजूदा भवन इन छात्रों के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए भवन की उचित व्यवस्था करेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि मौजूदा भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है व जगह जगह मे गिरने की अवस्था में हो रहा है, जिससे छात्रों के जीवन को खतरा होने की आशंका है? सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

(5) सरकार कुशलगढ़ में कब तक महाविद्यालय खोलने जा रही है? यदि नहीं, तो जनजाति क्षेत्र की उपेक्षा का क्या कारण है?

(6) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र की जनता महाविद्यालय के लिये भवन निर्माण कर रही है? यदि हां तो यह कब तक पूरा हो जायगा? सरकार इसके लिए क्या सहयोग प्रदान कर रही है।

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) 461 बालक, बालिकाएं।

(2) अध्ययनरत छात्रों में 17 अनुसूचित जाति, 237 जनजाति एवं 207 अन्य।

(3) जी नहीं। भवन की व्यवस्था जन सहयोग द्वारा की जाती है।

(4) जी हां। भवन में जहां जहां मरम्मत की आवश्यकता है वह की जा रही है।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) जी हां। इस सत्र के अन्त तक आठ कमरे पूरे होने की संभावना है।

Page No 13

(13)

श्री फतेसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह पूछना चाहता हूं कि क्या मौजूदा हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है जिसका भवन पुराना है और टूटा फूटा है उसको ठीक कराने के लिए सरकार एड देने की कोई मंशा रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं जवाब दे चुका हूं कि मरम्मत के लिये 19 002/- रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। वहां पर मरम्मत चल रही है इस महीने या अगले तक महीने मरम्मत हो जायगी।

श्री फतेसिंह : इस भवन में कोई मरम्मत या निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय,मेरी जानकारी के अनुसार कोई मरम्मत नहीं हुई है।इसके गिरने की संभावना है । सरकार इस मरम्मत की कार्यवाही करेगी ? सरकार इसका आश्वासन देगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे को यह जानकारी है कि 19,0०2/— रुपये की स्वीकृति हो चुकी है और एक्स इएन पी. डब्ल्यू. डी. की देखरेख में मरम्मत का कार्य चल रहा है, कुछ हो चुका है, बाकी का कार्य गर्मियों का छुट्टियों में हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है।

श्री चन्दन मल बैद: मेरे पास सूचना यह आई है कि कार्य शुरू है। इसकी स्वकृति पिछले साल हुई थी इस वास्ते निश्चित रूपसे मरम्मत कार्य हो रहा है।

श्री फतेसिंह : अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी सूचना यह है कि काम शुरू हो गया है। अगर शुरू नहीं हुआ है तो जानकारी करके इसके लिए उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

श्री नन्दलाल मीणा : मन्त्री महोदय ने ने खण्ड 5—6 में यह बताया है कि कुशलगढ़ में महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खण्ड 6 में यह बताया है कि 8 कमरों का निर्माण होने की संभावना है ऐसी स्थिति में जबकि वहां पर8 कमरों का निर्माण हो रहा है तो महाविद्यालय खोलने में क्या दिक्कत है ? आप कह रहे हैं कि विचाराधीन नहीं है परन्तु यह कमरे तो इसी उद्देश्य से बनाये जा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कालेज के लिए भवन हमसे स्वीकृति लेकर नहीं बनाते हैं और ऐसे भवनों का क्या होता है यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते है।

श्री अध्यक्ष : इस पर बाद में विचार हो सकता है।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यू.जी.सी. को कुशलगढ़ में महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझको कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चन्दमल बैद : यू० जी० सी० को प्रस्ताव भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष:अगला प्रश्न। श्री रेवतराम

जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय मार्ग पर श्री डूंगरगढ़ में मिडवे विश्राम गृह का निर्माण

669. **श्री रेवतराम चौधरी** (डूगरगढ़): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय मार्ग नं० 11 पर श्री डूगरगढ बीच में पड़ता है ? क्या इतनी लम्बी दूरी में मिड-वे नहीं बना हुआ है ? क्या पर्यटकों की सुविधा हेतु सरकार की मिड-वे बनाने की योजना है ? यदि हां,तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू जिले में पर्यटकों की सुविधा हेतु सरकार चूरू में थ्री स्टार होटल बनाने की स्वीकृति दे रही है ? यदि हां तो किस को और कब तक ?

पर्यटन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : 1))जी हां। इस मार्ग पर कोई मिडवे नहीं है। फतेहपुर में एक मिडवे बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भूमि का सलेक्शन हो हो गया है इसकी उपलब्धि की कार्यवाही चल रही है भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(2) चूरू जिले में ओरियण्ट एक्सप्रेस कम्पनी प्राइवेट लि०, नई दिल्ली ने ऐसा आवेदन किया है। उक्त होटल हेतु अभी तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही राजस्व विभाग में चल रही है।

श्री रेवतराम चौधरी :

अध्यक्ष महोदय इसका आवंटन कब तक हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह जंगलात विभाग की जमीन है। जमीन उपलब्ध हो गई है उसकी कीमत की बात हो रही है और जल्दी ही यह काम हो जायगा।

प्रश्न संख्या-670

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती सूरज देवी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री हरीश शर्मा।

Page No 15

(15)

रैफरल चिकित्सालय मोडक (कोटा)

671. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में (मोडक में) रैफरल चिकित्सालय के लिए सरकार ने आदेश दिये हैं तथा भवन भी बनने लग गया है? यदि हां, तो अब कब तक यह चिकित्सालय बन कर तैयार हो जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि मोडक में अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा इसे चेचट स्थानान्तरण करने के प्रस्ताव व सुझाव सरकार को दिये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए चेचट हर दृष्टि से उपयुक्त स्थान है? सरकार कब तक मोडक का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेचट में स्थानान्तरण कर देगी ?

चिकित्सा मन्त्री:(**श्री हीरालाल देवपुरा**)

(1) अभी मोडक में रैफरल हॉस्पिटल खोलने की स्वीकृति नहीं दी गई है । केवल यू० एन० एफ० पी० ए० योजना के अन्तर्गत पी० एच० सी० मोडक पर अतिरिक्त भवन निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है जिसका कार्य चालू है,भवन निर्माण के उपरान्त अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति दी जा सकेगी ।

(2) मोडक में अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है इसे कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण करने का कोई विचार नहीं होता ।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हरीश शर्मा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने जो प्रस्ताव भेजा है वह आपके पास आ गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या ?

श्री हरीश शर्मा : क्या जिला प्लानिंग कमेटी कोटा ने आपको प्रस्ताव भेजे हैं वह आपके पास आ गये हैं क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति की सिफारिश के अनुसार ही खोले गये हैं। जहां जहां पंचायत समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य खुलवाना उचित समझा और इसका फैसला किया वहां ही खोले गये हैं। अभी राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि मोडक से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहीं और ले जाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : **श्री कैलाश मेघवाल** ।

एक माननीय सदस्य : जिला प्लानिंग कमेटी ने जो रेफरल हॉपिटल खोलने का प्रस्ताव किया था उसका क्या हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप स्थानान्तरण की बात कर रहे हैं या खोलने की बात कर रहे हैं ?

Page No 16

(16)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री कैलाश मेघवाल ।

पैकिंग मेटीरियल हेतु प्लास्टिक के डिब्बों की खरीद

672. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1979-80 में पैकिंग मेटीरियल के डिब्बे खरीदे गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्लास्टिक के डिब्बे खरीदने हेतु सामान्य निविदा की न्यूनतम रेट एक किलोग्राम के डिब्बे की 2.50 पैसे, 500 ग्राम के डिब्बे की 1.50 पैसे एवं पाव किलो के डिब्बे की 1.25 पैसे आयी थी और यह निविदा शर्मा प्लास्टिक्स, जयपुर की थी ?

(3) क्या यह सही है कि सामान्य निविदा जुलाई, 1979 में आमंत्रित कर ली गई थी और उसके अनुसार प्लास्टिक डिब्बे विभागों में सप्लाई नहीं किये गए थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 1980 मे अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी और उसमें 1 किलो के डिब्बे की कीमत 3 रु. आधा किलो की रु. 2.50 पैसे और पाव किलो कि रु. 150 पैसे की रेट आयी थी जो कि मैसर्स नन्द किशोर शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर तथा कल्याणी औषध भण्डार, जयपुर की थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि मैसर्स नन्द किशोर एण्ड कम्पनी तथा कल्याणी औषध भण्डार दोनों ही प्लास्टिक के डिब्बे बनाने का कार्य नहीं करते हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि इन दोनों फर्मो द्वारा जो प्लास्टिक के डिब्बे सप्लाई किये गये, डिब्बों पर निर्माणकर्त्ता शर्मा प्लास्टिक जयपुर अंकित था ?

(7) क्या सरकार इस सारे भ्रष्टाचार की जांच का विचार रखती है एवं इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दंडित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (**श्री घासीराम यादव**): (1) जी हां ।

(2) यह सही है कि प्रथम न्यूनतम निविदा की दरें शर्मा प्लास्टिक की थी किन्तु उनकी रेट प्रश्न में अंकित अनुसार नहीं थी ।

(3) जी हां ।

(4) यह सही है कि जनवरी, 1980 में अल्पकालीन निविदा आमन्त्रित की गई थी क्योंकि सामान्य निविदा में न्यूनतम दर वाले व्यापारी ने विभाग के साथ अनुबंध नहीं किया था एक किलो तथा आधा किलो के डिब्बे की प्रश्न में दी गई कीमत सही नहीं है बल्कि उनकी कीमत क्रमश: 3.22 एवं 2.15 पैसे

Page No 17

(17)

(श्री घासीराम यादव)

मैसर्स नन्द किशोर शर्मा, जयपुर की थी। कल्याणी औषध भण्डार, जयपुर की पाव किलो डिब्बे की न्यूनतम दर 1.50 पैसे थी।

(5) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(6) जी हां।

(7) अगर इसमें सामान्य एवं वित्त नियम में दर्शायी गई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे दाऊदयाल जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं उन्हें ही पूछने दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसके अन्दर आप यह बतायें कि आपने एक किलो और आधा किलो और पांच किलो के कितने डिब्बे खरीदे उसका कितना दाम चुकाया? एक बात आप चाहें तो एक एक करके बता दें या फिर आप चाहें तो एक साथ बता दें।

एक माननीय सदस्य: एक एक करके ही पूछ लें।

श्री घासीराम यादव : जो प्लास्टिक के डिब्बे खरीदे गये उनमें पाव किलो के 20 हजार आधा किलो के पांच सौ ग्राम वाले 11 हजार खरीदे गये और एक किलो के 39 हजार खरीदे गये।

श्री दाऊदयाल जोशी : कुल कितना धन व्यय हुआ, यह भी बता दें?

श्री अध्यक्ष: यह तो आप ही जोड़ बाकी कर लीजिये। इतनी तकलीफ आप कर लें

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये तो वैद्यराज जी हैं, मुनीम राज जी थोड़े ही हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी: निविदा सूचित करते समय विभाग कोई रिस्क मनी जमा करवाता है? यदि हां, तो इस निविदाकर्ता से रिस्क मनी जमा करवाई गयी? यदि हां, तो क्या वह राशि उस निविदा प्रस्तुत करने वाले को माल सप्लाई न करने पर जब्त कर ली गयी है, क्या?

श्री घासीराम यादव : सुनाई नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लें।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : सिक्योरिटी का सवाल नहीं है वह जमा नहीं करवायी गई. वह डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्री से रजिस्टर्ड होता है उसके लिए सिक्योरिटी की राशि जमा करवाना आवश्यक नहीं होता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : निवेदन करना यह है कि....

Page No 18

(18)

श्री कैलाश मेघवाल : रिस्क मनी और सिक्योरिटी मनी अलग-अलग है। सिक्योरिटी मनी से अवश्य छूट है लेकिन रिस्क मनी की छूट नहीं है रिस्क मनी 1500 रुपये जमा करानी पड़ती है। मन्त्री देख लें।

श्री घासीराम यादव : हो सकता है लेकिन मुझे जानकारी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीमन् सप्लाई करने के लिए निविदा प्राप्त करायी गयी वहां पर रिस्क मनी का जो प्रावधान होता है वह उसी के अनुसार होता है, यह सबके लिए आवश्यक होती है तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार के पास यह मनी जमा करायी गयी या नहीं करायी गयी ?

श्री घासीराम यादव : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो इसको स्थगित कर दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो 1979-80 का प्रश्न है हमारे समय का नहीं है....

(व्यवधान)

आपके जमाने में ही यह घपला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जो कि....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका किया हुआ है यह तो आप....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह किस हैसियत से बोल रहे हैं। इनके क्या इन्ट्रेस्ट है ? ये हमारी सेफ्टी क्यों कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे वक्त का नहीं है 79-80 का है माल तो आप खा गये और प्रश्न हमारे से पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह भ्रष्टाचार आपके जमाने का है इसलिये हम इसको नंगा करना चाहते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके सामने बैठे हैं उनको नंगा करें हमको क्यों नंगा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसमें भ्रष्टाचार का बहुत....

श्री अध्यक्ष : भाषण की इजाजत नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :इसमें

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

भ्रष्टाचार है वह सारी बात सदन की जानकारी में आ जाय, मन्त्री महोदय की जानकारी में आ जाये। ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं क्या उनको ब्लैक लिस्ट किया जायगा, जो कि गड़बड़ कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया है कि इसके बारे में मंत्री महोदय, को जानकारी नहीं है। मन्त्री जी ने कहा कि वह जानकारी लेंगे इसका मतलब यह हुआ कि यदि गलती नजर आयेगी तो स्वाभाविक है कि उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके जवाब से सहमत हूं मैं मन्त्री महोदय से यही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसका यही मतलब होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जांच करायेंगे और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को अवसर तो दें।

श्री घासीराम यादव : जो रिस्क मनी का सवाल उठाया है उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन इसको हमने नोटिस में लिया है और डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज को भी लिखा है तथा इसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही जारी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय इसके इतने दिनों से....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। भाषण नहीं होगा।

श्री घासीराम यादव : यह सही है कि जो पहली पार्टी थी उसने माल सप्लाई नहीं किया। फिर रीटेण्डर किया गया और दूसरे ने जो माल सप्लाई किया ऊंची दरों पर वह उसने उसी फर्म से लिया था उस पर शर्मा प्लास्टिक लिखा हुआ था। यह जांच की जायगी। यह विभागीय गलती है इसलिए नुकसान हुआ लेकिन इसमें हमारा विभाग दोषी नहीं है दूसरे टेण्डर में लोएस्ट टेण्डर था इसलिए इस विभाग की कमी नहीं है. फिर दिखवाया जायगा अगर हमारे विभाग के किसी अधिकारी की गलती हुई है तो हम एक्शन लेंगे। और जो कहा गया कि हीरा काला जीरा और हींग आदि आपने कहा हीरा हींग में गड़बड़ हुई है, मैं यह चाहता हूं, माननीय सदस्य सुझाव दें, राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी।

(व्यवधान)

मैं ऐसे सुझावों का स्वागत करूंगा।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 20

(20)

(श्री घासीराम यादव)

जो भी कोई गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच की जायगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वह इसको साबित करें।

(व्यवधान)

माननीय दाऊदयाल जी ने यह बात कही कि हीरा हींग, काला जीरा एक हमारे अधिकारी के खिलाफ, चूंकि उस दिन मुखबन्द था इसलिए कहने का मौका नहीं मिला, उन्होंने यह कहा था कि 50 हजार ...

(व्यवधान)

मैं कहता हूं यह अशोभनीय बात है, हमारे पास फाइल मौजूद है, कोई भी देख सकता है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री राधेश्याम।

श्री गंगानगर शहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा

673. **श्री राधेश्याम (श्री गंगानगर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है

(2) क्या सरकार स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि में वहां स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) जी हां। राजकीय कन्या महाविद्यालय में तो स्नातकोत्तर कक्षायें नहीं हैं, किन्तु वहां के राजकीय महाविद्यालय व दो निजी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर की सुविधा लड़कियों के लिए उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं हो पायेगा।

श्री राधेश्याम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एम. ए. क्लासेज की सुविधा श्री गंगानगर राजकीय महाविद्यालय में है जो नगर से बहुत दूर पड़ता है, जहां कि उनके माता–पिता लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में····

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : यह तो लोक सभा की तरह देखकर पढ़ रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री राधेश्याम : माननीय अध्यक्ष महोदय , मैं आपके माध्यम से यह शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गर्ल्स कालेज में गणित का विषय भी नहीं है और कामर्स भी नहीं है , इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इसका प्रबन्ध किया जाय , 20 लाख की डिस्ट्रिक्ट है एक मात्र लड़कियों का कॉलेज है , जिसमें यह सुविधा दिलवाई जावे ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय , वहाँ के राजकीय महाविद्यालय में और दूसरे प्राइवेट महाविद्यलयों के अन्दर पोस्ट ग्रेजूएशन की सुविधा उपलब्ध है ,उनमें चाहें तो लड़कियां वहाँ जा सकती हैं। आपका यह कहना कि ···

श्री भगवान दास शास्त्री : सह–शिक्षा हो सकती है ।

श्री चन्दन मल बैद : पोस्ट ग्रेजूशन में सह शिक्षा भी कोई बुरी चीज नहीं है , 20–21 साल की आयु हो जाती है ।

राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में 71 छात्रायें पढ़ रही हैं , एस. जी. एन. खालसा महाविद्यालय में 77 छात्रायें, और सेठ जी.एल.बिहाणी एस.पी.जी. महाविद्यालय में 94 छात्रायें पढ़ रही हैं। जब इन महाविद्यालयों में बालिकायें पढ़ रही हैं तो और दूसरी बालिकाओं के लिए भी दिक्कत नहीं हो सकती। इस वास्ते मैं समझता हूं, अभी धनाभाव के कारण पोस्ट ग्रेजूएट कालेज खोलना संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, स्थगित प्रश्न

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकूई) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है दो मिनट लगेंगे····

श्री अध्यक्ष : दो मिनट लगे चाहे एक मिनट ।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 458

(दिनाक 25 मार्च, 1981)

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें ।)

श्री फतेसिंह ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 मार्च, 1981)

कुशलगढ़ क्षेत्र में संचालित छात्रावास

497. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : 1) कुशलगढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास हैं और किस किस छात्रावास में कितने-कितने छात्र आवास कर रहे हैं ?

(श्री फतेसिंह)

(2) इस क्षेत्र में कुल कितने छात्रावास राजकीय भवन में एवं कितने छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में अन्य कोई छात्रावास खोलने का विचार रखती हैं ?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में बालकों के छात्रावास के निर्माण हेतु कुशलपाड़ा ग्राम पंचायत से भूमि दान में ली गई है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर कब तक छात्रावास निर्माण होने की संभावना है ? यदि नहीं, तो उक्त दान में ली गई भूमि का क्या उपयोग हो रहा है ?

(5) क्या कुशलगढ़ में ईसाई मिशनरी द्वारा कोई छात्रावास चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें कितने छात्र हैं तथा उनकी देख रेख कौन करता है ?

(6) क्या इन ईसाई छात्रों को भी समाज कल्याण व शिक्षा विभाग से कोई छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) कुशलगढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा 5 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है एवं एक छात्रावास अनुदानित है। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस क्षेत्र में केवल कन्या छात्रावास राजकीय भवन में चल रहा है। अनुदानित छात्रावास संस्था के भवन में तथा शेष छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं। वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। किन्तु छात्रावास निर्माण हेतु कोई बजट प्रावधान न होने के कारण छात्रावास निर्माण स्वीकृत नहीं किया जा सका है। भविष्य में जब प्रावधान उपलब्ध होगा तब निर्माण कार्य पर विचार करना संभव हो सकेगा। भूमि अभी खाली पड़ी है।

(4) जी हाँ, इस सत्र में 93 छात्र बतलाये गये हैं, जिनकी देख रेख मिशनरियों द्वारा की जाती है।

(5) जी हां। प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ ने सूचित किया है कि ईसाई छात्रावास के 87 छात्रों को 1980-81 के लिए 9,440 रु. की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर भुगतान छात्रों को किया गया है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री फतेसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट दी है उसमें सरकारी छात्रावास की तुलना में ईसाई मिशनरी के छात्रावासों में छात्रों की संख्या अधिक है, इसका कारण यही है कि सरकारी छात्रावासों में सुविधा नहीं होने से छात्र ईसाई मिशनरी छात्रावासों में जाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो छात्र ईसाई मिशनरियों के छात्रावासों में रहते हैं और अध्ययन करते हैं क्या उनको छात्रवृत्ति दी जाती है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना बजट का प्रावधान होता है उसके अनुसार छात्रावासों को सुविधायें दी जाती हैं, यह कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक छात्रावास को ज्यादा दे दें

(श्री हरसहाय मीणा)

और दूसरे को कम दे दें, सभी छात्रावासों में समान रूप से छात्रवृत्ति देने के लिए बजट प्रावधान है उसी के अनुसार वहां के छात्रावासों को भी दी जाती है। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में फेसिलिटीज ज्यादा दी जा रही है तो इनमें हमारा कोई लेना देना नहीं है।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सरकार वर्तमान में जो छात्रावास वहां परे चल रहे हैं, और ईसाई मिशनरीज के जो छात्रावास हैं उनके मुकाबले में छात्रावासों की संख्या बढ़ायेगी ?

श्री हरसहाय मीणा : हमारे यहां छात्रावासों में छात्रों की संख्या निश्चित होती है किसी में 25 किसी में 40, बजट प्रावधान के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और गुंजाइश होगी तो बढ़ायेंगे लेकिन मैं वायदा नहीं कर सकता।

श्री बहादुर सिंह : नं० 6 में आपने बताया कि ईसाई मिशनरी छात्रावास में जो आदिवासी पढ़ते हैं उनको सरकारी एड दी जाती है। क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी छात्र ईसाई हैं कि जनजाति के हैं ? दूसरे, क्या ये लड़के अनुसूचित जाति व आदिवासी जो ईसाई मिशनरी छात्रावास में पढ़ते हैं वे धर्म परिवर्तन में नहीं आते हैं ?

श्री हरसहाय मीणा : जयपुर में ऐसी बहुत सी संस्थायें है जिनमें सभी जातियों के छात्र जाते हैं, पढ़ने से उनका धर्म परिवर्तन होता हो, मैं ऐसा नहीं मानता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। जो माननीय सदस्य कुशलगढ़ के हैं, वह जब आवश्यक होता है उस समय ही वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं। इसलिए मैं उनको विशेष सुविधा दे रहा हूं, माननीय सदस्य पूछ लें।

श्री फतेसिंह: मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कुशलगढ़ छात्रावास भवन के लिए ग्राम पंचायत ने भूमि दान में दी थी ? यदि दी, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरसहाय मीणा : मैं उत्तर पहले ही दे चुका हूं। माननीय सदस्य ने शायद उस पर गौर नहीं फर्माया। जमीन जो दी गई, बजट प्रावधान न होने से राशि स्वीकृत नहीं कर सके। मैंने पहले ही निवेदन किया, उसके बाद भी दुबारा प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री फतेसिंह : मन्त्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि सज्जनगढ़ छात्रावास के लिए जो रकम स्वीकृत हुई उसका कार्य चालू हुआ या नहीं। यदि नहीं,तो क्यों नहीं ?

श्री हरसहाय मीणा : दुबारा फर्मा दें।

श्री फतेसिंह : सज्जनगढ़ छात्रावास के लिए राज्य सरकार से रकम स्वीकृत हुई है और उस भवन के बारे में अभी तक सर-

(श्री फतेसिंह)

कार ने कोई कार्यवाही नहीं की । भवन चालू नहीं किया, कब तक चालू कर देंगे ?

श्री हरसहाय मीणा : अलग से प्रश्न है ।

श्री फतेहसिंह : अलग से प्रश्न नहीं है । यह प्राइवेट छात्रावास नहीं है, राजकीय छात्रावास है सज्जनगढ़ का ।

श्री हरसहाय मीणा : इसमें सज्जनगढ़ का प्रश्न नहीं है, कुशलगढ़ का जरूर है ।

श्री नन्दलाल मीणा : आप ईसाई छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं, जो ईसाई छात्र हैं क्या जनजाति से आते हैं ? यदि नहीं आते हैं, तो छात्रवृत्ति क्यों देते हैं ? यदि आते हैं, तो इनको छात्रावासों में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया ? नहीं आते हैं, तो जिन अधिकारियों ने छात्रवृत्ति दी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय सदस्य समाज कल्याण की गतिविधियों से अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि....

(व्यवधान)

अध्यक्ष जी : वह सुनें तो सही, यदि सुनने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो दूसरी बात है । समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाती है जो अनुसूचित जाति या जनजाति के या घुमक्कड़ जाति के हैं । यदि इसके अन्दर आते हैं तो निश्चित रूप से छात्रवृत्ति मिली है और नहीं आते हैं तो नहीं मिली है । यदि मिली है तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के हैं ।

श्री नन्दलाल मीणा : ईसाई छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : यह सरकार आदिवासियों की मजबूरी का फायदा उठा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, स्थान ग्रहण करें, कृपया नियमों का ध्यान रखें, सदस्यगण ।

श्री नाथूसिंह : मेरा प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्र० स० 692 महत्वपूर्ण है । वहां लोग गंदा पानी पीते हैं जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है वहां गरीब अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री अमरा राम चौधरी : ×××

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : सदन का कीमती समय है माननीय सदस्यगण, आर्डर प्लीज। स्थन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

श्री नाथूसिंह : ×××

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित

प्रश्नोत्तर

कुम्हेर क्षेत्र स्थिति डीजल विक्रय केन्द्र

662 श्री हरीसिंह (कुम्हेर) क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुम्हेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने डीजल विक्रय केन्द्र कहां-कहां पर हैं ?

(2) प्रत्येक केन्द्र पर कितना डीजल प्रति सप्ताह आता है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(3) एक-एक केन्द्र से कितने ट्रैक्टर्स व डीजल के मोटर पम्पस को प्रत्येक माह में कितना डीजल प्रदान किया जाता है ?

(4) कुम्हेर स्थित डीजल विक्रय केन्द्र पर नवम्बर, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक कितना डीजल आया व कितना इस केन्द्र द्वारा किस किस ट्रैक्टर नम्बर व किस किस डीजल पम्प के लिए विक्रय किया गया ? कृपया मालिक के नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सिंचाई हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले डीजल पम्प्स को प्रति सप्ताह 15 लीटर डीजल प्रदान नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के कुम्हेर कस्बे में मैसर्स किसान आटो के नाम से एक ही डीजल विक्रय केन्द्र है।

(2) उक्त केन्द्र पर नवम्बर, 80 से फरवरी, 81 तक प्रति सप्ताह प्राप्त डीजल की सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

(3) नवम्बर 80, से फरवरी 81, तक प्रत्येक माह में ट्रैक्टरों व डीजल की मोटर पम्पों जिन्हें डीजल दिया गया है, की संख्या की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

(4) कुम्हेर स्थित डीजल पम्प पर इस अवधी में 369 किलोलीटर डीजल प्राप्त हुआ जो उक्त अवधि में 2793 ट्रैक्टरों कार्ड एवं 13785 पम्पिग सैट्स कार्डस पर वितरण किया गया। प्रत्येक कार्ड को प्रति सप्ताह दिये जाने के परिणामस्वरूप प्रति कार्ड पर माह में चार बार डीजल दिया गया।

(5) उपलब्धि के अनुसार डीजल पम्पों को 15 लीटर प्रति सप्ताह डीजल दिया गया है। दिनांक 13—2—81 से इन्हें 20 लीटर प्रति सप्ताह डीजल दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

चित्तौड़गढ़ में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों के संदर्भ में पंजीकरण

665. श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़): क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों के संदर्भ में नये पंजीकरण बन्द कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वहां आवासीय मकानों की काफी कमी है? यदि हां तो क्या सरकार इस दृष्टि से पुनः पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1976, 1977 1978, 1979 में पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई थी जिनके अन्तर्गत कुल 406 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। भूमि की कमी के कारण इस वर्ष पंजीकरण योजना प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

(2) वर्तमान 406 पंजीकृत आवेदकों में से मण्डल को 330 मकान निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हुई है ज्यों ही और भूमि उपलब्ध होगी पुनः पंजीकरण प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पुष्कर पर आंग्ल भाषा में डाकूमेन्ट्री फिल्म का निर्माण

670.

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पर्यटन को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से क्या सरकार का पुष्कर पर अंग्रेजी भाषा में डाकूमेन्ट्री फिल्म बनाने का कोई विचार है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 25 मार्च, 1981)
मंदिरों के भवन व उनकी अचल सम्पत्ति

458. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) :—क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) देवस्थान के अन्तर्गत कितने मंदिर पंजीकृत हैं ? कृपया तालिका सदन के पटल पर रखें। ये मन्दिर कहां-कहां पर स्थित हैं ?

(2) कितने मन्दिरों के भवनों व अन्य अचल सम्पत्ति की जीर्ण अवस्था है ?

(3) क्या इस प्रकार के मन्दिरों व सम्पत्ति के रख रखाव के लिए विभाग ने कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो अब तक करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत 1359 मन्दिर धार्मिक व पुण्यार्थ संस्थान पंजीकृत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) सार्वजनिक प्रन्यास, जिसमें मंदिर भी सम्मिलित हैं, उनके भवनों का विस्तृत विवरण तथा उनकी अवस्था का रिकार्ड देवस्थान विभाग के पास नहीं रहता है। ऐसा रिकार्ड सम्बन्धित प्रन्यास के प्रवासियों के पास ही रहता है । देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर मंदिर जो मरम्मत किये जाने योग्य है उनकी संख्या 105 है।

(3) पंजीकृत प्रन्यासों के मंदिरों की सम्पत्ति के रख रखाव का दायित्व राज्य सरकार पर नहीं हैं। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित राजकीय मंदिरों व संस्थाओं की जीर्ण अवस्था का सर्वेक्षण कर रिकार्ड तैयार किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर
जिला पाली में खनिज आधारित उद्योगों की सम्भावनायें

683. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत), **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी):

क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला पाली में ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक विकास की योजना है ?

(2) क्या यह सही है जिला पाली में अरावली की वजह से खनिज आधारित उद्योग के विकास की काफी संभावना है ? यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार राष्ट्रीय खनिज सम्पदा की चोरी को रोकने व खनिज आधारित उद्योगों के विकास हेतु खनिजों के पट्टे देने में आने वाली अड़चनों का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(4) क्या सरकार अप्रधान खनिज सम्पदा के पट्टे देने के अधिकार के केन्द्रीयकरण को समाप्त करेगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु कोई विशेष योजना नहीं है।

(2) रास क्षेत्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन का प्रचुर भण्डार है। इस क्षेत्र में एक प्राइवेट पार्टी द्वारा सीमेन्ट बनाने के लिये चूना पत्थर के क्षेत्र को खनन पट्टे पर लेने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त सोजत क्षेत्र में चूने के पत्थर को उपलब्धता के आधार पर चूने बनाने के भट्टे चालू हैं। अन्य कोई खनिज इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जिस पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो सके।

(3) सरकार ने खनिज सम्पदाको चोरी को रोकने केलिये विभाग में उडन दस्ते का गठन किया है। जिसके अन्तर्गत एक अधीक्षक खनि अभियन्ता एवं 5 खनि अभियन्ता कार्यरत हैं, जो खनिज सम्पदा की चोरी पर निगरानी रखते है तथा चोरी करने वालों को दण्डित करके हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में खनिज अभियन्ताओं के कार्यालयों में भी वृद्धि की गई है ताकि उनका कार्य क्षेत्र सीमित हो सके और निगरानी अच्छी की जा सके।

खनिज आधारित उद्योगों के विकास हेतु खनिज पट्टे देने में विभाग निरन्तर प्रयत्नशील हैं तथा कई खनिज पट्टों में इस हेतु विशेष शर्त भी लगाई जाती हैं, ताकि खनन पट्टाधारी उन खनिज पर आधारित उद्योग लगाने का प्रयास करें। खनिजों के पट्टे प्रधान अप्रधान खनिज नियमों के अनुसार ही दिये जाते हैं और ये पट्टे समयावधि में स्वीकृत हो सकें, इस बाबत विभाग काफी सतर्क हैं।

(4) अप्रधान खनिज के पट्टे देने के अधिकार केन्द्रीयकृत नहीं हैं बल्कि सहायक खनि अभियन्ता के स्तर से लेकर खनि अभियन्ता/अधीक्षक खनि अभियन्ता/निदेशक, खान एवं भू विज्ञान एवं राज्य सरकार तक विकेन्द्रीकरण किये हुए हैं। अलग-अलग अधिकारियों के अधिकार की सीमाएं निर्धारित की हुई हैं जिनके अनुसार ही अप्रधान खनिजों के पट्टे दिये जाते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य में प्रस्तावित नई योजनायें

684. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में विशेष तौर पर कौन कौन सी नई योजनायें लागू किये जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या राज्य में कोई योजनायें लागू करने का राज्य सरकार द्वारा भी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या ?

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

(3) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के तहत बेरोजगारी उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष योजना भी प्रस्तावित की गई है ?

(4) क्या योजना आयोग के समक्ष राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन के विषय में कोई प्रस्ताव भी भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से प्रदेश में कौन कौनसी नई योजनाएं लागू किये जाने का प्रावधान है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 प्रारूप में प्रमुख रूप से बम्बई हाई गैस पर आधारित दो रसायनिक उर्वरक कारखानें, सांभर नमक पर आधारित रसायनिक उद्योग (कम्पलेक्स), इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की इकाई, सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा स्थापित किये जाने वाले कुछ सुपर सीमेंट प्लाण्ट, रॉक फास्फेट पर आधारित उर्वरक कारखानें, भारत, इलेक्ट्रोनिक्स की इकाई, जयपुर भोपाल एवं ब्यावर अहमदाबाद सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने तथा दिल्ली अहमदाबाद मीटर गेज रेलवे लाइन व जयपुर-सवाई माधोपुर मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन (ब्राड गेज) में परिवर्तन किये जाने के साथ ही साथ अन्य 16 नई रेलवे लाइन डालने का उल्लेख किया गया था।

(3) जी हां। मुख्य रूप से एकीकृत ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू की जा रही है।

(4) जी हां। मुख्य रूप से सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्त्योदय, लघु कृषक विकास कार्यक्रम आदि के प्रस्ताव योजना आयोग को भेजे गये। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के प्रारूप में सम्मिलित किये गये।

उदयपुर नगर में अनधिकृत रूप से भूमि पर काबिज व्यक्तियों को पट्टा दिया जाना

685 श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उदयपुर नगर के विभिन्न हिस्सों में वर्ष 1977 से 1981 तक जो अनधिकृत कब्जे नगर विकास न्यास की भूमि पर किये गये उन्हें विधिवत् स्वीकृति देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो किस आधार पर एवं कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि पीढ़ियों से बसे कुम्हारों का भट्टा, एम० बी० कॉलेज के सामने एवं पठों की मगरी के गरीब व्यक्तियों को भी उनके मकानों के पट्टे देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ धनी लोगों के दबाव में आकर वर्षों से बसे लोगों को वहां से हटाने का प्रयत्न चल रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(नगर आयोजना मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा नियमों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उदयपुर में अल्प आय व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन

686. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर न्यास उदयपुर ने कम आय एव अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को 2000 प्लॉट अलाट करने की कोई योजना राज्य सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को उक्त योजना कब प्राप्त हुई व इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत नगर विकास न्यास उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र मांगे हैं ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं एवं प्रति प्रार्थना पर प्रार्थी को कितना धन व्यय करना पड़ा ?

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना की स्वीकृति अतिशीघ्र देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को 2000 भू-खण्ड आवंटन करने की योजना राज्य सरकार को दि० 27-10-79 को भेजी। यह योजना राज्य सरकार को 6-11-79 को प्राप्त हुई। परीक्षण करने पर यह पाया गया कि यह योजना राज० नगर विकास न्यास अधिनियम की धारा 32 के तहत की प्रकाशित नहीं हुई तथा सुरक्षा दरों का भी निर्धारण नहीं कराया गया तथा नियमों में वर्णित श्रेणियों के अनुसार भू-खण्ड आवंटन के प्रस्ताव नहीं किये गये हैं। यह भी पाया गया कि इस योजना में सभी भू-खण्ड आवंटित किए जाने का प्रस्ताव था जबकि आवंटित ने केवल 50 प्रतिशत भू-खण्ड ही दिए जा सकते हैं और उससे नगर न्यास, उदयपुर को 15 लाख की आर्थिक हानि होगी। नगर न्यास, उदयपुर को दि० 26-2-80 को उक्त कमियों को दूर कर योजना नियमानुसार स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने को लिखा गया। नगर विकास न्यास, उदयपुर से उत्तर अभी अपेक्षित है।

(2) जी हां। 2388 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। प्रत्येक प्रार्थना पत्र शुल्क 1/- रुपया रखा गया था।

(3) नगर विकास न्यास, उदयपुर से यदि योजना नियमों के अनुसार बनकर आती है तो राज्य सरकार इसको मंजूर करने पर विचार करेगी।

अजमेर नगर में तारागढ़ किला का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

687. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् की सीमा में पहाड़ी पर तारागढ़ नाम का किला स्थित है और वहां पर अभी भी बस्ती है?

(2) क्या यह भी सही है कि तारागढ़ का किला बहुत पुराने समय से स्थापित होकर ऐतिहासिक महत्व का है?

(3) क्या सरकार इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक स्थल घोषित कर सुरक्षा करेगी या केन्द्र सरकार को इस हेतु सिफारिश करने का विचार रखती है। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस स्थान पर अभी पर्यटकों का आवागमन नहीं है। पुरातत्व विभाग द्वारा यह स्थान संरक्षित है।

नगर विकास न्यास उदयपुर में अधिशाषी अभियन्ता व सचिव के पद पर कार्यरत पदाधिकारी

688. श्री महावीर प्रसाद जैन(टौंक): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास उदयपुर में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर वर्तमान में कौन व्यक्ति काम कर रहा है? उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और क्या वह अधिशाषी अभियन्ता के रूप में कार्य करने की पात्रता रखता है?

(2) सरकार उदयपुर नगर विकास न्यास में योग्य एवं पात्रता रखने वाले अधिशाषी अभियन्ता की नियुक्ति कब तक कर देगी और इस नियुक्ति में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं?

(3) उदयपुर नगर विकास न्यास में सचिव के पद पर वर्तमान में कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं तथा वहां पर कब से तैनात हैं?

(4) इनके वहां पर पद स्थापना के बाद उनका कब-कब किस-किस कारण से स्थानान्तरण किया गया? कब-कब किस-किस कारण से स्थानान्तरण निरस्त किये गये?

उत्तर

(1) वर्तमान में नगर विकास न्यास उदयपुर में अधिशाषी अभियन्ता का पद रिक्त है। नगर विकास न्यास उदयपुर के वरिष्ठतम सहायक अभियन्ता श्री मंजूर अहमद कार्यवाहक के रूप में उस पद का कार्य देख रहे हैं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता नॉन मैट्रिक है लेकिन जून, 1956 से मार्च, 1969 तक उन्होंने ओवर सियर का कार्य किया और अप्रेल, 1969 से वे सहायक अभियन्ता का काम कर रहे हैं।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) वर्तमान में अधिशाषी अभियन्ता हेतु वांछित योग्यता वाला व्यक्ति अभी उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। यह नियुक्ति शीघ्र ही की जावेगी।

(3) वर्तमान में इस न्यास में सचिव के पद पर श्री जे० पी० चन्देलिया कार्य कर रहे हैं। ये दिनांक 3/3/79 से इस पद पर कार्यरत हैं।

(4) श्री जे० पी० चन्देलिया का स्थानान्तरण नहीं किया गया। इसलिये किसी आदेश को निरस्त किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अजमेर में क्रिश्चयनगंज मोहल्ला के पास से बहने वाले नाले की सफाई

689. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर के क्षेत्राधिकार में क्रिश्चियनगंज मोहल्ले में महबूब की कोठी के पीछे बने मकानों के बीच से एक नाला बहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस नाले में गन्दगी, कीचड़ लम्बे समय से पड़ा सड़ रहा है जिससे बदबू फैलने के साथ ही नागरिक जीवन कष्टमय हो रहा है ?

(3) इस नाले की सफाई पिछली बार कब हुई थी ?

(4) क्या इस नाले को पक्का कराया जाकर यह सदैव साफ रहे इस बात की व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। नाले की समय-समय पर सफाई की जाती है।

(3) नाले की सफाई पिछली बार दिनांक 16-3-81 को करवाई गई थी।

(4) जी हां।

अजमेर नगर में पुष्कर रोड के समीप परोपकारिणी सभा, अजमेर को आवंटित भू-खण्ड

690. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अजमेर के क्षेत्राधिकार में ऋषि उद्यान के पूर्व में पुष्कर रोड से लगी हुई 5,000 वर्ग गज जमीन को परोपकारिणी सभा, अजमेर को विक्रय कर दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भू-खण्ड को ऋषि उद्यान की सौन्दर्य वृद्धि तथा बाल उद्यान लगाने हेतु विक्रय किया

(श्री कैलाश मेघवाल)

गया था।

(3) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1973 में ही परोपकारिणी सभा, अजमेर द्वारा सारी योजना को अन्तिम निर्णय हो जाने पर रु० 9,000/- क्रय मूल्य चुका दिया गया था ?

(4) यदि हां, तो अभी तक उसका कब्जा परोपकारिणी सभा को क्यों नहीं दिया गया है ?

(5) वर्तमान में इस भू-खण्ड पर कौन कौन किस-किस रूप में काबिज हैं ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास अजमेर की बैठक दिनांक 26/9/73 के प्रस्ताव संख्या 15 द्वारा ऋषि उद्यान के संचालक परोपकारिणी सभा को खसरा नं० 1166 में से 4540 वर्गगज भूमि रियायती दर से देने का निर्णय लिया गया था।

(2) यह सही है।

(3) 2 फरवरी, 1974 को 4540 वर्ग गज भूमि के 2/- रुपये प्रति वर्ग गज से कुल 9080/- रुपये चैक द्वारा न्यास में जमा हो चुके हैं।

(4) इस भूमि में से 423 वर्ग गज भूमि का कब्जा जरिये लीजडीड दिनांक 9/5/74 से दिया गया। दि० 6/8/74 को दूसरा लीजडीड 2178 वर्ग गज का सम्भालने के लिये सम्पादित हुआ लेकिन मौके पर अवैध कब्जे हो जाने से स्थिति यथावत रही एवं अतिक्रमी श्री नेमीचन्द्र तेली द्वारा न्यास के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधीश, न्यायालय से स्थगन आदेश होने से कब्जा नहीं दिया जा सका।

(5) वर्तमान में इस भूमि पर अतिक्रमी के रूप में नेमीचन्द्र पुत्र सुगना तेली, श्रीमती सुन्दरी तेलन व श्री नरसिंह आदि का कब्जा है। इनमें से श्री नेमीचन्द्र तेली ने अति० जिला न्यायाधीश से न्यास के विरुद्ध स्थगन आदेश ले रखा है यद्यपि वह निचली दो अदालतों में हार चुका है।

अजमेर नगर में कचहरी रोड पर दुकानों की छतों की नीलामी

691. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में कचहरी रोड पर नगर परिषद् द्वारा दुकानों की छतों की नीलामी की गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) नीलामी के बाद इस प्रकरण को निपटाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

(3) क्या इस प्रकरण में कोई जांच हुई है ? यदि हां तो क्या उसका परिणाम नीलामी बोली लगाने वाले के पक्ष में रहा ?

Page No 34

(23) (34)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(4) यदि हां, तो अब तक लीज डीड का सम्पादन क्यों नहीं कराया गया है और अब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 23.3.77, 16.5.77, 17.5.77 व 19.5.77 को नीलामी की गई थी।

(2) नीलामी के पश्चात् इस विषय में प्राप्त शिकायतों पर जांच की जानी थी जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार जांच की जाकर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई व दि. 15.3.79 को परिषद् की पत्रावली लौटा दी गई। दि. 22.7.80 को राज्य सरकार ने परिषद को आदेश दिये कि इस योजना पर नगर नियोजक की पुनः स्वीकृति प्राप्त की जायें। मामला अभी मुख्य नगर नियोजक के पास विचाराधीन है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में इसका उत्तर भी आ गया है।

(4) योजना मुख्य नगर नियोजक के यहां पुनर्वालोकन के लिए विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

वन्य पशु-पक्षियों की देख-रेख व रख रखाव की व्यवस्था

693. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में वन्य पशु-पक्षियों के रख-रखाव व देखरेख पर प्रति वर्ष औसतन कितनी कितनी राशि व्यय की जाती है ?

(2) क्या यह राशि पर्याप्त है ?

(3) क्या वन्य पशु-पक्षियों के रख-रखाव पर अधिक सुधार के लिए सरकार चालू पंचवर्षीय योजना की राशि में विशेष बढ़ोतरी का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या शिकार पर पाबन्दी की जिम्मेदारी वन विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग को भी सौंपी गई है ? यदि हां, तो किस विभाग को ? नहीं तो। क्यों ?

(5) क्या वन जीवों के विकास की दृष्टि से प्रदेश के अन्यन्य क्षेत्रों में भी "गेम्स सैंक्चुअरी" बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(6) क्या इस विषय पर प्रदेश में कोई विशेषज्ञ अधिकारी वन विभाग के पास उपलब्ध है ? यदि हां, तो कौन ? नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या इस विषय पर विशेषज्ञ अधिकारियों को कोई विशेष सुविधायें भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या इस विषय के अधिकारियों को विशेष दक्षता के लिये विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की विभाग की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में आयोजना व आयोजना भिन्न के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधानों को सम्मिलित कर प्रति वर्ष प्राय: 98 लाख रुपया औसतन वन्य पशु पक्षियों के रख रखाव पर पिछले दो वर्षों से व्यय हो रहा है।

(2) राज्य के उपलब्ध वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त आवटित राशि को अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

(3) वन्य पशु पक्षियों के रख रखाव में सुधार एवम् कार्यक्रमों में विस्तार हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में अधिक प्रावधान रखा गया है। पूर्व की रोलिंग प्लान 1978-83 एवम् केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में रु. 200.10 लाख का प्रावधान था जबकि छठी पंचवर्षीय योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में रु. 232.15 लाख के प्रावधान के अतिरिक्त राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर हेतु रु. 247.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(4) जी हाँ। वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व है।

(5) जी हां। वन्य जीवों की सुरक्षा एवम् संवर्द्धन हेतु राज्य में भारतीय वन सेवा की सुपर टाइम वेतन श्रेणी का एक पद, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, का विद्यमान है।

(6) राज्य में प्रभावशील नियमों के अनुसार इन्हें सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है।

(7) विदेश प्रशिक्षण के संबंध में कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। उनके द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने पर राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र के कल्याण हेतु प्रदत्त राशि का उपयोग

694. **श्री चेतराम मीणा** (टोडाभीम) : क्या जनजाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण हेतु बजट के किस-किस मद को कितनी-कितनी धनराशि दी गई और उसका किस-किस प्रकार सदुपयोग किया गया है?

(2) ट्राइबल एरिया डवलपमेंट एवं ट्राइबल मिनी ब्लाक को शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु कितनी धनराशि (अलग अलग) दी गई थी? क्या यह सच है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के इस धन को आदिवासियों एवं आदिवासी क्षेत्रों में खर्च न कर अन्य क्षेत्रों में खर्च किया गया है? यदि नहीं, तो केन्द्रीय मदद से गत वर्ष में कितने-कितने माध्यमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल तथा आयुर्वेदिक औषधालय खुलने चाहिए थे और कितने खोले गये हैं तथा कहां-कहां खोले गये हैं? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार आदिवासी कल्याण की सहायता राशि को उद्योग में न लगा कर समर्पित करना चाहती है? यह राशि किस-किस मद की कितनी-कितनी है?

(जनजाति विकास मंत्री)

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विकास के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत प्रदत्त राशि के पूरक के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राशि स्वीकृत की जाती है, 1974-75 से 80-81 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास माडा क्षेत्रों के विकास तथा सहरिया क्षेत्र के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नानुसा धन राशि स्वीकृत की गई :

(लाख रु.)

वर्ष	उपयोजना क्षेत्र	माडा क्षेत्र	सहरिया क्षेत्र	योग
1974-75	50.00	—	—	50.00
1975-76	149.37	—	0.63	150.00
1976-77	244.38	—	1.62	246.00
1977-78	291.10	—	7.00	298 10
1978-79	337.00	31.50	20 00	388.50
1979-80	327.00	190.00	20.00	537.00
1980-81	256.49	190.00	20.00	466.49
1980-81 (विशेष ग्रान्ट)	30.00	20.00	—	50.00
कुल योग	1735.34	431.50	69.25	2236.09

(2) केन्द्र सरकार आदिवासी कल्याण के लिए किसी विशेष मद के लिए राशि स्वीकृत नहीं करती। राज्य योजना की पूरक राशि के रूप में जो राशि जनजाति क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदोंनुसार उसको स्वीकृत किया जाकर उसका उपयोग किया जाता है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र, माडा व सहरिया विकास के लिए प्राप्त धन राशि के मदवार उपयोग का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(जनजाति विकास मन्त्री)

केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्रदत्त धन राशि में से वर्ष 79-80 व 1980-81 में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार धन राशि शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई थी:—

क्षेत्र/योजना		स्वीकृत राशि (लाख रु.) 79-80	80-81
(अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र			
1— शिक्षा			
(क) प्रारम्भिक शिक्षा		53.50	41.03
(ख) शारीरिक शिक्षा		—	0.50
	कुल	53.50	41.53
(2) स्वास्थ्य			
(क) आधुनिक चिकित्सा		11.00	12.63
(ख) आयुर्वेद		5.36	5.65
	कुल	16.30	18.28
(ब) ट्राइबल मिनी ब्लाक (माडा क्षेत्र)			
(1) शिक्षा			
(क) शिक्षा प्रोत्साहन		11.78	12.00
(ख) आश्रम स्कूल		15.00	—
(ग) प्राथमिक शाला		15.50	—
	कुल	42 28	12.00
(2) स्वास्थ्य			
(क) चिकित्सा एवं भ्रमणशील ईकाई		6.22	—
(ख) —			
	कुल	6.22	—

Page No 38

(27)

(जनजाति विकास मन्त्री)

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में स्वीकृत धन राशि को आदिवासी क्षेत्रों (जनजाति उपयोजना क्षेत्र व माडा क्षेत्रों में क्षेत्रवार स्वीकृत राशि के अनुसार) में ही व्यय किया गया है अन्य क्षेत्रों में नहीं। शिक्षा प्रोत्साहन हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग आदिवासी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु ही किया गया है।

विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत स्वीकृत राशियों से वर्ष 79-80 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कुल 50 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गए थे (खुलने थे) जिसके विपरीत 48 प्राथमिक विद्यालय खोले गये जिनकी सूची परिशिष्ठ-2 पर संग्लन है।

विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 1979-80 में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने का कोई लक्ष्य नहीं था।

(3) जी नहीं। विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पूरी राशि का उपयोग किये जाने का प्रयास किया जाता है। राशि समर्पित नहीं की गई। वर्ष 1978-79 की विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 14.81 लाख रुपये की बचत राशि का उपयोग 80-81 में राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के अधीन किया गया है। इसी प्रकार 1979-80 की बचत राशि 30.51 लाख रुपये के उपयोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में भी कार्यवाही जारी है। चालू वित्तीय वर्ष में विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त पूरी धन राशि का उपयोग किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

व्यवसायिक विषय लेकर हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को नियोजन के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान करना

695. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेड्स को मान्यता एव समकक्षता देने के सम्बन्ध में राजस्थान की कुछ शालाओं की हायर सैकण्डरी कक्षाओं में इन्जीनियरिंग व नान इन्जीनियरिंग ट्रेड्स खोले गये थे? यदि हां, तो कब तक तथा किन किन शालाओं में?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा बोर्ड की बैठक दिनांक 4 सितम्बर, 1975 में निर्णय लिया गया था कि व्यवसायिक वर्ग लेकर हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को कार्य (जॉब) ढूंढने में कोई कठिनाई न हो, जिसके लिए ऐसे अभ्यर्थियों का स्तर आई. टी आई. के प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जावेगा? यदि हां, तो व्यवसायिक विषय लेकर हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को मान्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ने इस प्रकार की मान्यता देने के लिए दिनांक 28 नवम्बर, 1975 एवं 7 अगस्त, 1980 को शासन सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक भी मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश जारी नहीं

Page No 39

(20)

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

किये गये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार व्यवसायिक विषय लेकर हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को कार्य दिलाने की दृष्टि से मान्यता प्रदान करने का, अपने किये गये निर्णय के अनुसार विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसे आदेश कब तक जारी कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान की कुछ शालाओं को हायर सैकण्डरी कक्षाओं में इन्जीनियरिंग एवं नान इन्जीनियरिंग ट्रेड्स खोले गये थे। यह सन् 1974-75 एवं 75-76 में राज्यादेश क्रमांक एफ 8 / 37 / एज्यू/ग्रुप-1/74 दिनांक 18/12/74 एवं 7/9/75 के अन्तर्गत खोले गये थे। ऐसी शालाओं की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। बोर्ड के निर्णय के क्रम में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। वांछित मान्यता हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जयपुर अवस्थित जोधपुर विश्वविद्यालय का गेस्ट हाउस

696. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर विश्वविद्यालय का जयपुर शहर में कोई गेस्ट हाउस है ?

(2) यदि हां, तो गेस्ट हाउस पर कितनी लागत आई है ?

(3) जोधपुर विश्वविद्यालय के औसतन कितने अधिकारी प्रति माह जयपुर आते हैं ?

(4) क्या इस गेस्ट हाउस पर किया गया व्यय सरकार की दृष्टि में उचित है ?

(5) क्या गेस्ट हाउस के लिए कोई भवन किराये पर लिया जाना उपयुक्त नहीं था ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न संख्या 1 के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न संबंधित नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) न तो गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया व न कोई भवन किराये पर लिया गया।

जिला झुंझुनू में सीमेंट की आवश्यकता के संदर्भ में आपूर्ति

697. श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनू में कुल कितनी सीमेंट की आवश्यकता है ?

(2) मांग को देखते हुए राज्य सरकार कितनी सीमेंट उपलब्ध कराने में सफल हो रही है ?

(3) मांगी गई सीमेंट की कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नवलगढ़ क्षेत्र की सीमेन्ट की मांग को देखते हुए इसके आवंटन की वृद्धि की जावेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले के लिए प्रति तिमाही 1500 मै. टन सीमेंट की आवश्यकता है।

(2) राज्य सरकार 950 मै. टन सीमेंट प्रति त्रैमास उपलब्ध करा पा रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

(4) कुल आवंटन में वृद्धि होने पर ही नवलगढ़ क्षेत्र के लिए वृद्धि की जा सकती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पत्थर की खानों में निरन्तर अनधिकृत खनन कार्य होना

698. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव मांसलपुर (एस. डी. ओ. करौली), बांध बारेठा (एस. डी. ओ. बयाना) एवं बाड़ी (एस. डी. ओ. धौलपुर) में एक विशाल क्षेत्र पर पत्थर की खानों से लगातार अनधिकृत खनन कार्य चल रहा है ?

(2) यह खनन कार्य कब से चल रहा है और इसको रोकने के लिए अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्षों से इस अनधिकृत खनन की जानकारी होने के बाद भी निहित स्वार्थों के कारण यह अनधिकृत खनन कार्य नहीं रोका जाकर इस क्षेत्र की खानों को अलाट नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि ग्राम मासलपुर (एस. डी. ओ. करौली) बान्ध बारेठा (एस. डी. ओ बयाना) एवं बाड़ी (एस. डी. ओ. धौलपुर) में विशाल क्षेत्र पर पत्थर की खानों में लगातार अनधिकृत खनन कार्य चल रहा है।

(2) लगातार अनधिकृत खनन कार्य नहीं चल रहा है अतः रोके जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(खान मन्त्री)

(3) यह भी सही नहीं हैं। खानों को लगातार खनन पट्टे पर दिया जा रहा है।

राज्य में केलसाइट एवं वूलस्टोनाइट खनिज की विद्युत सम्भावनायें

699. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खनिज विकास निगम ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और उसकी प्रस्तावना में केल्साइट एवं वूलस्टोनाइट खनिज़ को भी निगम द्वारा दोहन का निर्णय लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में केलसाइट एवं वूलस्टोनाइट प्रमुख रूप से पिंड़वाड़ा जिला सिरोही में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यह एक विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का खनिज होने के नाते राज्य सरकार इसके दोहन का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के हित में लेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान खनिज विकास निगम ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रस्तावना में केलसाइट एव वोलोस्टोनाइट को विशिष्ट रूप से खनन किये जाने का कोई अलग उल्लेख नहीं है। उक्त कम्पनी के मेमोरण्डम आफ एसोसिएशन में सभी प्रकार के खनिजों का खनन किया जाना प्रस्तावित है।

(2) यह सही है कि सिरोही जिले में पिण्डवाडा तहसील में खनिज केलसाइट एवं वोलोस्टोनाइट काफी मात्रा में उपलब्ध है। वोलोस्टोनाइट खनिज कुछ मात्रा में निर्यात किया जाता है परन्तु यह मान्य नहीं है कि कि उक्त खनिज अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है। खनिज केलालाइट का कोई निर्यात नहीं किया जा रहा है अतः इस खनिज के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। इन खनिजों का दोहन सरकार के प्रतिष्ठान द्वारा किए जाने का अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

खनिज पदार्थों की रॉयल्टी में अभिवृद्धि

700. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जून, 1980 से जनवरी 1981 तक खनिज सम्पदा की रायल्टी में कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो किन-किन खनिज पदार्थों पर कितनी-कितनी तथा यह वृद्धि कितनी प्रतिशत की गई ?

(2) क्या इस वृद्धि से खनिज विभाग की आय के साथ खनिज सम्पदा निकालने की मात्रा पर भी कोई असर पड़ा है ?

उत्तर

(1) जून, 1980 से जनवरी, 1981 तक खनिज रायल्टी की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(2) चूंकि वृद्धि नहीं की गई है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) के अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य

701. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर के अधीन कुल कितनी शिक्षण संस्थायें हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन शिक्षण संस्थाओं में किस-किस शिक्षण संस्था का शिक्षा सत्र कब-कब से प्रारम्भ हुआ और प्रत्येक में दि० 11 फरवरी, 1981 तक कुल कितने दिन शिक्षण कार्य हुआ तथा कितने पाठ्यक्रम का शिक्षण हो चुका है ?

(3) क्या इन शिक्षण संस्थाओं में पूरे अध्यापक/अध्यापिकायें पदस्थापित हैं और पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों का शिक्षण सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है ? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर किस-किस विषय का शिक्षण कार्य सत्रारम्भ से ही नहीं हुआ है तथा कहां पर बाद से हुआ है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर के अधीन कुल 181 शिक्षण संस्थायें हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्र एक जुलाई, 1980 से आरम्भ हुआ तथा प्रत्येक विद्यालय में दिनांक 11-2-81 तक 163 दिन शिक्षण कार्य हुआ। सभी विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया गया है।

(3) जी नहीं। रिक्त पदों की सूची विषय सहित सदन के पटल पर रख दी गई है। यह पद सत्रारम्भ से ही रिक्त हैं। किन्तु इन विषयों का शिक्षण कार्य अन्य अध्यापिकाओं द्वारा करवाया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य का पदस्थापन

702. श्री महावीर प्रसाद जैन(टोंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय, टोंक में प्राचार्य व उप-प्राचार्य का पद काफी अर्से से रिक्त है ?

(2) यदि हां, तो कब से किस कारण से ? ये पद अब कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) वर्तमान में उपाचार्य का पद ही रिक्त है।

(2) उपाचार्य का पद श्री के० सी० जैन का स्थानान्तरण, राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर में 17 मार्च, 1981 के आदेश से किये जाने के कारण रिक्त

(शिक्षा मंत्री)

हुआ है। जिसे नवीन सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व भर दिया जायगा।

जिला बीकानेर में जिला आयोजना समिति द्वारा किये जाने वाले विकास कार्य

703. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर की गत वर्ष की जिला आयोजना समिति ने जिले के विकास हेतु कितनी धनराशि कितने विकास कार्यों हेतु माहवार रखी थी? उसमें से कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि बचत के रूप में रही? बचत के क्या कारण रहे?

(2) पिछले तीन वर्षों की अवधि में आयोजना समिति द्वारा विकास कार्यों में मदवार कितनी राशि व्यय की गई।

(3) क्या जिला आयोजना समिति की बैठकों में जन प्रतिनिधियों की सलाह के अनुसार योजनाएं पारित की गई?

(4) बीकानेर शहर के विकास हेतु चालू सत्र में जिला आयोजना समिति क्या-क्या विकास के कार्य शुरू करने का विचार रखती है?

(5) क्या बीकानेर शहर के मध्यम भाग में स्थित रेलवे फाटकों को हटाने हेतु जिला आयोजना समिति कोई योजना प्रस्तावित करेगी?

(6) क्या बीकानेर शहर में बस स्टेण्ड बनवाने हेतु इस समिति द्वारा उपयुक्त स्थल का चुनाव होगा?

(7) क्या बीकानेर शहर में सभा भवन (रंगमंच) हेतु जिला विकास आयोजना समिति कुछ प्रभावी निर्णय लेगी?

उत्तर

(1) जिले के विकास हेतु जिला योजना समिति के माध्यम से विकास योजनाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को भेजे जाते हैं। ये प्रस्ताव माहवार न होकर कम से कम एक वर्ष के लिए होते हैं। इन विकास कार्यों का क्रियान्वयन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है न कि जिला योजना समिति द्वारा। जिला योजना समितियों को विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। फलस्वरूप व्यय की गई राशि एवं बचत के ब्यौरे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जिला योजना समिति द्वारा विकास कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया जाता।

(3) जिला योजना समिति में जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है एवं उन्हें प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

(4) जिला योजना समिति ने पेयजल, शिक्षा जन स्वास्थ्य, सड़कों के विकास, पशु चिकित्सा आदि सम्बन्धित विकास कार्यों के प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों को भेजे हैं।

Page No 44

(33)

(योजना मंत्री)

(5) पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है।

(6) बस स्टेण्ड निर्माण हेतु स्थल का चुनाव संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है।

(7) बीकानेर शहर में सभा भवन (रंगमंच) हेतु प्रस्ताव जिला योजना समिति में अभी तक विचार हेतु नहीं आया है।

डिवीजन मुख्यालयों पर जिला चिकित्सालय खोलना

704. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार डिवीजन मुख्यालयों पर जिला चिकित्सालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक पांचों डिवीजन मुख्यालयों पर ये चिकित्सालय खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

डिवीजन हैडक्वार्टर पर कोटा के अतिरिक्त सभी स्थानों पर मेडिकल कालेजों से संबंधित अस्पताल हैं। कोटा में "ए" श्रेणी का 500 बैड का अस्पताल है। अभी तत्काल इन स्थानों पर पृथक से जिला अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं है।

जिला टोंक के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

705. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में प्राथमिक शालाओं एवं उच्च माध्यमिक शालाओं एवं महाविद्यालयों में कौन-कौन से स्कूल्स में कितने कितने अध्यापकों के पद कब कब-कब से रिक्त हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि रिक्त हैं, तो किस कारण ? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) प्राथमिक शालाओं में पद रिक्त नहीं हैं। जिन उ० मा० विद्यालयों में पद रिक्त हैं उनकी सूची संलग्न है। महाविद्यालय में कोई व्याख्याता का पद रिक्त नहीं है।

(2) कुछ पद नये सृजन हुए हैं तथा सेवानिवृत्त होने व स्थानान्तरण के कारण रिक्त हैं उन्हें शीघ्र ही भर जायेगा।

राज्य में तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार

706. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तकनीकी शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार की कमी है ? यदि हां, तो क्या विभाग आने वाले समय में एडवान्स स्टडी हेतु कोई योजना प्रस्तावित करेगा ?

(2) क्या यह सही है कि अन्य प्रान्तों की तुलना में राज्य में 80 प्रतिशत से भी अधिक मार्क्स लाने वाले व्यक्तियों को भी तकनीकी शिक्षा लेने हेतु प्रवेश नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्या भविष्य में इस हेतु योजना में प्रावधान किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ऐसा कभी-कभी ही होता है।

उदयपुर नगर में आवासन मण्डल के माध्यम से निर्माणाधीन मकानों के निर्माण में सुधार

707. श्री भैरू लाल (उदयपुर ग्रामीण): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर नगर में किस-किस स्थान पर आवासन मण्डल ने भवन निर्मित कराये हैं तथा कहां-कहां पर अब भवन बनाने की योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि जो भवन बनाये गये हैं उनके संबंध में काफी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या जो नई योजना निर्माणाधीन है उसमें यह कमियां नहीं रहें, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में आवासन मंडल द्वारा हिरणमगरी-सैक्टर नं. 5, 11 व 13 माछलामगरा व प्रताप नगर योजना में भवनों का निर्माण कार्य चालू है। जमीन उपलब्ध होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य की ओर रूपरेखा बनाई जाकर विचार किया जायगा।

(2) फिलहाल मकानों के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। फिर भी इसकी जांच करवाई जा रही है।

(3) जांच के फलस्वरूप आवश्यक व्यवस्था की जावेगी।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक शाला भवन (न्यू टोंक) में अनिवार्य सुविधाओं का अभाव

708. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक शाला भवन, न्यू

Page No 46

(35)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

टौंक में बालिकाओं तथा अध्यापकों के लिए शौचालयों का अभाव है तथा बालिकाओं एवं अध्यापिकाओं को छत पर बैठकर शौच निवृत्त होना पड़ता है जहा से बराबर लगे दूसरे घरों से सामना होता है?

(2) क्या यह भी सही है कि कक्षों के अभाव के कारण इस शाला में विभिन्न कक्षाओं का सुविधापूर्वक संचालन नहीं हो पाता है?

(3) क्या यह भी सही है कि शाला में क्रीड़ा-स्थल का अभाव है और किसी प्रकार का कोई भी खेल बालिकाओं को नहीं खिलाया जाता है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो शाला में कौन-कौन से खेल किन-किन अध्यापिकाओं द्वारा खिलाये जा रहे हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि इस शाला में कई कमरों की पट्टियां टूट कर लटक गई हैं तथा किसी भी समय गिर सकती हैं तथा बालिकाओं व अध्यापिकाओं के जीवन को इससे खतरा बना रहता है? यदि हां, तो सरकार ने इसे ठीक कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(5) क्या यह भी सही है कि इस शाला के कई प्रवेश द्वार हैं तथा उन पर किवाड़ों की जोड़ियां तक लगी हुई नहीं हैं जिसके कारण दरवाजों और ऊपर की छतों से मोहल्ले की बकरियां घुस जाती हैं जो कि शाला के पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाती है तथा कभी कभी बालिकाओं का भोजन आदि भी खा जाती हैं? ?यदि हां, तो इन अभावों में यह शाला इसी भवन में क्यों चलाई जा रही है? क्या सरकार इस शाला को किसी अन्य सुविधापूर्ण भवन में ले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान शौचालय ठीक स्थिति में नहीं है। नया शौचालय निर्माण कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। लेकिन सभी इन्डोर खेल बालिकाओं को श्रीमती शाहना, सहायक अध्यापिका द्वारा खिलाये जाते हैं।

(4) जिन कमरों की पट्टियां टूटी हुई है उन्हें उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। शाला भवन का मरम्मत कार्य जारी है।

(5) जी नहीं केवल एक ही प्रवेश द्वार है। शाला हेतु उपयुक्त भवन की तलाश की जा रही है। भवन उपलब्ध होते ही विद्यालय को स्थानान्तरण कर दिया जावेगा।

टोडारायसिंह स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये क्रीड़ा स्थल

709. **श्री शिव सिंह** (ब्राड़ी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टोडारायसिंह जिला टौंक को खेल का मैदान के लिए जो भूमि प्रदान की गयी है उसके अन्तर्गत

(श्री शिव सिंह)

खसरा नं. 3683 को आवंटित नहीं किया गया था जिसके श्री विन्दा लाल चौबे स्वामी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के पास खेल के मैदान के लिए आवंटित हुई भूमि पर्याप्त है, इसके बावजूद भी खसरा नं. 3683, जो श्री विन्दा लाल चौबे की भूमि है, की अवाप्ति के लिए सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अनावश्यक रूप से श्री चौबे की भूमि को व्यक्तिगत कारणों से अवाप्ति हेतु राज्य सरकार को लिखा था ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने 20 जून, 1978 में श्री विन्दा लाल चौबे की भूमि की आवाप्ति करने की आवश्यकता नहीं बताई, साथ में अवाप्ति की कार्यवाही को समाप्त करने को कहा गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी अनुपालना हुई ? यदि हां, तो कृपया सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 20 जून, 1978 में श्री विन्दा लाल चौबे की भूमि की अवाप्ति नहीं करने का निर्णय लिया था ।

(3) 24/4/79 को अपनी अभिशंसा पुनः भूमि अवाप्ति हेतु भेजी है जो अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा के रिक्त पद की पूर्ति

710. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा का पद रिक्त है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती रही है ?

(3) उपरोक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील हिण्डौन में केरोसिन वितरण के प्रदत्त लाइसेन्सेज

711. श्री शिवसिंह (बाड़ी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान व्यापारिक वस्तु, (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1980 लागू होने के बाद हिण्डौन तहसील में केरोसिन लाइसेन्सेज के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने अस्वीकार किये गये ?

(2) हिण्डौन तहसील में इस प्रकार के आवेदन – पत्र देने वालों में कितनी फर्मों के

(श्री शिव सिंह)

विरुद्ध अनियमितताओं की जांच चल रही है और उनमें से कितनों के आवेदन रद्द किए गए ?

(3) क्या यह सही है कि केवल एक फर्म के आवेदन-पत्र बिना कोई कारण बताए व बिना ही फर्म को सुनवाई का अवसर दिए उप जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा 3 दिसम्बर को स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त भी फर्म को दो माह तक लाइसेन्स नहीं दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि मैसर्स नवल सिंह एण्ड सन्स नामक फर्म ने बिना वैध लाइसेन्स के केरोसिन की बिक्री का कार्य जारी कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

•(5) क्या किसी पीड़ित फर्म द्वारा सरकार को उप जिलाधीश हिण्डौन के पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार के विरुद्ध कोई शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

(6) क्या यह सही है कि उप जिला-धीश हिण्डौन का आचरण एक फर्म विशेष के प्रति दुराग्रह पूर्ण है ? क्या यह सही है कि उप जिलाधीश द्वारा उक्त फर्म को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनु-ज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1980 लागू होने के बाद हिण्डौन तहसील में थोक हेतु 2 तथा रिटेल हेतु 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये और इनमें 5 प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये गये।

(2) इस प्रकार के आवेदन पत्र देने वालों में से 5 के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच चल रही है, 5 के ही आवेदन पत्र रद्द किये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। मैसर्स नवल सिंह एण्ड संस के पास दिनांक 31-3-81 तक के लिए वैध लाइसेन्स है। उक्त लाइसेन्स के नवी-नीकरण हेतु आ दन प्राप्त हो गया है।

(5) जी हां। अपर जिलाधीश, सवाई-माधोपुर द्वारा जांच की जा रही है।

(6) सारे मामले की जांच की जा रही है।

अजमेर नगर में हाथीभाटा मोहल्ले में स्थित शिव मन्दिर के पास से कचरा डिपो और शौचालय हटाना

712. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में हाथीभाटा मोहल्ले में सिटी पावर हाउस के पास शिव मंदिर स्थिति है और वहां पर धर्म प्रिय दर्शनार्थियों का बहुत आना जाना रहता है ?

(30)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि इस शिव मन्दिर के पास ही नगर परिषद् का कचरा डिपो एवं पेशाब घर भी है जिसमें मन्दिर के पड़ोस का वातावरण निरन्तर गन्दगी एवं बदबू से आच्छादित रहता है ?

(3) क्या यह कचरा डिपो और पेशाब घर यहां से हटाने का प्रास्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक हटा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कचरा डिपो व पेशाव घर काफी पुराने पक्के बने हुए हुए है व शिव मंदिर करीबन 50 फुट की दूरी पर चाहर दिवारी में स्थित है कचरा डिपो व पेशाब घर की नयमित सफाई की जा रही है ।

(3) जी नहीं । क्योंकि ये सड़क के कोने पर बने हुए हैं तथा अन्य कोई स्थान भी उपलब्ध नहीं है जहां बनाये जा सकें ।

दरोली लाइम स्टोन माइन्स (उदयपुर) के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों की भूमि का अवाप्तिकरण

713. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दरोली लाइम स्टोन माइन्स (जो उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री के अन्तर्गत है) के क्षेत्र में कई गांव आते हैं जहां लोग कृषि कर रहे हैं, स्टेट हाइवे है, रास्ते हैं, 11 के. वी. की लाइन निकली हुई है ?

(2) यदि हां, तो क्या लीज डीड के अनुसार ये क्षेत्र मुआवजा देकर अवाप्त किये जाने चाहिये थे ? यदि हां, तो अब तक ऐसा किस कारण से नहीं किया गया ?

(3) कितने क्षेत्र में फैक्ट्री द्वारा सरफेस प्राप्त कर लिया है और कितने क्षेत्र में यह राइट प्राप्त करना शेष है ? शेष क्षेत्र का सरफेस राइट अब तक प्राप्त करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । सही है ।

(2) लीज डीड के अनुसार पूरे लीज क्षेत्र की भूमि अवाप्त करना या उसके सरफेस राइट्स प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । जिस भूमि का खनन पट्टाधारी उपयोग करना चाहता है यदि वह क्षेत्र सरकारी जमीन है तो जिलाधीश से स्वीकृति प्राप्त कर व सरफेस रेन्ट चुका कर वह उसका उपयोग कर सकता है । मुआवजा देकर वही क्षेत्र अवाप्त किया जाता है जो कि व्यक्तिगत भूमि हो । दरोली माइन्स का जो क्षेत्र उपयोग में लिया जा रहा है वहां अब तक मुआवजा देने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ है ।

(3) फैक्ट्री द्वारा 309 बीघा जमीन का सरफेस राइट प्राप्त किया गया है और उसका सरफेस रेण्ट चुका भी रहे हैं । भविष्य में यदि उन्हें और भूमि की आवश्यकता होगी तो उन्हें नियमानुसार उसके सरफेस राइट्स प्राप्त करना होगा अथवा भूमि अवाप्त करना होगा ।

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के लिपिक का सेवा से पृथकीकरण का औचित्य

714 श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर के कार्यालय में कार्यरत श्री रामस्वरूप शर्मा, लिपिक की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रामस्वरूप शर्मा राजस्थान लोक सेवा आयोग से वांछित परीक्षा उत्तीर्ण थे और इसी कॉलेज में कार्यरत दो अन्य कनिष्ठ लिपिकों से योग्यता में उनके प्राप्त अंकों के आधार पर ऊपर थे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2)श्री रामस्वरूप शर्मा,कनिष्ठ लिपिक का नाम लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की सूची में नहीं आया।

अजमेर नगर परिषद् सीमा में बीड़ी निर्माण हेतु काम आने वाले कच्चे माल पर चुंगी की वसूली

715. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् सीमा में बीड़ी बनाने के कच्चे माल के आने पर चुंगी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो किस दर पर ?

(2) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक किस किस बीड़ी के कारखाने के मालिक से कितनी कितनी राशि कितने कितने माल पर चुंगी के रूप में वसूल की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 50 पैसा प्रति क्विन्टल बीड़ी पत्ता एवं बीड़ी तम्बाकू 3/- रु. प्रति क्विटण्ल की दर से चुंगी वसूल की जाती है।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बून्दी महाविद्यालय को राजनीति एवं अकाउन्टेन्सी विषयों में क्रमोन्नति

716. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977 में महाविद्यालय बून्दी को राजनीति एवं अकाउन्टेन्सी विषयों में क्रमोन्नत किया गया है तथा चित्रकला विषय की स्वीकृति राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या यह सही है कि महाविद्यालय बूंदी को चित्रकला विषय से सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सन् 1977 में राजकीय महाविद्यालय बूंदी में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति शास्त्र एवं अकाउन्टेन्सी विषय खोले गये थे।

वर्ष 1977 में 15 महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया था एव प्रत्येक महाविद्यालय में दो विषय आरम्भ करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था उसी आधार पर राजकीयमहाविद्यालय बून्दी में दो विषय आरम्भ कर दिये गये थे। अतः चित्रकला विषय की स्वीकृति नहीं हो सकी।

(2) जी हां। यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय बून्दी में चित्रकला विषय हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बद्धन हेतु लिखा गया था। किन्तु राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार केवल दो विषय ही आरंभ किये गये अतः चित्रकला विषय आरम्भ नहीं किया गया जा सका।

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भाषायी अल्पसंख्यक, अजमेर के लिये छात्रावास की व्यवस्था

717. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या भाषायी अल्पसंख्यक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय भाषायी अल्प संख्यक, अजमेर में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु प्रशिक्षणालय में छात्रावास की कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों से शिक्षा प्राप्त करने आये प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणालय में छात्रावास के अभाव से आर्थिक भार अधिक वहन नहीं करना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि दूसरे जिलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने आए प्रशिक्षणार्थी जो कि अधिक किराये के मकानों का भार वहन करते हैं तथा भोजन एवं रहन सहन की व्यवस्था भी स्वयं ही करते हैं, आर्थिक एवं मानसिक कठिनाइयों से घिरे वातावरण में प्रशिक्षण कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो प्रतिक्षणालय में छात्रावास की व्यवस्था किन कारणों से नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वांछित व्यवस्था उपलब्ध करवाने पर विचार किया जायेगा।

(2) जी हां।

(3) केवल छात्रावास ही न होने से मानसिक कठिनाइयों की बात उचित प्रतीत नहीं होती।

जिला जालौर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना

718. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर की लगातार मांग के बावजूद भी यहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान न खोलने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत तीन चार वर्षों में जिला जालौर में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है व इस जिले में आई. टी. आई न होने से लोगों को दूर जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो इस जिले में सरकार आई. टी. आई. स्थापित करने की कब तक व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) वित्तीय कठिनाई के कारण जालौर में आई. टी. आई. नहीं खोली जा सकी।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में जालौर में आई. टी. आई. खोलने की सम्भावना है।

कामगार क्षति पूर्ति, मोटर दुर्घटना तथा औद्योगिक विवाद अधिनियमों के अधीन विचाराधीन प्रकरण

7.19 श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्कमैन कम्पन्सेशन एक्ट, मोटर दुर्घटना अधिकरण तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले मामले उच्च न्यायालय में अलग-अलग कितनी-कितनी संख्या में हैं और वे कितने अर्से से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ?

(2) उच्च न्यायालय में नौकरी से पृथकीकरण सम्बन्धी कितने मामले कितने वर्षों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ?

(3) विलम्ब के क्या कारण हैं और इनके शीघ्र निपटारे के बारे में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्कमैन कम्पन्सेशन एक्ट मोटर दुर्घटना अधिकरण तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले विचाराधीन प्रकरण उच्च न्यायालय में अलग-अलग संख्या में सन् 1972से 7.3.81 तक जो अनिर्णीत पड़े हुए हैं उन प्रकरणों का विवरण संलग्न सूची संख्या एक में दर्शाया गया है।

(2) उच्च न्यायालय में नौकरी से पृथकीकरण सम्बन्धी मामले सन् 1971 से 7.3.81 तक जो अनिर्णीत पड़े हुए हैं उनका विवरण संलग्न सूची 2 में दर्शाया गया है।

(3) न्यायाधिपतियों के पद रिक्त रहने के कारण प्रकरण विलम्बित रहे। रिक्त पदों पर नये न्यायाधिपतियों की नियुक्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ला पुरोहित (कोटा) में संस्कृत शिक्षण की समुचित व्यवस्था

720. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खडेला पुरोहित जिला कोटा में कक्षा सप्तम् एवं अष्टम् में संस्कृत शिक्षण का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1980—81 में किन किन अध्यापकों/अध्यापिकाओं को कितने समय तक संस्कृत अध्यापक के पद पर नियुक्त अथवा प्रतिनियुक्त किया गया? कृपया सूची सदन के पटल रखें।

(3) सरकार ने भविष्य में संस्कृत शिक्षण की समुचित व्यवस्था हेतु विद्यालय में क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडली पुरोहित में श्री प्रेमचन्द गौतम संस्कृत के शिक्षक माह अगस्त, 1980 से कार्यरत हैं।

(3) विद्यालय में संस्कृत शिक्षा की समुचित व्यवस्था है जो भविष्य में भी यथावत रहेगी।

दौसा के संस्कृत कालेज में प्रिंसिपल के पद पर पद स्थापन

721. श्री सोहन लाल बंशीवाल (दौसा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत 8 माह से संस्कृत कालेज, दौसा में प्रिंसिपल का पद रिक्त पड़ा हुआ है और इस कारण छात्रों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक प्रिंसिपल के पद स्थापन की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां, 1—11—80 से पद रिक्त है। प्रिंसीपल के न होने पर भी पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। प्रिंसीपल का पद स्थापन शीघ्र किया जा रहा है।

राज्य खनिज विकास निगम में कार्यरत भू-गर्भ शास्त्रियों की उपलब्धि

723. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य खनिज विकास निगम में कितने भू-गर्भ शास्त्री कार्यरत हैं ? कृपया सूची मय नियुक्ति के दिनांक के सदन के पटल पर रखें ? उन्होंने अब तक किन-किन खनिजों को खोजा है ?

(2) उनके कार्य का विभाजन एवं मूल्यांकन कब-कब किया गया ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(3) क्या सरकार उनके द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन करने का विचार रखती है एवं जिन भू-गर्भ शास्त्रियों का विभाग में कोई योगदान नहीं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान खनिज विभाग में कार्यरत भू-गर्भ शास्त्रियों की सूची नियुक्ति दिनांक के संलग्न कर प्रस्तुत है। विभाग के भू-गर्भ शास्त्रियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्यों के परिणामस्वरूप कई नये खनिज भण्डारों की खोज राज्य में कई स्थानों पर की गई है। इन खनिजों में मुख्यतः राक-फास्फेट, फ्लोराइट, ताम्रधातु अयस्क, जस्ता, सीसाधातु अयस्क ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, बेराइटीज, सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन, जिप्सम, लिगनाइट, मारबल, सिलिकासेण्ड, वेन्टोनाइट आदि महत्वपूर्ण हैं। खनिजों की खोज के लिए खनिज सर्वेक्षण, खनिज क्षेत्रों का मानचित्रिकरण, ट्रेंचिंग व पिटिंग, सेम्पलिंग, छिद्रण इत्यादि द्वारा खनिज भण्डारों की खोज एवं मात्रा तथा किस्म का अध्ययन किया जाता है जिससे उसकी उपयुक्तता तथा भण्डार का अनुमान लगाया जाता है। इन कार्यों के लिये भूवैज्ञानिक तथा इससे सम्बधित कर्मचारी एव अधिकारी उपरोक्त वर्णित कार्यों पर अलग या सामूहिक रूप से आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं जैसे भूवैज्ञानिक, भूभौतिकवेत्ता सर्वेयर, ड्रिलर आदि। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिक खनिज सर्वेक्षण पर तो कुछ मानचित्र बनाने पर, तो कुछ पूर्वेक्षण पर तथा कुछ ड्रिलिंग, सेम्पलिंग पर तथा कुछ खनिज मूल्यांकन तथा कुछ क्षेत्रीय मार्गदर्शन पर एवं कुछ भूगर्भिक सूचना संकलन तथा प्रतिवेदन बनाने इत्यादि कार्यों पर लगाये जाते हैं। इस प्रकार भूवैज्ञानिकों के द्वारा विविध कार्य सम्पादन किया जाता है।

अतः खनिजों की खोज, मूल्यांकन, अनुसंधान, पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण इत्यादि में सभी भू-वैज्ञानिकों का अपने अपने कार्य क्षेत्र में योगदान होता है।

(2) भूवैज्ञानिकों के पद कुल चार श्रेणियों में विभक्त है। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं :—

1—अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान)

2—अधीक्षक भूवैज्ञानिक

3—वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

4—भू-वैज्ञानिक

इन सभी श्रेणियों के कार्यों का विभागीय मेन्युअल के अनुसार किया हुआ है तथा इनके कार्यों का मूल्यांकन प्रति माह मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर किया जाता है। विभाग के फील्ड प्रोग्राम का अनुमोदन स्टेट जियोलोजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड द्वारा किया जाता है और उसी के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है।

(3) चूंकि इनके कार्यों का मूल्यांकन पहले से ही किया जा रहा है अतः विचार रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई अधिकारी निर्धारित कार्य नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

हिन्डौन कस्बे के निकट स्थित कोटडी नगर में खानों के पट्टों की नीलामी

724. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में हिण्डौन कस्बे के समीप ही कोटड़ीनगर में खानों के पट्टे देने हेतु नीलामी के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो यह कब दिये गये थे और इनकी पालना में नीलामी की कार्यवाही कब-कब की गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि खनन क्षेत्र के निहित स्वार्थों के कारण इस क्षेत्र की खानों के पट्टों की नीलामी रोक दी गयी है जिससे राजकीय कोष को लाखों रुपये की रायल्टी का नुकसान हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। नीलामी के आदेश दिनांक 4-12-78 को जारी किये गये थे। इनकी पालना में नीलामी की कार्यवाही दिनांक 8-2-79 तथा 28-2-79 को होनी थी। दिनांक 8-2-79 की नीलामी में किसी ने बोली नहीं लगाई। दिनांक 28-2-79 की नीलामी शासन के आदेश से रोक दी गई। इसके पश्चात् दिनांक 26-2-80 को पुनः नीलामी की गई।

(2) दिनांक 28-2-79 को होने वाली नीलामी को रोकने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे। परन्तु राजकीय कोष में रायल्टी का नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि इस क्षेत्र से उत्पादित खनिज पर विभगीय नाके पर अधिशुल्क वसूल किया जा रहा है।

अजमेर नगर में गत बाढ़ से प्रभावित विस्थापित परिवारों को रिहायशी भू-आवंटन

725. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में बाढ़ से विस्थापित हुए करीब 45 परिवार अभी तक घोलाभाटा में टीन शेड में रह रहे हैं ?

(2) क्या नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा इन 45 परिवारों को आवासीय भूखण्ड आवंटित करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) इन परिवारों को अजय नगर या किसी अन्य योजना में बसाया जावेगा। भूमि अवाप्त हो चुकी है। इस दिशा में अन्य कार्यवाई चल रही हैं। व्यक्तिगत सुनवाई एवं भूखण्ड की राशि जमा होने के बाद आवन्टन की कार्यवाही की जावेगी।

पांच सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्यवन की दिशा में प्रयास

726. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(1) संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति की जून, 1980 से 31 जनवरी; 1981 तक क्या प्रगति रही ?

(2) क्या पांच सूत्री कार्यक्रम को तीव्र गति से लागू करने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में ? नहीं, तो क्यों

(3) क्या सरकार के पास चालू पंचवर्षीय योजना में संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति की ओर विशेष स्थान देकर योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो किस प्रकार नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-6-80 से 31-1-81 तक श्री सजय गांधी के पांच सूची कार्यक्रम की प्रगति निम्न प्रकार रही:—

1. **प्रौढ़ शिक्षा** :—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1980 तक 200 नये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये। पहले चालू हुए केन्द्रों को मिलाते हुए कुल 4853 पुरुष तथा 1027 महिला केन्द्र चल रहे हैं जिसमें शिक्षण पा रहे कुल 156990 व्यक्तियों में 125168 पुरुष एवं 31822 महिलाएं हैं। इनमें से 25512 अनुसूचित जाति के तथा 27578 अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं।

2. **वृक्षारोपण कार्यक्रम**—वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.6.80 से 31.1.81 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य में 1 करोड़ 56 लाख वृक्ष लगाये गये।

3. **परिवार नियोजन**/परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस अवधि में निम्न कार्य हुआ।

प्रगति निम्न प्रकार रही—

विवरण	संख्या
नसबदी आपरेशन	74320
आई यू डी	11199
निरोध प्रयोग करवाये गये	88459

4. **दहेज प्रथा**—राज्य सरकार द्वारा सन् 1978 में गृह आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसको दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की समीक्षा एवं सम्बन्ध संशोधन सुझाने हेतु अधिकार दिये गए थे परन्तु इस सबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम 1961 में आवश्यक संशोधन इसी लोक सभा सत्र में किये जाने का विचार होने के कारण समिति की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

5. **पर्यावरणीय सुधार/स्वच्छता अभियान**—राज्य की नगर परिषदों/बोर्डों ने दिनांक 1.4.80 से 15.5.80 तक एक विशेष सफाई अभियान चलाया जिसके दौरान सभी नगर परिषद क्षेत्रों में वार्डवाइज विशेष सफाई अभियान की व्यवस्था की गई, गंदी बस्तियों को साफ किया गया, नालियों की सफाई की गई, सार्वजनिक नलों को ठीक किया गया और कीटनाशक दवाइयां डाली गई। इसके अतिरिक्त 14-12-80 से 3 -12-80 तक एक अभियान और चलाया गया जिसके अन्तर्गत हरिजन व्यवस्था बस्तियों/मोहल्लों की सफाई की अतिक्रमण की गई तथा सफाई में बाधक को हटाया गया।

(योजना मन्त्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार पांच सूत्री कार्यक्रम को गति देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में विस्तृत प्रावधान रखे गये हैं जिनका विवरण मद संख्या (3) के उत्तर में दिया गया है।

(3) जी हां। राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना उक्त कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है जिसमें इन सूत्रों पर निम्न प्रकार प्रावधान रखा गया है—

कार्यक्रम	लक्ष्य (संख्या) 1981-82	1980-85	वित्तीय प्रावधान रु. 1980-85
1. प्रौढ़ शिक्षा			
केन्द्र संख्या	14500	31800	400 लाख
व्यक्ति सं. (15 से 35 वर्ष)	450000	954000	

2. वृक्षारोपण कार्यक्रम—(विभिन्न वन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1500 लाख रुपयों में सम्मिलित है)

3 परिवार कल्याण:—लेप्रोस्कोपिक यूनिट एवं अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 200 लाख

मातृत्व एवं शिशु कल्याण 16 26 लाख

4. दहेज प्रथा :—केन्द्रीय सरकार से निर्देश मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।

5. पर्यावरणीय सुधार/स्वच्छता अभियान :—कार्यक्रम राज्य के 6 बड़े नगरों यथा अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में लागू है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी गंदी बस्तियों में सुधार कार्य किये जाते हैं तथा छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में रुपये 250 लाख का प्रावधान किया गया है।

सरकारी गजट का नियत तिथि के उपरांत प्रकाशन व वितरण में विलम्ब

727. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी गजट का प्रकाशन नियत तिथि के बहुत देर बाद होता है तथा नियत तिथि के दो-दो एवं तीन-तीन महीने के पूर्व की तारीखों का प्रकाशित गजट राजकीय मुद्रणालय द्वारा ग्राहकों एवं संबंधित लोगों को बाद में भेजा जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई ऐसे गजट के प्रकाशन, जिनमें जनता द्वारा आपत्तियां मांगी जाती हैं, आपत्तियों की मियाद गुजरने के बाद उनका प्रकाशन किया जाता है ? क्या सरकार को राजकीय मुद्रणालय के इस घपले की जानकारी है ? यदि हां तो इस दिशा में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राजपत्र का प्रकाशन नियत तिथि पर ही होता है। अप-

Page No 58

(47)

(मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

रिहार्य एवं विषय परिस्थितियों में कुछ विलम्ब होना संभव है लेकिन प्रयास यही रहता है कि गजट का प्रकाशन नियत समय पर हो। राजपत्र के प्रकाशित होते ही ग्राहकों व संबंधित लोगों को डिस्पेच कर दिया जाता है अतः बाद में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हो सकता है कि पूर्व पते के अभाव में देर से पहुंचता हो।

(2) जी नहीं। गजट के प्रकाशन जिनमें जनता द्वारा आपत्तियां मांगी जाती है, आपत्तियों की मियाद में ही प्रकाशित किया जाता है। किसी विभाग से उपरोक्त प्रकार से गजट नोटिफिकेशन के विलम्ब से प्रकाशित होने की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई अतः मुद्रणालय में इस प्रकार का कोई घपला नहीं है। जहां तक सुधार का प्रश्न है इस बात की पूर्ण व्यवस्था एवं सतर्कता बर्ती जाती है कि गजट का प्रकाशन नियत समय पर हो।

अजमेर नगर में गंज मोहल्ले में कांजी हाउस की भूमि पर अतिक्रमण

728. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):- क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् सीमा में गंज मोहल्ले में कांजी हाउस के उपयोग में आने वाली जमीन पर नगर परिषद् के कर्मचारी, श्री पदम कुमार जैन, उद्यान निरीक्षक ने कब्जा कर मकान बना लिया है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं एफ. 7 (187) एल. एस. जी 58 दि. 8 मार्च, 1961 द्वारा इस जमीन को नजूल सम्पत्ति घोषित किया गया है?

(3) क्या यह भी सही है नगर परिषद् अजमेर ने अपने पत्र क्र. एम. बी. 3738 दि. 13 फरवरी, 1976 द्वारा इस जमीन को नगर परिषद् के कार्य में आने से लीज पर देने या बेचने से मना किया था?

(4) क्या यह भी सही है कि इस जमीन को श्री पदम कुमार जैन को देने में सभी प्रचलित कायदे कानूनों का उल्लंघन किया गया है, ? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो किन नियमों के अन्तर्गत दी गयी है? कृपया सूचना मय नियमों की प्रति के सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कांजी हाउस के बाहर खुली भूमि आवंटित की गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां। परन्तु संदर्भ दूसरी जमीन से संबंधित है।

(4) जो भूमि वर्ष 68 में श्री पदम कुमार जैन को आवंटित की गई है उसमें हुई अनियमितता के बारे में जांच की जा रही है।

अजमेर नगर परिषद् सीमा में सड़कों एवं गलियों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था

729. श्री कैलाश मेघवाल अजमेर)

Page No 59

(५८)

(श्री कैलाश मेघवाल)

पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् सीमा में सड़कों एवं गलियों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था का उत्तर-दायित्व नगर परिषद् का है ?

(2) नगर परिषद् अजमेर में इस कार्य की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं देख रेख करने वाले प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले पांच साल से अब तक कौन-कौन रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रकाश व्यवस्था एक टेक्निकल विषय है और उसकी उत्तरदायी रूप से देख रेख करने वाले की योग्यता भी उसी अनुरूप से होनी चाहिये ?

(4) वर्तमान में नगर परिषद् अजमेर के जो कर्मचारी इस कार्य को देखते हैं, उनकी योग्यता क्या है ? मूलत: इनकी नियुक्ति किस पद पर है ?

(5) क्या इनसे पूर्व इस सारी व्यवस्था की देख देख एक तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी द्वारा की जाती थी, उन्हें क्यों हटाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) वर्तमान में कार्यरत श्री पदम कुमार जैन इन्टरमीडियट थे। मूलत: इनकी नियुक्ति प्रधान प्रबन्धक के पद पर है।

(5) जी हां। इससे पूर्व विद्युत मंडल से प्रतिनियुक्ति पर कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत कार्य करते थे, जिनका स्थानान्तरण विद्युत मण्डल द्वारा कर दिये जाने पर उन्हें अन्य स्थान पर जाना पड़ा, हटाया नहीं गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

नगर परिषद् अजमेर द्वारा गांधी नगर पहाड़गंज के क्वार्टर की चहार दीवारी को तोड़ा जाना

730. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 6 फरवरी, 1981 को रामलाल तुलसीराम के क्वार्टर नं. 25/835, गांधी नगर, पहाड़गंज, अजमेर के सामने अवैध रूप से निर्माण की जा रही बाउन्ड्रीवाल को नगर परिषद् अजमेर द्वारा तुड़वा दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री राम

(श्री कैलाश मेघवाल)

लाल तुलसी राम अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस निर्माण के पहले के हजारों अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण, अजमेर नगर में हुए हैं ? और अभी तक उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ? उसके क्या कारण हैं ?

(4) नगर परिषद् अजमेर द्वारा गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ ही कानून एवं नियमों की कठोरता एवं तत्परता से पालन करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि श्री राम लाल तुलसी राम अनुसूचित जाति से हैं परन्तु इनकी वार्षिक स्थिति के बारे में नगर परिषद् को कोई जानकारी नहीं है।

(3) अवैध निर्माण कर नियमानुसार परिषद् द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की गई एवं की जा रही है।

(4) उक्त अतिक्रमण आम सड़क पर था जिससे आस पास के लोगों को बहुत असुविधा हो रही थी। मार्ग अवरुद्ध के के कारण इसे हटाया जाना आवश्यक था।

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भाषायी अल्प संख्यक, अजमेर में उर्दू एवं सिन्धी भाषा के अभिज्ञ अध्यापकों का पद स्थापन

731. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या भाषायी अल्प संख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भाषायी अल्प संख्यक, अजमेर जिसमें उर्दू व सिन्धी भाषाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, में सभी शिक्षक इन भाषाओं के जानने वाले हैं ? यदि नहीं, तो प्रशिक्षणार्थियों को क्या अध्यापन कार्य में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अध्यापन कार्य में उत्पन्न बाधाओं का निवारण किस प्रकार किया जाता है ?

(2) उर्दू व सिंधी भाषाओं के ज्ञान से अभिज्ञ शिक्षकों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार क्या इन्हीं भाषाओं के ज्ञाता अध्यापकों की नियुक्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इनको नियुक्त कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्या अल्प भाषा के ज्ञान के अभाव में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को अधिक कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया जा सकता है ?

(3) वर्तमान में इस विद्यालय में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? इन अध्यापकों में कितने अध्यापक उर्दू तथा कितने सिंधी भाषा के ज्ञाता हैं ? कृपया इस विद्यालय में कार्यरत कुल अध्यापकों की

श्रीमती उजला अरोड़ा

सूची अध्यापकों के अल्प भाषा उर्दू व सिंधी ज्ञान को दर्शाते हुए सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सभी शिक्षकों के उर्दू व सिंधी भाषा न जानने से अध्यापन कार्य में उल्लेखनीय बाधा नहीं आती है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में इस विद्यालय में कुल 11 अध्यापक हैं। इनमें से 3 अध्यापक उर्दू भाषा के व 3 अध्यापक सिंधी भाषा के ज्ञाता हैं। जो अध्यापक सिंधी, उर्दू भाषा नहीं जानते हैं, वे उन विषयों के अध्यापक हैं जिनमें इन भाषाओं का विशेष उपयोग नहीं होता है। अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भाषायी अल्पसंख्यक, अजमेर में अल्पभाषी पत्र—पत्रिकाओं की समुचित व्यवस्था

732. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण):-क्या भाषायी अल्प संख्यक मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भाषायी अल्प संख्यक, अजमेर में कौन-कौन से अल्प भाषी पत्र पत्रिकायें प्रशिक्षणार्थियों के लिये उपलब्ध हैं? क्या यह अल्पभाषी पत्र-पत्रिकायें इस प्रशिक्षणालय के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कम नहीं हैं? यदि हां, तो कितने अल्पभाषी पत्र-पत्रिकायें और सुलभ करायी जावेंगी तथा कब तक? यदि नहीं, तो क्या यह अल्प भाषी पत्र-पत्रिकायें पर्याप्त हैं? कृपया विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अल्प—भाषी पत्र—पत्रिकाओं की सूची सदन के पटल पर रखें उपलब्ध हैं:—

उत्तर

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भाषा की अल्प संख्यक, अजमेर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए निम्न अल्प भाषी पत्र पत्रिकायें उपलब्ध है।

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक
उर्दू	अलजमियत (दिल्ली) एक प्रति	हमारी जबान एक प्रति हिन्दुवासी एक प्रति	आजकल बीसवी सदी एक प्रति
सिन्धी	हिन्दू (अजमेर) एक प्रति		

जी नहीं; कम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पत्र पत्रिकाओं कम नहीं हैं।

विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अल्प भाषी पत्र पत्रिकाओं की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

(51)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 19 मार्च, 1981)

बहुद्देश्यीय चिकित्सा योजनान्तर्गत अधिशेष कर्मचारी

515. **श्री कुन्जी लाल** (वामनवास):— क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बहुद्देश्यीय चिकित्सीय योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे कितने कर्मचारी सरप्लस घोषित किये गये हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरप्लस कर्मचारियों के फरवरी व मार्च, 1980 के वेतन व अन्य यात्रा भत्तों का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इनको यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । इस योजना के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को सरप्लस घोषित नहीं किया गया बल्कि इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों को (महिला स्वास्थ्य दर्शिका) एवं प्रसाविकाओं को इस विभाग के अन्य योजनान्तर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया ।

(2) जिन कर्मचारियों ने अपने नये स्थापित पदों पर कार्य ग्रहण कर लिया है उन्हें वेतन आहरण कराया जा रहा है । परन्तु जो कर्मचारी राज्यादेश के स्थानान्तरण के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं एवं स्वेच्छा से अनुपस्थित हैं उन्हें वेतन देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 19 मार्च, 1981)

भू-जल मण्डल में रिग्स की कमी

517. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भू-जल मण्डल विभाग के पास पर्याप्त रिग्स की कमी है ? यदि नहीं, तो कितनी रिग्स विभाग के पास हैं ? कृपया जिलेवार वितरित की गई रिग्स की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में प्रतिवर्ष मई व जून महीनों में पीने के पानी की कमी रहती है ? यदि हां, तो अकाल की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए कितने रिग्स इसी माह में बीकानेर में कुओं की खुदाई हेतु प्रदान किये जायेंगे ?

(3) क्या विभाग के पास रिग्स उपलब्ध नहीं होने पर बीकानेर की पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु संकट कालीन व्यवस्था सी. पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से रिग्स मंगवा कर की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । विभाग के पास वर्तमान में 16 रोटरी 7 परकसन तथा 8 डी०टी०एच० रिग इस प्रकार कुल 31 ड्रिलिंग रिगें कार्य हेतु उपलब्ध हैं इन रिगों का जिलेवार वितरण संलग्न परिशिष्ट (1) में दर्शाया है ।

(भू-जल मन्त्री)

(2) नगर की वर्तमान ढाई से तीन लाख आबादी हेतु 75 से 90 लाख गैलन जल की प्रतिदिन आवश्यकता है। जबकि जलदाय विभाग द्वारा 75 से 80 लाख गैलन प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सम्भव है गर्मी में खपत अधिक बढ़ने के कारण मांग अधिक हो। पुनर्गठित योजना पर कार्य प्रगति में है। अतः वर्तमान में रिग्स की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। फिर भी बीकानेर हेतु एक रिग की मरम्मत कराकर अप्रेल माह में उपलब्ध कराये जाने का प्रयत्न है।

(3) नगर की पेयजल व्यवस्था सामान्य है। अतः संकटकालीन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

व्यवस्था
स्थगन प्रस्तावों पर विचार की अवधि

श्री अध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखें। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची बहुत लम्बी है इसलिये जो प्रश्न स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से उठाये जाते हैं और जिनमें अध्यक्षीय व्यवस्था हो जाती है कि वे अस्वीकार किये जाते हैं उस पर दो-दो मिनट माननीय सदस्य बोल सकेंगे। इसके अलावा ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं। इसके अलावा अन्य कुछ विषय हैं उन पर 2-2 मिनट की इजाजत दे देता हूं क्योंकि सत्रावसान नजदीक है, माननीय सदस्यों ने काफी बड़ी संख्या में स्थगन प्रस्ताव आदि दिये हैं, इसलिये माननीय सदस्यों से मैं चाहूंगा कि आज इस तरह की जो चर्चा होगी, वह निश्चित तौर से एक बजे तक समाप्त हो जायगी। एक से दो के बीच के समय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा मंत्रियों के वक्तव्य लिये जायंगे और दो बजे के बाद जो कार्य-सूची में नियमित कार्य हैं, उस पर विचार विमर्श निश्चित रूप से ही शुरू हो जायगा। इस लिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिन जिन माननीय सदस्यों को मैं बोलने का अवसर दूं वे अपनी बात संक्षेप में दो अथवा अधिक से अधिक तीन मिनट में समाप्त करें। जब तक माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं रहता तब तक सदन की कार्यवाही कारगर ढंग से नहीं चलाई जा सकेगी और महत्वपूर्ण, विचारणीय विषय हैं। यह प्रथम दिन है एक तरफ से, सिवाय विनियोग विधेयक के, यह प्रथम अवसर है जब हम विधायी कार्य कर रहे हैं कानून बनाने का। इसलिए मैं समझता हूं, इसमें आपका सहयोग मिल सके, अधिक से अधिक सदस्य विधायी कार्य में हिस्सा ले सकें। इसलिये आज जितने अन्य कार्य हैं दो बजे तक समाप्त हो जायगे। अब आप पाइन्ट आफ आर्डर कहिए।

व्यवस्था का प्रश्न
उद्धृत पत्रों को सदन की मेज पर रखा जाना

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक प्रश्न आपके समक्ष रखा था। आपने व्यवस्था दी थी की कागजों को देखा जायेगा और कागज मेज पर रखे

(53)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जायेंगे ताकि उस पर आप अपना निर्णय दे सकें और निर्णय में कुछ बात हो तो आप हमारी सुन सकें। वे कागज अभी तक हमको नहीं मिले हैं उन आदेशों की प्रतिलिपियां नहीं मिलीं, पता नहीं आपके पास प्राप्त हुई या नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : मुझे संदेश प्राप्त हुआ है, उस पर आज शाम को कार्यवाही होगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह मैं इस लिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की घटनायें होती जा रही हैं और सरकार जाग्रत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसमें कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसमें पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अगर वह कागज सदन की पटल पर रख दिये जायेंगे तो हम उसको आपके देखने के बाद आपके निर्णय देने के बाद कब देखेंगे। इसमें मुश्किल यह हो रही है—कि यहां पर कल मैंने चर्चा की थी उस चर्चा के साथ एक विशेषाधिकार हनन होने का मामला उठाया था। उसमें 50 लाख रुपये का घोटाला हुआ और फिर 31 मार्च की रात को डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला और हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रदेश की दो गणमान्य जानी मानी महिलायें बिचौलिये का काम कर रही है और इस प्रकार राजस्थान राज्य परिवहन निगम को, जो राज्य कांग्रेस पार्टी में बकाया था उसका चुकारा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि····

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आपने कल एक प्रश्न उठाया था और वह आपका प्रश्न यह था कि आप एक विशेषाधिकार का मामला बताते हैं क्योंकि इसमें सरकार ने जो सूचना, सत्र के दौरान रात को अन्धेरे में कुछ आदेश निकाले और वह महत्वपूर्ण निर्णय थे वह पहले सदन के अन्दर आने चाहिये थे उनको सदन में न रखकर सदन के पीठ के पीछे उन्होंने कार्यवाही की है। तो इसमें सदन के पटल पर रखने के बारे में जो निर्णय है वह इस पर निर्भर करेगा कि वह नीति सम्बन्धी मामले है या नहीं और अगर वह नीति सम्बन्धी है तो बात दूसरी है, प्रश्न मेरे देखने का है आज शाम तक मैं उसके लिये सम्बन्धित मन्त्रीजी से बात करूंगा और सभी कागज मंगा कर देखूंगा उसके बाद में मेरी जो भी व्यवस्था होगी वह दूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया कि विशेषाधिकारों का हनन हुआ, सदन के पीठ के पीछे आदेश जारी किये जो यहां पर पहले आने चाहिये थे यह विषय है केवल इतना सा। इसके लिये जैसा कि मैंने कहा कि आज शाम तक मैं कागज मंगाकर देख लूंगा और कल तक आपके सामने व्यवस्था दे दूंगा। यह प्रश्न भी आपने जो उठाया है यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है इसलिये इसको तो मैं निररस्त करता हूं और आपने जो सूचना चाही है उसकी सूचना आपको कल दे दी जावेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक आधा मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं होगा क्योंकि आप आधा मिनट का नाम लेकर कोई भाषण देना ही शुरू कर दो। तो फिर इसके लिये तो हमें डिबेट किसी दिन रखनी पड़ेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि 31 मार्च की रात क्या हो गयी उसके बाद एक आधी रात को एक घटना और हो गयी उसके बाद भी एक घटना और हो गयी।

श्री अध्यक्ष : वह तो मैं देखूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, 24 घण्टे में एक और घटना हो गयी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इससे राजस्थान के तीन लाख विद्यार्थियों का संबंध है जिनके तीस हजार परिवार राजस्थान से संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह स्थगन प्रस्ताव मेरे पास व्यवस्था के लिए रखा हुआ है। यह मेरे विचाराधीन है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने यहां व्यवस्था दी थी कि स्थगन प्रस्तावों पर बहस एक बजे तक समाप्त हो जायगी इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको एक बजे तक समाप्त कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मैंने स्वीकार किया कि कुछ बातें तो देवीसिंह जी की माननी ही चाहिए यह व्यवस्था का प्रश्न मैं स्वीकार करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई आपका विचारणीय विषय का पाइन्ट आफ आर्डर हो तो कहें क्योंकि आज समय कम है और बिजनेस ज्यादा है इसलिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष : सवाल सुनने का ही तो है। खैर, आप बताय आपका क्या विषय है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर नियम 280 और 288 की तरफ है। जो नियम 280 है उसमें यह है कि जब कभी अध्यक्ष खड़े हों तो उसे शान्ति पूर्वक सुना जायगा और कोई सदस्य जो उस समय बोल रहा हो या बोलने वाला हो तुरन्त बैठ जायगा। दूसरी व्यवस्था यह है कि कोई भी सदस्य बैठे बैठे नहीं बोले। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब खड़े हो जाते हैं तो आपके सामने सारे सदन की व्यवस्था चलानी होती है, सदन में जो सारी कार्य सूची होती है उसको सम्पन्न करना होता है और सभी माननीय सदस्यों को जो बोलना चाहते हैं उनको एकोमोडेट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अच्छी तरह समझते हैं कि मेरा क्या काम है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप खड़े होते हैं लेकिन इस खड़े होने की पृष्ठ भूमि में यह, कि मैं जब खड़ा हो जाऊंगा तो कोई दूसरा बोलेगा नहीं और मैं जो कार्यवाही करनी होगी वह कर लूंगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसमें कई बार कई महत्वपूर्ण मुद्दे रह जाते हैं इसलिए मैंने आपको रूल 280 का हवाला दिया है। मैंने 280 का हवाला इसलिये दिया कि, अध्यक्ष महोदय, कहीं रूल 280 का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय वह है रूल 288 के बारे में। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल एक प्रश्न के दौरान कृषि मन्त्रीजी ने कुछ उदाहरण एक प्रश्न के उत्तर में एक पत्रावली से पढ़े। पढ़ने के बाद उनको सदन पटल पर नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, वह सदन पटल पर रखा जाना चाहिये या यह आवश्यक नहीं है कि कोई उसकी मांग करे तो ही रखा जाय। इस 288 में यह है कि यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राज्य पत्र को उद्धृत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा।

श्री माणकमल मेहता : इसका प्रोविजने भी पढ़े।

श्री अध्यक्ष : यदि उसको रखना उचित नहीं हो।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : हो सकता है वह गोपनीय हो।

श्री अध्यक्ष : हां, गोपनीय हो तो। खैर आप आगे फर्मायें।

श्री कैलाश मेघवाल : परन्तु यह भी कि जब मन्त्री ऐसे प्रेषण पत्र या राज्य पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगत पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यहां पर सारांश नहीं बताया उन्होंने तो उदाहरण दिया है इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के कई माननीय सदस्यों का उससे संबंध हो गया इसलिये मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर मन्त्री जी ने एक माननीय सदस्य का नाम बताया 'उन्होंने कहा कि उनके दस्तखत हैं। उस पत्र के पढ़ने के बाद कई सदस्यों के नाम और हैं यह बताया तो अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका हुई कि मैंने दस्तखत तो नहीं कर दिये कहीं। इसके अलावा दूसरे सदस्य कौन कौन थे, किस किस सदस्य ने दस्तखत किये यह एक शंका का आधार बन गया है। शंका का आधार इसके अलावा इस बात के लिये हो गया कि दो हजार रुपये रिश्वत लेने की बात है वह किस सदस्यों के हैं जिन्होंने दस्तखत किये है उससे स्थानान्तरण किया गया उसके लिये रुपयों का लेन देन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसी तरह का एक राज्य सभा में केस हुआ था जिसमें तुलामोहनराय, जो कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट केस में ऐसी हैं, स्थिति आई

(श्री कैलाश मेघवाल)

थी उसमें उस समय मन्त्रीजी थे वह थे ललितनारायण मिश्र। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि 'जी हां' मैंने यह परमिट इम्पोर्ट का जारी किया हैं, वैसे तो परमिट जारी करना नियमों में नहीं आता था यह काम स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन द्वारा किया जाता है, लेकिन क्योंकि 32 पार्लियमिन्ट के सदस्यों ने इस पर लिख कर दिया था, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इसलिये मैंने किया। तो कई माननीय सदस्यों ने पार्लियामेन्ट में यह कहा कि उनको पूछा जावे जिनके कि दस्तखत हैं उन 32 सदस्यों के नाम बताये जावें, जब नाम बताये गये तो उन पार्लियामेन्ट के सदस्यों ने कहा कि यह उनके दस्तखत नहीं हैं। सभी ने खड़े होकर कहा हमने इस इम्पोर्ट लाइसेन्स देने के लिये कोई सिफारिश नहीं की है, हमारे यह नकली दस्तखत हैं। उसके बाद वह सारा केस एक समिति को सौंपा गया उसने अपनी रिपोर्ट दी उसके बाद में कोर्ट में केस चला और फिर तुलमोहनराय को सजा हुई। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। वह ऐसे कौन से विधायक हैं उनके नाम बताये जायें जिन्होंने कि दस्तखत किये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, नियम 288 के तहत एक पत्र जो सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये या वह सदन के पटल पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, उन पत्रों को सदन के पटल पर रखा जाय और मैंने जो आपके पास विशेषाधिकार प्रश्न को रखा है उस पर आपकी स्वीकृति प्रदान करके कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आज सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय सदस्य ने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था उसमें यही मुद्दा था जो कि माननीय सदस्य ने सदन में कहा है। यह प्रस्ताव मेरे पास विचाराधीन है उसमें नियमानुसार यदि कोई पत्र पढ़ा गया है तो उसको रखा जाना आदि आदि सभी प्रश्नों पर मैं नियम, संविधान आदि के हिसाब से विचार करके उस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जनतंत्र के रक्षक हैं, यहां बैठे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह सच है कि आपको अध्ययन करना पड़ता है, यह भी सच है कि आपको व्यवस्था देनी पड़ती है लेकिन यह भी सत्य है कि समय पर व्यवस्था नहीं आये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : तो यह विषय टल जाते हैं और टलने के बाद में सरकार के पक्ष में वह निर्णय चले जाते हैं, यह भी सत्य है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर। कोई भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव बिना अध्यक्ष की पूर्व सहमति अथवा अनुमति के सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष इजाजत तभी देता है जबकि नियमानुसार उसमें कोई विशेषाधिकार हनन का मामला बनता हो। बहुत ही देर से आपने दिया था, मुझे सभी पहलुओं पर विचार करना है। विचार करके उस पर मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

(व्यवधान)

अब माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। समय नहीं जायगा। एक बजे मैं समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री भंवर लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर जब आसन पैरों पर हो तो नहीं उठता है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

पहले मुझे निवेदन करने का अधिकार है उसके बाद आपका पाइन्ट आफ आर्डर आ सकता है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, विषय टल जायगा।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटा लग जायगा इसमें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इतना इम्पार्टेन्ट सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आधा घंटा नहीं लगेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के बाद। बारबार उठना बैठना नहीं चाहता मैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(श्री अध्यक्ष)

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा—

(1) श्री बालचन्द्र आर्यंगौर व श्री अनंग कुमार जैन : डग झालरापाटन में पीने के पानी की कमी।

(2) श्री हीरालाल आर्य : पीपल्दा क्षेत्र इन्द्रगढ़ उप तहसील तथा पीपल्दा तहसील में पर्याप्त राहत कार्य प्रारम्भ नहीं करना।

(3) श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मवेशियों के लिए घास की कमी।

(4) सर्वश्री हाजी चाव खां, त्रिलोक सिंह व भरोसी लाल : राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज जयपुर को गत वित्तीय वर्ष में अनुदान की राशि न देने से उत्पन्न स्थिति।

(5) श्री रतन लाल ताम्बी: आमेर महल जयपुर से संगमरमर की जालिया और अन्य बहुमूल्य वस्तुयें गायब होना।

(6) श्री चुन्नीलाल: बाघ परियोजना रणथम्भौर में क्षेत्रीय फील्ड निदेशक, श्री फते सिंह द्वारा शेर का नाजायज शिकार

(7) श्री मेघराज तावड़ : पुरानी सब्जी मण्डी कोटा में अलॉटशुदा गरीब सब्जी वालों की थड़ियों पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा

(8) श्री दाऊ दयाल जोशी: छीपा बडोद जिला कोटा में गत 25 मार्च को 45 वर्षीय युवती की दिन दहाड़े हत्या।

(9) श्री हरीश शर्मा: रामगंज मण्डी जिला कोटा में आवासन मण्डल के लिये अवाप्त की गई ए.एस.आई. की भूमि को छोड़कर किसानों की भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही।

(10) श्री राजबहादुर : स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा कतिपय नगर पालिकाओं के प्रस्ताव अथवा मांग के बिना 13.90 लाख रुपयों का अनुदान देना।

(11) श्री भूपाल सिंह : हरिद्वार स्थित राजस्थान सरकार की धर्मशाला और गंगा मन्दिर को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने की तैयारी।

(12) श्री भंवर लाल शर्मा व श्री जीत मल जैन : रामलीला मैदान जयपुर में विकास मेला प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा मण्डप लगाने में भारी खर्चा।

(13) श्री रामकिशोर मीणा : ग्राम पंचायत बामोर तहसील नादौती जिला सवाई माधोपुर के सरपंच द्वारा स्वीकृत स्थान पर उप स्वास्थ्य केन्द्र न खोलने व ग्राम पुराबास में खोलने के विषय में।

(14) श्री गोपाल पचेरवाल : ग्राम कंवरपुरा थाना किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में श्री तातिया बावरिया की पत्नी लादूड़ी की पिटाई से मृत्यु।

(15) श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : भीलवाड़ा जिले के मेजा डेम की सुरक्षा के लिए अध्यर्पित कराये गये खनिज क्षेत्र को एक

(श्री अध्यक्ष)

प्राइवेट पार्टी को पट्टा देने से मेजा डेम की सुरक्षा खतरे में पड़ना ।

(16) श्री यदुनाथ सिंह : सवाई माधोपुर जिले के हिण्डौन नगरपालिका क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से राजकीय कोष की हानि ।

(17) श्री देवीसिंह भाटी : कोलायत व अन्य तहसील क्षेत्रों में राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा आवागमन हेतु रास्ता बंद कर दिया जाना ।

(18) सुश्री पुष्पा जैन, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री नाथू सिंह : गत 31 मार्च को सिरोही में उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लूट लिये जाने के कारण 2 व 3 अप्रैल की माध्यमिक परीक्षायें स्थगित करना ।

वे प्रस्ताव जो सरकार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे है और जिन्हे स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

(1) श्री चन्द्रवीरसिंह : जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सकों की कमी के कारण पशु चिकित्सा केन्द्र बद होना।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया : सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के महावीर आटोमोबाइल नामक फर्म द्वारा पैट्रोल में घासलेट मिलाकर बेचना ।

(3) श्री कैलाश मेघवाल : अजमेर में 1975 एवं 1979 की बाढ़ के बाद हुई हानि को रोकने के लिए बनाई गई योजना को क्रियान्वित न करना ।

(4) श्रीमती विद्या पाठक : बस्सी, सांगानेर, चाकसू व जयपुर ग्रामीण में एस0 डी0 एम0 का पद रिक्त होना ।

वे प्रस्ताव जो स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं और जिन पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है—

(5) श्री बाबूलाल बैरवा : पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को हटाना पूर्व में कई बार चर्चा हो चुकी हैं।

(6) श्री रामकवांर बैरवा : भीमाराव कुमावत अस्पताल जोबनेर का विस्तार न होना ।

पूर्व में प्राप्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा रहा है—

(1) श्री मोहनलाल मोदी : कपिल अस्पताल नीम का थाना में डा0 कैलाश चन्द्र गुप्ता, सर्जन द्वारा रोगियों के साथ दुर्व्यवहार करना ।

(2) श्री बालचन्द आर्यवीर व कुछ अन्य

माननीय सदस्य : आगामी 14 अप्रैल को डा0 अम्बेडकर के जन्म दिन के उपलक्ष में सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करना ।

यह स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं ।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न । व्यवस्था का प्रश्न होना चाहिये । एक के बजाय दो नहीं । मान-

Page No 71

(60)

(श्री अध्यक्ष)
नीय सदस्या, सुश्री पुष्पा जैन कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 2 और 3 अप्रेल को सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी बोर्ड की परीक्षा स्थगित होने के बाद....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या....

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उन पर व्यवस्था दे दी है। पहले माननीय सदस्य का आग्रह था कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं जानना चाहती हूं। स्थगन प्रस्ताव पर मेरा नाम है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उसके पश्चात् स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा आयेगी।

व्यवस्था का प्रश्न

उद्धृत पत्रों को सदन की मेज पर रखा जाना

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था रूल 288 में। उसी के अन्तर्गत मुझे निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष : वह तो निरस्त कर दिया और उस पर व्यवस्था भी दे दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें 2 बिन्दु थे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा का विषय द्वारा नहीं हो सकता यदि आप चाहें तो अलग व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया उस पर मैंने व्यवस्था दे दी उसमें उनकी तरफ से कोई कमी रह गयी तो उस पर दुबारा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भंवरलाल शर्मा : उन्होंने दो मुद्दे उठाये थे।

श्री अध्यक्ष : उनका जिक्र मत कीजिये नये तरीके से उठायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक पर निर्णय दे दिया और एक पर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : उसी पर आइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह यह था।

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :"

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो मेरा यह निवेदन है कि जिस पत्र के बारे में यहां बात चीत हुई उसमें न तो मन्त्री महोदय ने कहा कि मैं पब्लिक इन्ट्रेस्ट में रखना नहीं चाहता हूं और न जो यह पेपर्स इस हाउस के सामने आये हैं वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में हो सकते हैं। उसमें क्या लिखा हैं, एक माननीय सदस्य ने केवल....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। इसमें स्थिति में स्पष्ट कर दूंगा। मैंने माननीन सदस्य का प्रश्न अस्वीकार नहीं किया है वह मामला विचाराधीन है उसको रखवाया जाय या नहीं, यह मेरे विचाराधीन है। मैंने निरस्त थोड़े ही किया है....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो विचाराधीन है विशेषाधिकार का....

श्री अध्यक्ष : वह भी इसके साथ है। निरस्त नहीं किया है। यदि इसको रखवाना आवश्यक होगा तो रखवाया जायगा। वह भी पेंडिंग है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आप रखवायें, यह अलग बात है इसके अतिरिक्त....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझ गया, विशेषाधिकार का ही नहीं, सदन के जो नियम हैं कोई भी पत्र, जिसका यहां पर हवाला दिया जाय, रखा जाना चाहिए उस नियम के अन्तर्गत भी मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी है....

श्री भंवर लाल शर्मा : उसमें मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आप यही निवेदन करना चाहते हैं वह रखवाया जाय। इसलिए वह नियम सुन लिया मैंने।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें दो बिन्दू हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। समय नहीं है, माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैंने व्यवस्था यह दी थी, उसका अध्ययन करके यदि रखना आवश्यक होगा तो रखवाया जायगा....

श्री भंवर लाल शर्मा : यह अलग है....

श्री अध्यक्ष : अलग अलग नियम हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं आता तो भी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। एक एक करके आ रहा हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री भगवानदास शास्त्री : (अजमेर-पश्चिम) : कल परीक्षा है, आज परीक्षा है। अंग्रेजी का पर्चा है परन्तु 11 स्कूल्स ने लिफाफे खोले हैं। पूरी परीक्षा को स्थगित करवाया जाय शिक्षा मंत्री जी यहां बिराजमान हैं। यह पेपर जो है ...

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी इजाजत से कह दूं

श्री भगवानदास शास्त्री : पेपर आउट हो गये

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री भगवान दास शास्त्री : X X X

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : X X X

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक है।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

जिन माननीय सदस्यों को मैंने इजाजत दी है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री भगवानदास शास्त्री :XXX

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले जिन माननीय सदस्यों को मैंने इजाजत दी है उनको बोलने दिया जाय उसके बाद....

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : व्यवस्था तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री भगवान दास शास्त्री : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नाथूसिंह : सर अन्डर रूल....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हू कि पाइन्ट ऑफ आर्डर केवल सदन का समय लेने के लिये डाइलेक्ट्री टैक्टिक्स के तौर पर माननीय सदस्य काम में ले रहे हैं, इसलिये मैं इजाजत नहीं देता....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा लगता है आपने पहले एक व्यवस्था दी है....

श्री अध्यक्ष : आप यह चाहते हैं, एक बजे तक जो कुछ बोलना हो माननीय सदस्य बोल दें फिर बिजिनेस किधर ही जाओ....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ऐसा नहीं है....

श्री अध्यक्ष : जो पहले का पूर्व निश्चित कार्यक्रम है वह लूंगा, उसके बाद में सुन लूंगा।

श्री नाथूसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले व्यवस्था दे दी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर तो सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर तो कोई आया नहीं है। एक घण्टे का टाइम ले लिया ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस तरह का जो एडजार्नमेंट मोशन आया है उस पर पहली बार व्यवस्था दी है....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं....

श्री भगवानदास शास्त्री : कल सत्रावसान हो रहा है। कम से कम आज स्टेटमेंट हो ...मैं अर्ज कर रहा हूं मेरी बात तो सुनें आप।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात आप सुन लीजिये। आपके मन की बात समझ गया, आप यह चाहते हैं कि सत्रावसान हो रहा है जितने भी स्थगन प्रस्ताव के विषय हैं....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं अगर....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन नहीं सुनूंगा। मैं आपको अवसर दूंगा। एक दो यदि आवश्यक समझूंगा उस पर सरकार से जानकारी मंगानी आवश्यक नहीं है और उसे तत्काल उठाने की अनुमति दी जाय तो मैं दूंगा, लेकिन पहले जिन माननीय सदस्यों को मैंने इजाजत दी है, पहले उनको दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : एक बज जायगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनना ही पसन्द नहीं कर रहे हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं जानकारी चाहूंगी। मेरा नाम नहीं पुकारा गया। नहीं पुकारा गया तो क्यों नहीं पुकारा गया? आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं बोलने की।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री नाथूसिंह, गत 31 मार्च को सिरोही में उच्च माध्यमिक परीक्षा के पत्र के लूट लिये जाने के सम्बन्ध में यह है न....

सुश्री पुष्पा जैन : इतना ही तो मैं पूछ रही थी....

श्री अध्यक्ष : यह तो अवमानना हुई। हमने जिस चीज को सदन के अन्दर पढ़ा उसको माननीय सदस्या ने सुना नहीं उसके ऊपर डिस्टर्ब कर रही हैं।

(व्यवधान)

कार्यवाही मंगाकर देखूं मैं?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : नाम तो आया था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री चन्द्रवीरसिंह। मैंने बराबर बोला है। कार्यवाही दिखाऊं क्या? इसके लिए आफत खड़ी कर दी हमारे लिए।

श्री चन्द्रवीरसिंह।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र में आजीविका का साधन एक मात्र पशुधन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की अकाल की स्थिति से पशुधन को बचाने के

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

लिए राज्य सरकार को भरसक प्रयत्न करने चाहिए। परन्तु पूरे जिले में वेटेरनेरी डाक्टर अथवा सबार्डिनेट स्टाफ की कमी के कारण पशु चिकित्सा अस्त व्यस्त हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर आया कि जिले के पशु चिकित्सालय उनियारा में तीन तरह के पद हैं, बी. ए. एस. डाक्टर्स हैं, बी. ए. हैं और कम्पाउन्डर्स हैं। डाक्टर्स में, बनियाना में 3/80 से रिक्त, नाचना में 10/80 से रिक्त, खुरी में 8/80 से रिक्त, सत्तो में 2/79 से रिक्त, सतियाया में 10/80 से रिक्त, लोहारकी में 11/80 से रिक्त, आर. डी. 235 में 2/79 से रिक्त, देवा में 7/80 से रिक्त, आगरी में 9/79 से रिक्त, राजमलाई में 9/79 से रिक्त और बड़ोड़ा गांव में 11/80 से रिक्त है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बी. ए. जो कि वेटेरनेरी असिस्टेन्ट होता है बनियाना में 2/81 से रिक्त, देवी कोट में 3/79 से रिक्त, सांकड़ा में 3/79 से रिक्त और लाठी में 7/80 से रिक्त है।

इसी तरह कम्पाउन्डर्स के पद उनियारा में 2/80 से रिक्त, सत्तो में 12/80 से रिक्त, सम में 10/79 से रिक्त, सतियाया में 10/79 से रिक्त, नोख में 2-10-80 से रिक्त और बड़ोड़ा गांव में 10/80 से रिक्त है।

अध्यक्ष महोदय, पशुधन में फेमिन इफेक्टेड रोग हो जाते हैं। आप स्वयं अच्छी तरह से परिचित हैं। अगर पशु चिकित्सा सुचारू रूप से नहीं चले तो भारी मात्रा में पशुधन के मरने की आशंका है। अध्यक्ष महोदय, फेमिन से इन्फेक्टेड पशुधन में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें एक नाइट बाइडर और जीरो पेलयिमया नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन ए. डी. की कमी से आंखों में फोले पड़ जाते हैं और बाडेलरी हो जाने से टी. बी. फैलती है और रेसिस्टेंस कम होने से, अध्यक्ष महोदय, भारी मात्रा में पशु मर जाते हैं। इन सब बीमारियों से पशुधन को बचाने के लिए यह अनिवार्य है कि पशु चिकित्सा सुचारू रूप से जिले में हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्यथा मेरा मानना है कि भारी मात्रा में पशुधन की क्षति होगी इस क्षति के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। अध्यक्ष महोदय, भीषण अकाल की स्थिति में, जैसलमेर की स्थिति से आप स्वयं अच्छी तरह परिचित हैं और वहां की इकानॉमी कैटल बेरड इकानामी है। अगर भारी मात्रा में पशुधन की क्षति हुई जैसलमेर जिले की इकानॉमी टूट जायगी। मेरा यह मानना है कि वापस इस इकानॉमी को उठाने में 10 वर्ष से भी ज्यादा समय लग सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय कम दिया इस लिए सदन का समय ज्यादा न लेकर केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि पशु चिकित्सा को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह रिक्त पद तुरन्त भर दिये जायं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के महावीर आटोमोबाइल्स के संबंध में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सागवाड़ा एक कस्बा है और सागवाड़ा के लगभग 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर डूंगरपुर, आसपुर और बांसवाड़ा पड़ता है उसके बीच का एक सेंटर है मात्र वहां पर एक पैट्रोल पम्प है दूसरा कोई आल्टरनेटिव है नहीं। श्रीमन्, वहां पर जो पैट्रोल मिलता है उसकी अमूमन शिकायत है उसमें घासलेट मिला हुआ होता है। वहां के टैम्पो चालक, मोटर चालक और स्कूटर चालकों ने बार-बार प्रशासन को शिकायत की है कि इसके कारण हमारे इन्जन खराब हो जाते हैं हमारी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, रास्ते में चलते-चलते बन्द हो जाती हैं। इस शिकायत के बाद काफी समय तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक बार सारे टैम्पों वालों ने जाकर तहसीलदार के घर पर धरणा दिया और तहसीलदार को इस बात के लिए मजबूर किया कि आपको पैट्रोल पम्प पर चलना पड़ेगा, वहां का सैम्पल लेकर सील करना पड़ेगा उसकी जांच करानी होगी। इस पर तहसीलदार 17-6-80 के दिन उन टैम्पों चालकों और सारी जनता के साथ महावीर आटोमोबाइल पैट्रोल पम्प पर पहुंचे वहां से सैम्पल लिया और सैम्पल लेकर जनता के सामने उसको सील बन्द किया। उस समय गलियाकोट के जो सरपंच थे बादामी लाल जी उनके दस्तखत लिए, वहां पर एक नम्बरदार थे उनके दस्तखत लिये, एक रघुनाथ जी थे उनके दस्तखत लिये और भी जो लोग वहां मौजूद थे उनके दस्तखत कराये और इसको सील कराया। जनता ने कहा हमको इस पर विश्वास नहीं है कि इसकी जांच होगी। इस पर तहसीलदार से मांग की कि हमको भी इसका सैम्पल दिया जाय। तहसीलदार ने कहा यह मेरे अधिकार की बात नहीं है फिर वहां के लोग कलेक्टर, डूंगरपुर के पास गये और कलक्टर, डूंगरपुर से इजाजत लेकर के फिर से दूसरे दिन 18-6 को वापस आये और यह सील किया हुआ पैट्रोल जो दिनांक 18-6 को लिया था उसको खोला गया उसमें से एक सैम्पल जनता को सील करके दिया क्योंकि जनता को यह आशंका थी कि इसकी जांच नहीं होगी इसको रफा दफा कर दिया जायगा। इस शंका के कारण से उन्होंने उसका सैम्पल लेकर रखा। श्रीमन, 19 तारीख को डी. एस. ओ. ने सैम्पल तहसीलदार से लेकर के जांच के लिये भेजा। और श्रीमन्, जो जांच रिपोर्ट आई, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, उस पर जांच अधिकारी ने यह लिखा है चूंकि आपने सैम्पल पर्याप्त मात्रा मे नहीं भेजा इस कारण से इसकी जांच सम्भव नहीं हो पाई। यह क्यों हुआ ? यह जनता को शंका थी और शंका होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो पैट्रोल पम्प है वह एक बड़े राजनेता का है। डी. एस. ओ. की हिम्मत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं थी कि उसकी सही जांच करा सके। यह कहकर वापस भेज दिया कि इसकी जांच सम्भव नहीं है। लेकिन मेरे पास जो दूसरा सैम्पल है जिसे जनता ने इस शंका के कारण लिया है, क्योंकि वहां के एम. पी. हैं और एक मात्र पैट्रोल पम्प होने के कारण जनता के साथ लूट कर रहे हैं। जिस ढंग से वे घासलेट मिला कर बेचते हैं यह सैम्पल, तहसीलदार और जनता के दस्तखत शुदा मेरे पास है। क्या मैं अपेक्षा करूं कि इस राज्य के एक बहुत बड़े लीडर जनतन्त्र के जो हिमायती हैं, रक्षक हैं वे ही जनता को इस प्रकार लूटें ? अध्यक्ष महोदय, पचास-पचास मील तक कोई पैट्रोल पम्प नहीं है, एक मात्र पैट्रोल पम्प के अधिकारी हैं और क्योंकि भीखा भाई जो एम. पी. हैं—एम. पी. होने के कारण डी एस. ओ. को दबाया गया और डी. एस. ओ. को यह आदेश दिये गये कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिये। जो सैम्पल है जिस ढंग से भेजा गया उससे लगता है उसमें निश्चित रूप से बेइमानी हुई है। इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सैम्पल जनता ने मुझे दिया है वह मेरे पास है। मैं उसे सदन की मेज पर रख कर आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं कि उस क्षेत्र की गरीब जनता है, गलियाकोट जो एक आदिवासी क्षेत्र है साथ ही एक तीर्थ स्थान है, हजारों लोग हमेशा आते-जाते रहते हैं और वहीं से पैट्रोल लेकर गलियाराकोट जाते हैं और कोई रास्ता नहीं, उन सब लोगों की गाड़ियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए इस सैम्पल की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। यह इसका कारण न बने कि वे एम. पी. हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं और राजस्थान के मन्त्री भी रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि जनता को लूटने की इस प्रकार की खुली छूट दी जाय, इस प्रकार की इजाजत दी जाय। मैं चाहूंगा निश्चित रूप से इसकी जांच हो, साथ ही मैं आपसे भी आज्ञा चाहूंगा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे सदन के पटल पर रख कर इसकी जांच की अपेक्षा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इसको रख सकता हूं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच के लिये आप जरूर थोड़ा सा विचार करें।

श्री अध्यक्ष : नियमों में क्या प्रावधान है, आप रख तो दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 में अजमेर में बाढ़ आई थी। पहली बार जो बाढ़ आई वह इस कारण से आई कि नई रेलवे लाइन बनी, नई रेलवे लाइन निकलने से सारे अजमेर नगर की पहाड़ियों का आस-पास का सारा पानी, जो इसके बनने से पहले बहुत कुछ

(श्री कैलाश मेघवाल)

निकल जाता था वह पानी निकलना अब बन्द हो गया, और वह बरसात का पानी एक तालाब का रूप धारण करने लग गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1975 में अजमेर नगर में पहली बाढ़ आई। सन् 1979 में फिर एक भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ में जन हानि हुई, धन हानि हुई, पशु हानि हुई। इसके बाद 8 करोड़ 75 लाख की एक योजना बनाई गई थी उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष तौर से सिंचाई विभाग का एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था लेकिन वह योजना क्रियान्वित नहीं हुई। न होने के बाद वहां एक प्रपोजल यह आया कि अजमेर में सिवरेज की भी डिमान्ड है यदि सिवरेज लग जाय तो इस बाढ़ से बचाव की जो योजना है, थोडा सा पैसा तो अधिक लगेगा, लेकिन सिवरेज बनने की स्थिति भी समझ में आ जायगी। यह विचारणीय योजना पड़ी हुई है और कल सवाल के जवाब से मालूम पड़ा है कि कुछ पैसा मंजूर किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सही समस्या का समाधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर के उस हिस्से को देखें जहां गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग और अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोग, जो निचली बस्तियों में रहते हैं। थोड़ी सी बरसात आती है कि सब तरफ का पानी उनके घरों में भर जाता है और मजबूर होकर छतों पर बैठे रहते हैं। मेरा निवेदन है, राज्य सरकार ढिलाई से काम कर रही है जिस तरह पीस मील में काम कराना चाहती है, वह नहीं होगा क्योंकि स्थायी योजना को निश्चित रूप से एक साथ पूरा नहीं किया जायगा तब तक बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं होगा। थोड़े से बादल आते ही गरीब लोगों के कलेजे ऊपर-नीचे होने लग जाते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अब जून का महीना आने वाला है और जून-जुलाई में ये लोग इस बाढ़ से प्रभावित होने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब उन्होंने यह तय किया है कि यदि सरकार समय पर इन्तजाम नहीं करती है तो इस बार अगर बाढ़ से प्रभावित हुए तो जितने आफिसर्स के मकान हैं या जो सरकारी भवन है उन पर कब्जा करके बैठ जायगें और जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाय तब तक उनमें से नहीं जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अजमेर नगर में इतना आक्रोश और असन्तोष है। जब सरकार के पास पैसा है इसको तुरन्त क्रियान्वित कीजिये। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपका और सरकार का ध्यान अजमेर की बाढ़ समस्या की ओर आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री मोहन लाल मोदी ! कपिल हास्पिटल के बारे में।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्थगन प्रस्ताव है नीम का थाने में कपिल हॉस्पिटल में डाक्टर कैलाश चन्द्र गुप्ता रोगियों के साथ दुर्व्यवहार करते है। वह जिनका आपरेशन करते है उनसे हॉस्पिटल में फीस वसूल करते है।

(श्री मोहन लाल मोदी)

इस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसमें मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा तथ्यों पर मैं यहां प्रकाश डाल रहा हूं कि डा. कैलाश चन्द गुप्ता का दो जनवरी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था उस दिन हॉस्पिटल में इन्डोर पेशेन्ट की संख्या चार थी। दूसरे डाक्टर ने 3 तारीख को चार्ज लिया 4 जनवरी को कपिल हॉस्टिपल में इन्डोर पेशेन्ट की संख्या 23 हो गई और 17 तारीख तक ये डाक्टर कहां रहे फिर उनका ट्रांसफर कर दिया और दुबारा 17 जनवरी को कैलाश गुप्ता आ गये तो 18 तारीख को इन्डोर पेशेण्ट की संख्या 3 रह गई। आज 26 मार्च की पोजिशन जांच की थी डा0 कैलाश गुप्ता ने उस हॉस्पिटल की हालत खराब कर रखी है क्योंकि डा0 कैलाश गुप्ता पर भूतपूर्व चिकित्सा मन्त्री श्री बद्री प्रसाद गुप्ता का वरदहस्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं जिन मरीजों का इलाज किया गया उनमें एक मूला अहीर है उसका मेडिकल किया उससे 350/-रु0 चार्ज कर लिये, इसी तरह एक लाला हरिजन है जिसका अपेन्डिसाइट का आपरेशन करना था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने दूसरे अस्पताल में जाकर आपरेशन करवाया, एक राधा देवी है वह 22-3-81 को डिलीवरी केस के सिलसिले में दाखिल हुई और डा0 महोदय, जो दूसरी जगह रहते है, को बुलाया गया। दिन में 12बजे पीड़ा हुई नर्स ने उसको सम्भाला नहीं और कहा कि अब डाक्टर साहब के आदेश है कि वे जब तक आकर नहीं देखेंगे मैं नहीं सम्भाल सकती हूं। डाक्टर ने आते ही फीस मांगी और फीस न देने पर वह बाहर आ गया उधर फीस की बात हो रही थी इधर डिलीवरी हो रही थी, 50/- रु0 लिये तब जाकर कहीं उसको सम्भाला गया। अध्यक्ष महोदय, सरकारी मेडिकल चिकित्सालय में इस तरह की सौदेबाजी हो वह शर्मनाक बात है। जम्मू काश्मीर में कुछ सीटें मेडिकल कालेज में राजस्थान की रिजर्व हैं....

श्री अध्यक्ष : अलग विषय है, कपिल हॉस्पिटल के बारे में बोलिये।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं जिक्र कर रहा हूं किस तरह....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप विषयान्तर हो रहे हैं। कपिल हॉस्पिटल के बारे में कह सकते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री जी का इन पर वरदहस्त है।

श्री अध्यक्ष : कपिल हॉस्पिटल के बारे में ही बोलिये....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : वहां पर राजस्थान....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से उठा सकते है।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर मेरे सभी नियम, माननीय सदस्य, देखे हुए हैं अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : नियम मेरे ध्यान में हैं, माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : नियम 296 में लिखा है कि मानहानिकारक, असंसदीय या अभद्र ऐसे शब्द ही अंकित नहीं होने चाहिए। इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आंकित नहीं किये जायेंगे, तो राजस्थान में भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष : भ्रष्टाचार के मामले उठाने की भी हमारे यहां प्रक्रिया दी हुई है, आप उस पर कटौती प्रस्ताव रखते, प्रस्ताव कोई रखते, उसके बारे में पूर्व सूचना देते।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नियमों के अन्तर्गत पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं, ओवर रूल करता हूं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं रूल का हवाला दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : रूल मेरे पढ़े हुए हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप इसको देखिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित न हो

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं माननीय सदस्य। भ्रष्टाचार के मामले उठाये जा सकते हैं लेकिन नियमों और प्रक्रिया में जो प्रावधान दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है, उसके अनुसार उठाये जाते हैं, उठाने की आपको पूर्व सूचना देनी होगी।

श्री मोहनलाल मोदी : प्रावधान है नियमों में कहीं भी रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रुकावट कहां है कहां नहीं है, उसको आसन जानता है। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का मैं अध्ययन करना चुका हूं। कृपया स्थान

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

ग्रहण कीजिए।

आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं नियमों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। दो मिनट बैठ जायं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात समाप्त हुई नहीं। चिकित्सा की डिमाण्ड पर मेरे को समय नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से उठा सकते थे।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा प्रयत्न किया इसके अन्दर कि यह मामला विधान सभा में रखूं ....

श्री अध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखें।

श्री मोहनलाल मोदी : किस किस तरह का भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है जब मंत्री भ्रष्टाचार करेगा।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सदन के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, अंकित न हो।

माननीय सदस्य, कार्यवाही थोप रहे हैं। अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर, बोलने की इजाजत नहीं है। अंकित न हो। आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : मन्त्री पैसा खा रहे हैं आज खानपुर के अन्दर ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री अनंगकुमार जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : समय चला जायगा। अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है। अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री मोहन लाल मोदी : X×X

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय रूल 272 में प्रोविजन है, जो मामले कोर्ट में पेंण्डिग हैं उनके सम्बन्ध में। मैं 272 जो हमारे रूल का प्रोविजन है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो मामला सब-जुडिस है, उसके

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय, के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बारे में यहां पर चर्चा नहीं उठायी जा सकती । यह हमारे यहां प्रोविजन है इसलिए यह स्थिति है, यह सब जगह विधान सभा में है। जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, कल असेम्बली खतम हो रही है, जरा अखबार में जाकर स्टेटमेन्ट दें, बहुमत खड़ा करके पता लगायें कि कैसे भ्रष्टाचारी हैं। उनको आप दीजिये स्टेटमेन्ट, दीजिए बाहर।

श्री मोहनलाल मोदी : अलवर जिले के सदस्यों की कमेटी बनवा दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारी तरफ के बेइमान और भ्रष्टाचारी आदमी का स्टेटमेन्ट दें। XXX को भी साथ ले आना। अगर बाहर स्टेटमेन्ट दें तो XXX

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : ये इस तरह की भाषा का प्रयोग मंत्री जी करें। ये XXX किसी और को देना।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : +++

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड (गोगुन्दा) : ये XXX कहीं और चलेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : इस तरह मंत्री महोदय को तकलीफ क्यों होती है। आप कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की कमेटी बना दीजिये। वह जांच कर ले। अगर कहीं असत्यता हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं वरना आप इस्तीफा दे दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दास्त नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : +++

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : तुम्हारे लिए नहीं मैं उनके लिए कह रहा हूं मैं कह रहा हूं स्टेटमेन्ट बाहर जाकर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि बाहर जाकर स्टेटमेन्ट दो, मैं चैलेन्ज देता हूं कि अगर X X X मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। माननीय सदस्य से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी हिम्मत हो तो त्याग पत्र दो।

श्री मोहनलाल मोदी : जांच करवाइये। मैं यह कह रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी के सात सदस्यों की कमेटी बना लीजिए।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : +++

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं XXX वाला नहीं हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : परसों असेम्बली खतम हो जायगी :

श्री मोहनलाल मोदी : मैं चैलेन्ज देता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : XXX हैं

श्री मोहनलाल मोदी : राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार····

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाहर जाकर स्टेटमेंट दो।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : +++

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अखबार में स्टेटमेन्ट गाया करा दो। XXX

श्री मोहनलाल मोदी . मैं यह अर्ज कर रहा हूं आपकी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को।····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : +++

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तुम्हें जानता हूं XXX और आज कह रहे हैं····

श्री मोहनलाल मोदी : मैं इनको चैलेन्ज देकर कहता हूं कि ···

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : असेम्बली से बाहर स्टेटमेंट दीजिये, अगर हिम्मत है तो।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं चैलेन्ज करता हूं कि आप यहां पर····

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपXXX बात करते हैं और यहां भी सब जुडिस का मामला है, 272 में आप उठा नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

जिसके पास पुस्तक हो उसको इजाजत है।

श्री चतुर्भुज : मेरा भी पान्इट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : मैंने इनके पास पहले देखी।

श्री नाथूसिंह : हमारे रूल 272....

श्री चतुर्भुज : आपके पहले मेरा है।

श्री अध्यक्ष : कानूनी मसला है।

व्यवस्था का प्रश्न

आरोप लगाने से पूर्व माननीय अध्यक्ष को सूचना

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, अण्डर रूल 273 एण्ड अण्डर रूल 275। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 273 में कहा है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया '273. PROCEDURE REGARDING

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(73)

(श्री नाथूसिंह)

ALLEGATION AGAINST A PERSON—No Sllegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister Concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply ।

आगे, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा है,

Provided that the Speaker may at any time Prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

अध्यक्ष महोदय, किसी भी मन्त्री महोदय के विरुद्ध यदि कोई आरोप लगाया जावे तो यह सच है कि उसकी प्रक्रिया फालो की जावे ।

श्री अध्यक्ष : किसी व्यक्ति के खिलाफ अथवा मन्त्री के खिलाफ ।

श्री नाथूसिंह : हां, व्यक्ति के विरुद्ध । लेकिन उसके लिये भी एक प्रोविजन दे रखा है कि वे आरोप जो इस सदन में लगाये जा रहे है हाउस की डिग्निटी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिये । नम्बर वन । नम्बर टू वह पब्लिक इंट्रेस्ट को सर्व नहीं करते है ऐसे एलीगेशन नहीं होने चाहिये । इसलिये माननीय, अध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय सदस्य आरोप लगा रहे थे पब्लिक इंट्रेस्ट के अगेंस्ट वह आरोप नहीं थे, मेरा निवेदन यह है-नम्बर वन । नम्बर टू उससे डिग्निटी आफ दी हाउस भी सम्बन्धित नहीं है । आगे अध्यक्ष महोदय, रूल 275 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं 275 कहता है.

275. Irrelevance or repetition. The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who Persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech.

अध्यक्ष महोदय, आप बार बार यह कह देते हैं कि अंकित नहीं हो । माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तब भी आपने कहा कि अंकित न हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था तभी हो सकती है जबकि वह अपने भाषण को बार बार रिपीट कर रहे हों या दोहरा रहें हों उस विषय से रेलेवेंट नहीं हो ।

श्री अध्यक्ष : वही मैंने किया है ।

श्री नाथूसिंह : इन दो परिस्थितियों में आप अंकित नहीं हो का आदेश दे सकते हैं, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार....

श्री अध्यक्ष : कई बार का क्या सवाल है । आज अभी मैंने किया है उसके लिये कह सकते है, कई बार क्या हुआ उसका क्या पता है ।

श्री नाथूसिंह : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंकित न हो, उसी स्थिति में आदेश दे सकते हैं जबकि बार बार सदस्य रिपीटिशन करें या जो सब्जेक्ट पर बोल रहे हों भाषण दे रहे हों उसका मामले से सम्बन्ध नहीं हो। मेरे दो व्यवस्था के प्रश्न हैं जिन पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह नियमों का हवाला दे करके 273 और 275, में। उसमें उन्होंने यह कहा है कि यदि सदन की मर्यादा गरिमा के विरुद्ध हो या उसमें कोई जनहित न हो, उस अवस्था में ही आसन माननीय सदस्य को उन प्रश्नों को उठाने की मनाई कर सकता है । इस नियम के पीछे जो मंशा है उसको, क्षमा करें, आपने अच्छी तरह से समझा नहीं । उसमें प्रक्रिया दी हुई है कि मानहानिकारक, अपमानजनक आरोपित करने वाले विषय कैसे उठाये जायेंगे उसकी प्रक्रिया दी हुई है कि पूर्व में सूचना देनी होगी कि इस तरह का मैं प्रश्न उठाऊंगा । वह सूचना दे दी उसके बाद में भी यदि वे उठा रहे हैं तो उसके ऊपर आसन को और अधिकार है कि उनको उठाने से जनता को कोई लाभ नहीं होगा तो भी नोटिस दिया हुआ हो, को भी मना कर सकता है । यह है उसमें । इसलिए शायद माननीय सदस्य उसकी असली इंटेंशन है उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाये । इसलिए यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं निरस्त करता हूं । अब कार्यसूची का अगला विषय लेता हूं ।

अब एक बज गया है इसलिए सभी तरह की चर्चायें समाप्त हो करके सरकार की ओर से स्टेटमेंट दिलाये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : चतुर्भुज जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री अनंगकुमार जैन : उनके हाथ में किताब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ये बहुत ही कम अवसरों पर वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं इसलिए मैं उनको प्राथमिकता देता हूं । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार खड़े हो जाते हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं....

(अव्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, उनके हाथ में किताब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सुन नहीं पा रहा हूं ।

(75)

श्री चतुर्भुज : ये पांच सात रोज से हमारे मन्त्रियों पर आरोप लगा रहे हैं आये दिन बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री चतुर्भुज : आए दिन हाउस में भाषण देते हैं, आए दिन पुकार करते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री मोहनलाल मोदी : आप जांच कराइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर है मेरा।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं निवेदन कर दूं एक मिनट में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बजे के लिए समय नियत था वह चला गया। पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : समय चला गया है मेरी मजबूरी है। मेरे हाथ में कोई बात नहीं है। आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए। आपके दल ने एक घण्टा ले लिया है और सिर्फ दो-तीन सदस्यों को बोलने की इजाजत दी जिसमें आठ दस मिनट ही बोले होंगे बाकी समय पाइन्ट आफ आर्डर में चला गया, तो कोई बात नहीं। मैंने समय निश्चित कर दिया था अब मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं रूल 273 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं 273 है :

"Procedure regarding allegation against a person—No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply :"

श्री अध्यक्ष : साफ है, स्पष्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब प्रश्न यह है कि कोई भी अगर चार्ज लगाया जाएगा तो यह शर्त होगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। कोई विचारणीय विषय नहीं है। केवल आप नियमों का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। आर्डर आर्डर। निरस्त किया गया।

(76)

श्री भंवरलाल शर्मा : अपनी बात तो कही नहीं मैंने....

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते है, मैं समझ गया। यह कोई विचारणीय विषय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभी प्रकार की जो आपकी आज्ञाएं होती हैं, आपकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करते हैं, आपकी व्यवस्थाओं को मानते हैं लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा....

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। लेट हिम कम्पलीट।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर की ऐसी शुरूआत की कि जिसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ा।

श्री भवंरलाल शर्मा : बिना सुने ही।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल। जितना आपने पढ़ दिया उससे आप यही कहना चाहते थे कि मानहानिकारक मामले कैसे उठाये जाते हैं। उसके बारे में मैंने स्पष्ट रूलिंग दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मानहानिकारक मामले कैसे उठाये जाते हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है ...

श्री अध्यक्ष : उसको पढ़ने के लिये मैं क्लास नहीं ले रहा हूं। आगे कोई कार्यवाही मै कर रहा हूं उसमें नियमों की अवहेलना हो रही है तो आप बता दें।

श्री भंवरलालशर्मा : वही नियमों की अवहेलना हो रही है। 273 की हो रही है। 273 रूल यह कहता है कि कोई आपत्तिजनक, अपमानजनक बात कहनी हो तो नोटिस दिया जाना चाहिये तभी उठा सकते हैं। वह नोटिस इसलिये दिया जाना चाहिये so that he may be prepared for that. Correct Sir.

मैम्बर साहब ने यह आरोप लगा दिया ....

श्री अध्यक्ष: काये पर दिया। आप पहले यह बताइये कि उन्होंने क्या स्थगन प्रस्ताव दिया था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : स्थगन प्रस्ताव जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तो फिर, नोटिस, काये का नोटिस ? आप बात कर रहे हैं,वह है ही नहीं, आप उस विषय से परे जा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वही तो अर्ज कर

(77)

(श्री भंवर लाल शर्मा)

रहा हूं, साहब, जो नोटिस की प्रक्रिया है, अमूमन नोटिस क्या दिया ? लिखित में नही दिया, यह मान लीजिये । मंत्री महोदय ने खड़े होकर, जो बात है, उसका जवाब देना शुरू कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : आज जो विचारणीय विषय नहीं है उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं उसको निरस्त करता हूं । अगली कार्यवाही लेता हूं । विचारणीय विषय है....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण आदेशों की पुस्तक है, अध्यक्ष महोदय, इसके पेज 273 में क्लयिर लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं । इसको भी मैंने कह दिया....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री मोहनलाल मोदी : इसमें लिखा हुआ है कि जब तक नोटिस नहीं देते हैं, आपको यह कहना नहीं चाहिए, आप यह कह सकते हैं कि तत्कालीन अमुक विभाग के उपसचिव, सचिव, भूतपूर्व मन्त्री ने किया....

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष : समय चला गया, अब मजबूरी है ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, मेरे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है, राजस्थान नहर परियोजना....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । आसन पैरों पर है । मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि एक बजे के आगे समय नहीं दिया जाएगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो....

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

×**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है.... आप कार्यवाही नहीं थोपेंगे इस तरह से ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित न हो, उसके बारे में आपने स्वयं ने भी क्या कारण हैं, बतायें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ....

×XX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप मेरी बात सुन लीजिये । ऐसे विशेष मुद्दे इस प्रकार के आयें जो आपने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजे, जिसके लिए माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, उनमें सब कुछ देख कर आप कुछ ऐसे तो देखिये, कल सदन समाप्त हो जायगा । आखिर कई ऐसे इश्यू हैं, जिन पर चार माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव मूव किया है, आज तीन लाख विद्यार्थी सारे इस स्थिति में खड़े हो गये हैं, उनके गार्जेन आकर खड़े हो गये हैं....

श्री अध्यक्ष : अब मैं इस पर भाषण की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप हमें मौका तो दें । क्या हम इसलिए आते हैं सदन में कि यहां आकर चुपचाप चले जायं । राजस्थान के 30 लाख परिवार इससे पीड़ित रहें और आप केवल अपने इस प्रकार उपयोग करके बोलने का अवसर न दें । सरकार से कहते हैं, सरकार तो कब कार्यवाही करेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब प्रकार से हमारे अधिकारों पर अत्याचार हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है । मैं आपसे अपील करना चाहता हूं । एक बजे तक के समय पर चर्चा कर दी, ऐसे क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

मैं सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों की समिति बनाकर के जो कार्यवाही हुई है, 12 बजे के बाद में, उसको दिखवाने को तैयार हूं । इसमें से आधा समय तो पाइन्ट आफ आर्डर, जो वास्तव में कोई पाइन्ट आर्डर नहीं थे, में निकल गया : न कोई उनका विचारणीय विषय से सम्बन्ध था, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन कर दिया था आज एक बजे के बाद में इस तरह के प्रश्न नहीं लिये जायेंगे, उसमें माननीय सदस्यों को सहयोग होता तो मैं सभी प्रश्न लगा देता । अब मेरे लिए सम्भव नहीं है । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय । ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है । वह आन्दोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं । महत्वपूर्ण परियोजना है वह बन्द हो जायगी....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सर्वसम्मत सुझाव है । यह विषय दिया है कि विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किया गया है । क्योंकि प्रश्न पत्रों की चोरी हो गयी । यह विषय इम्पार्टेंट हैं, इस पर क्यों नहीं चर्चा कर लेते ?

श्री अध्यक्ष : मुझे अर्ज करने दीजिये । दो तीन विषय मिलकर मुझे सुझा दीजिये, उन पर मैं पांच-पांच मिनट का समय दे

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

दूंगा। लेकिन सब माननीय सदस्य कार्यवाही सदन के ऊपर थोपना चाहे तो वह चलेगा नहीं। आर्डर प्लीज। मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर नियमों का अध्ययन किया है, ...

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, डा० अम्बेडकर की जयंती पर तो थोड़ा बोलने दें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने, जो दिया है, उसको रिजेक्ट किया है।

श्री रामकंवार बैरवा : उसकी सजा हमें भुगता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, जो आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते उसकी सजा हमें भुगता रहे है नियमों के तहत....

श्री अध्यक्ष : नियमों के तहत मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री रामकंवार बैरवा : उसकी सजा हमें भुगता रहे हैं, यह कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं, यह सब विषय उनके अनुसार ले लिये जायं। इसका मतलब यह है, तीन घण्टे में देने को तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई, अगला विषय

एक माननीय सदस्य : हमारा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है, हमें दो दो मिनट ...

श्री अध्यक्ष : मौका तो माननीय सदस्य स्वयं ले....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, आपके चेम्बर में मिला था, आप ही ने थोड़ा फर्माया....

श्री रामकंवार बैरवा : दूसरे लोग अलग से टाइम ले लेते हैं, और आज नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव जो दिया है, उसकी सजा हम को भुगता रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा अनुशासित हूं आप अवसर देंगे, मैं बात करना चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने व्यवस्था दे दी है। जो ऐसे प्रश्न हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तय करके बता दीजिए। किन्हीं तीन विषय लेने को तैयार हूं। विपक्ष की तरफ से। पहले यह हो जायगा, तीन विषयों को आप ले आइये उसके बाद कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। मैं उनको....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र

(व्यवधान)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, हर पार्टी के लिये....

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजे गये स्थगन प्रस्ताव हैं, क्या उनका इसी सत्र में जवाब मिलेगा ?

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आमेर महलों में....

(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्टीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन 1978-79 सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) वित्त लेखे 1979-80

(2) विनियोग लेखें 1979-80 तथा

(3) वर्ष 1979-80 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर विनम्र अपील करना चाहता हूं आज तो ऐसा लगता है कि हमारा सदन में आना बेकार है अगर राजस्थान प्रदेश के हितों पर....

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री रघुवीरसिंह कौशल । श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अम्बेडकर जयन्ती पर जो अवकाश घोषित नहीं किया गया, उसके ऊपर थोड़ा बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि चाहते हैं तीन विषय मैं ले सकता हूं जिसकी सर्वसम्मत सूची देने का कष्ट करें। वरना नहीं।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षित नहीं करना है क्या ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : डा. अम्बेडकर की जयन्ती के बारे में था, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : इसमें विपक्ष की सबकी सहमति होनी चाहिये जितने माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों ने दिये हैं उनमें से तीन अथवा चार विषय आप मुझे बता देगें तो उसमें किसी वक्त मैं इजाजत दे दूंगा।

(व्यवधान)

पहले मेरी बात सुनियेगा। पहले मेरी बात सुनियेगा माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : आप विपक्ष में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान नहैर परियोजना क्षेत्र ...

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया विपक्ष अपनी सर्वसम्मति से तीन अथवा चार विषयों की सूची दे दे तो मैं किसी समय पर। ...

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर विचार व्यक्त करने का अवसर

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कोई मीटिंग होगी? कोई मीटिंग करवाएंगे? यहां इण्टरनली मीटिंग करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं फूट डालने का प्रयत्न है, एक दूसरे को लड़ाने वाला सवाल है, यह कौनसी प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं? ऐसी नाराजगी इन जनहित विषयों पर आपको लगती हैं। वह देख लीजिये जनहित के विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं उन सारे प्रस्तावों में जनहित के विषय जो लगें आपको, एक एक दो दो मिनट दे दें या पूरी बात सदन के सामने आ जाय, इस प्रकार की व्यवस्था करें, मेरा निवेदन यही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्ताव आये थे पूरे 27। उनमें से कुछ में हमने आवश्यक समझा कि महत्वपूर्ण विषय हैं इसलिए सरकार से जानकारी प्राप्त की जाय। कुछ में हमने यह समझा कि विषय बहुत छोटे हैं इसलिए 2–2 मिनट की इजाजत दी जाय। कुछ में हमने यह निर्णय लिया है कि स्थगन प्रस्तावों का विषय ही नहीं बनता इसलिए इजाजत नहीं दी जाय। हमने विवेक से, बुद्धि से निर्णय किये हैं। क्योंकि कल सत्रावसान हो रहा है इसलिए माननीय सदस्य चाहते हैं जितनी व्यवस्था मैंने दी है उसको उलट करके आपको 2–2 मिनट समय दूं। प्रातः काल ही मैंने निवेदन कर दिया था कि एक बजे जीरो आवर खतम हो जायगा इसलिए विपक्ष के माननीय सदस्य, समय जो दिया गया है उसको बैठकर देख लें। कितने ही व्यर्थ के प्रश्नों पर कितना समय लगा दिया, इसके बाद एक बज गया तो भी व्यवस्था के प्रश्नों की झड़ी आती रही। अब एक ही बात हो सकती है कि 3-4-5 विषयों पर 1-1 माननीय सदस्य बोलेंगे, 2-2 मिनट में बोलेंगे। अब चाव खां जी जिस बात पर जोर लगा रहे हैं उस पर मैंने यह व्यवस्था दी है वह सुनी नहीं। नियम आप माननीय सदस्य देखते नहीं। मैंने यह व्यवस्था दी है हांलाकि यह अस्पताल वाली टी. बी. प्रणाली है,

(श्री अध्यक्ष)

70.80 विद्यार्थी हैं, इसके बारे में पहले भी आया था जो सरकार की जानकारी के लिए भेजा था। दुबारा चूंकि यदा कदा ही डिबेट में हिस्सा लेते हैं इसलिए फिर मैंने जानकारी चाही है। अब आप चाहते हैं कि दो मिनट में ही कह लें तो फिर दो मिनट बात कहनी हो और मुझे सुनानी हो तो बैठक की कार्यवाही समाप्त हो जाय तब मुझे सुना दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यहां बैठ जाऊंगा, आप भी बैठ जाये।

(व्यवधान)

मुझे आप कहने दीजिये। नियमों का ध्यान रखिये।

आप विधान सभा के सम्मानीय सदस्य हैं खाली गांव के सरपंच हों ऐसी बात नहीं। यहाँ पर नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही होती है। बैठते ही जब मैं व्यवस्था देता हू तो माननीय सदस्यों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये आमेर से आने वाली माननीय सदस्या काफी नाराज हो गइ कि साहब मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसमें क्या हुआ, असलियत यह थी कि उनका नाम सबसे पहले पुकारा, फिर अन्य सभी के नाम पुकारे। चूंकि आपने सुना नहीं इसलिये 5 मिनट का समय आपने लगाया मैं खड़ा था उसमें बाधा उपस्थित की उसके बाद तीन मिनट बात कहने में लगाये वह यह थी कि उनका नाम नहीं पुकारा। तो माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है तो सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से नहीं चल सकती। अब भी मैंने निवेदन कर दिया कि मैं लिस्ट माननीय सदस्यों को दे देता हूं, आप सभी विपक्ष वाले बैठकर, पांच विषय है, पांच विषयों के ऊपर 2-3 मिनट का समय 1-1 माननीय सदस्य को दूंगा चाहे 10 माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पेश किया हो। 15 मिनट का समय दूंगा। आप देख लीजिये कि यह महत्वपूर्ण विषय हैं एक एक करके, माननीय सदस्य पधार जाये कक्ष में। मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन माननीय सदस्य चाहें कि चूंकि जीरो आवर है मैंने जो निर्णय लिये हैं उनमें आपका भी मेरे ध्यान में है।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अव्यवस्था कोई और करता है और आप....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिसका नहीं आता उसका यही खयाल बन जाता है। आप वाले में मैंने व्यवस्था दी है भीमाराव कुमावत, जोबनेर अस्पताल का विस्तार नहीं होना। माननीय सदस्य, यह कोई स्थगन प्रस्ताव का विषय है जिसमें अस्पताल में विस्तार नहीं होना, एक कमरा जोड़ा जाय या मरीजों की संख्या बढ़ाई जाय तो क्या इस पर सदन की कार्यवाही रोक दी जाय। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय हैं क्या ? जिसका कोई जनहित से सम्बन्ध हो, कोई बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, जमीन जायदाद का या किसी के हकों पर कुठाराघात हो रहा हो तो, माननीय सदस्य मेरा विवेक, बुद्धि भी काम लेने दें 27 में से हर तरह के छिट पुट मामले में कैसे आने दूं। अस्पताल का विस्तार, जोबनेर कोई जयपुर तो है नहीं और सब वहां जाते

(श्री अध्यक्ष)

नहीं यों तो शिकायतें पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल की राजस्थान में हैं, चाहे इन विषय पर 24 घण्टे चर्चा करते रहें बारहों मास चर्चा करते रहें तो भी उनका कोई अन्त नहीं होगा, हल नहीं होगा। इसलिये माननीय सदस्य....

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग जोर शोर से बोलते हैं उनके आगे तो आसन झुक जाता है, एक माननीय सदस्य ने यह बात कही जो बहुत कम बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी बोलते हैं।

श्री हजारीलाल शर्मा : उनके लिये आप नियमों का हवाला दे रहे हैं कि इतने स्थगन प्रस्ताव रखे जाते हैं ये तो ऐसे ही रखे जाते हैं और सब को आप .

श्री अध्यक्ष : इसलिये उचित यही होगा कि स्थगन प्रस्तावों पर जैसी व्यवस्था होनी चाहिये, समय मैंने दिया था उस समय को...

श्री हजारीलाल शर्मा : आप सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिये।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, जो पैंडिंग प्रस्ताव हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दिये आपने।

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। 27 विषयों पर चर्चा कराने में मैं असमर्थ हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा: हमने पांच विषयों की सूची दे दी है।

श्री अध्यक्ष : उसमें सभी विपक्षी दलों की सहमति है? चाव खां जी भी सहमत हैं क्या?

श्री महाराम चौधरी : चाव खां जी की सहमति है, साहब।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन था कि जो सरकार से जानकारी के लिए आपने भेज दिये....

श्री अध्यक्ष : फिर तो मैंने जो सुबह व्यवस्था दी थी वही ठीक है। 15 मिनट का समय है। हायर सैकण्डरी परीक्षा के पेपर, राजस्थान नहर परियोजना में रास्ता बन्द करना, डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के सम्बन्ध में, यूनानी तिब्बिया कालेज और आमेर महलों में चोरी। इन पांचों पर माननीय सदस्यों की सहमत है? 15 मिनट का समय दूंगा।

(व्यवधान)

आप दुबारा उसी स्थिति पर आ जाते हैं तो मैं फिर दुबारा उसी निर्णय पर आ जाऊंगा। आप सहयोग करेंगे।

श्री राज बहादुर : मैं सहयोग करने को तैयार हूं, मेरा एक विषय है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री अध्यक्ष : हायर सैकण्डरी बोर्ड के परीक्षा पत्र, एक माननीय सदस्य बोलेंगे, तीन के प्रस्ताव हैं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : तीन मिनट का समय है चाहें तो स्पष्टीकरण करें....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम लेकर कहा कि मैंने आसन की अवमानना की या आपके सम्मान में कुछ कहा तो मुझे मौका तो दीजिये, इस पर कुछ कहूं ....

श्री अध्यक्ष : मान सम्मान में न पड़ कर आप अपने प्रश्न पर आ जाइये....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कल अचानक एक सरकारी विज्ञप्ति जारी करके राजस्थान बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं जो 2-3 तारीख को होनी थी, को स्थगित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, न तो स्पष्टीकरण किया गया, न कोई कारण बताया गया। दिनांक 31 और 1 की मध्य रात्रि के करीब 2 बजे सिरोही में हायर सैकण्डरी स्कूल बिल्डिंग के पीछे, पिछवाड़े की खिड़की से कूद कर कुछ लोग स्कूल में पहुंचे जिसमें दो चपरासी धर्मा और हीरा सोये हुए थे। तब 15-16 लोगों ने उनको दबोच लिया और मुंह में कपड़े ठूंस दिये। उसके बाद गोदरेज की अलमारियों को खोला गया ताले तोड़ कर उनमें से 15—20 पैकेट्स प्रश्न पत्र के रखे हुए थे, उनको उठा कर वे लोग भाग गये। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि हायर सैकण्डरी स्कूल बिल्डिंग उस स्थान पर है जहां पर कुछ फुट की दूरी पर

(1.30 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

एस. पी., जिलाधीश और प्रिंसिपल के निवास स्थान हैं। सभापति महोदया, दो बजे से लेकर रात को चार बजे तक यह घटना होती रही। दो घण्टे के बीच में ये अज्ञात लोग प्रश्न पत्रों की चोरी करके भाग गये उसके बाद तत्काल थाने में रिपोर्ट दी गई, प्रिंसिपल को रिपोर्ट की गई और अजमेर बोर्ड द्वारा जानकारी की गई कि 31 और 1 तारीख की मध्य रात्रि को यह घटना हुई। उस दिन यह विधान सभा का सत्र चल रहा था लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने, इस राज्य सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि, वह जो हायर सैकण्डरी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने जा रही है, बिना कारण बताये, कम से कम इसके कारण तो बताये जाते, उसका जिक्र कुछ कर देते, सभापति महोदया, यह सबसे बड़ा अहम् सवाल है। माननीय सदस्यों को जब सदन लेट तक चल रहा था तो शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहिए था कि इस तरह का काण्ड सिरोही में हो गया है जिसकी बदौलत परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ रही हैं। जो छात्र तैयारी करके बैठे थे, कल के पर्चे की तैयारी कर ली थी, उनकी परीक्षाएं अचानक दो दिन के लिए स्थगित कर दी हैं, उनको कितना मानसिक आघात पहुंचा होगा। उस मानसिक आघात के बदौलत चार तारीख को होने

(सुश्री पुष्पा जैन)

वाला पर्चा अच्छा नहीं कर पायेंगे। क्या इसका उनके परीक्षा परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ? सभापति महोदया, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले अचानक एक सूचना जारी करके हायर सैकण्डरी बोर्ड की होने वाली प्रेक्टिकल परीक्षाएं ले ली गई। उन्हें केवल चन्द मिनट और चन्द घण्टे की सूचना दी गई और अचानक परीक्षा ले ली गई। मैं समझ नहीं पाई कि शिक्षा मंत्री जी यह कौनसी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का इन्तजाम कर रहे हैं। कभी प्रेक्टिकल परीक्षा को आधे घण्टे की पहले सूचना देकर ले लेते हैं, कभी अचानक सूचना प्रसारित करके परीक्षा स्थगित कर देते हैं। यह तरीका जो अख्तियार किया है वह जनहित की दृष्टि से, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बहुत घातक है, उनके भविष्य के लिए अन्धकारमय होगा। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि ऐसा उन्होंने किस अधिकार के बदौलत किया है ? यह चोरी की घटना कोई पहली वार ही नहीं हुई है, गंगानगर के बियाणी कालेज में से परीक्षा की कापियां चुरा ली गई थीं उनका आज तक पता नहीं लगा। अब परीक्षा के पर्चे चुरा लिये गये हैं। इसके कारण परीक्षाएं स्थगित हो गई। सारे के सारे राजस्थान के विद्यार्थी और उनके अभिभावकों पर सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? लिहाजा मैं यह कहना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्री जी शीघ्र से शीघ्र इस सदन में इस बात का स्पष्टीकरण करें, जवाब दें कि उन्होंने अचानक यह जो विज्ञप्ति प्रसारित की है, वह क्यों की ? जब कल सत्र चल रहा था तो क्यों नहीं जरूरी समझा कि इस सदन में इस बात की जानकारी दी जाए कि परसों सिरोही में इस प्रकार का काण्ड हो गया है जिसकी बदौलत यह परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं ? अन्त में एक बार मैं पुनः, शिक्षा मंत्री जी इस सदन में पधार गये हैं, इसलिए सभापति महोदया, खास तौर से यह कहना चाहूंगी कि, शिक्षा मंत्री जी, यह बहुत गम्भीर मसला है। इसके महत्व को समझते हुए आप गम्भीरता से इसका जवाब दें। इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी आप पर होगी। राजस्थान के विद्यार्थियों का जीवन,भविष्य अन्धकारमय हो गया है। इसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। आप सदन में स्पष्ट करें कि वे कौन गैर जिम्मेदार लोग थे, वे कौन असामाजिक तत्व थे, जिनके कारण यह घटना घटी ? वह कौन से कारण थे जिनके कारण आप इस सदन को सूचना नहीं दे पाये, इस बात का जिक्र नहीं कर पाये ? ऐसा क्यों हुआ ? यह आप बतावें।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदया, आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि यह बड़ा अहम् मसला है, थोड़ा एक मिनट में मैं प्रकाश डाल दूं।

श्री सभापति फर्माइये :

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : महत्वपूर्ण मसले पर मंत्री महोदय को सर्व प्रथम सदन में वक्तव्य देना चाहिए था....

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(व्यवधान)

शिक्षा मंत्री को सदन के अन्दर वक्तव्य देना चाहिए, सभापति महोदया, यह हजारों विद्यार्थियों का सवाल है।

सभापति महोदया, यह जो पर्चे गायब हो गये इससे हजारों विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है.....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : 11 पर्चे खोले गये हैं। सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी के अलावा प्रवेशिका के पर्चे भी खोले गये .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री भगवान दास शास्त्री : मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम यह जो 11 पर्चे खुल गये हैं इसका मतलब कि यह परीक्षाएं समाप्त मानी जानी चाहिये। इसके लिए आप कोई तारीख मुकर्रर करें ताकि विद्यार्थी पढ़कर के परीक्षा दे सकें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप उत्तर सुन नहीं रहे हैं तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है....

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन में आने से पूर्व महत्वपूर्ण सूचना के बारे में....

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महोदया, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी एक एक करके माननीय सदस्य बोलेंगे....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य को बोलना है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। अब नहीं आप बैठियेगा।....

अभी नहीं

राजस्थान नहर परियोजना पर बोलना चाहें....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभा-महोदया, माननीय मंत्री महोदय कुछ कह रहे थे, उनको कहने दीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि एक व्यक्ति एक-एक विषय पर बोलेंगे।

श्री सभापति : बोलने के लिए माननीय मंत्री महोदय खड़े हुए तो आप बोलने नहीं देते हैं। अब आप कहते हैं....

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि एक दल से एक व्यक्ति बोले.... सारा मामला गड़बड़ हो रहा है ....

श्री सभापति : एक ही व्यक्ति बोलें बिलकुल एक ही। मंत्री जी बोलना चाहें तो, ठीक है।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदया, मैं एक बात साफ कह

(श्री चन्दनमल बैद)

देना चाहता हूं कि जितनी सूचना मैं दूंगा, उसके अलावा अगर माननीय सदस्य बार बार प्रश्न पूछना चाहेंगे, उसमें अगर कोई वाद विवाद करना चाहेंगे तो आज मैं उस स्थिति में नहीं हूं....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 31 तारीख को यह घटना हुई, 24 घण्टे बाद आप वक्तव्य न दें उसके बाद आप यह बात कह रहे हैं। क्या यह सरकारXXX है ? XXX हम कटघरे में खड़ा करेंगे। यह XXXसरकार है ? क्या बात कह रहे हैं आप ! यह विधान सभा चलती रही 24 घण्टे इसके बाद आप यह कहते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्षमा करें। आप बैठिये। मैं कहती हूं, आप स्थान ग्रहण करें। जो माननीय सदस्य नेXXX और ऐसे ही एक दो दूसरे शब्द कहे हैं, उनको एक्सपंज किया जाय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : XXXपार्लियामेण्ट्री शब्द है। XXXपार्लियामेण्ट्री मैं दुबारा कहता हूं यह सरकार अनुत्तरदायित्व है। 31 तारीख को घटना हो गई....

श्री सभापति : राजस्थान नहर परियोजना....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस दिन विधान सभा चलती रही। शिक्षा मंत्री जी में हिम्मत नहीं हुई कि वह यहां पर घोषणा कर सकें। विधान सभा के सदन में कि इस प्रकार से परीक्षाएं नहीं होगी। 11 पेपर्स आउट हो गये। तीन लाख विद्यार्थियों का क्या होगा। तीन लाख परिवारों को परेशानी हो गई और माननीय शिक्षा मंत्री जी यह जवाब देते हैं, मैं जवाब दूंगा तो सवाल नहीं करे। आप खुदा हैं ? कहां से पधारे हैं ? यह राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ? इतने हल्के तरीके से आप इस बात को नहीं कह सकते हैं।....

श्री सभापति : राजस्थान नहर परियोजना ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा अहम् सवाल है। राजस्थान की जनता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। राजस्थान सरकार इसको इस तरह टाल रही है....

(व्यवधान)

यह राजस्थान के तीन लाख विद्यार्थियों का सवाल है....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अब आसन का आदेश होगा तभी मैं स्टेटमेंट दूंगा।...

श्री माननीय सदस्य : आसन का यह निर्णय हो गया था। अध्यक्ष महोदय का

X××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

निर्णय था। एक दल से एक सदस्य बोलेंगे और मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री सभापति : आप कृपया शांत रहें। मंत्री महोदय जो निर्णय लिया है उसका पालन करें।

सुश्री पुष्पा जैन : आप इतने गैर—जिम्मेदाराना मंत्री निकलेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। ...

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय की यह व्यवस्था थी एक-एक सदस्य इस पर कहेंगे ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं।....

(1.39 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शान्त रहें। मंत्री महोदय इस सदन में कुछ कहना चाहते थे....आर्डर प्लीज। तो यदि मंत्री महोदय की आज पूरी तैयारी न हो तो कल इस पर वक्तव्य दे सकते हैं कल वक्तव्य दिलाया जायगा।

राजस्थान नहर परियोजना....

श्री देवीसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत ....

श्री अध्यक्ष : बाद में अवसर दे दूंगा आपको....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के निर्माण के कार्य जो कोलायत और पोकरण तहसील में जगह-जगह चल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ये सारे काम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। क्योंकि ये काम विभाग नहीं चला रहा है और ठेकेदारों द्वारा काम हो रहा है। इसके अन्दर जो राजस्व के रास्ते हैं उन रास्तों पर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वे गांव वालों की सुविधा का ध्यान रखते नहीं और उन सड़कों पर आना जाना बन्द कर रहे हैं। रास्ते बन्द करते हैं, तो यह एक जगह नहीं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताऊं कि आर. डी. 1007 और 1027 के बीच में चार किलोमीटर का रास्ता है उसको बन्द कर दिया गया है। उनको चार किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ता है उनको इतना राउण्ड लेना पड़ता है, जबकि वह हिस्सा केवल 125 फीट चौड़ा है इसके लिए चार किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। इसी तरह से आर. डी. 1027 से 1045 तक साढ़े तीन किलोमीटर का फासला कर दिया है, साढ़े तीन किलोमीटर का चक्कर काटकर के जाना पड़ता है। इसी तरह 1045 से 1060 तक आर. टी. के बीच में 3 मील का चक्कर काटना पड़ता है उनकी ऊंट गाड़ियों को तीन मील का

(श्री देवीसिंह भाटी)

चक्कर काटना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह पहले देखना चाहिये अधिकारियों को इन गाड़ियों के लिए जो रास्ते हैं उनको छोड़कर दूसरे निर्माण कार्य चालू करने चाहिये, इसके लिए दूसरे रास्ते खोले जायं। अध्यक्ष महोदय, बार-बार मैंने दो बार चीफ इन्जीनियर साहब को भी कहा और लिखित में भी दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव इसलिए दिया था कि मेरे पास रात को ट्रन्ककाल आया था कि हमने निर्णय किया है धौलासर, मीठड़ी और किशनपोल वालों ने कि राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को रोकने के लिए आन्दोलन छेड़ा जाय। इसके लिए मैंने निवेदन किया कि मैं आज इस प्रश्न को सदन में उठाऊंगा और सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा तब तक आप कुछ न करें, नहर का जो निर्माण कार्य है वह बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान नहर के काम को न रोका जाय। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अतारांकित प्रश्न पूछा था....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का हवाला न दें, माननीय सदस्य। जो तकलीफ है वह बतायें।

श्री देवीसिंह भाटी : मन्त्री महोदय को ध्यान आ जायगा, प्लीज इजाजत दे दें। मैंने प्रश्न पूछा था कि राजस्थान नहर के निर्माण कार्य के अन्दर इस बात का ध्यान रखा जाता है क्या कि ग्रामवासियों के जो आने जाने के रास्ते हैं वे बन्द न हो जायं। उत्तर आया कि जी हां। और क्या सिंचाई के उपरान्त भी ग्रामवासियों के लिए रास्ते नहीं छोड़े गये हैं और ऊंट गाड़ी आदि को पांच पांच मील का चक्कर काटकर जाना पड़ता है तो उत्तर आया कि जी नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इसके उपरान्त भी वहां पर उनके आने जाने के रास्ते बन्द कर रखे हैं, ठेकेदारों द्वारा ज्यादातियां की जा रही हैं और अधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस ओर बराबर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि तुरन्त कार्यवाही करें जिससे कि ग्रामीणों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो परन्तु कोई सुनाई नहीं होती है। एक तरफ तो गृह निर्माण, सड़क निर्माण, बांध निर्माण और नहर निर्माण के लिए भूमि अवाप्त कर रहे हैं, उसकी भी यहां गलत सूचना दी है, दूसरी तरफ खातेदारी अधिकार नहीं दे रहे हैं तो आखिर कहां जायं। खातेदारी अधिकार दे नहीं रहे हैं और जमीन अवाप्त कर रहे हैं बिना नोटिस के और उनके जो राजस्व रास्ते हैं उनको बन्द कर दिया गया। तो आखिर ग्रामीण कहां जायं इन ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है उनके जन प्रतिनिधि यहां कोई बात कहते हैं तो उसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। उसको जवाब नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : जितने भी प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं उनके गलत उत्तर दिये जाते हैं, करें तो क्या करें। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि मुझे आश्वासन दें कि इसके अन्दर आप तुरन्त कार्यवाही करेंगे। मुझे सुबह ही सूचना आयी है कि आन्दोलन करेंगे मैंने उनको आज रुकने के लिए कहा है। यहां पर

(श्री देवीसिंह भाटी)

मन्त्री महोदय बिराज रहे है कुछ 2 मिनट में आश्वासन दिला दें कि आज ही कार्यवाही करूंगा, तुरन्त कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का वक्तव्य इसमें जरूरी नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर का निर्माण कार्य बिलकुल रुक जायगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। श्री बालचन्द्र आर्यवीर। आर्डर आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से आश्वासन दिला दें आज ही अधिकारियों को सूचना देकर इसके ऊपर कार्यवाही करूंगा मन्त्री महोदय बिराज रहे हैं। दो मिनट में अपनी बात कह देंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय चाहें तो इस पर अपनी बात कह सकते हैं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मन्त्री महोदय हैं तो उनको कुछ कहना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने व्यवस्था दी है कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। यदि मन्त्री महोदय चाहें तो कुछ कह सकते हैं पर वे खड़े नहीं हुए इसलिए मैंने अगला विषय पुकार लिया।

श्री राजबहादुर : उन्हें कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उनसे मान मनुहार नहीं होगी।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कुछ कहना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय न लें। कृपया बिराजें। आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय बोलना चाहें तो मेरे से इजाजत लेंगे। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, तो हम आन्दोलन ही करें क्या और कोई रास्ता नहीं है?

श्री अध्यक्ष : यही रास्ता है।

श्री देवीसिंह भाटी : सहानुभूति तो दर्शायें।

श्री अध्यक्ष : अ॑चित नहीं हो। समय का ध्यान रखें। खींचतान नहीं होगी आपने

(श्री अध्यक्ष)

अपनी बात कह दी कि गांव वालों को बड़ी तकलीफ है।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें। व्यवधान न डालें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो.... 40 दिन में कुछ भी....

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बाधा उपस्थित न करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बाबा-साहब भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के ऊपर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया, उसके ऊपर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर अम्बेडकर भी राष्ट्र के महान् पुरुष गिने जाते हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए, वर्गों के लिए, उनके अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष किया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हू कि ये भी भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होने शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की उनको ऊंचा उठाने के लिए, उन्नत करने के लिए, उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। आग्रह करना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा 14 अप्रेल को जो उनका जन्म दिन है, जो अभी आ रहा है, शासन के माध्यम से मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाय। इसके लिये आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां। राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज जयपुर के बारे में।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय मैं आपका ज्यादा समय न लेकर यह ही बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज आज से नहीं सन् 1926 से चल रहा है उसको आज करीब 55-56 साल हो गये हैं। अभी इसके साथ हमारे आयुर्वेद निदेशक एवं बोर्ड की तरफ से मनमानी और ज्यादितयां हो रही है उसके बारे में मैं साफ बताना चाहता हूं।

आपने सुना होगा कि राजपूताना यूनानी तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर थे उनके ऊपर कॉलेज के छात्रों द्वारा तेजाब जैसी वस्तु डाली गयी जिस समय तेजाब डाला गया था वह उनकी जिन्दगी को खतम करने की साजिश थी अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास फोटो हैं उनकी क्या हालत हुई उनको कई महीनों तक अस्पताल में दाखिल रहना पड़ा जिसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार तथा बोर्ड को दे दी गई है।

इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने उन बच्चों को, जिन्होंने ये हरकत की थी, कॉलेज

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(92)

(श्री चाव खां)

से निकाल दिया, रेस्टिकेशन कर दिया परन्तु राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जबकि इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उन लड़कों को इम्तिहान में बिठाया गया। इस प्रकार जो उन बच्चों को बिठाया गया वह न्याय नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस कालेज के इम्तिहानात बोर्ड द्वारा लिये उनके बारे में कह रहा हूं, सब बच्चों के बारे में नहीं उनके बारे में ही निवेदन करना चाहता हूं उसके आधार पर बताना चाहता हूं कि एक बच्चा जो कि हफीनुद्दीन वल्द मोइनुद्दीन सात सब्जेक्ट में से 6 में पास था और एक में फेल था उसको फेल कर दिया गया दूसरी तरफ जो बच्चा मोहब्बत यार खा वल्द इशरत यार खां जो सात में से दो में पास था और पांच में फेल था उसको सप्लीमेंट्री देकर के पास कर दिया, यह वही बच्चा है जिसने तेजाब डाला था यह उसी दल का सरदार था। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का जो आयुर्वेदिक सब आर्डिनेट रूल्स है, उसका जो रूल का गजट निकला है उसमें यूनानी तिब्बिया कालेज को डिप्लोमा की मान्यता प्रदान है लेकिन अब डाइरेक्टर साहब ने खुद अपनी मनमानी से इस आर्डर को, जो आर्डर अपने हाथों का निकाला हुआ है, इसकी मान्यता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा बहुत से हकीमों, जिनके पास इस कालेज का डिप्लोमा है और हिकमत का है, जो उसी कालेज से निकले हुए थे, को पैसा लेकर लगा दिया बाकी को नहीं लिया गया, यह मनमानी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं तारीख 28/3 को हैल्थ सेक्रेटरी साहब से मिला वहां जाकर के मैंने इस बात को बताना चाहा कि यह क्या हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वह नहीं मिले। जो डिप्टी सेक्रेटरी थे उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने सारी बातें समझाई। उन्होंने इतमिनान दिलाया कि यह जो बेइन्साफी इस कालेज के साथ डायरेक्टर द्वारा हो रही है, वह अब नहीं होगी। उन्होंने मुझे इतमिनान दिलाया कि आप बेफिक्र रहें कोई बेइन्साफी नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है कि दिनांक 30 मार्च, 1981 को अनुदान समिति की मीटिंग हुई जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को जो रुपया दिया गया वह इस प्रकार है कि 13.500 लाख रुपया आयुर्वेदिक, जयपुर को दिया गया, एक लाख रुपया आयुर्वेदिक सीकर को दिया गया, और 85 हजार रुपया दूसरी कालेज को दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि सबको पैसा दिया लेकिन इस यूनानी तिब्बिया कालेज को, जो 56 साल से चल रहा है, एक पैसा नहीं दिया। जब कि जनता पार्टी की अपनी सरकार ने अपने जमाने में इसको पिछले साल 20 हजार रुपया दिया था। आज मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जब आप जनता पार्टी को ऐसा कहते हो कि वह लोग ऐसा करते है, इनके जमाने में इस कालेज में 75 बच्चे वहां पढते है, कम से कम 20 हजार रुपये दिये गये जहां अब कांग्रेस सरकार ने इस कालेज को एक पैसा भी अनुदान का नहीं दिया जिससे इसमें पढने वाले 75 बच्चों के भविष्य का क्या होगा ?

Page No 104

(93)

(श्री चाव खां)

उनकी जिन्दगी का क्या फायदा, जिसके लिये एक पैसा नहीं दिया ? आपने कम से कम 16 लाख रुपये एक दिन में 31 तारीख में बांट दिये, और यूनानी कालेज को एक पैसा नहीं दिया। सिर्फ यूनानी के एक कालेज जोधपुर के लिए आपने 3 हजार रुपये दिये जिससे एक चपरासी का काम भी नहीं चल सकता, क्या यही इन्साफ है, क्या यही असलियत है? महज इसलिए कि इन कालेजों में ज्यादातर 85 फीसदी लड़के मुसलमानों के तालीम पाते हैं। क्योंकि वहां पर किताबें उर्दू में हैं वरना ऐसी बात नहीं होती। अध्यक्ष महोदय अकालियतों के साथ बहुत बड़ा षड़यंत्र तथा जुल्म हो रहा है। डायरेक्टर साहब अनुदान कमेटी की मीटिंग में से बहाना लेकर गायब हो जाते हैं, कागजों को छिपा लेते हैं। यह जो कुछ हो रहा है वह सब डायरेक्टर की मेहरबानी है। इनको हटाया जाय इस कालेज को ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाये, कम से कम दो लाख रुपया दिया जाना चाहिये, यही मेरी मांग है। इसकी जांच करा कर अभी फौरन डायरेक्टर को मोअत्तिल किया जावे और इन लड़कों का जीवन बर्बाद होने से बचाया जावे जो यहां पढ़ रहे हैं। इन सब मामलों के सम्बन्धित कागजात मैंने अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर वास्ते जांच के रख दिये हैं जो कुल चौदह पेज हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आमेर के महलों में चोरी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, यह ध्यानाकर्षण के बारे में नहीं है यह तो इन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे इलाके से सम्बधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य श्री रतनलाल ताम्बी, आमेर के महलों में चोरी के बारे में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय हम स्थगन प्रस्ताव दे नहीं सकते हैं मैं एक मिनट में मेरी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी मामला है, मेरे इलाके का मसला है। फिर हमारे पास कौन सा रास्ता है काल अटेन्शन मोशन आप रखते नहीं, इसको लेकर के हमारे यहां पर....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर, आमेर के महलों में चोरी, किसका है यह ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला आमेर : के महलों में चोरी तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, हमारी चोरी हो जायगी बहुत बड़ा घपला है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को आप स्वास्थ्य विभाग की मांग के समय उठा

(श्री अध्यक्ष)

सकते थे। तीन तीन मिनट का समय दिया था, जो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, आप ध्याकर्षण प्रस्ताव की बात करते है माननीय सदस्य ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं यूनानी कालेज ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के निकट आमेर एक एतिहासिक महत्व का स्थान है। 16 वीं शताब्दी के वहां महल बने हुए हैं। उन महलों में से लगातार दुर्लभ सामाग्री की चोरी हो रही है और वे गायब हो रही हैं कई सामग्रियां नष्ट होती जा रही हैं, इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जितनी इस महल में दुर्लभ वस्तुए हैं उनका कोई रिकार्ड आज तक पूरा नहीं है, न कोई इसकी जांच होती है। अकबर कालीन, मानसिंह कालीन दुर्लभ वस्तुएं वहां पर विद्यमान थीं। शनैः शनैः उसमें से भी बहुत सी सामग्री गायब हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इन महलों में पिछले दिनों फिल्म शूटिंग हुई 'अलीबाबा 40 चोर' उसके साथ दूसरी फिल्म शूटिंग हुई थी रामानन्द सागर उसके निर्माता थे 'बगावत' नाम की फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसमें दुर्लभ जाली कैसे तोड़ दी गई उसके सम्बन्ध में पहले भी चर्चा आई थी। तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था, इसकी जांच कराने का। दुर्भाग्य से उसकी जांच होना तो दूर अभी पश्चिमी दिशा से एक और जाली टूट गई वह बहुत कीमती जाली इस तरह से गायब हो रही है इस बारे में काफी सामग्री मैंने एकत्रित की है उसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार जब जाली तोड़ी तो काफी हो हल्ला हुआ था। उसके दस हजार रु0 फिल्म निर्माता से जमा किये थे लेकिन जो जाली टूट गई थी वह वहां न रखकर उसी को सुपुर्द कर दी गई और उसने बहुत ज्यादा पैसे बना लिये। यह एक बहुत बड़ा मामला उस समय हुआ था उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्णन करूं वहां हालात यह हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के समय में जितना वर्णन कर सकें उसके बाद में समाप्त हो जायगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है अधिकारी लोगों से मिलकर यह सब हो रहा है हजारों रुपये का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : अनधिकृत रूप से वहां पर मकान बना लिया। वहां के खोमचों वालों से मिलकर अनधिकृत रूप से कुछ अधिकारियों ने प्रवेश देकर, इजाजत दे दी। अध्यक्ष महोदय उससे पैसा लेते हैं और इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रवेश

(95)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पत्र देते हैं अन्दर जाकर पैसा लेकर उसी तारीख के प्रवेश पत्र देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अलग विषय हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने जो तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीजी थे उस नीति "रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई" को हनुमानजी शिक्षा मन्त्री मानते थे उन्होंने वायदा किया था, नये शिक्षा मन्त्रीजी से इसकी पूर्ण जांच करवावें। उस अधिकारी से जांच नहीं कराये जो वहां पर नियुक्त है उससे जांच की कोई उम्मीद नहीं है दस हजार का मामला है। बहुत बड़ी सामग्री नष्ट हो गई। उसका पैसा प्राप्त कर लिया। इसलिये मेरा निवेदन है वहां के निदेशक महोदय से या अन्य व्यक्ति से सी. आई.डी. से इसकी जांच करवायी जाय वरना वहां पर जो अधीक्षक हैं उनके मार्फत जांच होने की कोई उम्मीद नहीं है सही जांच नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : ओम प्रकाश और महेन्द्र शर्मा को सस्पेन्ड करके वहां का रिकार्ड हाथ में लेकर निदेशक से जांच कराई जाय इसमें बहुत बडा घपला है जो वस्तुएं गायब हो गई हैं, वह भी सामने आ जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आमेर के महल को देखने दूर दूर से लोग इसी दृष्टि से आते हैं दुर्लभ सामग्री को देखते हैं उसजमाने की वस्तुओं को देखते हैं। आज ये वस्तुएं गायब होती जा रही हैं, मैं आपके मार्फत माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं वे मौजूद नहीं हैं उनके कलिग बैठे हैं, बहुत बडी ऐतिहासिक सामग्री का घोटाला है, पश्चिमी दिशा से जाली गायब हो गई यह एक गम्भीर मसला है इसकी जांच कराई जावे और भ्रष्ट अधिकारियों को निलम्बित किया जाय यही मेरा निवेदन है।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न :

बीकानेर में दुग्ध डेयरी की अव्यवस्था एवं अनियमितता

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला। समय का पूरा ध्यान रखें। नियम 295 में तीन मिनट की चर्चा उठायेगें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जितनी भी डेयरियां हैं उनमें जिस श्वेत क्रांति की हम उम्मीद करते थे उसकी जगह क्या क्या अनियमिततायें हो रही हैं उसके बारे में मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। खास तौर से बीकानेर की उरमूल डेयरी जिसमें दुग्ध की क्षमता लगभग एक लाख लीटर्स से ज्यादा थी, वह निरन्तर कम हो रही है। एक चौथाई दुग्ध का संग्रह भी वहां नहीं हो रहा है। उस डेयरी का चिलिंग प्लांट, जो वर्ष भर चालू रहता था, गत दो वर्षों से निरन्तर साल 6 महीने से अधिक बन्द रहता है। कई बार विभाग से इस सम्बन्ध में शिकायत की गई है कि चिलिंग प्लांट क्यों बन्द है परन्तु फिर भी इस मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। इस डेयरी में जो बाई प्राडक्ट्स का उत्पादन होना चाहिए था, दुग्ध चूर्ण, बटर, पनीर और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

घी, उनका उत्पादन भी आज तक नहीं हो पा रहा है क्षमता के आधार पर । वहां 10–20 सांड मंगवाये गये थे उनका उपयोग भी विभाग उपभोक्ताओं और ग्रामीण लोगों के लिए नहीं कर रहा है । इसके अलावा यहां के जो महाप्रबन्धक हैं उन्होंने वहां के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार के सलूक किये हैं जैसे बंधुआ मजदूरों के साथ भी नहीं किया जाता है । एक तरफ हमारी सरकार, हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाते हैं लेकिन उरमूल बीकानेर डेयरी में महाप्रबन्धक श्री गर्ग मजदूरों को, डेयरी के कर्मचारियों को घर पर बुलाकर काम कराते हैं । जो मजदूर उनके घर पर काम नहीं करने जाते हैं उनकी छुट्टी कर देते हैं । 5–6 वर्ष से काम करने वाले मोहनलाल को उन्होंने बिना किसी नोटिस, बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया । जो उनके घर पर काम नहीं करते ऐसे कई लोगों को निलम्बित कर दिया गया है । लगभग 50 से अधिक मामले इस तरह के श्रम न्यायालयों में विचाराधीन हैं । सम्बन्धित विभाग और सम्बन्धित मन्त्री महोदया से इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया है । मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर औद्योगिक अशांति को रोकने में आप प्रभावी कदम उठायेंगे । कल मेरे पास में वहां के अध्यक्ष, शांति भाटी का पत्र आया है कि उन्होंने औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 की उपधारा 1 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार एक नोटिस दिया है जिसके अन्तर्गत 11 मई से बीकानेर उरमूल डेयरी बन्द हो जायगी जिससे न जाने कितने गोपालों और कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह सारे का सारा इसलिए मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि बीकानेर कि उरमूल डेयरी की जो इस बात के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध थी जहां डेढ़ लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन संग्रह हो जहां औद्योगिक अशांति न हो वहां पर सारा काम ठप्प होने से चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है । विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कई बार इससे पहले भी हड़तालें, भूख हड़तालें और घेराव किया है लेकिन उस पर भी कोई पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है । दूसरी ओर जो दुग्ध उत्पादन करने वाले लूणकरणसर तहसील और कोलायत तहसील के लोग हैं उनको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं दिया जाता । इसके साथ इस डेयरी में दुग्ध चूर्ण से, जो बाहर से मंगवाया जाता है, दुग्ध बनाकर दिल्ली व जयपुर भेजा जाता है । यह डेयरी फेडरेशन के लिए एक शर्मनाक बात है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बीकानेर में विशुद्ध खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जो बटर आयल मिलता है उसका घी बनाकर बेचा जाता है । उप राष्ट्रपति दो तीन महीने पहले बीकानेर में पधारे थे । उन्होंने कहा था बटर आयल को बटर आयल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करके वेचा जाय, घी बना कर नहीं वेचा जाय, यह एडल्ट्रेशन का मामला है। यदि कोई व्यक्ति बटर आयल को घी बना कर वेचे तो उसको कानूनी सजा हो सकती है लेकिन राजस्थान की सारी डेयरियां बटर आयल से घी बना कर वेचती हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षण करने का मेरा प्रस्ताव था। कतिपय नगर पालिकाओं को मनमाने ढंग से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन सारी अनियमितताओं की जांच करके प्रभावी कदम उठाये जायं।

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी चाही है. कृपया आज समय ज्यादा हो गया इसलिये यह व्यवस्था दी गई थी कि 5 विषय जो महत्वपूर्ण हों, लिये जायं चाहे उन पर.... आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : उस विषय पर कल बोलने का अवसर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कल अवसर दे दूंगा। आपका 295 का है, कल अवसर दिया जायगा बीच में नहीं होना चाहिये।

श्री नाथूसिंह : एक दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं हो सकता। आप कहें 2 मिनट, मैं कहूं एक मिनट। मैं इतना समय नहीं दूंगा। श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री बन्शीलाल पटवा : मेरी अर्ज सुन ली जाय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....

श्री बन्शीलाल पटवा : पेंडिंग प्रस्तावों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : पेंडिंग प्रस्तावों का, जो दूसरों का होगा वह उनका हो जायगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में कृषि भूमि आवंटन में जनजातियों के व्यक्तियों की उपेक्षा

ध्यानाकर्षण प्रस्तावक श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री दाऊदयाल जोशी। समय 3-3 मिनट। यदि एक माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण करना चाहें तो 6 मिनट।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : मेरा यह पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं कोटा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में कृषि भूमि के आवंटन में जनजाति के व्यक्तियों की उपेक्षा की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो

(श्रीमती कमला)

तहसीलों के क्षेत्रों में जो पंचायतें हैं उन पंचायतों की भूमि को अलाटमेंट के बाबत, आमतौर पर दोनों तहसीलों की एक जनरल शिकायत की है कि इन तमाम अलाटमेंट्स में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको भूमि जितनी उनको ड्यू होती थी, वह नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जनरल बात उठाने से किस पंचायत की कितनी भूमि थी, उसमें से कितने लोगों को भूमि दी गई, उसमें कितने शिडयूल्ड कास्ट्स थे कितने नान शिडयूल्ड कास्ट्स के थे. यह तो इस में कहीं भी माननीय सदस्य ने देने की इच्छा प्रकट नहीं की है

(207 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत सभापति, पीठासीन)

इसलिए इस प्रकार दोनों तहसीलों का आम तौर पर तमाम पंचायतों का विवरण मेरे पास उपलब्ध है नहीं कि कहां पर क्या बात हुई। आपने प्रश्न उठाया दोनों तहसीलों के तमाम पंचायत क्षेत्र में जांच की जाकर उसका विवरण प्रस्तुत किया जा सके। अभी तक सरकार के पास में स्पेसिफिक किसी जगह की कोई शिकायत नहीं आई। कलेक्टर के पास में एक जगह की, किशनगंज तहसील के रेलावन, मिसाई, आदीपुरा पंचायतों में 2-8-80 को किये गये आवंटन के बावत कजोडमल सरपंच ने शिकायत की, एक शिकायत जरूर जिलाधीश के यहां प्राप्त हुई उसके आधार पर कलेक्टर ने अतिरिक्त जिलाधीश को आदेश दिया है कि जो शिकायत सरपंच महोदय ने की है उसकी जांच करके अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात है कि यह जो आवंटन हुये थे, उनमें स्वयं सरपंच महोदय मौजूद थे, तमाम कार्यवाही पर उनके दस्तखत मौजूद हैं फिर भी उन्होंने जो शिकायत की तो जिलाधीश ने तमाम मामले जांच करवाने के लिए अतिरिक्त जिलाधीश को सुपुर्द कर दिए हैं उसकी जांच रिपोर्ट आते ही अगर उसमें किसी प्रकार गलती पाईगई कि यह शिडयूल्ड कास्ट्स का था और नौकर सेक्शन्स के लोगों को जो प्राथमिकता से अलाटमेंट होना चाहिए था उसके बजाय दूसरों को किया है, तो उस बारे में सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सभापति महोदया, किशनगंज शाहबाद जनजाति क्षेत्र है समाज कल्याण मंत्री वहां से आते हैं, शायद वह यहां रहते हैं इसलिए उनके ज्ञान में नहीं हो उन्हीं के गांव का अलाटमेंट है, वहां जनजाति के लोगों को कैसा आरक्षण मिल रहा है उसका एक नमूना बताता हूं। एक नाथूलाल है केलवाड़ा गांव में जहां से समाज कल्याण मंत्री आते हैं, उनको अलाटमेंट बता रहा हूं, उनके चार लड़के: राम प्रसाद, जयलाल, गुलाब और केसरी। बारां में आढत की दुकान है जयलाल राम प्रसाद के नाम से, 135 टेलीफोन नम्बर है। अलाटमेंट हुआ है नाथूलाल के बड़े लड़के राम प्रसाद को, दूसरे लड़के जयलाल को, तीसरे गुलाब को और चौथे लड़के केसरी को यही पर्याप्त नहीं हुआ ... माननीय मन्त्री महोदया....

श्रीमती कमला : मुझे माफ करें बीच में आपको टोकने के लिए। आपके पास जो स्पेसिफिक शिकायतें हैं आप मुझे दे दें और जांच जो जनरल हमको करवानी है वह भी हम करवा लेंगे तो आपके जो इस मामले में आरोप हैं उनकी पूर्ति कर सकेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदया, मैं तो एक नमूना पेश कर रहा हूं कि किस तरह से तीन अगस्त से लेकर पांच अगस्त के बीच में जो अलाटमेन्ट हुए हैं उनमें अनियमिततायें हुई हैं। आप यदि इसके लिये कोई जांच कमेटी बैठायें तो मुझे भी उस कमेटी का सदस्य बनने का सौभाग्य दें अगर आप मुझे सदस्य बनायेंगे उस कमेटी का तो मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा कि वहां जो अलाटमेन्ट हुए हैं उनमें 95 प्रतिशत अलाटमेंट फर्जी हुए हैं। एक आदमी के चार बच्चों को अलाटमेन्ट हुआ है, फिर उसके लड़के को अलाटमेंट हुआ है, फिर उसके लड़के के लड़कों को अलाटमेन्ट हुआ है। रतनलाल पुत्र जयलाल को हुआ है, जगदीश पुत्र जयलाल को हुआ है, रामकली वाइफ आफ राम प्रसाद को अलाटमेन्ट हुआ है, फन्दी वाइफ आफ गुलाब को अलाटमेन्ट हुआ है और कमलेश डाटर आफ राम—प्रसाद को अलाटमेन्ट हुआ है। इस प्रकार चार भाइयों को फिर उसके लड़कों को और उसके बाद में उसकी पुत्रियों को अलॉटमेन्ट हुआ है। इतना ही नहीं आगे उसकी बहिनों का नाम भी है भगवती देवी के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ है उसके बाद में उसकी लड़की माया देवी के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ है फिर उसकी तीसरी लड़की लीला के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ है। सभापति महोदया, लीला की मध्यप्रदेश जैतपुरा में शादी हो चुकी है। उसके तीन बच्चे भी है। उसके अलॉटमेन्ट में उसके पति का नाम नहीं दिया है बल्कि उसके बाप का नाम दिया है मेरे पास उनके खसरा नम्बर, गांव व तारीख तक मौजूद है अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं। इस प्रकार इन लोगों ने मिलकर अलाटमेंट कराया है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो इस तरह का विवरण दे रहे हैं मैं आम तौर से यह मानती हूं कि इस प्रकार की शायद गलतियां हो सकती हैं। मैं इसलिये कह रही हूं कि इनके खिलाफ जांच करवा लूंगी। साथ में माननीय सदस्य से यह भी कहना चाहूंगी कि जब एडीशनल कलेक्टर जांच करने के लिये जावें तो आप भी साथ जा सकते हैं। आप पूरी तरह कार्यवाही करावें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, मैं केवल जानकारी के लिये नहीं कह रहा हूं मैं अपेक्षा करता हूं....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदया खुद ही कह रही हैं जांच कराने का।

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाती

(श्रीमती कमला)

हूं कि अगर अलाटमेंट नाजायज हुये हैं तो उस पर हम पुर्नविचार कर सकते हैं। उनको खारिज कर देंगे और जो जायज अलाटमेंट हो सकते हैं वह करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, यह मामला बहुत गम्भीर है। ऐसे कई मामले हैं मैंने तो आपके सामने एक नमूना रखा है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, मैं आपके नमूने से समझ सकती हूं कि ऐसे वहां पर कई गलत अलाटमेन्ट हुए हैं। वहां पर अनियमिततायें हुई हैं। हो सकता है बहुत सारी गलतियां हुई हों।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, मैं तो आपके सामने तथ्य पेश कर रहा हूं। आप भी किसानों के लिए सदन में बोलती हैं इसलिए मैं तो बता रहा हूं कि किस प्रकार से वहां पर अनियमिततायें हुई हैं। मन्त्री महोदया ने यहां पर सरपंच की जो बात कही उसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि बादीपुरा का जो सरपंच है वह भी एक सदस्य था, यह बात सच है कि बादीपुरा का सरपंच भी उसमें सदस्य था, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इसमें सरपंच को पूरी रकम नहीं मिलने के कारण उसने शपथ पत्र देकर एस० डी० ओ० की शिकायत की है। एस० डी० ओ० इन अलाटमेन्ट्स में 40 हजार रुपये खा गया और सरपंच को उसके हिस्से के पैसे नहीं दिये।

श्रीमती कमला : उस सरपंच ने खुद ने गलती करदी और उसने ही शिकायत करदी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उसने इसलिए शिकायत की कि उसको उसके हिस्से की रकम नहीं मिली एस० डी० ओ० उसके हिस्से के पैसे खा गया इस वास्ते उसने शिकायत कर दी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच भी उसमें बेदाग नहीं है।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है उसमें मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहता हूं कि किस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में अनियमिततायें हो रही हैं और किस प्रकार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं तो यह आपको एक पंचायत का विवरण दे रहा हूं आप इसको तो पूरा होने दें।

श्री सभापति : लेकिन जब मंत्री महोदया स्वयं ही जांच कराने को तैयार हैं तो फिर क्या बात है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, मेरा आक्षेप मन्त्री महोदया पर बिलकुल नहीं है वह तो जांच कराने को तैयार हैं इसके लिए तो मैं उनका आभारी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हूं उनको जांच कराने के आदेश देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न उपस्थित होता है कि वहां का एस० डी० ओ० क्या कर रहा है? तहसीलदार क्या रहा है? पटवारी क्या कर रहा है? आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका तो दें। आप मेरी एक मिनट बात तो सुन लीजिये अभी तो एक परिवार में सदस्यों के बारे में कहा है। वहां पर सरपंच की मां को अलाटमेन्ट हुआ है, सरपंच के बेटे के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ है और वहां के तहसीलदार के क्लर्क के बेटे के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ उसके बाद में बेटी के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ।

तहसील के क्लर्क के बेटे के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ उसके बाद में बेटी के नाम पर अलाटमेन्ट हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सारी बात आ गयी जब मन्त्री महोदय ने कह दिया इसकी जांच करवाली जायेगी। आपका काम तो इससे हो जायगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, अगर मेरा काम कराने की ही मन्शा होती तो मैं एक पत्र लिख कर ही मेरा काम मन्त्री महोदया से जांच कराने का कर देता पर प्रश्न इस बात का है कि यहां पर जो भी बात कही जायगी उसका रिकार्ड रहेगा वह रिकार्ड करवाना चाहता हूं कि किस प्रकार के अलाटमेन्ट हुए है और उन अलाटमेन्ट में क्या हो रहा है, यह तो एक पंचायत की बात है मेरे पास दस पंचायतों का रिकार्ड उपलब्ध है कि कहां कहां पर कितनी कितनी गड़बड़ी हुई है मैं तो यहां पर सिर्फ एक नमूना सरकार को पेश कर रहा हूं। सभापति महोदया, यहां पर जो समाज कल्याण विभाग के मन्त्री हैं उनके क्षेत्र की बात है। उनके बारे में मेरी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह उनके क्षेत्र में क्या गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मंत्री) : सभापति महोदया, क्योंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है इसलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर माननीय सदस्य जो बारां से निर्वाचित होकर पधारे हैं उससे अभी कुछ दिन पहले मेरी सदन में जब यहां बैठे थे तब बात हुई थी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि माननीय सदस्य, यदि मुझे इस की कापी दे दें तो मैं भी इसके लिये जांच कराने को तैयार हूं राज्य सरकार से और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनको अगर वह दोषी हों तो, सस्पेंन्ड ही नहीं बल्कि यहां तक मैं तो कहूंगा कि उनको बड़ी से बड़ी सजा दिलायी जाय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, मैं इस बात के लिये मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कहा।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय सदस्य ने बादीपुरा ग्राम पचायत के सरपंच कजोड़ के बारे में अनियमिततायें और बेईमानी करने की जो बाते कही, मैं खुद

(श्री हरसहाय मीणा)

उसके लिये इस संबंध में जांच करवाने के लिये राज्य सरकार को निवेदन करने को तैयार हूं। आपने फर्माया है तो मैं भी इसकी जांच करने के लिये इनसिस्ट करना चाहूंगा राजस्व मन्त्री जी से कि वह इसकी जांच करावें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं आपका इसके लिये आभारी हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मन्त्री जी ने आश्वासन इस प्रकार दिया, ऐसे बहुत कम मन्त्री होते हैं जो इस प्रकार की जांच करने के लिये तैयार हो जावें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात समाप्त करें क्योंकि मतलब आपका हल हो गया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, सवाल मतलब हल होने का नहीं है, फिर हाउस का मतलब क्या। मैं हाउस में सभी बातें रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि किस प्रकार जन जाति के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गरीबों के नाम पर अलॉटमेंट किये जाते हैं। सभापति महोदया, आज भी मध्य प्रदेश से ट्राली में सहरिया लोगों को भर कर लाते हैं और उनको पांच पांच रुपये देकर भेज दिया जाता है और उन लोगों के नाम पर फर्जी अलॉटमेंट जमीन का हो रहा है जो कि वहां के नहीं होते हैं। मुझे, सभापति महोदया, समाज कल्याण मन्त्री जी की नियत पर शंका नहीं है लेकिन किस किस प्रकार से आज सहरियों की जमीन पर लोग कब्जे किये हुये बैठे हैं। लेकिन जब समाज कल्याण विभाग के मन्त्री जी के बारे में यहां पर चर्चा होती है तो हमें उसका दुःख होता है क्योंकि वह हमारे क्षेत्र से है। आज किस प्रकार वह एस.डी. ओ. वहां पर बेइमानी कर रहा है, किस तरह वहां पर वह तहसीलदार बेइमानी कर रहा है, जिस तहसीलदार के लिये यह सी. आर. में लिखा हुआ है कि उसको फील्ड में नहीं लगाया जाय। इसी प्रकार किस तरह की अनियमिततायें वहां का पटवारी कर रहा है, किस प्रकार इन लोगों को ट्रांसफर करा कर यहां पर लाया गया। यहां पर जब उनके बारे में चर्चायें होती हैं तो हमें दुःख होता है। वैसे उनके बारे में अभी तक तो ओपीनियन अच्छी है।

श्री हरसहाय मीणा : सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। यहां पर माननीय सदस्य ने तबादले की बात का नया जिक्र कर दिया है। यह एस. डी. ओ. का जो ट्रान्सफर का मामला है उसका जिक्र हुआ। एक दिन वैसे ही एस. डी. ओ. बारां ने मुझे कहा कि मेरी मिसेज राज्य सरकार में है। कोटा में पोस्टिंग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह कानून है कि पति और पत्नी दोनों को एक ही जगह पर रखा जाय तो इसके अन्तर्गत आप मेरी मिसेज का ट्रान्सफर बारां करवा दें या फिर आप मेरा ट्रान्सफर कोटा करवा दें तो ठीक है। मैंने कहा कि आपका ट्रान्सफर बारां से कोटा कराने की बात मेरे बस की नहीं है

(श्री हरसहाय मीणा)

लेकिन आपकी मिसेज का ट्रान्सफर बारां करा सकता हूं। इसी तरह की बात उन्होंने जिलाधीश से की तो उन्होंने कहा कि आपका ट्रान्सफर मैं कोटा करा सकता हूं लेकिन आपकी पत्नी का ट्रान्सफर कराना मेरे हाथ में नहीं है। इस तरह उसकी पत्नी का ट्रान्सफर बारां हो गया और इसी बीच में इनका ट्रान्सफर कोटा हो गया तो इन्होंने वापस जाकर कलेक्टर को कहा। क्योंकि ऐसा होने से एस. डी. ओ. और उनकी पत्नी वापस अलग—अलग रहने लगे। सभापति महोदया, इस बीच में उनकी पत्नी का ट्रान्सफर वापस कोटा होने के लिये उन्होंने कहा लेकिन उस वक्त टीचर्स के ट्रान्सफर पर बैन लग गया था इसलिये उनका ट्रान्सफर कोटा से बारां हो गया। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि वह एस. डी. ओ. बेइमान है या गलत कार्यवाही करने वाला है तो आप उसके लिये जांच करायें राज्य सरकार चाहे तो उसको सस्पेन्ड कराये या उसको बरखास्त कराये उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, मेरा तो यह कहना है कि वह एस. डी. ओ. अपना वापस ट्रान्सफर करा कर कोटा से बारां आ गया अपनी बीबी के पास, आप उसको बारां ले गये।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, यह बात सही नहीं है क्योंकि जब उसका ट्रान्सफर हुआ तब उसकी पत्नी का ट्रान्सफर पहले ही बारां हो गया था और इसी बीच उसका ट्रान्सफर कोटा हो गया। बाद में जैसा कि मैंने कहा, बैन लग गया था तो उसका ट्रान्सफर तो कोटा हो नहीं सकता था इसलिये उसका ट्रान्सफर बारां हुआ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, मन्त्री महोदया मेरी बात सुन नहीं रही है उन्हें मेरा निवेदन है कि कृपया वे मेरी बात सुनें। मैं मन्त्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय। एस. डी. ओ. वहां पर बैठा हुआ है वह अपने लोगों पर दबाव डाल रहा है। और अलॉटमेंट जो गलत हुए हैं उनका लोगों को कब्जा दिला रहा है। जब कि उन जमीनों पर लोग 15—15 साल से काबिज हुये बैठे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जब तक एस. डी. ओ. का ट्रान्सफर नहीं होगा तब तक वहां पर कोई सही ढंग से जांच नहीं हो सकेगी। दूसरा महोदरा का जो सरपंच है उसकी मां के नाम अलाटमेंट हुआ है और कालीचरण नाम के व्यक्ति के दो लड़कों के नाम अलाटमेंट गलत हुआ है। वहां पर एस. डी. ओ. रिकार्ड नष्ट कर रहा है।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय सदस्य, जब यह कह रहे हैं कि एस. डी. ओ. रिकार्ड नष्ट कर रहा है, गलत अलॉटमेंट हुआ है तो यों ही वह खारिज हो जायेगा। इसमें दिक्कत ही क्या है?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, एस. डी. ओ. को कब्जा दिला

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रहा है और उसके वहां रहने से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी, यह मेरा डाउट है।

श्रीमती कमला : मैंने राजस्व सचिव को आदेश दिये हैं कि जिलाधीश को लिखें कि वह वरिष्ठतम अधिकारी से तुरन्त तमाम तहसील की जांच करायें और यह भी बतायें कि इस अनियमितता में कौन—कौन अधिकारी और दूसरे लोग शामिल हैं, उनको क्या सजा दी जाय। इस बारे में मैंने प्रस्ताव उनसे मंगाये हैं। दोनों बातें लिखी हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय मन्त्री महोदया ..

श्री सभापति : बात हो गई ...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पूरा तो करने दीजिये। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था। मुझे कम बोलने दिया और समाज कल्याण मंत्री जी को ज्यादा बोलने दिया....

श्री सभापति : आपने इनके ऊपर आरोप लगाये थे....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हम अपनी बात यहां रखने के लिये नहीं आते हैं तो फिर किस बात के लिये आते हैं? आज तीस दिन के बाद मेरा बोलने का मौका आया है तो आप बीच-बीच में टोक रही हैं। मैं तो जब तक मैटर पूरा नहीं होता तो बैठता ही नही हूं। आप फिर भी कहती हैं तो बैठ जाता हू ।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदया, यह बंसीलाल किराड़ के पास 400 बीघा जमीन है, उसकी पत्नी को अलाटमेंट हुआ है। पैरोल खांडा पैरोल के सरपंच ने लिख कर दिया है कलेक्टर को कि मेरे यहां अलाटमेंट में 40 हजार रुपये खाये हैं। 3 और 5 तारीख के अलाटमेंट का आप पता यदि लगायें तो पता लगेगा कि वहां कैसे अलाटमेंट हुये हैं। यह ग्राम पंचायत का एक प्रस्ताव है कि एक परिवार ने पूरे गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया। सहरियाओं को जमीन अलाट हुई है। तहसीलदार को अलाटमेंट खारिज करने का अधिकार नहीं है, माननीय मंत्री महोदया, लेकिन दो साल से इस पर इनका कब्जा चला आ रहा है। तो सहरियाओं की, चमारों की, शिड्यूल्ड कास्ट्स की जमीन जो अलाट हुई है तहसीलदार ने खारिज करके सम्पन्न लोगों से पैसा लेकर अलाटमेंट कर दी है। यह एक परिवार हरदयाल रामचन्द्र के 5 लड़कों को पूरे गांव का अलाटमेंट है। यह पंचायत का प्रस्ताव है, उसने अपने और अपने लड़कों के नाम जमीन अलाट करा ली। पंचायत ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया है कि हरदयाल नागर ग्राम का व्यक्ति का परिवार, उसके दूसरे लड़के और लड़कियां आदिवासियों में आतंक उत्पन्न कर रहे हैं। इन्होंने अपने चारों पाचों भाइयों और 9 लड़कों के नाम जमीन अलाट करवा ली। अभी जो बागीपुरा का अलाटमेंट हुआ है उसमें भी सारा का सारा एक ही परिवार है जिसके

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

नाम सारा अलाटमेंट हुआ है। इसी हरदयाल के लड़के कोमल प्रसाद को अलाटमेंट हुआ। हरदयाल के भाई लालचन्द के लड़के ओमप्रकाश और बृजमोहन को अलाटमेंट हुआ जिनके पास 300 बीघा जमीन है। जगन्नाथ पटेल खेड़ली का है उसके पास 400 बीघाजमीन है उसके तीन लड़के बद्रीलाल, राधेश्याम और इन्दरलाल के नाम अलाटमेंट हुआ। मथुरालाल पटेल खेड़ली का है उसके लड़के चुन्नीलाल और बृजमोहन के नाम अलाटमेन्ट हुआ। रामचरण बीलोदा का पटेल है उसके लड़के लक्ष्मीचन्द और प्रभुलाल को अलाटमेंट हुआ....

(2. 23 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की तसल्ली के लिये इतना ही कह सकती हूं कि जिलाधीश को आदेश दे दिये जायेंगे कि जितने भी अलाटमेंट कागजात हैं वह सब अपनी कस्टडी में लेकर के उसके बाद उसकी जांच करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या आप एस. डी. ओ. को सरन्डर करने के लिये तैयार हैं ? मेरे रिकार्ड में देखता हूं गलत सिद्ध हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, सरकार ने इश्योरेन्स दे दिया है। मैं एक बात निवेदन कर दूं कि मैं डिबेट सुन रहा था। जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया गया है उसमें स्पेसिफिक केस तो लाये नहीं गए....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्पेसिफिक केस लाये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जो डिबेट की सीमा है उसकी सीमा के अन्दर ही तो हम डिबेट कर सकते हैं। मंत्री महोदया ने कहा है कि आशंका है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हों और ईन्सटान्सेस दे दिये हैं और इन्सटान्सेस यदि देने थे आपको तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 5,6 7,10 कह देते उसके बाद में कहते कि अब यह नहीं और उस बीच में घोटाला हुआ है तो और बात होती। अब आप एक-एक नाम लाना चाहते हैं इस पर कि यह किया, यह किया, यह किया। इसका सरकार की ओर से तत्काल कोई उत्तर नहीं आ सकता है इसलिये इस डिबेट का इस तरह कोई महत्व नहीं रहता है या जिस तरह का जवाब होना चाहिये उस तरह का मंत्री महोदय, ने दे दिया है। इसलिये इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न दिया था अल्पसूचना प्रश्न और आपने उसको तारांकित रूप में कर दिया था। वह प्रश्न आया तो उस पर स्पष्टीकरण के लिये आपके पास अपील की थी, आपने, अध्यक्षमहोदय,

(106)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आधा घण्टे की चर्चा का समय दिया था उस पर। क्योंकि आपने कहा था कि इस पर प्रस्ताव आ रहा है उस समय कह देना। केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं इस पर, मेरा कहना यह है कि आज से 25 दिन पूर्व बारां से आने वाले माननीय विधायक ने यह विषय कटौती प्रस्ताव के समय यहां सदन में रखा था। माननीय मंत्री महोदय ने जो इन्क्वायरी कराने की बात कही है, मैं जानकारी चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार के आदेश कब दिये? क्योंकि 25 दिन पहले यह बात आ चुकी थी स्पष्ट रूप से। हमको शंका है आपने तो कह दिया कि सब प्रकार के वह कर लेंगे किन्तु मैं चाहूंगा कि आप तारीख दें कि जिससे जानकारी हो सके कि जो प्रक्रिया होनी चाहिये वह हो रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जायगी वरना सारा टेम्पर हो जायगा, बदल दिया जायगा और प्रक्रिया हो जायगी। दूसरे, एक बात और कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, जो कोटा से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं उनके विरुद्ध भी माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से, मेरा अपना मत है कि आज इस प्रकार के लोगों को ले जाना, एस. डी. ओ. बारां है या तहसीलदार है या पटवारी है और प्रश्रय देना, ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। मंत्री महोदया, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी पावर का प्रयोग करके तुरन्त कागजात को सीज करवायेंगी वरना फिर कहेंगे कि इन्क्वायरी के लिये लिख दिया है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त का आप याद दिला रहे हैं उस वक्त ही कलेक्टर को इस बारे में जानकारी के लिये पूछा गया कि उनके यहां इन अलाटमेन्ट के बाबत कितनी शिकायतें आई हैं क्या उनको जानकारी है? उस वक्त से यह मालूम है कि एक दो जगह पर जो अलाटमेंट हुये हैं उसमें से एक बागीपुरा की शिकायत है वह कलेक्टर से प्राप्त हुई। उसके बारे में उसी समय आदेश दे दिये थे कि तमाम रिकार्ड लेकर जांच करके बतायें कि कितनी कितनी जमीन उपलब्ध थी और कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के कितने थे और दूसरे कितने थे। इस मामले में जांच जारी है और अभी जो आपने पूरी तहसील के लिये कहा तो आपने न लिखित में दिया, न वहां से कोई इस तरह की रिपोर्ट आई, न सचिवालय से प्राप्त हुई। इसलिये स्पेसिफिक मामले और कहां-कहां हुये हैं, यह तो थे नहीं आपने तहसील इन जनरल बोली है इसलिए मैंने आदेश दे दिये हैं कि पूरी तहसील की जांच करवा कर रिपोर्ट दें और जो अधिकारी शामिल होते हैं अनियमित कार्यवाही में उससे भी अवगत करायें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बागीपुरा की पंचायत में ए. डी. एम. गड़बड़ी कर रहा है जांच नहीं करवा रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह जो सारी समस्यायें पैदा हुई हैं गोपालपुरा नाम का एक बांध वहां बना है। वह बांध इसलिये

(श्री दाऊदयाल जोशी)

बना कि गरीब सहरिया जाति ऊपर उठे। बांध की योजना कई सालों से चल रही थी जनता पार्टी के समय में वह बांध बना, बांध बनने के बाद ही पैसे वालों की निगाह उस पर गयी। गरीब काश्तकार, पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस साल से आदिवासी लोग जो वहां पर निवास करते हैं, सहरिया जाति के लोग निवास कर रहे हैं जिनके ऊपर हमेशा अत्याचार होते रहे हैं जिन अत्याचारों की चर्चायें राजस्थान विधान सभा में समय-समय पर होती रही है। बांरा के ही विधायक श्री देवीदत्त गाड़िया ने सहरिया के मामले को लेकर राजस्थान विधान सभा में अनेकों बार इस प्रश्न को उठाया लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि सहरियों के क्षेत्र से जीतकर आये हुये माननीय सदस्य, आज सारे प्रश्न को, जो कि 20 दिन पहले श्री रघुवीरसिंह जी ने इस सदन में उठाया था उसके बावजूद भी तवज्जोह नहीं दे रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बागीपुरा के अन्दर जो कुछ हुआ है वह तो हुआ ही है लेकिन खेड़ली गांव है उसमें एक ही परिवार को अलाटमेंट हुआ। एक के पास 150 बीघा जमीन है और दूसरे के पास 200 बीघा जमीन है। यह हैं पटेल रामचन्द्र बीलोदा का....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इन सब को गिनाने से कोई मतलब नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस रामचन्द्र के पुत्र लक्ष्मीचन्द और प्रभुलाल दोनों को अलाटमेंट हुआ है। जिसके बाद में ग्राम खेड़ली में ही चन्दरलाल को अलाटमेंट हुआ है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मंत्री जी के भाई को भी हो गई।

श्री अध्यक्ष : यह ट्राइब के हैं।

श्री हरसहाय मीणा : उसकी भी जांच करा लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसकी भी जांच करा लें कि कितनी जमीन है। यह आरोप है।

श्री हरसहाय मीणा : निश्चित रूप से करवाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री जी के भाई....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज। मंत्री द्वारा वक्तव्य।

(व्यवधान)

व्यक्तिगत प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे। चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो सारे कुए में ही भांग पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बीस लाख रुपयों की सामग्री अल्पकालीन निविदा सूचना के आधार पर मंगाई जाने के विज्ञापन

व्यवस्था का प्रश्न
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य की सदस्य को प्रतिलिपि

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर

अध्यक्ष महोदय, हम लोग बड़ी मेहनत से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमारे इलाके की समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये देते हैं 15, 15, 20--20 दिन हो गये है उनके बारे में चर्चा नहीं हुई लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि उनके जवाब विधान सभा सचिवालय में आ गये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल तक यदि ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की चर्चा न हो इस बारे में आप व्यवस्था दे दें कि जिनके उत्तर आ गये हैं वह सम्बन्धित माननीय सदस्यों को दे दिये जायं तो अच्छा होगा उसके बारे में कुछ पर्याप्त निर्णय हो सके ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक दिन में एक ही लिया जा सकता है और आम तौर से ध्यान आकर्षित करने के लिये सदन में लाने के लिये 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, लेकिन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है आपको सदन के प्रांगण में। जब सदन ही नहीं बैठेगा तो ध्यान आकर्षण कैसे होगा ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जवाब दिला दें,

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के जवाब दिलाये जाते हैं, ध्यान आकर्षण के नहीं। कृपया नियमों का अध्ययन करें। हमारे पास आ गये हैं। मंत्री महोदय दे सकते थे। हमारे पास केवल रिपोर्ट आती है स्थिति यह है। वे गोपनीय पत्र होते हैं। कृपया नियमों का अध्ययन करें। आर्डर प्लीज।

मंत्रियोंद्वारावक्तव्य । श्रीहनुमान प्रभाकर।

शासकीय वक्तव्य

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बीस लाख रुपयों की सामिग्री अल्पकालीन निविदा सूचना के आधार पर मंगाई जाने सम्बन्धी विज्ञापन।

श्री हनुमान प्रभाकर (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय अकाल सहायता पोषाहार कार्यक्रम 1979-80 से अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये चल रहा है। भारत सरकार से अनाज व तेल राजस्थान को इस कार्यक्रम हेतु बिना कीमत दिया जाता रहा है। तथा इस खाद्यान्न व तेल को विभिन्न जिलों के वितरण केन्द्रों पर पहुंचाने के परिवहन खर्च, रसोइये को, केन्द्र प्रभारी को, लिपिक को पारिश्रमिक भत्ता दिये जाने तथा खाद्य सामग्री बनाने के बर्तन आदि खरीदने, नमक मिर्च, मसाला व जलाऊ लकड़ी खरीदने के लिये भारत सरकार रुपया भी देती रही है। सन् 1979-80 में भारत सरकार ने खाद्यान्न तेल व दस लाख रुपये दिये तथा 80-81 में खाद्यान्न तेल व 50 लाख रुपया दिया तथा पुनः अभी 50 लाख की राशि ए पी ए एडवांस प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार ने जनवरी, 1981 में अकाल सहायता विभाग को दी। सम्पूर्ण परामर्श के बाद 21 फरवरी, 1981 को यह राशि इस विभाग द्वारा उपयोगार्थ तय हुई। इस राशि का उपयोग इस पोषाहार कार्यक्रम के लिये

श्री हनुमान प्रभाकर)

करीब 5333 गांवों के 5,34,000 बच्चे व गर्भवती माताओं, वृद्ध व श्रमिकों के लिये विभिन्न उक्त प्रकार के कामों के लिये किया जाना है। जिसमें से लगभग 16 लाख रु० के बर्तन पांच हजार तीन सौ तैंतीस गांवों के केन्द्रों के लिये क्रय किया जाना है। ये केन्द्र राजस्थान के दस अभाव ग्रस्त जिलों बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर में नूतन रूप से प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

लाभान्वितों की संख्या एवं गांव तथा केन्द्रों की संख्या के हिसाब से ही खरीद की जा रही है। यह खरीद अलग अलग पंचायत समिति या जिला मुख्यालयों पर न की जाकर यथाशीघ्र खरीद हो सके तथा एक ही प्रकार का सामान एक ही दर पर सब जगह चला जाय इस उद्देश्य से की जा रही है। इस स्तर पर अल्पकालीन निविदा से ही क्रय सम्भव है। जिसके लिए सम्पूर्ण देश के स्तर पर नव भारत टाइम्स व प्रान्तीय स्तर पर दैनिक राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति व राजस्थान पत्रिका आदि पत्रों में विज्ञापन निकाला गया है।

अकाल ग्रस्त राजस्थान के दस जिलों के करीब 5333 गांवों के प्रति गांव एक सौ के हिसाब से 5,34,000 बच्चे, गर्भवती माता व दूध पिलाती माताएं वृद्ध व श्रमिक लाभान्वित होंगे। अकाल एवं कुपोषण की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण व उपयोगी कार्यक्रम है और भारत सरकार द्वारा दी गई राशि का उपयोग भी मार्च के अन्त तक अन्य मदों के अलावा पोषाहार की सामग्री बनाने व प्राप्त करने के बर्तनों के निमित्त भी दिया जाना है।

लाभान्वितों की पांच लाख चौंतीस हजार संख्या को देखते हुए राज्य सरकार को जो रुपये मिले हैं वह तो केवल 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हैं जो नगण्य से हैं। 5333 केन्द्रों के लिए प्रति केन्द्र बर्तन भी खरीद 300 रुपये के लगभग की जा रही है, पर चूंकि यह खरीद केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है अतः यह धन राशि एक साथ जोड़ने पर इतनी बड़ी राशि लगभग सोलह लाख रुपये की हो जाती है, पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को चलाने के लिए पोषाहार की सामग्री खाद्यान्न, दलिया आदि बनाने व व्यवस्था हेतु इतने केन्द्रों के लिए इतने रुपये के बर्तन की खरीद आवश्यक है। अतः की जा रही है। बर्तनों के अभाव में पोषाहार सामग्री कैसे बनाई जा सके यह खरीद अनावश्यक व अनुपयोगी रूप से केवल मात्र खर्च के उद्देश्य से नहीं की जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है एवं उपयोगी खरीद है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है अध्यक्ष महोदय, मैं, यह गम्भीर मसला है इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन के बाद जब अगला सदन होगा तो सम्भवतः इस बारे में सवाल रखे जायगे लेकिन, श्रीमान् उस वक्त नोट लगेगा ही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। यह उसमें आ जायगा क्योंकि इसमें जो तथ्य आये हैं, माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, वे तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं तो आप स्वयं कहेंगे कि कुछ न कुछ पकड़ा। पकड़ने के बाद आज क्या स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, तब मालूम पड़ेगा 50 लाख रुपये और इसके साथ 869.5 मैट्रिक टन अनाज भी सारे का सारा व्यर्थ जा रहा है। इसका कोई उपयोग जिनके उपयोग के लिए यह है उनको नहीं मिलेगा। उद्देश्य है, कुपोषित बच्चे और गर्भवती मातायें, मुख्य रूप से इनको नहीं मिलने वाला है। यह मैं निवेदन करूं; माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रुपया आया है, अकाल सहायता विभाग ने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि हम इस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। इसके बाद जिलाधीशों से पूछा गया, प्रत्येक जिलाधीश को भेजा गया कि यह पैसा आया है इसको खर्च करना है। उन्होंने भी असमर्थता प्रकट की। जैसा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कई बार फर्माते हैं कार्यवाही थोपी न जाय। कार्यवाही थोपी जा रही है। अकाल सहायता विभाग असमर्थ है, और जिलाधीश असमर्थ हैं। केवल चार जगह, दो चार जगह काम चल रहे हैं और 50 लाख रुपया और उसके साथ अनाज। अनाज बाद में आया, अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं, कहां से आया। और शार्ट टर्म निविदायें। अध्यक्ष महोदय, चन्दे और रिश्वत का एक कायदा है। एक गोटी के पीछे बकरे का बलिदान करना पड़ता है। अब 50 लाख रुपये में चीनी मिली होगी 5, 10 लाख की होगी लेकिन 40 लाख रुपया बरबाद होगा, यह मेरा चार्ज है। यह केन्द्रीय सरकार का पैसा है उसमें मैं आपको निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मुझे यह बतायें कि अकाल सहायता विभाग ने असमर्थता व्यक्त की, जिलाधीशों ने असमर्थता व्यक्त की और उसके बाद पंचायत राज विभाग ने शार्ट टर्म निविदायें निकाली? शार्ट टर्म जब मैंने पत्रिका में देखा तो मैंने कहा कि यह हो क्या रहा है? और जब मैंने देखा कि नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है। कई नियम अध्यक्ष महोदय, जनरल फाइनेंशियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स का यह कायदा है कि 10 लाख के ऊपर की कोई भी खरीद है तो उसकी निविदा व्यापक स्तर पर जानी चाहिये और उसकी रिक्वायरमेंट जितनी भी है वह पूरी नहीं हुई है। मैं मन्त्री महोदय से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, 50 लाख रुपया मिलेगा या नहीं, उसका लाभ तो मिलेगा नहीं, यह मैंने पहले ही सवाल उठा दिया। इसके बाद कायदा यह है कि 5000 से ऊपर की जो निविदायें होती हैं वह निविदायें डी. पी. आर करता है, राजस्थान का कायदा है, डाइरेक्टर आफ पब्लिक रिलेशन्स के माध्यम से होती हैं। वह इसमें नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, 10 हजार के ऊपर की निविदायें, क्योंकि मन्त्री महोदय ने स्वयं दस्तखत किये होंगे या नहीं किये हों, नहीं कह सकता, जो कागजात हैं, जो नोटिस इश्यू हुआ है। किस के हैं? आपने जो निविदा का नोटिस जारी किया है उसपर किस के दस्तखत हैं पता नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात स्वीकार कर लेंगे कि 16 लाख रुपये जो इन्होंने आदेश दिये हैं अभी मैं दूसरी बात नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

कहना चाहता, 16 लाख रुपये के जो आदेश दिये है, अगर उसका हिसाब अभी बता दें तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी त्याग-पत्र देने को तैयार हु । इसलिए इस पैसे को बरबाद होने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मै विस्तार में नहीं जाऊंगा, इन्होंने तश्तरियां खरीदी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2, 66, 650 रुपये की तश्तरियां खरीदी है, इन तश्तरियों का गेज देखिये, 50 से 60 ग्राम की तश्तरी ये खरीदना चाहते है। मैंने इनके हिसाब से हिसाब लगाया तो पाया कि 30.79 रुपये किलो की पड़ती है। इसमें 12 या 13 प्रतिशत सेलस टैक्स और जुड़ेगा क्योंकि बिक्री कर अतिरिक्त है। इस तरह 33) रुपये किलो में बनती हैं और एक तश्तरी 2) रुपये 20 पैसे में आती है। इस तरह ये तश्तरियां साढ़े पांच लाख रुपये की खरीदी जायेंगी। अब इसमें बेइमानी क्या हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एल्यूमिनियम का जो भाव है और जो इन्होंने बताया है जो इन्होंने आर्डर दिया है वह 30) रुपये 79 पैसे 20 गेज के। आज भी एल्यूमिनियम 27) रुपये किलो जयपुर के बाजार में मिलता है। इसमें निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने आदेश दिये है एक पार्टी को जो इन्दौर की पार्टी है, इसमें पार्टी भी मिल गई है। जयपुर में बैठी हुई पार्टी।

एक माननीय सदस्य : नाम बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : नाम भी बता दूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानना चाहे, कौनसी पार्टी है जो जयपुर में है....

(व्यवधान)

इसलिए कि मालूम पड़े कि दूर दूर की पार्टियां आई। यह रहा नाम मै. मित्तल उद्योग एक बटा दो शिवाजी नगर, इन्दौर। वही पार्टी यहां बेच रही है 27) रुपये किलो में 20 गेज की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तश्तरियां आई हैं 31-3-81 तक विस्तार में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास लिखा हुआ है, इन्हीं के आदेश थे, इन्हीं के नाम थे, इन्होंने आदेश दिये कि 31-3--81 तक नमूने वार 10 जिलों तक पहुंच जानी चाहिये। अब नमूने तो आपके पास में पड़े हैं और आपने आदेश दे दिए कि 31-3--81 को सप्लाई कर दो, 10 जिलों के लिए आदेश दे दिये। कहां है ये तश्तरियां ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, तश्तरियां 20 गेज की जांच के लिए आई और खरीदी गई 22 गेज की, जो तश्तरी आती है 25) रुपये किलो, 24 गेज को आती है 23) रुपये किलो में और 26 गेज की तश्तरी आती है 21) रुपये किलो में। यह भ्रष्टाचार कहां हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। इन सब तश्तरियों की जांच नहीं हो सकती है। भाव भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

ज्यादा लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापार में थोड़ा बहुत लाभ तो होना ही चाहिये लेकिन यह ज्यादा है। यह 4-5लाख का एक आइटम है। दूसरे आइटम में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शार्ट करूंगा, ये पीतल के रामभारे इनके आदेश से, इनके रेट से बनते हैं 2 लाख 40 हजार। इनके पास आदेश नहीं होगा तो मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास कोई फर्जी आंकड़े तो है नहीं, जो मैं दे रहा हूं

आप हिसाब लगाकर देख लीजिये। फिर एक परात सप्लाई का है इन्होंने आदेश दिया है 20) रू० 54 पैसे प्रति किलो के हिसाब से और उसका सारा हिसाब लगाते है तो आता है डेढ़ किलो। अब डेढ़ किलो की परात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो एल्यूमिनियम की 20 गेज की बनी है जिसका ऊपर का डायमीटर 6 इंच, गहराई लगभग एक इन्च, वजनी लगभग 50 से 60 ग्राम - आपके नमूने अनुसार है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करूं, मैं इसलिये पेश कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके हिसाब से तुलवायें तो वह एक किलो से ज्यादा नहीं होती है और अधिक से अधिक एक किलो 50 ग्राम से अधिक नहीं हो सकती है, और इन्होंने उसका वजन किया है डेढ़ किलो। किस प्रकार इन पर विश्वास किया जा सकता है। इसी प्रकार लोहे की बाल्टियां हिसाब से 2 लाख 34 हजार की होती है। इसके बाद पीतल के कलई दार चमचे। इनके हिसाब से चमचे 1 लाख 28 हजार के होते हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चमचे कितने हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : ये जो चमचों का नम्बर पूछा है, वह भी बताऊंगा।

बाल्टियां ये ले रहे हैं 10,266 और कलईदार चमचे ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, । आर्डर. । आपके कहने का आशय यह है कि ये मंहगे भाव से खरीदी जा रही हैं ....

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सफल नहीं हो सकते हैं ....

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान में ला दीजिए, सरकार उत्तर दे देगी और अगर कार्यवाही आवश्यक होगी तो कार्यवाही भी करेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुनिये, यह इसलिये कहा है कि ये सारी की सारी बातें हैं जिनमें घोटाले किये जा रहे हैं। दरियों

(श्री कैलाश मेघवाल)

खरीदी उसमें क्या कहते है इनके हिसाब से जो इन्होंने कहा है 19 लाख 93 हजार की होती है - इनका आदेश है और दरियां खरीदी खादी उद्योग से 3 लाख के करीब और ये खरीदने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय आज तक तो नमूने पहुंचे नहीं और अब इनको 5,333 सेन्टर कायम करने है और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि तुलाई के हिसाब से एक आइटम दे रखा है-बच्चों को इतना, इनको इतना। अब सवाल यह भी है कि 3 लाख की ली भी हैं क्या ? ये कहां पर बनेंगे और जमीन का किराया कहां से आयेगा, कोई मकान लेगें भी कि नहीं और जो नौकरियों के पैसे दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : महत्वपूर्ण प्रश्न है केन्द्र सरकार का प्रश्न है। केन्द्र सरकार ने इन गरीबों के लिये 50 लाख रुपये दिये हैं। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं कि आप इसको जून-जुलाई तक नहीं पहुचा सकेंगे। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अनाज के लिये 10 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था। इनके विभाग में 10 तारीख को स्थगन प्रस्ताव पहुंचा है, 12 तारीख को जब मालूम पड़ा कि इन सारी चीजों में गड़बड़ है तब सोचा क्या करें ? तब अनाज के लिये 12 तारीख को आदेश तो निकाले हैं - यह मेरा स्थगन प्रस्ताव देने के बाद और आज जो अनाज पड़ा है वह नवम्बर 1980 के ..

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं इनको कई बार कहा है कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है और स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार में ....

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी।

श्री कैलाश मेघवाल : वह कह नहीं दी है, साबित करने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में साबित होता नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सरकारी डाक्यूमेंट लाकर पेश कर दूंगा टेबल पर तब कैसे साबित नहीं होगा।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये। उन्होंने लिखा है....

(व्यवधान)

कनक्लूड कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट क्लर्क को 10) रुपये अलाउन्स और पंचायत समिति क्लर्क को 20) रुपये अलाउन्स, वेज टू कुक 20) रुपये में कोई आ जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य होता है

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो भोजन सवेरे और शाम बनायें और अलाउन्स टू सेन्ट्रल इन्चार्ज, सैन्ट्रल इन्चार्ज 10) रुपये। सैन्ट्रल इन्चार्ज सवेरे से शाम तक खड़ा रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं पहले तो चार—चार पोषाहार केन्द्र के अन्दर कहीं कोई तश्तरी नहीं दी गई थीं, बनाने का और सामान जरूर दिया गया और सारे कामों में घोटाले किये हैं और घोटाला हो हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा जो है वह ऐसा है कि एक छोटी सी बोटी को निकालने के लिए बकरे का बलिदान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक एक का आश्वाशन चाहता हूं कि अगली बार इस प्रकार के घोटाले नही आयें। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 5,333 सेन्टर कैसे कायम करेंगे और उनका आइडेन्टिफिकेशन कैसे करेंगे ? इनके रूल्स हैं, आइडेन्टिफाई करने वाली मशीन इनके पास नहीं है...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी...

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जब केन्द्र सरकार को यह मालूम पड़ेगा कि इनके द्वारा दिये गये अनाज का इस तरह दुरुपयोग होता है, आज अनाज में भी ये पैसे खा रहे हैं तो कहां से इनको फिर मिल पायेगा ?...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय, सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसे मसलों पर, श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा समय देकर मेरी बातें सुननी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : केन्द्र सरकार इसके बारे में पूछेगी कि यह पैसा गरीबों के लिये दिया था, राजस्थान की सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय, सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो मेरे साथ बहुत ज्यादती है।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में अपने उत्तर में बताया 8-3-81 को, 10-3-81 को नवभारत टाइम्स और राजस्थान के तीनों पत्र राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत और नवज्योति में एक विज्ञापन में प्रकाशित हुआ उसके बाद 25 फर्म ने टेण्डर कापी मांगी 18 को हमने टेण्डर मांगे थे और 18 को टेण्डर देने के बाद, चार जयपुर की एक, [illegible] की एक मथुरा की पार्टी, एक इन्दौर की पार्टी को

(श्री हनुमान प्रभाकर)

मिला। अब प्रश्न एक आकर उठता है कि जो सामान, जिस क्वालिटी का बताया गया है, उस क्वालिटी का सामान आता है या नहीं आता है इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं जैसा माननीय सदस्य ने डेढ़ किलो की बात कही गयी एक किलो 50 या 100 ग्राम है तो उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। जो टेण्डर जिस क्वालिटी का दिया गया है उस तरीके की चीज उपलब्ध हो लेकिन उसमें यह गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से विचार किया जायगा और आवश्यक हुआ तो एक्शन भी लिया जायगा। जहां तक पर्चेजिंग का सवाल है, चार आदमियों की कमेटी बनी हुई है, उन्होंने सारा स्टाक अप्रूव किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बात सही है कि केन्द्र से हमें राशि प्राप्त हुई है और राशि प्राप्त होने के बाद हमने इसको 10 जिलों में बांटने का फैसला किया है। अब दस जिलों में हम कितनी सफलता प्राप्त करते हैं, इसके लिए आपको और हमको आगामी विधान सभा तक की इन्तजारी करनी पड़ेगी....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जो शोर्ट टर्म निविदा होती है उसके लिये प्रायोरिटी लगाना जरूरी है। आपने किसी नियम का पालन नहीं किया है। पंचायत राज मन्त्री जी जब दिल्ली में मालूम पड़ा कि केन्द्र सरकार कान खींचेगी और यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

उदयपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच हेतु नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद। उदयपुर विश्व विद्यायल में व्याप्त अनियमितताओं की जांच हेतु नियुक्त सिंह आयोग की रिपोर्ट पर वक्तव्य देंगे।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन के अन्तर्गत नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों, चयन तथा अन्य वित्तीय मामलों में अनियमितताओं वर्गीय राजनीति, पक्षपात आदि किये जाने सम्बन्धी शिकायतों के प्राप्त होने पर जन हित दृष्टि से तथा विश्वविद्यालय में सुप्रशासन कायम रखने के लिए उक्त मामलों की जांच कराई जाना उपयुक्त मान कर राज्यपाल महोदय (कुलाधिपति महोदय) की आज्ञा से उदयपुर विश्वविद्यालय एक्ट 1962 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3 (36) शि० ग्रुप /77 दिनांक 26-7-1977 के द्वारा श्री एस. डी. सिंह रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट, इलाहाबाद को निम्नांकित प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों की जांच हेतु अधिकारी नियुक्त किया:—

1—विश्वविद्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों पदोन्नतियों में चयन।

2—विश्वविद्यालय के अध्यापक व कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार दुर्व्यवहार,

(श्री चन्दनमल बैद)

परेशान एवं डराना धमकाना (विक्टीमाईजेशन एवं हुरेसमेन्ट)।

3—विश्वविद्यालय की सामान्य वित्तीय व्यवस्था एव निर्माण कार्य के ठेकों में की गई भारी वित्तीय अनियमितताये एवं विशेषतया विश्वविद्यालय में पक्षपात एवं गुटबाजी (ग्रुप पालिटिक्स)।

4—विश्वविद्यालय में पक्षपात एवं गुटबाजी (ग्रुप पालिटिक्स)।

5—एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक एवं प्रशासनिक मामलों में की गई कार्यवाहियां (आरबीट्रेरी एक्शन)।

6—प्रवेश के मामलों में अनियमितता एवं आपातकाल स्थिति में किसी भी सक्षम व्यक्ति या अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग।

7—दुष्करण (मालफियेसेन्स) एवं अपकरण (मिसफियेसेन्स) के अन्य मामले जो समिति के जानकारी में आयें।

जस्टिस एस० डी० सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 30—6—1978 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट को मोटे तौर दो भागों में बांटा गया। एक भाग वह जिस पर राज्य सरकार को कार्यवाही करनी थी, दूसरा भाग वह जिस पर विश्वविद्यालय को कार्यवाही करनी थी। इस रिपोर्ट में अधिकतर बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही करनी थी जिसके लिए उदयपुर विश्वविद्यालय को दिनांक 26—12—1978 को लिखा जा चुका है व समय समय पर स्मरण कराया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने में विश्वविद्यालय ही सक्षम है। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने अपनी बैठक दिनांक 10 फरवरी, 1979 में यह तय किया कि एक उप समिति कुलपति की अध्यक्षता में बनाई जाय जो सिंह आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर कार्यवाही हेतु सुझाव दे। उक्त निर्णय के अनुसार उप समिति ने आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे कार्यवाही हेतु अपने सुझाव पुनः कार्यकारिणी समिति के आदेशार्थ रखा है। विश्वविद्यालय उदयपुर से 24—3—1981 के पत्र द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:—

सिंह आयोग की रिपोर्ट के केसेज की संख्या

	पार्ट-1	पार्ट-2	कुल
1. वे मामले जिन पर उप-समिति ने सिंह आयोग की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की।	20	56	76

(श्री चन्दनमल बैद)	पार्ट-1	पार्ट-2	कुल
2. वे मामले जिन्हें आयोग ने रदद् किया तथा उप समिति भी उन पर ज्यों की त्यों सहमत है।	—	95	95
3. वे मामले जिन पर आयोग कोई सिफारिश नहीं की पोजीटिव सिफारिश नहीं की तथा उप-समिति भी कोई निश्चित सुझाव नहीं दे सकी।	5	9	14
4 वे मामले जिन पर उप-समिति सिह आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं है।	13	44	57

विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही जारी है। विश्वविद्यालय की इस सूचना पर राज्य सरकार भी विचार कर रही है:—

जिन कुछ बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी थी उन पर कार्यवाही जारी है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1—डा० पी एस. लांबा तत्कालीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के रिकार्ड की टेम्परिंग करने एवं अपने हस्ताक्षर से रिकार्ड में परिवर्तन करने के विरोध में पुलिस अधीक्षक उदयपुर में दिनांक 17-9-1979 को 466, 468 व 471 आई. पी. सी. के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कराये जा चुके हैं।

2—विश्वविद्यालय के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार ने प्रोफेसर एम. बी. माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है वह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

3—उप कुलपतियों का वेतन रुपये 2500/- से बढ़ाकर रुपये 3000/- प्रति माह कर दिया गया है।

4—कुछ अन्य प्रशासनिक मामलों के संबंध में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई इस समिति की बैठक दिनांक 13-8-1979 को हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों पर राज्य सरकार आगे कार्यवाही कर रही है। जिन पर राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है, वे संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:-

क—विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन एवं मापदण्ड निर्धारित करना।

ख—विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करना।

ग—शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रणाली चालू करना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बयान रखा, उसके आधार पर यह बात तो स्पष्ट है कि सिंह कमीशन की रिपोर्ट से, जो एलीगेशन लगे, उनमें से अधिकांश बिलकुल सत्य हैं, लेकिन उसमें जो कार्यवाही है, वह कार्यवाही नहीं के बराबर हुई है, श्रीमन्, एलीगेशन या जो उन पर आपत्तियां की गयी हैं, वह इतनी आपत्तिजनक है कि उनको यदि इस रिपोर्ट में पढ़ा जाय और उसमें अगर इतना भी देख लिया जाय तो, श्रीमन् लगता है कि उनमें से कई अपराधियों का रिटायरमेन्ट हो गया, कुछ लोग वहां से छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटियों में चले गये और कुछ लोग मुक्ति पाते चले जायेंगे और उसके पश्चात् हम पीछे से पूंछड़ी पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। उसके कारण से लोगों के मन में यह भावना बनी थी कि दोषी व्यक्ति, सिंह कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट आ गया कि कौन-कौन व्यक्ति ने किस किस प्रकार दोष किये, मैं रेफरेन्स के लिये केवल कुछ प्रशासनिक शिथिलता के बारे में, जो उन्होंने वर्डिंग यूज किये हैं, श्रीमन्, बताता हूं कि जिस व्यक्ति को डाकूमेंट दिखाने थे, उप रजिस्ट्रार ने उनको डाकूमेन्ट्स तक नहीं दिखाए और उन्होंने वर्ड दिया है :

'The inability of the Registrar to produce the record & on the plea that the office was not tracing them out brings out clearly lack of administrative control and ability in him or may be his interest in the group......'

मतलब यह वर्ड इस बात को सिद्ध करता है कि उनकी कोई रुचि नहीं थी, ग्रुपों का इंट्रेस्ट होने के कारण वे चाहते थे कि ज्यादा डाकूमेन्ट्स उनके पास आयें....

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा अब नहीं होगी। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह इतना महत्वपूर्ण मसला है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब इस प्रकार सिंह रिपोर्ट क्या थी, उनको किनको दोषी माना, किनको निर्दोष माना, सरकार को क्या करना था। यह सब विस्तृत प्रश्न हैं, प्रशासनिक दायरे के हैं, इसमें कोई एक दो छुटपुट बातें हों तो आप बतायें, यह सब सदन के सामने बात आ गयी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आज आपकी मन : स्थिति को समझ कर ही मैंने अपनी सारी तैयारी की। उसको बहुत शार्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी, श्रीमन्, आप देखिये कि जो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को हैण्डिल करता है आश्चर्य यह है कि इस समय में रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन है, एम. ए. उसको एम. से घटाकर बी.ए. कर दी। और डीन, डायरेक्टर और उनको हैण्डिल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह सब रिपोर्ट के विषय हैं, इसमें कई मामले होंगे, जिनमें अनियमितता हुई हो। अब यह सुनिये कि राज्य सरकार क्या कर रही है, उसको मानती है, नहीं मानती है....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन्, उसकी क्वालिफिकेशन बी. ए. होते हुये भी आज भी वह रजिस्ट्रार बना हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो उन्होंने कह दिया कि नियम विरुद्ध हुआ है, यह कहा है न रिपोर्ट में ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नियम विरुद्ध हुआ है, यह हम कहते चले जायं, कहते चले जायं, उसका कोई परिणाम नहीं निकले, उसका कोई अर्थ नहीं निकले..

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इसका कोई उपचार निकल जाय, ऐसी कोई बात नहीं है। मन्त्री जी से आप कह दीजिए, ये खामियां रही हैं, कितने समय में पूरी करेंगे, कैसे पूरी करेंगे, यह हो सकता है। बाकी इसमें विस्तृत चर्चा 2-3 दिन तक चर्चा है। तो, इतना समय नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत भयंकर घोटाला है, कोई यहां का....

श्री अध्यक्ष : भयंकर है, इसलिये सिंह कमीशन ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कई जो वहां पर....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, परिस्थितियां गम्भीर थीं, लेकिन उन सब पर चर्चा होने का अपने यहां पर अवसर नहीं है। यदि आपको शिकायत है तो उसके बारे में मन्त्री जी से पूछिये, आप कार्यवाही क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितनी कार्यवाही की है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा हो ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : डिसीजन लेने में क्या देर लगती है। जिन लोगों को इल्लीगल अपाइंटमेंट दिये हैं, जिनको प्रमोशन दिए हैं, जो क्वालिफिकेशन रखते नहीं, इस रिपोर्ट में लिखा है, वह क्वालिफाइड नहीं हैं ....

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो निवेदन है कि कमेटी की रिपोर्ट का इम्पलीमेंटेशन करने पर बोलें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे, उनको जाति विशेष के होने के कारण, इसमें नाम दिये हैं। बलबीरसिंह जो उपाध्यक्ष हैं, कोदारा इमिटेशन इन्चार्ज हैं। इन लोगों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते हुए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होगी, विस्तृत चर्चा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन्, आज तो आप बहुत ही कठोर हैं।

श्री अध्यक्ष : कठोर का प्रश्न नहीं है,

(श्री अध्यक्ष)

रिपोर्ट पर यहां कहां-कहां चर्चा होगी।

श्री गुलाबन्द कटारिया : अब इसमें रिपोर्ट आ गई।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में 79 में राज्य सरकार को लिख दिया लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसके लिए अल्पकालीन मैथड था वह काम में लिया गया। सरकार ने वक्तव्य दे दिया। उसमें अब यदि स्पष्टीकरण के तौर पर पूछना चाहें तो पूछें कि अब क्या स्थिति है। कब तक क्या करेंगे, किसमें करेंगे, किसमें नहीं करेंगे। यह इसके दायरे में आते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपने इतनी ही पाबन्दी लगा दी है तो अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिंह कमीशन ने कब रिपोर्ट दी? उसके पश्चात्, 10-2-79 के बाद जो रिपोर्ट आई क्या सिंह कमीशन से भी ऊपर पावरफुल कोई कमेटी है? आपने तीन लोगों की सब कमेटी बिठाई उसके कारण से उस सिंह कमेटी की सिफारिशों का एक्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। उस सारे डाकूमेन्ट के आधार पर वह अनियमिततायें उजागर हुई हैं। 1006 पेज लिखकर दिये हैं, राज्य सरकार का धन व्यय हुआ है उसके पश्चात् भी दो साल तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यहां के वाइस चासलर मिस्टर लाम्बा हरियाणा चले गये, कई लोग छोड़-छोड़ कर चले गए हैं। कई लोगों ने पैसा उधार लिया उनसे पैसा वापस लेना है। आर्थिक दृष्टि से भी कई प्रकार की अनियमिततायें की हैं उनसे वसूली करनी है। उसमें लिखा है कि बार-बार वसूली के आदेश होने के बावजूद अभी तक एक नया पैसे की वसूली उन्होंने नहीं की। यह यूनिवर्सिटी के धन का इतना बड़ा दुरुपयोग है, यहां की गाड़ियों का दुरुपयोग किया है, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दुरुपयोग किया। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कृपया इतना सा तो आश्वासन दें, यह रिपोर्ट जिसको हमने, इतने प्रयत्नों के पश्चात् तो आज रिपोर्ट हमारे सामने आई है पहली बात तो आती ही नहीं। बड़े दुर्भाग्य से यह पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी पार्टी के समय में डाकूमेंट तैयार हुआ है अनियमितताओं का। आप समय नहीं देंगे इसलिए मैं अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जेज हैं उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम इस प्रकार की बेइमानी भविष्य में नहीं कर सकें इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री सी पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस समय इतना ही पूछना चाहता हूं कि सैक्शन 8 के अन्तर्गत जो कमेटी बैठी, सिंह कमीशन, उसके ऊपर उदयपुर विश्व-

(121)

(श्री सी. पी. जोशी)

विद्यालय ने इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बिठाई। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने यों का यों मान लिया उसके ऊपर उदयपुर विश्वविद्यालय में अलग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बिठा सकते हैं? पहली चीज। क्योंकि यहां पर कुल 57 केसेज, पार्ट-ए के 13 और पार्ट-बी के 44 केसेज में उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने डिफर किया है, फिर किया है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की रिपोर्ट से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट का मेम्बर हूं और वहां का प्राध्यापक भी हूं। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है, क्या यह सच है कि सिंह कमेटी की रिपोर्ट को इन टोटो उदयपुर विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है? पहली चीज क्या यह भी सत्य है कि जनता पार्टी की सरकार के समय विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट के गठन के रूप को बदला गया था जिसके कारण आज सिंह कमेटी की रिपोर्ट में जिस तरह के दोषी व्यक्ति हैं उनमें से कुछ को तो छोड़ दिया गया है और उन 57 केसेज में से केवल मात्र एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि होम साइंस के डीन को सिंह कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन किया है, डीन का अपोइन्टमेंट करेक्ट था। जिस आदमी ने उसके ऊपर आरोप लगाये, जिसको सिंह कमेटी ने एग्जामिन किया, जो आदमी नान-क्वालिफाइड था वह आदमी आज होम साइंस का डीन है। इसी तरह से वहां पर एक मिस्टर एस. एन. सक्सेना डाक्टर हैं उस आदमी को आज होम साइंस का डीन बना दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि या तो हम सिंह कमेटी की रिपोर्ट को इन-टोटो एक्सेप्ट करें अन्यथा विश्वविद्यालय को यह दे दिया गया है कि सिंह कमेटी की रिपोर्ट को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर। इसमें प्रशासनिक गड़बड़ हुई है वह तो आप इम्प्लीमेंट करें लेकिन यह आपने हैंडिल दे दिया है। जो सिण्डीकेट जनता पार्टी के समय में बनी, आज इस विश्वविद्याल में यह हालत बनी हुई है और आज भी विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट इस तरह के निर्णय ले रही है और प्रोफेसर और रीडर्स बना रही है, इसलिए मंत्री महोदय कान्क्रीट जवाब दें कि क्या सिंह कमेटी की रिपोर्ट को इन-टोटो एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या जनता पार्टी ने जो सिण्डीकेट अपने रूप से जिस तरह बनाई और जिसके कारण से सिंह कमेटी की रिपोर्ट को इन-टोटो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्या सिण्डीकेट के रूप को बदलेंगे? यदि सिंह कमेटी की रिपोर्ट को इन-टोटो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लोगों को हरेसमेंट से बचाने के लिए क्या सिंह कमेटी की रिपोर्ट को विथड्रा करेंगे? इस बारे में आप स्पष्ट आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, सिंह कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैंने विस्तृत रूप से सारी बातें बताईं। फिर भी कुछ सवाल उठाये गये हैं, मैं उनके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मसले ऐसे हैं विश्व विद्यालय से सम्बन्धित जिन पर हम निर्णय ले सकते हैं, कुछ मसले

(श्री चन्दन मल वैद)

ऐसे हैं जिन पर विश्वविद्यालय को ही निर्णय लेना था। जिन पर हमको निर्णय लेना था उन पर निर्णय लिया वह बता दिया। जो निर्णय विश्वविद्यालय को लेने थे उसके लिए विश्व विद्यालय ने एक कमेटी बना दी और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने सब-कमेटी भी बनाई और सब-कमेटी बना करके उस पर कोई छः सात मीटिंगें की और मीटिंगें करने के बाद उन्होंने हमको यह लिखा है कि इतने मामलों में तो हम सिंह कमेटी की रिपोर्ट से सहमत हैं, इतने मसलों में हम असहमत हैं। जिन मामलों में सहमत थे उन मामलों में उन्होंने विभिन्न जो अधिकारी थे या अध्यापक थे उनसे जवाब तलब किया। जिनसे असहमत हैं उनके लिए अपने कारण हमको लिखे हैं। क्योंकि उनकी रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है, पांच छः दिन पहले ही मिली है रिपोर्ट, अभी उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। सिंह कमेटी की शिफारिशों के बारे में विश्व विद्यालय को एक सुझाव दिया है कि सिंह की रिपोर्ट है उसके बारे में आप निर्णय लीजिए। अब अगर हम यह महसूस करेंगे कि सिंह कमेटी के जिन सुझावों से विश्वविद्यालय का बोर्ड आफ कण्ट्रोल असहमत है और हम समझते हैं कि उनको सहमत होना चाहिए तो जैसा कि आप जानते हैं हम डायरेक्टिव दे सकते है। लेकिन पूरा अध्ययन करने से पहले हम इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहना कि सारी की सारी सिंह कमेटी की रिपोर्ट एक चार्ज के रूप में, एलीगेशन के रूप में है, यह सही नहीं है। बहुत से ऐसे सुझाव हैं फाइनेन्शियल मैटर्स के मामलों में, रिक्रूटमेंट के बारे में, स्टेडी लीव के बारे में, ऋण देने के बारे में कैसे क्या होता है। आम तौर पर वह सारे के सारे बहुत से सुझाव हैं। इसमें बहुत से अध्यापकों पर चार्जेज भी हैं। इन लोगों ने पढ़ाई के अलावा अपना ध्यान जिन बातों में लगाया, उन लोगों का काम विद्यार्थियों को पढ़ाने का था. उसके अलावा वे ग्रुप पोलिटिक्स में लगे रहे, एक दूसरे की शिकायतें करते रहे, यह भी है। तो हमने यह लिखा था कि ये उदयपुर विश्व विद्यालय के कर्मचारी हैं, उसमें सेवारत हैं उनका इस बारे में एक्सप्लेनेशन काल करें, एक्सप्लेनेशन ले करके उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करें। लेकिन जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहले विश्व विद्यालय का जो चरित्र था कांग्रेस सरकार के वक्त में उस चरित्र को जनता पार्टी ने आर्डिनेंस और एक्ट बना कर बदल दिया। अब बदलने के बाद उस कमेटी में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अपने लोगों को शील्ड करना चाहते हैं और इस कारण से उन्होंने सिंह कमेटी के बहुत से सुझावों से असहमति प्रगट की। हम अध्ययन कर रहे हैं और सारा अध्ययन करके हम यह देखेंगे कि अगर सिंह कमेटी की रिपोर्ट के बारे में उनकी जिद् है तो वैसे ही जैसे जनता पार्टी ने उदयपुर विश्व विद्यालय के चरित्र को बदला, हो सकता है कि वैसे ही कांग्रेस सरकार को भी बदलना पड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमारी कोशिश यह होगी कि किसी तरह से यह जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर विश्व विद्यालय में सुधार

(श्री चन्दन मल बैद)

कर सकें, उसमें कुछ गति ला सकें, यह हमारा प्रयास है।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि मैं अपनी ड्यूटी का अंजाम पूरी तौर से नहीं दूंगा अगर आपको यह अर्ज नहीं करूं कि उस समय जो वाइस चांसलर थे लाम्बा, उनके बारे में हमारे विरोधी दल को बहुत शिकायत थी और ज्यों ही कांग्रेस की सरकार गई, ऐसा मालूम पड़ता था, यह बताने के लिए कि इमरजेंसी के वक्त में उदयपुर विश्वविद्यालय में कांग्रेस पार्टी ने जुल्म किया है यह कमेटी बताई गई। उस लम्बा के बारे में उस कमेटी ने यह कहा है कि यह आदमी प्रशासनिक योग्यता का आदमी था। काफी डिसिप्लीण्ड था। हो सकता है कि कभी कभी डिसिप्लीन में ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हो और उस पर कोई इस तरह का चार्ज नहीं था। एक ही उसके खिलाफ चार्ज है कि उसने एक किसी रिजोल्यूशन, जिसको एकेडेमिक कौंसिल में पास हुआ माना गया, के बारे में कहा कि सायद पास नहीं हुआ और उसके हाथ से काटा फांसी है। अध्यक्ष महोदय, उस समय तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने उन पर एक पुलिस केस दायर किया। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। मेरे पास जो सूचना है, उस सूचना के अनुसार पुलिस ने उस केस में फाइनल रिपोर्ट दे दी है। वह 13.6.80 को दी है। जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आयी थी। शायद 13.6.80 को आ गई थी, उस समय मंत्रिमंडल बना था या नहीं बना था, यह मैं नहीं बताता। इमरजेंसी के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं। केवल दो केस उन्होंने बताये हैं। एक तो किसी असिस्टेंट लेकचरार की एम. ए. में नियुक्ति, एक किसी टेम्प्रेरी लेक्चरार की एम. ए. में नियुक्ति और एक कोई अधिकारी जब ट्रेनिंग में चला गया, यह कहना कि कोई भत्ता उसको नहीं दिया गया, उसके परिवार को भत्ता नहीं दिया गया। इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसमें इमरजेंसी के बारे में चार या छः लाइन लिखी हुई हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, उदयपुर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के बारे में जब चर्चा हो रही है तो कम से कम पाइंट भी क्लियर कर दूं। यह दो उद्देश्य थे, आपने कमेटी का गठन किया था, वह दो उद्देश्य तो पूर्ण हुए नहीं लेकिन फायदा हमको भी हो गया। हमको मालूम पड़ गया कि उदयपुर विश्वविद्यालय में कितनी अनियमितताएं हैं हमको कितना सुधार करना है।

श्री अध्यक्ष : सिंहावलोकन हो गया।

श्री चन्दन मल बैद : इस वास्ते हम इस बात का पूरा अध्ययन कर रहे हैं, इस बात से हम सचेत हैं। जो कुछ कार्य करना है वह करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं। जैसे विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए सर्विस कमीशन की नियुक्ति। एक विश्वविद्यालय के लिये सर्विस कमीशन की नियुक्ति नहीं हो सकती। तीनों विश्वविद्यालय की होनी है। हम यह भी सोच रहे हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट कालेज हैं, प्राइवेट कालेज है, उनको भी इसमें शामिल

(श्री चन्दनमल वैद)

करें। जिससे बड़ी बड़ी नियुक्तियां शिक्षा विभाग में होती हैं, उन सारी नियुक्तियों को एक आधार पर किया जा सके। तीनों विश्वविद्यालयों के लिए सोचना पड़ेगा। इस तरह से आज तक विश्वविद्यालय में सी आर. नहीं लिखी जाती है। उनका कहना है कि सी. आर. लिखी जाये, जिससे मूल्यांकन हो सके, पदोन्नति के समय देखा जा सके। किसने कितना क्या काम किया है यह देखा जा सके। यह सारे मामले हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय प्राइवेट कालेज से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों का अच्छी तरह से अध्ययन करके हम चाहते है कि अच्छा निर्णय लिया जाय ताकि न कि उदयपुर विश्वविद्यालय बल्कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय सब में सुधार करने में सहायता मिले। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अब मन्त्री जी के उत्तर के बाद में इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अन्य किसी तरीके से उठायें इस प्रश्न को। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया आसन जब निवेदन करें तो आसन के आदेश का पालन किया करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अपाइन्टमेंट के बारे में कहूंगा, जातिवाद के आधार पर हुए, गलत का हुआ जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी जो प्रोफेसर तक नहीं बन सकते थे, उनको डीन तक ले गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया क्षमा करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री। माननीय सदस्य, इस विषय में नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री नाथूसिह : मैं एक छोटा सा निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : आप समय ले रहे है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समय ले रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री नाथूसिह : × × ×

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी। गन्दे पानी से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में।

बीकानेर शहर में गन्दे पानी से उगाई गई सब्जी से फैल रही आंत्र शोथ की बीमारी

श्री हीरालाल देवपुरा (स्वास्थ्य मन्त्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव का यों तो सीधा सम्बन्ध हमारे स्वायत शासन विभाग से था। यह सम्बन्ध जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से था।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(21-)

श्री अध्यक्ष : आदमी बीमार हो जाय तो उसका आपसे सम्बन्ध हो जाता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो मुद्दे उठाये हैं, मैं सदन को तथ्यों से अवगत करा देना चाहता हूं।

बीकानेर शहर के नगर परिषद द्वारा गन्दे पानी के ठेके से इस विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु स्थगन प्रस्ताव के दूसरे भाग में बीकानेर में आंत्र शोथ बीमारी के विषय में निम्न सूचना है:— बीकानेर शहर में आंत्रशोथ की बीमारी की प्रथम सूचना दिनांक 19—12—80 को प्राप्त हुई। तत्काल उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) बीकानेर व बीकानेर व 16 अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा जांच पडताल एवं रोकथाम की कार्यवाही शुरू की गई। आंत्रशोथ से मरने वालों की सख्या 8 रही जिसमें से 6 तो पी. बी. अस्पताल बीकानेर में मरे व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में कार्य करते समय 2 मृत्यु की जानकारी और प्राप्त की। अतः कुल मिलाकर मरने वालों की सख्या 8 रही।

यहां 47 उल्टी व दस्त के नमूने लिए गये, 15214 हैजा निरोधक टीका लगाये गये। 841 कुण्डों में जल का शुद्धीकरण किया गया। 485 पैकेट डीहाइड्रेशन पाउडर वितरण किये गये। रोग पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहली बात मन्त्री महोदय ने फर्माया कि मेरा स्थगन प्रस्ताव था वह पूर्ण रूप से स्वायत शासन विभाग से सम्बन्धित था। क्योंकि मैंने निवेदन किया था कि बीकानेर नगर परिषद द्वारा शहर में गन्दे पानी का ठेका दिया जाता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा शहर के गन्दे पानी से सब्जी उगाई जाती है, जो गैर कानूनी है। वह गैर कानूनी क्यों है, अध्यक्ष महोदय, उसकी तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि जो हर सालाना ठेका दिया जाता है उसमें खुलासा शर्त दी हुई है कि प्रदेश में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीवर वाटर से कुल भूमि के आधे भाग में घास लगाई जायेगा और शेष भूमि पर उबाल कर खाई जाने वाली सब्जी उगाई जायेगी। यह शर्त होती है। अध्यक्ष महोदय, कई जगह पालन नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए वहां एक दिन, जैसा वहां पर लोगों ने चर्चा में बताया, गोभी उस दिन बाजार में आयी और उसमें पता नहीं कैसे कीटाणु थे, किस तरह से बीमारी फैलने का कारण बताया। वह गोभी की सब्जी थी, उसके खाने से, अध्यक्ष महोदय बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, जो जिला प्रशासन ने दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में पर्यावरण पखवाड़ा मनाया और उसके अन्दर आंत्रशोथ हुआ, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, आठ व्यक्तियों की

(श्री देवीसिंह भाटी)

मृत्यु हो गई। एक तरह पर्यावरण पखवाड़ा मनाया गया, यह तो उनकी तत्परता थी, और बड़ी सतर्कता थी कि पर्यावरण पखवाड़ा मनवायेंगे, जिससे ऐसा नहीं हो जाय। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मन्त्री महोदय ने फर्माया कि वहां हमने तुरन्त इलाज की व्यवस्था की। इसमें मन्त्री महोदय ने बताया कि 19 तारीख को हमें सूचना मिली उसके उपरान्त मैं उदाहरण दूं गुमान भामे की औरत, जो कि 28 तारीख को ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गहराई में नहीं जायंगे। 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उसके बाद जो आपकी शिकायत है, उसके संबंध में आप दो मिनट में अपनी बात कह दें। उसके बाद चर्चा समाप्त होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जब तक हो बिन्दू सामने नहीं लाऊंगा....

श्री अध्यक्ष : बिन्दू नहीं ला रहे हैं, व्यक्तियों को सामने ला रहे हैं आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण कीजिये।

प्रथम तो जब कोई माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करे, तो उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि किस विभाग की ओर आपका इशारा है ताकि वह मन्त्री उत्तर दे सकें, उसमें आपने बीमारी से मरे, तो वह सम्बन्ध हो गया स्वास्थ्य मन्त्री जी का, गन्दे पानी की निकासी का सम्बन्ध है, तो पी. एच. ई., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को उससे सम्बन्ध होगा और यदि गन्दे पानी से नीलाम करके सब्जी दी जाती है, तो वह सम्बन्ध हो गया नगर पालिका से। तीन व्यक्तियों के कोई एक मेहमान जीमणे आया, कौन समय पर उसको जीमावे इसलिए आप संक्षेप में अपनी शिकायत हो, उसको फर्मा दें। जितना बीमारी का नियंत्रण करने वाले मन्त्री हैं, वह उतना उत्तर आपको दे देंगे। आपउसको लम्बा करें कि फला औरत मर गयी उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, धणी ऐसा है, सासू बूढ़ी हैं उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : आठ आदमी मारे गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो दुर्भाग्य की बात है। आठ की जगह आठ सौ भी मारे जायं तो इसका कौन....आर्डर प्लीज

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन ने क्या किया, स्वायत्त शासन ने क्या किया ? सिर्फ अफसोस जाहिर किया। न कोई जांच की। केवल आंत्रशोथ से मर गए....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया इस स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध जैसा आपने ड्राफ्ट किया है उस हिसाब से तीन विभागों से यह संबंधित है। या तो स्पष्ट कहते कि नगर पालिका, स्वायत्त शासन विभाग ठेका देता है उससे जो सब्जी उगती है गन्दे पानी से, उससे लोग मर गए ...

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे पास यह

(श्री देवीसिंह भाटी)

मौजूद है, अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाता हूं —बीकानेर नगर परिषद द्वारा शहर के गन्दे पानी का ठेका दिया जाता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के ठेकेदार गन्दे पानी से सब्जी उगाते हैं जो बिलकुल गैर कानूनी है, जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है और हाल ही में कई नागरिकों की आंत्रशोथ जैसी भयंकर बीमारी से मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष : तो आपको प्रारूपित ऐसा करना चाहिए। आपको शिकायत करनी तो इधर है और गोली उधर चलायें। यह समय मूल्यवान है माननीय सदस्य, 2-3 मिनट में बात समाप्त कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, न तो जिला प्रशासन मानती है, न सम्बन्धित डाक्टर मानते हैं। पूरी जांच तो करवाते। जो उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया है, उन्होंने माना है और प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने दिया है कि आठ की मृत्यु हो गई। न तो जिला प्रशासन ने जांच करवाई न सम्बन्धित चिकित्सा विभाग ने जांच करवाई, पी. बी. एम. हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है आखिर उसका कारण तो होगा। अध्यक्ष महोदय, न स्वायत्त शासन ने ध्यान दिया न जिला प्रशासन ने ध्यान दिया। एक स्टेटमेन्ट दे दिया कि बड़ा अफसोस है। जैसे कोई दुर्घटना होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जांच नहीं की गई यह बात सही नहीं है। क्योंकि आंत्रशोथ के बारे में मालूम हुआ स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी जांच की गई। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी निवेदन कर दूं कि आंत्रशोथ के बैक्टीरिया सब्जी में नहीं होते बल्कि पानी में होते है। इसकी जांच की गई, ये पर्टीकूलर एरिया में दिखाई पड़े थे जिस एरिया में बीमारी फैली वहां जांच से मालूम हुआ कि पानी में कीटाणु है जिस पर तत्काल ही स्वास्थ्य विभाग ने पी. एच. ई. डी. को लिख दिया, नगर परिषद् को लिखा और सब विभागों ने मिलकर इस पर कन्ट्रोल किया। बैक्टीरिया पैदा हो गये थे इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि पर्टीकूलर एरिया में पाए गए हैं। पेयजल की पाइप लाइन में बैक्टीरिया आ गए हैं तो इसके लिए सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिया गया और वेरी शार्ट टाइम में कारपोरेशन ने उसको ठीक किया। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी कि बीमारी फैलने न पाये, उसके लिए विभाग सजग रहा और इसको चैक करके कंट्रोल किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी मारे गए उनकी अन्तः परीक्षा कराई गई या नहीं....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि इससे सम्बन्ध नहीं है

Page No 139

(128)

(श्री देवीसिंह भाटी)

मुझे पी. एच. ई. डी. से उत्तर मिला है उन्होंने कहा है कि वह उससे सम्बन्धित है वह पानी की सप्लाई देता है। मेरा प्रश्न यह था कि बीकानेर में आंत्रशोथ जलदाय विभाग के नलों के पानी से नालियों का पानी मिलने से जल प्रदूषण रोशनी घर के पास फैला जिसका जवाब उन्होंने दिया है, अध्यक्ष महोदय, "जी नहीं" जल विभाग के रसायनों द्वारा जांच करने पर जल वितरण व्यवस्था द्वारा रोग फैलने की जांच से पुष्टि नहीं हुई। अब, अध्यक्ष महोदय, कौन सी सही बात है।....

श्री अध्यक्ष : यह अन्य किसी माध्यम से आप प्रश्न उठायें।

श्री देवीसिंह भाटी : खुलासा नहीं हुआ है, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, अध्यक्ष महोदय ....

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, उनका पोस्ट मार्टम हुआ या नहीं हुआ ? अगर हुआ, तो क्या कारण मौत के थे यह सदन को बताया जाय ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मरने वालों पर तमशाई अफसोस जाहिर करते हैं, कोई इमदाद नहीं करते। यह हालत है जिला प्रशासन की। कोई जांच नहीं करवाई गई है ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आपने फर्माया कि एक विभाग ने यह उत्तर दिया, दूसरे ने यह उत्तर दिया। आपने नियमों में पर्याप्त प्रावधान है यदि गलत उत्तर सदन में दिया जाता है तो उसके लिए अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को रखें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने गलत स्टेटमेंट दिया है। जो जवाब मिला है उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आइन्दा ध्यान में रखें, कहीं से कोई उत्तर जो सरकार ने दिये हों उनके लिए सतर्क होने की जरूरत है। इसको अन्य किसी तरीके से रखें।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय ने मंजूर किया है कि आठ आदमियों की मृत्यु हुई है तो क्या उसके लिए जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब इसकी क्या जांच करवायेंगे, आंत्रशोथ से मृत्यु हुई है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह फैला क्यों ? कारण क्या थे ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग सवाल है। अब आप समय न लें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 8-8 आदमियों की मृत्यु हो गई उसके लिए सदन ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, कुछ तो आश्वासन मिलना चाहिए, जो गरीब परिवार हैं उनको मुआवजा दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : आश्वासन किस बात का चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : जांच का।

एक माननीय सदस्य : मुआवजे का।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंत्रशोथ की बीमारी में मुआवजा देने की बात नहीं है। प्राइमरी ड्यूटीज उसके लिए जो की जानी चाहिये थी और रोग को रोका जाना चाहिए था उसके लिए सरकार ने पूरा इन्तजाम किया है। मैंने सब्जी के बारे में बता दिया। माननीय सदस्य ने पोस्ट मार्टम के लिये पूछा। इसमें पोस्ट मार्टम नहीं होता है बल्कि इस बीमारी की जांच के लिए जो उल्टी हुई है या दस्त होते हैं उनकी जांच की जाती है और उल्टी व दस्त में जो बैक्टीरिया पाये गए वे पर्टीकूलर एरिया में पाए गए थे इसके लिए मैंने बता दिया है....सुनिए। जो जवाब दिया है वह मेरे विभाग का जवाब नहीं है। मैंने पर्टीकूलर एरिया का कहा है। सारे बीकनेर के पेयजल में बैक्टीरिया नहीं थे। आपने पूछा सारे बीकानेर के लिए तो उन्होंने जो भी उत्तर दिया होगा। मगर पर्टीकूलर एरिया के बारे में मैंने कहा है। तो यह जो जवाब है इसमें न मिनिस्टर गलत है न विभाग की गलती है न कोई दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूं कि आप नियम पढ़कर सवाल दें। स्थान ग्रहण कीजिए, चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : फड़ बाजार में सब्जी बिकती है और उसके....

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण कीजिये।

माननीय सदस्य, कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

श्री नाथूसिंह : मैं विधायी कार्य के सम्बन्ध में रूल का हवाला दे रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : पहले विधायी कार्य तो शुरू होने दीजिए।

श्री राजबहादुर : मैं सिर्फ एक बात माननीय देवपुरा जी से कहनी चाहता हूं। यह जो मामला उठाया गया है, यह जो बैक्टेरिया मिले हैं उनके कारण यह सारी गडबड़ी हुई है। वह बैक्टेरिया होने का जो कारण रहा है, उस लेप्स की जिम्मेदारी किस पर है ? इसकी जांच होनी चाहिए ताकि आइन्दा लापरवाही न हो।

(श्री राजबहादुर)

लापरवाही के कारण ही इन्फेक्शन होता है। अगर जांच हो जायगी तो मालूम पड़ जायगा कि किस का लैप्स रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा सकेगी। इसलिये जांच तो आवश्यक है। मुआवजा दें या न दें यह अलग प्रश्न है परन्तु जांच होना तो आवश्यक है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी जांच की गई और पेयजल में बैक्टीरिया पाया गया है। संबंधित विभाग ने इसकी जांच की है। ऐसा भी हो सकता है।

श्री राजबहादुर : कैसे पहुंचे बैक्टीरिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका संबंध पी. एच. ई. डी. से है। इसकी पूरी जांच करवा ली गई है। आगे के लिये इस प्रकार से बैक्टीरिया न हो इसके लिये राज्य सरकार सजग है चाहे यह किसी विभाग से संबंधित हो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न को टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य तो हो गया है। विधायी कार्य....

विधायी कार्य

राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री नाथूसिंह : श्रीमान्, प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य शुरू तो होने दीजिए। आसन पैरों पर है। विधायी कार्य, प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने वाले विधेयक— 'राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981, श्री हरसहाय मीणा प्रभारी मन्त्री, विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरसहाय मीणा।

व्यवस्था का प्रश्न

एक दिन के लिए तैयार कार्य सूची

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर। आज जो कार्य सूची मिली है उसको, अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा देखने का कष्ट करें। कार्य सूची में पहले दिनांक 2 अप्रेल, 1981 और उसके नीचे शुक्रवार, 3 अप्रेल, 1981 अंकित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य सूची को पढ़ने का आप कष्ट करें। इसके अन्दर 2 अप्रेल, और 3 अप्रेल....

श्री अध्यक्ष : यह दो दिन की कम्बाइंड सूची है।

श्री नाथूसिंह : रूल 28 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई गलती नहीं है....आर्डर

श्री नाथूसिंह : Sir, I am quoting to you.

(श्री नाथूसिंह)

"A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and a copy theroef shall be made available for the use of every member"

So the list of business is for the day and not for two days.

कार्य सूची एक दिन की बनती है। परन्तु जो कार्य सूची दी गई है उसमें दो व तीन अप्रैल लिखा हुआ है अब यह दो दिन को कार्य सूची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको यह पता नहीं लगता कि आज की कार्य सूची वास्तव में है क्या? क्या क्या विधायी कार्य आज लिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष : आपका पाइन्ट आफ आर्डर सुन लिया। इसके अन्दर आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जो कार्य-सूची वितरित की गई है वह दो, तीन तारीख की दी हुई है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, दो, तीन तारीखों को विधायी कार्य है अथवा उसके पश्चात् विधायी कार्य समाप्त होने के पश्चात गैर सरकारी सदस्यों के बिल हैं इसके अन्दर कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था के प्रश्न को, जो माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं निरस्त करता हूं। इस पर दुबारा बहस नहीं होगी। समय न लें।

बहुत समय दे दिया है, माननीय सदस्य। आर्डर।

श्री नाथूसिंह : यह प्रक्रिया सम्बन्धी नियम हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप समय लेते हैं। इतने दिनों में कितने आपने कारगर व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं, यह आप स्वयं सोचें। समय न लें।

श्री हरसहाय मीणा।

राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक 1981 प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या 10 होगी जिनके नाम बाद में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, जिन्होंने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वे अपने प्रस्ताव को प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान धार्मिक ...

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल प्रवर समिति को भेजा जा रहा है तो इस पर डिस्कशन नहीं होगा। आप इसकी घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया । विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया ।

व्यवस्था का प्रश्न
प्रवर समिति के सदस्यों के नाम

श्री राजबहादुर : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा तो नहीं होगी ।

इसमें रूल यह है
Kindly refer to rule 67(2) (a)-

If the member incharge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amenedment that the Bill be referred to a Select Committeee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion.

"(b) if the member in charge moves that the Bill be referred to a Select Committee of the House any member may move as an amendment that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion,

The members of the Select Committee have to be named. चर्चा नहीं होगी । सलेक्ट कमेटी नेम्ड नहीं होती है तो ...

श्री अध्यक्ष : वह थोड़ी देर में हो जायगी ।

श्री हीरालाल देवपुरा : नाम दे देते हैं । प्रवर समिति के सदस्यों की लिस्ट भेज रहे हैं । थोड़ी देर बाद में घोषणा कर दी जायगी ।

श्री नाथूसिंह : किस को सौंपेंगे ? प्रवर समिति कहां है ? जब प्रवर समिति नहीं है तो बिल किस को सौंपेंगे और डेट.....?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह परम्परा रही है कि जब कोई बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाता है तो साथ ही प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बता कर या उनकी संख्या बता कर कि इतने सदस्य इस प्रवर समिति के होंगे और उन नामों को बाद में बता दिया जाता है । यह परम्परा रही है...सुनियेगा...

(व्यवधान)

सुनिये, मेरी बात । प्रवर समिति को जो भेजा जाता है उसका कन्वीनर कहिये या चेयर-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मैन कहिये वह प्रभारी मन्त्री होता है। वही उस कमेटी का चेयरमैन होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि विधेयक कमेटी को सुपुर्द किया जाता है वहां वेक्यूम नहीं होता है वह चेयरमैन को सुपुर्द करते हैं और वह प्रवर समिति के बाकी 10 सदस्यों को प्रवर समिति का सदस्य नियुक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष : 11 होते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : 11 होते हैं प्रभारी मन्त्री को मिलाकर । 10 सदस्यों को और नामीनेट करना होता है।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि यह परम्परा रही है और पहले भी ऐसा होता रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब पहले प्रवर समिति को बिल भेजा जाय उसके बाद में प्रवर समिति बनायी जाय तो यह व्यवस्था मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगी। मैं समझता हूं ऐसा पहले भी नहीं हुआ होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले कई बार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं एक दूसरा प्रश्न माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि प्रवर समिति का अगर प्रस्ताव ही नहीं था तो क्या उससे पहले प्रवर समिति बनाते ?

एक माननीय सदस्य : साथ साथ होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : साथ में भी कुछ समय तो लग ही जाता है। आपने अभी प्रस्ताव पास किया है उसके चेयरमैन साहब हैं उनके साथ जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने यह घोषणा की है कि इसके 11 सदस्य होंगे जिसमें चेयरमैन मन्त्री महोदय होंगे 10 के नामों की घोषणा अभी हो जायगी। आप को सुना देंगे।

श्री राजबहादुर: नाम की होनी चाहिये, परम्परा यह रही है 10 अन्य के नामों की घोषणा हो। यह एक ही पार्टी के बना लेंगे ऐसा भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष आर्डर, आर्डर। परम्परायें रही हैं उनको हम सब अच्छी तरह जानते हैं। कई दफा बाद में भी घोषणा होती रही है नाम बाद में भी घोषित किये जाते रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : भूतपूर्व मुख्य सचेतक गिरधारीलाल जी उसी समय दे देते थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तय करके सोच करके जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनको रखेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सभी पार्टियों के लोग होंगे।

श्री नाथूसिंह : विधेयक के साथ ही इसके नाम भी होंगे। प्रवर समिति के नामों की लिस्ट बनाकर लानी चाहिये और कहना

(श्री नाथूसिंह)

चाहिये कि यह हमारे प्रवर समिति के सदस्य हैं।

श्री खेतसिंह राठौड : हमारे यहाँ यही परम्परा है। पार्लियामेन्ट में होगी।

श्री माधवसिंह दीवान : भंवरलाल जी जब मंत्री थे तब भी ऐसा ही हुआ था।

श्री अध्यक्ष : सदैव होता रहा है इस परम्परा से अपन परिचित हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़: माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है।

राजस्थान सिविल (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण)(संशोधन)विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981

प्रभारी मंत्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी स्वीकृति से ?

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गयी।

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रस्तुत करें।

इसके साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति के चेयरमैन प्रभारी मंत्री सहित इसके 11 सदस्य होंगे बाकि 10 सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में कर दी जायगी।

श्री अनंग कुमार जैन : पाइन्ट आफ आर्डर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री भगवान दास शास्त्री : हमारे जो संशोधन है वह तो लिये जायेंगे ना खण्ड दो धारा 2 के च के सैकिण्ड ....

श्री अध्यक्ष : वह बाद में आयेंगे। नियमों का अध्ययन करें। हां आप क्या कह रहें हैं, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय नाथूसिंह जी ने प्रश्न उठाया था कि दो और तीन की कार्यसूची एक साथ दे दी गयी हैं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो कार्यक्रम कार्य सूची में रखे गये हैं उनका क्रम ही बदल दिया गया है। हम तो यह मानकर चलते हैं कि इसमें जो पहले है वह आज लिया जायगा और जो बाद में है वह तीन तारीख को लिया जायगा, लेकिन इसमें तो हम यह अन्दाज नहीं लगा सकते कि ....

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें जो कागज फाइल किये गये हैं उसमें एक पेज

(श्री हीरालाल देवपुरा)

तीन व चार उलटे नत्थी हो गये हैं इसलिये नम्बर दो दोनों तरफ आ गया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास भी सुबह ऐसी गड़बड़ी थी मैंने ठीक कर लिया है। आप भी ठीक कर लें।

श्री खेतसिंह राठोड़ : इसमें कुछ नहीं है इसको यों लेना चाहिए था और यों ले लिया है।

व्यवस्था का प्रश्न
मूल अधिनियम के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन याचिका

श्री राजबहादुर ; व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मुझे मेरा कार्य करने दें। व्यवस्था का प्रश्न उठाना बहुत कठिन कार्य है यह मैंने देख लिया है। कोई उठता नहीं है।

श्री राजबहादुर : यह मेरा है 67 के sub-rule (3) ka proviso :-

"Provided that if an amendment or a motion for appointment of a Select Committee has been moved under this rule, any member may move that the House give instructions to the Select Committee to which the Bill is proposed to be referred, to make some par- provision in ticular or additional the Bill and if necessary or convenient to consider and report.

इस संदर्भ में जो हाई कोर्ट की रूलिंग है जो बिल यहां पर पेश किया गया है क्या उसके बारे में कोई रिट मौजूद है? इसलिए यह प्रश्न उठाया है इसकी अखबारों में काफी चर्चा हो चुकी है इसलिए समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो यह विनती करूंगा की इस रिट के अन्तर्गत जो बिन्दू उठाये गये हैं, उक्त प्रोविजो है कि उन सबके ऊपर सलेक्ट कमेटी विचार करे।

श्री खेतसिंह राठोड़ : इसलिए तो यह सलेक्ट कमेटी को भेजा है।

श्री राजबहादुर : यह नहीं है जो मैं कह रहा हूं मेरा विशेष रूप से यह कहना है कि जो प्रश्न रिट में उठाये गये हैं उनके ऊपर सलेक्ट कमेटी विचार करे यही मेरा सुझाव है। उक्त प्राविजों के अनुसार...

श्री अध्यक्ष : आप लिख के दे दें कमेटी इसके ऊपर विचार कर लेगी।

श्री राजबहादुर : लिख के देने की नहीं है अगर लिख के देने की होती तो

I would also have been careful.

जैसे ही सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय मुझे कहने का अधिकार हो जायगा। अगर इसमें लिख के देने की बात होती तो मैं लिख के देता लेकिन इसमें तो सलेक्ट कमेटी का मोशन मूव होते ही any member may

(श्री राजबहादुर)

suggest that the points should also be considered and I suggest that the points raised in the petition, of which the notice has been taken by the High Court, must be considered by the Select Committee.

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ठीक है आपने जो सुझाव दिया उसका भी ध्यान रखा जायगा। इसमें कई माननीय सदस्यों ने एक अन्य प्रस्ताव दिया है कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय मैं उनके नाम पुकारता हूं:—

श्री हरीश शर्मा, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री नाथूसिंह, श्री हीरालाल आर्य, श्री बालचन्द आर्यवीर, श्री अनंगकुमार, श्री हंसराज शर्मा व श्री रामकिशोर मीणा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा [सेवा मामलों लिए अपील अधिकरण] (संशोधन) विधेयक, 1981 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह उन्होंने कर दिया था कि प्रभारी मंत्री चेयरमैन होंगे और 10 अन्य सदस्य होंगे जिनके नामों की घोषणा बाद में कर दी जायगी।

राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने व्यवस्था दी थी प्रवर समिति को देने के लिए, आपने यहां पर यह व्यवस्था दी थी तीन दिन पहले। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार के समय आपने बताया था कि राजस्थान शारीर विधेयक को आज न लेकर अगले सत्र तक प्रवर समिति को····

श्री हीरालाल देवपुरा : (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सदस्य को जल्दी बहुत रहती है।

एक माननीय सदस्य : प्रगतिशील हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति के चेयरमैन को शामिल करके इसके 11 सदस्य होंगे। 10 सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में कर दी जायेगी।

श्री राजबहादुर : मेरी केवल एक आपत्ति है इसमें राजस्थान शरीर लिखा है यह मृतक शरीर होना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह शरीर नहीं है शारीर है।

श्री भगवानदास शास्त्री : पार्थिव शरीर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक में कुछ माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का सशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

श्री कैलाश मेघवाल, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री नाथूसिंह, डा. उजला अरोड़ा, श्री गुलाब चंद कटारिया, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री बंसीलाल पटवा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि इसको मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित किया है। मेरा निवेदन करना यह है कि इसके अन्दर जो आपने बताया है कि मृत शरीर तो वे अनेक प्रकार के है हिन्दुस्ताम के अन्दर अनेक साधु सन्यासी जो लावारिश होते हैं।

मेरा निवेदन है कि कई व्यक्ति एक्सीडेन्ट केस में मर जाते हैं और उसके आधार पर उनका कई दिनों तक पता नहीं लगता है इसलिए,....

श्री अध्यक्ष : यह सभी प्रश्न सलेक्ट कमेटी में आ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है कि मृत शरीर में हमारे आदरणीय व्यक्ति, कई हमारे पूजनीय व्यक्तियों को मृत मानकर, मुर्दा मानकर डाक्टरों के सुपुर्द न कर दिया जाय। मेरा निवेदन करना यही है कि इसमें इस बात की बहुत कुछ गुंजाइश रह जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सलेक्ट कमेटी के सामने यह सारे प्रश्न आ जायेंगे।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे—

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री नाथूसिंह)

इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के क्रम से नाम लूंगा उस क्रम में खड़े होंगे और बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक 1981 में जो संशोधन लाया गया, उसका पर्पज तो ठीक है, कोई संकट आ जाय अकाल के समय या बाढ़ के समय, कोई संकटापन्न घड़ी आ जाय तो हम माल यान अधिग्रहण कर सकते हैं लेकिन हमने देखा है कि चुनावों के समय इसका भयंकर दुरुपयोग हुआ है। अभी अभी कुछ दिनों पहले जो दुरुपयोग सरे आम हुआ कांग्रेस रैली के नाम पर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, वह इस कानून को लागू करने से थोड़े ही होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें कोई प्रोवीजन नहीं है कि अकाल में, आज मालयान एक साधारण चीज हो रही है। गरीब से गरीब ड्राइवर भी आज वित्त निगम से लोन लेकर ट्रक ले लेता है और ट्रक लेकर अपनी उदरपूर्ति करता है। एक तरफ वह गरीब बना हुआ है दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कम्पनियां 25-25 और 50-50 ट्रक सड़कों पर चलाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब अधिग्रहण किया जाय तो आप कानून में यह प्रावधान रखिये कि फर्स्ट प्रायोरिटी बड़े लोगों की, उसके बाद मध्यम श्रेणी के और उसके बाद जो एक एक ट्रक लेकर अपनी उदरपूर्ति करते हैं उनको दें। अधिग्रहण करने के लिए अधिग्रहित किया जाय वरना निश्चित रूप से इस कानून का दुरुपयोग होगा। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस कानून को तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेजा जाय, तीन महीने बाद इसको वपस फिर से सदन में लाया जाय और पुनर्विचार किया जाय। इसका जो उद्देश्य है वह तो ठीक है लेकिन उद्देश्यों के साथ इसकी विस्तृत विवेचना की जानी चाहिये। वह विस्तृत विवेचना माल यान अधिग्रहण में नहीं हुई है। इस कानून का पहले भी दुरुपयोग हुआ है। हमने देखा है कि राजनीति से प्रेरित होकर चुनावों के समय जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन लोगों के यान जब्त कर लिये जाते हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन लोगों को इनके दुरुपयोग करने की छूट दे दी जाती है, सुविधा दे दी जाती। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि गरीब व्यक्ति, जो आज माल यान से रोजी रोटी कमाता है, को इसके तहत कम से कम छूट दी जावे, यही मेरा निवेदन है।

(3.5 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल मीणा

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, इस बिल को लाने का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, नीयत अगर साफ हो पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदया, कानून तो बहुत बना देते हैं, पास भी करा ले जाते हैं, लेकिन जब उसको लागू किया जाता है तो जनता के बीच में उस कानून की हत्या स्वयं सरकार अपने हाथों से करती है। माननीय सभापति महोदया, मैं कुछ महीनों पूर्व का उदाहरण देना चाहूंगा। बिधेयक में पहले प्रोविजन था, उस प्रोविजन के अनुसार केवल आपने यह रखा कि अकाल और अभावग्रस्त के मामलों में माल यान का अधिग्रहण किया जायगा। इस कानून को लागू किया जायगा। लेकिन क्या 16 फरवरी को राजस्थान के अन्दर अभावग्रस्त क्षेत्रों में माल ले जाने के लिये आपने उस समय ट्रकों को जब्त किया था, बसों को जब्त किया था? क्या आदमियों को भरने में, अभावग्रस्त क्षेत्र में ले जा रहे थे, दिल्ली अभावग्रस्त जगह थी?

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, वहां अकाल था, वहां अभावग्रस्त मामला था? लेकिन सभापति महोदया, अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून की धज्जियां जनता नहीं स्वयं सरकार उड़ाती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री सभापति : आप व्यवधान न डालें। मैं निवेदन करूंगी कि इसको आप जल्दी समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि कानून का पालन सरकार नहीं करेगी तो हमारे सामने समस्या आ जायगी। उस दिन जब कानून की धज्जियां उड़ाकर ट्रकों को पकड़ा गया, माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने लोन लेकर एक ट्रक का इन्वेस्टमेंट किया, ट्रक खरीदा बस खरीदी उन बसों और ट्रकों को बिना नोटिस दिये रास्ते में पकड़ लिया गया और कई दिनों तक उनको पैसा नहीं दिया गया। उनको पकड़-पकड़ कर लाया गया, आज उन लोगों के साथ क्या हुआ, पेमेन्ट नहीं हुआ, मेरा यह आरोप है सरकार पर। इसलिए, सभापति महोदया, जिन ट्रकों का पेमेन्ट नहीं किया गया, यह कानून मौजूद था उस समय लेकिन उन लोगों को संरक्षण नहीं दिया गया। सभा-

(श्री नाथूसिंह)

पति महोदया, चुनाव होते हैं, चुनावों में इस तरह से पकड़ लिए जाते हैं। कोई एक ट्रक दौसा में माल लेने जा रहा है, उनका कण्ट्रक्ट हो चुका है कि माल लेकर जायगा लेकिन आपके कानून की व्यवस्था है, आप उसका दुरुपयोग करते हैं घाटगेट तक वह पहुंचता है और उसको पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से बीच ऑफ कन्ट्रक्ट में पैसे देने पड़ते हैं, उसको लॉस होता है, क्या उसकी सरकार जिम्मेदारी लेगी ? इसमें अमेण्डमेंट कीजिये। आप तभी उस माल यान का अधिग्रहण करें जबकि 15 दिन का, 10 दिन का, एक सप्ताह का नोटिस दें कि आपके माल यान का अधिग्रहण करेंगे. आप ऐसा प्रोविजन कीजिये। जिससे वह पहले कण्ट्रक्ट नहीं करे पहले से व्यवस्था रखे कि सरकार इसको लेने वाली है, उसके हिसाब से हो। बिजनेस में इन ट्रकों को लगाते हैं, अपनी बस को लगाते हैं, लोग स्वयं की सर्विस में बसेज को लगाते हैं, पहले से व्यवस्था की जानी चाहिये —

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : लम्बा भाषण नहीं।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट में। जो समस्या है उनको पता नहीं रहता है, मैं सुझाव दे रहा हूं, महत्वपूर्ण सुझाव है, प्रेक्टिकल डिफिकल्टी आती है लोगों के सामने। आप पहले प्री नोटिस देकर सात दिन का, अधिग्रहण करेंगे तो उसमें असुविधा नहीं होगी। सभापति महोदया, एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आज सरकारी अधिकारी कई बार इस कानून का सहारा लेकर, सभापति महोदया, ट्रक वालों बस वालों प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं, उनको तंग करते हैं, उनको चाहे जब पकड़ लेते हैं, अपने प्राइवेट काम के लिए पकडते हैं, मकान बनवाना होता है, पत्थर डालने के लिए पकड़ लिया जाता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं आप इस तरह का कोई अमेन्डमेंट करें, कोई अधिकारी इस तरह की गलती करता हुआ पकड़ा जाय, इस तरह से बिना कानून के पकड़ ले तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। इसके साथ साथ, सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिछले एक महीने पहले ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक सैकण्ड में माननीय सभापति महोदया। इस तरह से, माननीय सभापति महोदया, सरकारी अधिकारियों ने इस कानून का उल्लंघन करके स्टेडियम में दो सौ ट्रकों को इकट्ठा किया। आपके यातायात विभाग और कई विभाग के लोग गये। किस प्रकार से इकट्ठा किया, किस कानून के अन्तर्गत इकट्ठा किया ? प्राइवेट बसेज और ट्रकों को जमा किया क्या सरकार इसकी जांच करेगी। मुझे विश्वास है, माननीय मन्त्री महोदय इस मामले में खुशी से, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगाया गया था उस मामले में इसलिए उस मामले को बचाने के लिए, जांच की घोषणा करेंगे। इस तरह से ट्रकें और बसें गैर कानूनी तरीके से इकट्ठी की गई थीं स्वयं कमेटी बिठाकर जांच करायेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आपको बधाई दूंगा। इसलिये जो

(श्री नाथूसिंह)

कानून बनाया है, अच्छा है, इस कानून से मैं बिलकुल सहमत हूं। मगर जिस तरह से इस कानून की धज्जियां सरकार उड़ाती है, सरकार की नीयत साफ नहीं है और इन कानूनों का खुले रूप से उल्लंघन होता है, हम उस बात से सहमत नहीं हैं। इसलिए सरकार को सावधानी बरतनी चाहिये और स्वयं को कानून नहीं तोड़ना चाहिए, आपको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार भी इस तरह के कानून तोड़ें या जिस अधिकारी ने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, अधिकारियों को संरक्षण नहीं दें।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदया, जिन आधारों को लेकर हम यह संशोधन ला रहे हैं हर एक के मन को बहुत अच्छा लगने वाला है। अकाल पड़ जायं या कोई बाढ़ आ जाय, विपदा पड़ जाय, भूकम्प आ जाय जिसमें कोई चीज किसी स्थान पर पहुंचानी हो तो इस कानून के सहारे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन, श्रीमन्, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या मानसिक स्तर इतना गिर चुका है कि विपदाओं के समय भी हिन्दुस्तान के हर काम को चलाने के लिए हमें कानून का डंडा लेकर आदमी को मजबूर करना पड़ेगा कि फलां स्थान पर दुर्घटना हो गई इसलिए तुमको जाना पड़ेगा ? जो हमारा इतिहास है, परिपाटियां हैं, जिन मूल्यों के लिए हिन्दुस्तान जाना जाता है वह शायद इससे रफा दफा हो जायेंगी। मैं जरूर मान सकता हूं कि चुनाव में शायद लोगों की इच्छा नहीं हो सकती कि गाड़ियां दें, क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं हो सकती लेकिन हमारे गांव में घटना हो जाय तो जिसके यहां दो गाड़ियां हैं उसको कहें, फलां जगह दुर्घटना हो गई, तुमको जाना है, वह मना करता है ? हमारे जीवन मूल्य का पता ही नहीं इसलिए बार-बार कानून बना बनाकर केवल मानसिक स्थिति को गुलाम बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसके कारण से जीवन स्तर आगे आने वाले समय में इतना गिर जायगा कि हमको शायद हर चीज के लिए कानून लाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास गाड़ी है तो क्या मैं भूकम्प के समय कोई चीज पहुंचाने के लिये नहीं दूंगा ? मुझे भय है इस कानून की आड़ में लोगों से वैमनस्य निकालने का प्रयत्न किया जायगा। यह भय इसमें दिखाई देता है। अगर यह भय नहीं हो और यह हो कि हम इसका अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे, अगर यही मंशा है तो मेरा एक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

निवेदन है कि आपके ट्रान्सपोर्ट विभाग में सारे लोगों की सूचियां रहती है कि किन लोगों के पास कितने व्हिकल्स हैं, उनका क्या उपयोग करते हैं, किस काम के लिए हैं। हो सकता है मेरे पास एक ट्रक है लेकिन मैंने ऐसे काम में लगा रखा है जो जीवनोपयोगी वस्तुयें पहुंचाने का काम है। हो सकता है मेरा ट्रक किसी फैक्ट्री में काम करता है जिसके हटाने के कारण से प्रोडक्शन पर फर्क पड़ सकता है। हो सकता है, जीवन यापन का वही एक मात्र साधन हो। अगर आप वैमनस्य पालना चाहें तो मेरी गाड़ी को ले जायेंगे लेकिन जिसके पास 30-30 गाड़ियां हैं जो केवल माल ढोने के लिए प्रदेश में ही नहीं सारे भारत-वर्ष में जाती हैं। मैंने कई बार देखा है पिछले चुनावों के बाद मेरा अनुभव है कई बार विभाग क्या करता है, वे लोग जो बोल नहीं पाते, मासूम हैं, अनपढ़ हैं जिनके पास टेलीफोन नहीं है, जिनके साधन नहीं हैं, उनकी गाड़ियाँ तुरन्त सीज कर ली जाती हैं। आप हुक्म कर देते हो कि चलो गाड़ी खड़ी कर दो। लेकिन जो साधन सम्पन्न हैं, जिनकी मित्रता बड़े बड़े लोगों से है उनका तुरन्त टेलीफोन आना शुरू हो जाता है और टेलीफोन आते ही गाड़ियां रिलीज कर देते हैं कि इनको छोड़ दिया जाय। इसमें मुझे लगता है कि हमारी नीयत साफ नहीं है। हमें भी कानून के अनुसार चलना चाहिये। मैं चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के पास केवल एक ही व्हिकल है उसको इस कानून से मुक्ति मिल जाय जिससे कम से कम उसको राहत मिल सके, यही मेरा सुझाव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द न करके जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय जिससे हिन्दुस्तान के उस व्यक्ति, जो अपनी मेहनत से परिवार को पालता है, को कम से कम अपने विचार रखने का, तर्क देने का मौका मिले, साथ ही इस सरकार की जो नासमझी है उसको समझाने का प्रयत्न कर सके। इसका उसको मौका मिले, यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : बन्सीलाल पटवा।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, राजस्थान माल-यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने विचार व्यक्त किये, उनमें से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के प्रश्न को लेकर यह संशोधन लाया जा रहा है, यह बहुत ठीक लगता है। इस तरह के जब-जब कठोर नियम बनाये जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट मशीनरी उनका दुरुपयोग करती है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन यही है कि इसमें कुछ इस तरह की पाबन्दियां लगाई जायं जिससे कम से कम इसका दुरुपयोग न हो, नहीं तो आम तौर पर हमने देखा है, पिछला इतिहास साक्षी है कि इस तरह से जो कानून बने हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। चुनाव के दिनों में जिस तरह से गाड़ियां ली जाती हैं फिर किस तरह से रिलीज की जाती हैं, या सारा पक्षपात का तौर तरीका अपनाया जाता है, उस

(श्री बंसीलाल पटवा)

दृष्टि से इसमें भी हमको संदेह उत्पन्न होता है। मेरा निवेदन है कि संशोधन विधेयक जो लाया गया है जहां तक इसकी मन्शा है, अच्छी लगती है लेकिन कुछ इस तरह की पाबंदियां लगाई जायं। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय, यही आपके माध्यम से मेरा निवेदन है।

श्री राजबहादुर : एक निवेदन है।

श्री सभापति : आपका तो नाम ही नहीं है।

श्री राजबहादुर : कन्सीडरेशन के स्टेज पर नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा अधिकार है अपने विचार व्यक्त कर सकूं, लाजिमी नहीं है कि मेरा अमेंडमेंट हो तब बोलूं।

श्री सभापति : मेरे खयाल से जिन व्यक्तियों ने जनमत जानने के लिए संशोधन दिया है वही बोल सकते हैं अन्यथा नहीं। आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर रह चुके हैं।

श्री राजबहादुर : अमेंडमेंट के बिना भी कन्सीडरेशन स्टेज पर बोल सकते हैं, यह बिलकुल अनुचित होगा कि हमें इस प्रकार बोलने से वंचित रखा जावे।

श्री सभापति : मैं पता लगा लेती हूं कि नियम क्या है, नियम होगा तो आपत्ति नहीं।

कहते हैं कि अमेंडमेंट नहीं है तो भी बोल सकते हैं।

श्री राजबहादुर : मुझे विशेष इसमें समय नहीं लेना है। दो तीन बातें कहनी हैं। एक तो काफी जोरों से कहा गया और मैं भी मानता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये, पक्षपात नहीं होना चाहिये ऐसा आश्वासन सरकार की ओर से आये कि जो भी अधिकार आप ले रहे हैं जिसकी पहुंच है ...जिसकी सिफारिश है उसको आप करें, यह उचित नहीं होगा।

दूसरी बात, यह भी है कि सन्त तुलसी दास ने कहा था "दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।" दैहिक की बात छोड़ दीजिये, दैविक का मान लिया लेकिन भौतिक की भी तो फिक्र करिये कहीं बम्ब फट गया, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ और हो गया, उस समय आप क्या करेंगे? फिर विधेयक लायेंगे संशोधन के लिए? इसमें आपने लिखा है फेमिन एण्ड स्केयरसिटी के अलावा फ्लड, अर्थकुएक एण्ड एनी नेचरल कैलेमेटी। नेचरल कैलेमेटी में बम्ब नहीं आता है और एनी अदर कैलेमेटी जब नहीं आती, आग लगना उसमें नहीं आता। आग भी हो सकती है, किसी ने लगा दी हो इसलिये मेरी विनती है कि अगर इस चीज को कवर नहीं किया है, इसको कवर करने के लिये ईश्वर न करे आपको जरूरत पड़े लेकिन अगर आज पड़े तो क्या करेंगे? आपको अधिकार नहीं होगा। इसलिए मैं दैहिक की बात नहीं करता लेकिन दैविक और भौतिक का विचार होना चाहिये। इसके अलावा मैं फिर दोहराऊंगा कि जो पाइन्ट लाया गया

(श्री राजबहादुर)

है वैल्ड है, लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिये।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया, मुझे बड़ी खुशी है जो अमेंडमेंट दिया गया है इसके सम्बन्ध में काफी लोगों ने अपने-अपने विचार दिए हैं। उसमें करीब–करीब सभी इसका स्वागत भी करने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक अभाव अकाल का, इन दो प्रश्नों का सम्बन्ध है वहां तो अधिकार है स्केयरसिटी का, फेमिन का कानून के अनुसार। उसके बाद अनुभव किया गया कि कहीं बाढ़ हो सकती है भूकम्प हो सकता है, और नेचरल कैलेमेटी हो सकती है तो उसके लिये भी आवश्यकता पड़ने पर हम ट्रकों को दूर–दूर चीजों को लाने ले जाने के लिये लें उसके लिये सारा संशोधन किया गया।

अब चूंकि इसमें संशोधन करने का प्रश्न पैदा हुआ इसके पीछे भावना कोई इसका दुरुपयोग करने की नहीं है। चूंकि चुनावों के दिनों में आमतौर पर ट्रकों को अधिग्रहण किया जाता है उसके बाद में टेलीफोन आते हैं और उनको फिर छोड़ दिया जाता है। अभी यहां पर किसान रैली की बात भी उठाई गई। इसमें अकाल, अभाव और भूकम्प तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिये जो आते हैं उनके लिये तथा सारे प्रश्नों को जोड़ने की इसमें आवश्यकता है इसलिये मुझे उचित प्रतीत होता है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसका उपयोग राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं किया जाय और न ही इसका किसी तरह का दुरुपयोग ही किया जायगा। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह आधार रखा कि ऐसा होता है जो आधार दिये हैं वह नहीं रहते हैं। ऐसा भी होता है जब चुनाव होते हैं तो जिसके पास दो ट्रक होते हैं उसका एक ट्रक ले लिया है और जिसके पास तीन ट्रक होते हैं उसमें से दो ट्रकों का अधिग्रहण कर लिया जाता है और इससे ज्यादा होते हैं तो ज्यादा लिये जाते हैं। तो यह सारे आधार रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिये। अब जहां तक प्रश्न चुनाव का है या रैली का प्रश्न है, यह प्रश्न नहीं है इसमें तो केवल प्रश्न, जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसका है। उसको आगे बढ़ाया है। इसके अलावा केवल इसमें स्केयरसिटी और फेमिन थे उसको हमने आगे बढ़ाया है अर्थकुएक, फ्लड और एनी कैलेमेटी के लिए बढ़ाया है। इसके आगे कुछ नहीं है कानून के अन्दर जो ट्रकों को ले जाने का है ट्रकों को जो रोक लेने का है उसमें हमने चेन्जेज किया है। इसमें हमने जो मोटर व्हिकल्स एक्ट है उसमें चेन्ज किया है। अब इससे जो नया चेन्ज हम करने जा रहे उसमें यह है कि,

"Notwithstanding anything contained in the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939) or the rules made thereunder or in any law for the time being

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

in force it shall be lawful to use a goods vehicle requisitioned under section 3 for the purposes of transport of person."

यह हमने मोटर व्हिकल एक्ट में किया है इसको तो हमने सिर्फ क्लीयर किया है। यह कोई दुर्घटनायें हों। या प्राकृतिक आपदायें हो ऐसे प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को हम लेकर चले हैं इसमें कोई राजनैतिक उपयोग या दुरुपयोग किसी प्रकार का किया जायगा वह नहीं होगा, यह मैं वास्तव में विश्वास दिला कर कह सकता हूं।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : इसकी क्या गारन्टी कि मिस यूज नहीं होगा ? पहले भी इसका मिस यूज हुआ है। आप इसकी क्या गारन्टी दे सकते हैं कि यह मिस यूज नहीं होगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभा-पति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाय। यह तो हो चुका है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राज-स्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक , 1980 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विधेयक का पारण

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभा-पति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पारित किया जाय।

श्री राजबहादुर : यह कैसे हो सकता है। इस पर क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस बिल पर कोई संशोधन ही नहीं है। आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदया, इसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले क्लाज-बाई क्लाज कन्सीडरेशन होता है। फिर क्लाज बाई क्लाज पास होता है फिर प्रिएम्बल वगैरह पास होते हैं। मन्त्री

(श्री राजबहादुर)

महोदय ने डाइरेक्ट ही कैसे पारित करने के लिये कह दिया है।

श्री सभापति इसमें कोई संशोधन नहीं है इसलिये पारित किया जा सकता है।

श्री राजबहादुर : यह किया हुआ बेकार हो जायगा। इस बिल को पारित किया हुआ नहीं माना जायगा।

श्री सभापति : क्लाज बाई क्लाज तब डिस्कशन होता है जबकि कोई अमेंडमेंट्स हों। इस पर कोई अमेंडमेंट्स तो है नहीं।

श्री राजबहादुर : पहले क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होता है। फिर क्लाज एज अमेन्डेड पारित होता है।

श्री सभापति : अभी तो विचारार्थ लिया जा रहा है आपको बोलना हो तो बोलिये।

श्री राजबहादुर : देखिये केवल यही नहीं होता हैं पहले जनरल डिस्कशंन्स होते है फिर क्लाज बाई क्लाज लिया जाता है और फिर प्रिएम्बल वगैरह सभी को पास करने के बाद पारित होता है बिल।

श्री सभापति : जो सदस्य बोलना चाहते हैं वह बोल सकते हैं उनको बोलने की अनुमति दी जाती है। आप बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री नाथूसिंह : इस पर तीन रीडिंग होगी, सभापति महोदया, फर्स्ट रीडिंग, सैकिण्ड रीडिंग और थर्ड रीडिंग।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया, इस बिल पर कोई संशोधन प्रस्ताव ही नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्लाज नम्बर वन् टू और पांच तक पास किये जाने के बाद प्रस्तावना भी पास किया जाता है। तब पास होता है।

श्री सभापति : जब इसमें कोई अमेन्डमेन्ट ही नहीं आये हैं तो फिर क्या।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अमेन्डमेन्ट तो प्रस्तावना पर भी कभी नहीं आते हैं।

श्री सभापति : अभी तो इस बिल को विचारार्थ लिया जा रहा है इस पर विचार किया जाय इसलिये विचार कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं इस बिल पर अपना विचार करते हुए.

श्री सभापति : आप जो कुछ विचार करना चाहे, विचार कहें, आप विचार करिये।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब एक व्यक्ति के पास एक ट्रक हो और उस ट्रक को अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस सबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास एक ट्रक होता है उसको अधिग्रहित नहीं किया जाय दूसरे जिन लोगों के एक ट्रक जीवन उपयोगी काम में गये हुए हैं उनके ट्रकों को अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिये। सभापति महोदया, इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि आज भी जो बीस साल पुराने ट्रकों के किराये दिये जाते थे वह दिये जा रहे हैं किराये के 80-90 रुपये एक दिन का, लेकिन जो ट्रकों का खर्चा होता है वह एक ट्रक का डीजल का खर्च और टैक्स वगैरह मिलाकर, अगर एक ट्रक खड़ी रहे तो भी, उसके दो रुपये रोज से कम खर्चा नहीं पड़ता। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, कि ट्रक मालिक को ट्रक का किराया कम से कम तीन सौ रुपये रोज दिया जाना चाहिये। सभापति महोदया, इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो एक ट्रक खरीदता है, वह ट्रक मालिक, एक ट्रक वाला तो बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पैसे बैंक वगैरह से लोन से ट्रक खरीदता है तो इस तरह उसको नुकसान होता है। इसलिये ऐसे नेक काम के लिये जो ट्रक लिये जावें उनको नुकसान नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति के एक ही ट्रक हो उसका ट्रक नहीं लिया जावे। इसके अलावा जिसका ट्रक जीवन उपयोगी काम में आता है उसका ट्रक भी नहीं लिया जाना चाहिये तथा ट्रक का किराया कम से कम 300 रुपये ट्रक मालिक को दिया जाना चाहिये। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मेरा इस बारे में आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन है कि यह जो कानून लाया गया है इसमें सरकार की मंशा खराब है आप भी जानते हैं मंत्री जी।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मन्शा खराब नहीं है हमारी।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, जो अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है सरकार को अगर जरूरत पड़ी, उसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है मैं खुद किसान हूं।

(व्यवधान)

किसानों को आज ब्लैक मेल किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : जैसे जबर्दस्ती रैली में ले गये आप, किसान रैली में।

श्री यदुनाथ सिंह : जबर्दस्ती नहीं वह

(148)

(श्री यदुनाथ सिंह)

अपनी मरर्जी से गये थे, धोखा देकर नही ले गये थे।

एक माननीय सदस्य : आपके पास शिकायत हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हां, मेरे पास शिकायत है, मेरे पास अर्जियां पड़ी हैं। वह तो कोर्ट्स में केस चल रहे हैं।

सभापति महोदया, यह अमेन्डमेंट लाने का मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार को क्यों जरूरत पड़ी ? जब कभी ऐसी बात आती : नेचरल कैलेमेटी तो श्री कटारिया जी ने ठीक कहा कि हमारा नेशनल करेक्टर इतना गिर गया है कि कहीं आग लग जाय या कहीं ओलावृष्टि हो जाय या नेचरल कैले मेटी आ जाय। और ऐसी ही कोई समस्या हो तो लोग अपना ट्रक और व्हिकल न दें, हमारे देश का करेक्टर इतन तो गिरा नहीं है। मुझे फिर शक है कि जितना रूलों मे मिस यूज किया है पता नहीं अपने ऊपर आने वाले संकट के ऊपर भी, सरकार सकट मान ले, और कल को इसका भी मिसयूज करे तो खुले दिल के साथ उनके चेहरे से ही पता लग जायगा। कि क्या कहना चाहते हैं? वह घोषणा करें कि, इसका किसी भी सूरत में मिसयूज नहीं किया जायगा और जैसा सब सदस्यों ने राय जाहिर की कि जिस के पास एक ट्रक है, जो कि जीवनोपयोगी है, उसको नहीं लेना चाहिए, हां, जिनके पास ट्रान्सपोर्ट कम्पनी बड़ी बड़ी हैं उनसे लिया जायगा।

रोडवेज की बसें दिल्ली ले जा सकते हैं इस-लिए कम से कम जिनके पास एक ट्रक है उनमे नहीं लिया जायगा और पुरानी रेटस को चेन्ज किया जाय और इसकी क्या आव श्यकता थी, इसको मंत्री महोदय स्पष्ट घोष-णा करें कि किसी भी सूरत मे इसका आगे मिस यूज नहीं होगा। आज तक हुआ, सो हुआ।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महो-दया, मै फिर माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि हमको आप कहें। नीति तो ठीक है कि अकाल पड़ जाय या प्रभाव-ग्रस्त हो जाय, लेकिन नीयत साफ नहीं है।

इसलिए नीयत साफ की घोषणा करें कि जैसे पहले दुरुपयोग किया गया वैसे दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं यह आश्वासन मंत्री महोदय से सदन में चाहता हूं : यह घोषणा करें कि जिस तरह से पहले दुरुपयोग किया गया वैसा आगे दुरु-पयोग नहीं किया जायगा।

जो दुरुपयोग करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आप सदन मे घोषणा करदें।

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री राजबहादुर: सभापति महोदया मैं पाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। यह थर्ड रीडिंग चल रही है लेकिन सैकिण्ड रीडिंग

(श्री राजबहादुर)

पूरी ही नहीं हुई हैं। मैंने सारे रूल देखे हैं और में रूल 80 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अमेन्डमेंटस का डिस्पोजल है उसको तो नहीं पढ़ूंगा पहले लेकिन उसके बाद यह है:—

"80. SUBMISSION OF A BILL CLAUSE BY CLAUSE

Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill or any part of the Bill to the House clause by clause. The Speaker may call each clause separately and when the amendments relating to it have been dealt with. shall put the question. "That this clause (or this clause as amended, as the case may be) stand part of the Bill."

तो इसका क्लीयर इन्टेन्शन यह है बिल का कि एक एक क्लाज पर क्वेश्चन पुट किया जाना चाहिये और इसी तरह का ऊपर है जो कि रूल 77 है। उसमें भी यही है: Irrespective of the fact whether there is an amendment or not, the Speaker shall put the question "That this clause stand part of the Bill."

यह क्लीयर है। इसमें लफ्ज में जरूर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्लाज बाई क्लाज विचार छोड़ा जायगा। क्लाज बाई क्लाज पास करना होगा उसके बाद शिड्यूल का कन्सीडरेशन होगा और फिर प्रिएम्बल का कन्सीडरेशन होगा।

श्री सभापति : मैं आपका ध्यान रूल 85 के नम्बर 1 की ओर दिलाना चाहती हूं।

"when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member incharge may at once move that the Bill be passed."

बिलकुल साफ है, माननीय सदस्य। यह इसी पर है।

मन्त्री जी उत्तर दें।

विधेयक का पारण

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया, एक तो बिन्दु यह ध्यान में लाया गया कि जो हम रेट देते हैं वह काफी कम होती हैं। उसकी वजह से ट्रक के जो मालिक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती उनको काफी हानि होती है। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मूल में जो विधेयक है उसी में दिया है कि प्रिवेलिंग रेटस जो चल रही होंगी उसी आधार पर रेट का निर्धारण किया जायगा। तो जहां तक वह भ्रांति है वह अपने आप साफ

(150)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

हो जायगी। वह आलरेडी एक्ट के अन्दर है।

इसके बाद दूसरी बात और कही गई कि उसका कोई मिस यूज नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि यह जो एक्ट है इस एक्ट का सम्बन्ध निश्चित रूप से बाढ़, भूकम्प और प्राकृतिक आपदाओं से है। इसके लिए आवश्यकता होने पर इन सब साधनों का सदुपयोग किया जायगा। इतना ही मैं सदन को कह सकता हूं।

श्री नाथूसिंह : रैली के लिए नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : रैली का इससे सम्बन्ध नहीं है और मैं इसकी चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि काफी चर्चा हो चुकी है, एक सीमित विषय पर ही बात करना चाहता हूं, सीमित विषय पर ही जवाब देना चाहता हूं। इसलिए यहीं तक सीमित रह कर मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मालयान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान मालयान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक 1981

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री): माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने वाले सदस्यों के नाम:

श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री कैलाश मेघवाल, श्री रहीश शर्मा श्री हंसराज शर्मा, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री बालचन्द आर्यवीर, श्री अनंगकुमार जैन, श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री नन्दलाल मीणा, श्री नाथूसिंह, श्री रामकिशोर मीणा, श्री बंशीलाल पटवा, श्री गोपाल पचेरवाल।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने रूल 85 का हवाला दिया उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member incharge may at once move that the Bill be passed."

इसमें है no amendment of the

(श्री नाथूसिंह)

Bill और बिल पर अमेन्डमेन्ट हमने दिया है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप किस बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : जो आपने अभी पास किया है।

श्री सभापति : जी नहीं। दूसरे बिल का नाम आ चुका है और पहले वाला पारित हो चुका है। इस पर आप न बोलें...

श्री नाथूसिंह : आपने जो पास किया है वह बिल जो कि आपने प्रक्रिया सम्बन्धी सूची रखी है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दूसरा बिल प्रस्ताव प्रस्तुत कर लिया गया है और जनमतजानने वालों के नाम बोल चुकी हूं।

श्री नाथूसिंह : वही निवेदन कर रहा हूं....

श्री सभापति : अब आप नहीं बोल सकते।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, जो बिल आपने पास किया है ..

श्री सभापति : वह पारित हो चुका है। अब उसके ऊपर कैसे बोलेंगे ?

श्री नाथूसिंह : वही बोल रहा हूं प्रक्रिया सम्बन्धी...

श्रीमती कमला : कैसे भी किसी भी मैम्बर का संशोधन नहीं है।

श्री नाथूसिंह : हमने संशोधन दिया है इसमें।

श्री सभापति : यह कैसे हो सकता है कि पारित होने के बाद आप बोलें। अब आप कैसे बोल सकते हैं ?

श्री नाथूसिंह : सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। क्लाज बाई क्लाज होगा।

श्री सभापति : श्री राजबहादुर जी ने आपत्ति की और मैंने उसको साफ किया है। वह हो चुका है, माननीय सदस्य। वह समाप्त हो चुका है।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन इतना ही है ....

श्री सभापति : आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री नाथूसिंह : प्रक्रिया सम्बन्धी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मेरा निवेदन तो सुनिये, माननीय सभापति महोदया....

श्रीमती कमला : अभी सभापति महोदया ने रूलिंग दी थी तब आपने सुनी नहीं, शायद बाहर चले गये थे।

श्री नाथूसिंह : जो मैंने सुना है वह आपने नहीं सुना। जो रूलिंग माननीय सभापति महोदया ने दी थी उसको कोट करते हुए....

श्री सभापति : आपको यह ध्यान है या नहीं कि वह बिल पास हो चुका है। अब दूसरा बिल प्रस्तुत हो गया है आप रूल्स को देखिये। आप कौन से बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : उसी के बारे में बोल रहा हूं। दूसरा लिया है उस पर मैं प्रक्रिया सम्बन्धी बात बोल रहा हूं। आप सुनिये।

श्रीमती कमला : अभी आपका नाम नहीं बोला है इन्होंने।

श्री नाथूसिंह : आप पहले मुझे सुनिये। आप बिल पास कर रहे हैं। आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं मैं उस प्रक्रिया सम्बन्धी बात बता रहा हूं....

श्री सभापति : आप स्पष्ट कीजिये कि आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं प्रक्रिया पर बोल रहा हूं जो आपने यहां प्रक्रिया अपनाई है।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है कि आपके सामने एक माननीय सदस्य ने अभी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर आपने व्यवस्था दी। अब यहां पर जो बिल पास करने की प्रक्रिया चल रही है वह चल रही है कि पूरे के पूरे बिल को पास करा लेते हैं यदि उस पर संशोधन न हो। रूल 85 जो आपने कोट किया है बिल में यदि अमेंडमेंट नहीं होंगे तो कन्सर्न्ड मिनिस्टर बिल पास करने के लिए मूव करता है और वह बिल पास हो जायेगा। यदि बिल में अमेंडमेंट होंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अभी तो यह परिचालित किया जायेगा। जब पारित करने का समय आयेगा तब आप अपना यह पाइन्ट आफ आर्डर उठायें। अभी आप बहुत जल्दी कर रहे हैं।

राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

(अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभानेत्री महोदया, 1956 के राजस्व अधिनियम 15 की धारा 229 में धारा 229 (क) जोड़कर किसानों को राहत देने के मन्तव्य से यह विधेयक सदन में लाया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं जिसके बारे में मैं अपनी राय देना चाहूंगा। इस 229 धारा में संशोधन अभी जो किया जा रहा है उससे पूर्व यह

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रावधान था कि राजस्व वसूली एक मुश्त किसान कर जमा दे। अब यह प्रावधान किया जा रहा है 229 (क) जोड़ कर कि राजस्व, जिसको हम लगान के रूप में जानते हैं, को तीन वर्षों की अवधि तक छोटी-छोटी किश्तों के रूप में मय ब्याज के किसान जमा करा सकता है। मैं प्रभारी मन्त्री जी से यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप उन किसानों को एक तरफ राहत पहुंचाना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से महाजन लोग इन किसानों से ब्याज लेकर इन किसानों को एक जाल में फंसा रहे हैं उसी तरीके से आप गरीब किसानों से ब्याज भी वसूल करना चाहते हैं। यह युक्तिसंगत नहीं है। आप एक तरफ किसानों को किश्तों के ऊपर छूट देकर राजस्व की वसूली के तहत एक राहत दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं गरीब किसानों से ब्याज की राशि भी वसूल करना चाहते हैं, यह युक्तिसंगत और न्यायसंगत नहीं है। इसलिये ब्याज की राशि छूट के अन्तर्गत रखी जाये। दूसरी ओर इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो कुर्की की कार्यवाही की जायेगी राजस्व वसूली के अन्तर्गत उसकी कुर्की का खर्चा भी गरीब काश्तकार से वसूल किया जायेगा। यह एक प्रशासनिक व्यय है जिसका भार एक साधारण किसान के ऊपर न रखकर सरकार को अपने ऊपर रखना चाहिये और मैं यह सुझाव देता हूं कि जो संशोधन आप करने जा रहे हैं उसमें कुर्की का भार किसानों के ऊपर न रखकर वह भार राज्य सरकार स्वयं वहन करे।

इसके अलावा जो आप तीन वर्षों की अवधि में किसानों को जो छूट देने जा रहे हैं वे काश्तकार कौन से होंगे, उनकी जोत का आधार कौन सा होगा? सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र में किसान कितनी-कितनी जोत के आधार पर किस श्रेणी में आयेंगे, इसके लिये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि लघु कृषक, सीमांत कृषक और बड़े किसान इस सब बातों के बारे में इस विधेयक में, इस संशोधन में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिये कि किन किसानों को इस अधिनियम, जिसमें संशोधन किया जा रहा है, के अन्तर्गत तीन वर्षों की छूट देंगे? किन-किन काश्तकारों को जिनके पास सिंचित क्षेत्र में जैसे 25 बीघा, 50 बीघा, 75 बीघा इतनी—इतनी भूमि है इन लोगों को तीन वर्ष की छूट होगी। इसके अतिरिक्त जो तहसीलदार को आपने इस सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर और कलेक्टर के साथ जोड़ा है इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि छोटे-छोटे भू-राजस्व के मामले सहायक कलेक्टर अपने जिम्मे न लेकर के इसमें काफी समय लगाते थे इसलिये आपने तहसीलदार को यह पावर देकर इन मामलों को निपटाने के लिये जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य है लेकिन प्रभारी मन्त्री जी को मेरा यह सुझाव है कि ब्याज और कुर्की के बारे में जो खर्चा वसूल किसानों से करते हैं इस बारे में स्पष्ट प्रावधान कर दें। ब्याज की राशि को छोड़ दें और कुर्की की राशि को भी छोड़कर स्पष्ट प्रावधान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रखें। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदया, मुझे इस विधेयक पर बोलना है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : डा. उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री त्रिलोकसिंह : यह ऐसा विधेयक है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रस्ताव भेजा है पहले उन्हें बोलने दीजिए। माननीय सदस्य, जिनका नाम है, बोलने दीजिये....

श्री त्रिलोकसिंह : मुझे बोलना है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको बाद में समय दे दिया जायेगा, पहले जिनके नाम हैं....

श्री त्रिलोकसिंह : बाद में क्या करेंगे, जब मैं खड़ा हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप प्रक्रिया को देख लें....

श्री त्रिलोकसिंह: सब देखी हुई है। यह बिलकुल गलत बात है। मुझे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदया, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इसमें जो संशोधन किया गया है उसके लिए थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े काश्तकारों को लगान बकाया होता है या छोटे काश्तकारों का लगान बकाया होता है जब लगान बाकी होता है तो उसमें एक ऐसी स्थिति होती है या तो अकाल होता है या काश्तकारों की जमीन डूब जाती है या भयंकर अकाल हो जाता है काश्तकार अपनी क्षमता के बाहर हो जाता है, लगान देने के लिए तब मजबूर होता है तभी उनके नाम पर लगान बकाया होता है। इसके साथ-साथ जो लगान वसूली का प्रावधान रखा है मेरा उसमें

(श्री हंसराज शर्मा)

निवेदन है कि इससे जो बड़े काश्तकार हैं वे फायदा उठायेंगे। आपने राजनैतिक दबाव के आधार पर, सत्ता के लोगों को प्रभाव डालकर जिन लोगों का नाजायज फायदा उठाना है, फायदा उठायेंगे। 25 बीघा तक के जो काश्तकार हैं उन्हीं के ऊपर इन नियमों का पालन करवाया जाय।

दूसरा मेरा एक निवेदन यह है कि अब तक यह सारे अधिकार थे जिलाधीश को थे, ए. डी. एम. को थे लेकिन इस संशोधन के द्वारा आप तहसीलदारों को अधिकार देने जा रहे हैं। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तहसीलदार इतना सक्षम नहीं होता है कि सारी बातों को सोचकर निर्णय करे। इसलिये छोटे काश्तकारों का वसूली करने में बहुत ज्यादा हरेसमेंट करेंगे। आसानी से वसूली नहीं होगी। उनको टाइम देकर नोटिस देंगे और नोटिस की पालना नहीं होगी और काश्तकार की हर छोटी-बड़ी सम्पूर्ण सम्पत्ति को नीलाम करेंगे, कुर्क करेंगे तो काश्तकारों को छोटी-छोटी जोतों को छोड़ बाहर जाना पड़ेगा। इस लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। जनमत जानने के बाद ही इसको आगे पारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदया, भू--राजस्व की वसूली तीन साल की किश्तों में की जाय यह लघु कृषक के लिये, सीमांत कृषक के लिये तो उपयुक्त है लेकिन यह आप एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसके कारण कई लोग, जो वास्तव में खेती तो करते नहीं जिनका दूसरा भी धन्धा है और खेती भी साथ में है, को आप वसूली पैसे से बहुत बड़ी मुक्ति दे रहे हैं जिसके कारण से हमारी आय में बहुत बड़ी कमी होगी। तो यह तो इसमें बिलकुल स्पष्ट हो कि जिनके आय के अन्य स्रोत भी है उनके लिये कुछ अलग हो। जो केवल खेती पर निर्भर है उसके लिये तो समझ में आता है लेकिन जो बड़ा किसान है, उसको तो इसमें से निकालना चाहिये। केवल लघु और सीमान्त कृषक है उसके लिये स्पेसिफिक करना चाहिये कि इस क्रम से उनसे लगान वसूल करेंगे। अन्यथा जो समझदार हैं वे कानून का नाजायज फायदा उठायेंगे और राज्य कोष में जो धन आ रहा है उसमें वे बाधक बनेंगे। अब इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि किश्तें कितनी होंगी—तीन साल में देगा लेकिन किश्तें कितनी होंगी, यह स्पष्ट नहीं है। किश्तें मान लें माहवारी हो सकती है लेकिन कभी अकाल आ गया, कभी बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल चौपट हो गई तो, माननीय सभापति महोदया, एक तो वह पहले से ही दबा हुआ है और दबे होने की वजह से किश्तें नहीं दे पाया और उसके बाद 4, 5, 6 महीने नहीं दे पाया तो इसमें आपने प्रोविजन रखा है कि यदि कभी कोई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक किश्त नहीं दे पाता है तो उसकी सारी रकम ब्याज सहित एक साथ वसूल की जायेगी। इससे तो गरीब किसान वैसे ही मर जायगा। एक खड्डे में से निकाल कर आपने उसको दूसरे खड्डे में डाल दिया। प्राकृतिक आपदाओं के कारण तो वह पहले ही दबा हुआ है जिसके कारण वह नहीं दे पा रहा है और आपने नियम बना दिया एक किश्त भी नहीं दे पाये, डिफाल्टर हो जाय तो आप उस नियम के अन्तर्गत सारी रकम ब्याज सहित एक साथ वसूल करेंगे। कुर्की करने का आपको अधिकार है। फिर कुर्की करने का अधिकार बराबर तलवार की तरह लटका रखा है। मतलब तीनों साल की कुर्की की डिग्री आपके पास पड़ी है। इससे तो हर व्यक्ति के सामने कहीं न कहीं परेशानियां हो सकती है। कहीं भूल हो सकती है, कई बार कुछ कारणों से देरी भी हो सकती है। अगर आप इन्टेन्शली करना चाहें तो कुर्की का ढोल बजा देंगे और कुर्की हो गई तो यह तो एक ऐसा नियम है जिसके कारण गरीब को कम लाभ मिलेगा और जो समझदार हैं, कानून की पेचीदगियों को समझते हैं वह फायदा उठायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें बिलकुल स्पष्ट प्रोविजन करें। ऐसा करके आप राजस्थान के किसानों को प्रसन्न करने का तोहफा तो दे रहे हैं कि वह किश्तों को चुका सकेगा लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इन नियमों का फायदा अपने अधिकारी को मिलेगा। वह कितने मिलने वालों को ओब्लाइज करेंगे कि वह किश्तें बांट कर आराम से पैसे चुकाये लेकिन किसी किसान के साथ कोई वैमनस्य है या किसी प्रकार का अधिकारियों से टकराव है तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी और छोटी सी गलती के कारण उसके बर्तन और मकान बिक जायेंगे तो। मेरा निवेदन है इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाय।

दूसरा, तहसीलदार को जो अधिकार दिये हैं नियम 239 के अन्तर्गत कि छोटी वसूली की कुर्की और नीलामी कर सकेगा इसकी आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर और ए. डी. एम. को ही ये अधिकार दिये जाने चाहिये। तहसीलदार और पटवारियों को यह अधिकार देने से रोज किसी न किसी की नीलामी और कुर्की करेंगे। इस तरह लोग परेशान हो जायेंगे इसलिए कुछ तरमीम करने के लिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन विधेयक-1981) को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाय ताकि सामान्य किसान भी अपनी कुछ राय दे सकें। अपनी कुछ तकलीफों को इस सरकार के सामने रख सकें।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 पर मैं अपने विचार रखूंगा। यह बात सही है कि अभी जब तक राजस्व की

Page No 168

(157)

(श्री हीरालाल आर्य)

वसूली नहीं होती हैं तब तक बसूली के बिना काम नहीं चल सकता है। अभी आप आंकड़े देखें आपके तो उसमें हजारों लाखों रुपया बाकी है। वह नहीं आने से सरकार को नुकसान होता है। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों की लिस्ट उठाकर देखें तो बड़े किसानों व जमींदारों, जागीरदारों के नाम ज्यादा हैं, जो कानूनी बातों को समझते हैं ऐसे लोगों पर अधिक पैसा बकाया है। यह जो अधिनियम है इसके अन्तर्गत मुझे भी ऐसा लगता है कि जितने बड़े किसानों ने लगान का पैसा नहीं दिया है और जिनमें रुपये पड़े हैं उनको ही राहत पहुंचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया है।

इसमें जो किश्तें की गई हैं, यह बात सही है कि अधिक पैसा है तो एक साथ न देकर किश्तों में दिया जाय लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि कितनी किश्तें होंगी। किश्तों में जो पैसा वसूल किया जायगा उसमें यदि एक भी किश्त नहीं दे सका तो उस पर कुर्की करके सारी एक साथ बसूल की जायगी, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। एक अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार को अधिकार दिये हैं। तहसीलदार गाँव में रहते हैं और वे प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में रहते हैं। हो सकता है उनके प्रभाव में आकर बड़े किसानों को परेशान न कर छोटे किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान करें। इसकी भी इसमें विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये कि किन लोगों को ये रियायतें दी जायगी बड़े लोग होंगे या केवल छोटे किसान जो लघु और सीमान्त कृषक है या अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के लोग है जिन पर कोई न कोई दिक्कत आ गई है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैसे है नहीं दे सके हैं यह भी विशेष रूप से उल्लेख होता तो अच्छा होता। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां है इसलिए आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (टींगोद) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय इसमें पीछे जो मेरे भाव है, मैं चाहता हूं कि जो किश्तों की बात की है वह तीन हिस्सों मे की है तो उसमें एक तो ब्याज की बात समाप्त की जानी चाहिये। लगान बहुत छोटी राशि होती है लेकिन जब मजबूरी हो जाती है तभी लगान नहीं दे पाता है तो छोटा व्यक्ति जो तीन साल तक लगान न दे उसे तीन किश्तों में बांट देना चाहिये। उसमें मेरा निवेदन यह हैं कि उसको इस प्रकार से किया जाय कि एक साल तक बड़ा किसान लगान न दें तो उसको छूट दी जायगी, नम्बर दो मध्यम किसान दो साल का रखा जाय और तीसरे नम्बर पर जो किसान है उसको तीन साल की छूट दी जाय और ब्याज की वसूली न की जाय।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कुर्की जैसी बात होती है उसमें बड़ा अन्याय होता है। मेरी कान्स्टट्यूएन्सी में अभी कुर्की हुई थी तो और तो और उसकी पांच रोटियां भी कुर्क कर ले गये। ऐसी हालत में गांव वालों ने चन्दा इकट्ठा करके उसका भरण-पोषण किया। तो मेरा निवेदन है रोटी पर जो कुर्की होती है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्री सभापति : श्री बालचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) : सभापति महोदया, यह जो अमेन्डमेंट लाया जा रहा है इसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स तो ठीक हैं लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए जो प्रारूप में अमेन्डमेंट लाया जा रहा है उससे फुलफिल नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से जो लघु और सीमान्त कृषक हैं उनके बारे में विशेष प्रोविजन होना चाहिये। आज तक लघु और सीमान्त कृषक को सब्सिडी देते हैं और विशेष सहायता भी सरकार देती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लगान नहीं दे पाये तो इन्ट्रेस्ट और उसमें एड किया जायगा, इन्ट्रेस्ट के साथ कास्ट ऑफ रिकवरी और एड की जायगी तो एक बार ऐसी स्थिति आयगी, सभापति महोदया, इन्ट्रेस्ट के साथ जो कास्ट ऑफ रिकवरी एड की जायगी तो यह तहसीलदार के पास मनमाना हथियार है। यह राशि वह दुगुनी या तिगुनी न कर दें। कम से कम लघु और सीमान्त कृषक को तो ब्याज से मुक्त किया जाना चाहिये और कास्ट आफ रिकवरी वसूल नहीं की जानी चाहिये। दूसरा मेरा निवेदन करना यही है कि आपने जो स्पेसिफिकली निर्णय कर दिया है, पेमेन्ट ऑफ एनी इंस्टालमेंट तो जो छोटे किसान हैं उनको तो अवश्य ही ब्याज मुक्त किया जाना चाहिये। यह ठीक है कि जिनके पास 100 बीघा है, 150 बीघा जमीन है, उनसे वसूल कर लिया जाय। छोटे किसानों से कास्ट आफ आफ रिवकरी भी वसूल नहीं की जानी चाहिये।

दूसरा, सभापति महोदया, जो किया है पेमेन्ट ऑफ एनी थ्री इन्स्टालमेंट। यह बहुत बड़ी तलवार आ गई। ब्याज लगाने से और कास्ट ऑफ रिकवरी एड करने से और बोझ बढ़ेगा। और यदि एक किश्त देने से चूक गया तो इमीजिएट अटेचमेंट होकर कुर्की जारी हो गई। कम से कम यह होना चाहिऐ एनी थ्री इन्स्टालमेंट, यह अमेन्डमेंट और आना चाहिये। दूसरे, सभापति महोदया, उनको रिलीफ देने के लिए सेक्शन में नोट कर दिया, उसकी किश्तें करदी जायगी। तो किश्तें कर देने के बाद जो अटेचमेंट है जब तक वह पूरे अमाउन्ट में नहीं हो पाती है तब तक चालू रहेगा। सभापति महोदय, जब किश्तें कर दी जाती हैं तो आर्डर आफ अटेचमेंट विथ ड्रा होना चाहिये और यदि किश्त अदा करने में डिफाल्ट करता है तो दुबारा अटेचमेंट किया जाना चाहिये।

(श्री अनंगकुमार जैन)

(व्यवधान)

ताकि उसको एक बार फिर नोटिस देने का और सुनने का मौका मिल जायगा। यदि फिर वैसी परिस्थितियां होती है, कई बार यदि लगातार अकालों की स्थिति हो, इस साल भी अकाल की स्थिति है, दो साल मान लीजिए लगातार अकाल पड़ गये तो उसके सिर पर तो तलवार लटकी रहेगी और फिर इमिजिएट अटेचमेंट करके कुर्की कर लोगे तो जैसे ही कलेक्टर के माध्यम से उसके इन्स्टालमेन्ट हों, उसके बाद असेसमेन्ट हो जाना चाहिए। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी हैं। जो आब्जेक्ट और रीजन्स के मामले में बिल लाये हैं वे आब्जेक्ट और रीजन्स फुलफिल करने के लिए वास्तविक रूप से और विशेष रूप से जो लघु और सीमान्त कृषक हैं, उनको रिलीफ देने के लिए यह जरूरी है कि इस बिल को अमेंड किया जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल मीणा

(अनुपस्थित)

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदया, क्या है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब कसर निकाल लो, सारी बात कह लेना।

श्री नाथू सिंह : मैं इस मामले में सुझाव देना चाहूंगा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों की बोलिये।

श्री नाथू सिंह : किसानों की बात ही बोलूंगा। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो इसमें व्यवस्था है कि तीन साल तक की किश्तों में किसानों को सुविधा दी जायेगी। अब किसान भी कई तरह के हैं, एक तो गरीब किसान हैं, जिसको हम स्माल फार्मर कहते हैं, एक मार्जिनल किसान कहते हैं, जो मध्यम वर्ग का किसान होता है और एक बड़ा किसान। मेरा सुझाव है कि जो छोटे किसान हैं, उनको पहले तीन साल के लिए भी कर दिया जाय और मान लीजिये, भगवान न करे, जैसे अकाल पड़ जाते हैं, कई बार तीन साल तक पड़ जाते हैं इसलिए उनको दिक्कत हो जाती है। इन किश्तों को बढ़ा कर तीन साल के बजाय छोटे किसानों के लिए 5 साल कर दिया जाय। यह 5 साल की अवधि इसलिए करनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, छोटे किसान जो होते हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब रहती है। जो मध्यम किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनके लिए आप 3 साल कर दीजिए, वह ठीक है और, जो बड़े किसान हैं उससे आप एक साल कर सकते हैं, वरना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई स्थिति न हो इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो इसमें यह संशोधन कीजिए ताकि सुधार किया जा सके। दूसरा, जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया मैं उससे सहमत हूं। आपने कहा कि एक ही किश्त जमा नहीं करा सके तो उससे एक साथ

(श्री नाथूसिंह)

पिछला सारा लम्पसम में वसूल किया जायगा इस मामले में, मान लीजिए, कोई गलती हो गयी, परिस्थिति हो गयी, छोटा किसान है, गरीब किसान है, उसके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा होती ही रहती है, यदि वह बैल से खेती करता है, उसका बैल मर गया, यदि उसके कुएं पर बिजली लगी हुई है, लेकिन आपने बिजली उसको नहीं दी और फसल सूख गयी, आपने तो बिजली पिछले दिनों नहीं दी तो फिर क्या करेगा। उसकी मोटर जल गयी तो फिर क्या करेगा। डीजल नहीं मिला, डीजल का पम्प सेट लगा रखा है फिर क्या करेगा। ऐसी परिस्थितियां किसान के सामने पैदा ही सकती हैं। इसलिए लगातार 3 किश्तें अगर वह जमा नहीं कराये और उसका भी कारण आपके पास लिखित रूप में नहीं भेजा, यदि एक किश्त जमा नहीं करता है दो किश्त जमा नहीं करता है और कारण लिखकर भेज देता है कि यह कारण हो गया इसलिए मैं नहीं जमा करा पाया तो आपको लिखित कारण के ऊपर छूट देनी चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर नहीं दे तो उस पर ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए, इसलिए इस बारे में भी आप विचार करें, प्रावधान करें। दूसरा, मेरा एक और सुझाव है जो सभी माननीय सदस्यों ने दिया। लेकिन मैं और विस्तार से कहना चाहता हूं, आपने कुर्की करने की तहसीलदार को पावर दी है, इस पर आपको बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तहसीलदार और पटवारी गांव की लोकल पालिटिक्स में इन्वाल्व होते हैं। तहसीलदार कई लोगों से प्रिजुडिस हो सकता है, प्रिजुडिस होकर तहसीलदार किसी की भी नाजायज तौर पर कानूनों की खानापूर्ति करके कुर्की कर सकता है।

उस किसान की बदनामी हो सकती है गांव में इसलिए इस बारे में गम्भीरतापूर्वक इतना बड़ा जो अधिकार देने जा रहे हैं तहसीलदार, पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सदन में उठाये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह अधिकार तहसीलदार को देकर आप किसान की गर्दन पर बहुत बड़ी तलवार लटका रहे हैं। यह असिस्टेंट कलेक्टर तक सीमित था, यह प्रोविजन बिलकुल ठीक था, इसको विथड्रा करना चाहिए, और तहसीलदार को पावर नहीं देनी चाहिए। यही मेरा सुझाव है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति: श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री बंसीलाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, इस बिल के पारण तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: Any conclusion?

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल नान आफिशियल डे भी है इसलिए इस बिल को पास करवा दीजिए। इसमें 15-20 मिनट लगेंगे अगर आज हो सके तो हो जाय। इस बिल के पारण तक सदन का समय बढ़ा दीजिए

श्री सभापति: सदन की सहमति से बैठक का समय बढ़ाया गया।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बंसी लाल पटवा : माननीय सभापति महोदया, भू-राजस्व संशोधन विधेयक का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है . इसका सारा लाभ बड़े किसानों को मिलेगा। क्योंकि पिछला इतिहास, हिस्ट्री देखें, आज दिन तक जो भी नियम बने है, उनका फायदा अधिकतर बड़े व्यक्ति उठाते आये हैं। जहां तक कृषकों का प्रश्न है, इस संबंध में प्राकृतिक विपदाऐं और कई तरह के रीजन्स होते हैं, जिनके कारण किसान को परेशानी हो सकती है। जहां तक आप सोचिये, किसान को खेती करने के लिए आपने बीज दिया यदि वह बीज खराब है, उसकी फसल बेकार हो जाती है, कुछ उत्पादन नहीं होता इसी तरह से मटर का बीज दिया, जैसा कि इतिहास है, पिछली बार दिये गये बीज से एक अंकुर नहीं फूटा। तो कई रीजन्स हैं, कई इस तरह के कारण हैं, जिसके कारण किसानों को हानि हो सकती है। जहां तक किसानों को यदि वसूलियों में किश्तों की दृष्टि से लाभ दिया जाय, राहत दी जाय, यह बात हमारी समझ में आती है लेकिन उसमें कोई सीमा नहीं है। इसमे यदि कोई सीमा नहीं बांधेंगे तो छोटे किसान जितने भी है, उनको लाभ मिलने के बजाय वे दुविधा में परेशानी में पड़ जायगे जो संशोधन आप ला रहे हैं मुझे संदेह पैदा होता है कि इसका अधिकतर लाभ बड़े किसान, जिनके पास मान लो 50 एकड़ जमीन है, फार्म हैं, ज्यादा लाभ उठायेंगे और छोटे किसान को कम लाभ मिलने वाला है। इस दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि कोई न कोई वाइफरकेशन कीजिए कमाण्ड एरिया, नान कमाण्ड एरिया एक किसान की मान लो 15 एकड़ जमीन है और मान लो माली हालत ठीक नहीं है, उत्पादन ठीक नहीं हुआ है, उत्पादन नहीं हुआ, इस तरह के कुछ ग्राउण्डस हों, उस आधार पर उनकी लगान वसूली में यदि किश्तें की जाय, वह बात समझ में आती है। जहा तक ब्याज का प्रश्न जुड़ा है, छोटे किसानो से यदि उनकी किश्त की जाय, ब्याज बिलकुल वसूल न किया जाय क्योंकि, पहले से वह दुखी है फिर भी आप उसे दुखी करेंगें तो यह अनुचित होगा। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि समाजवाद की बात तो हम करते हैं लेकिन बिल, यह संशोधन विधेयक हम इस तरह का लाते हैं जिसके कारण बड़े वर्गों को बड़े किसानों को लाभ मिले। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि इसमें कहीं न कहीं एक परिधि, कोई न कोई एक सीमा आप तय कीजिए। यदि आप सीमा तय करेंगे तो उस आधार पर मैं समझता हूं निश्चित रूप से छोटे किसानों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

को लाभ मिलेगा। अन्यथा जो यह संशोधन विधेयक आप ला रहे हैं इसका सारा फायदा बड़े वर्ग बड़े किसान उठायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जो कुछ विधेयक लाये हैं, इसको स्पष्ट किया जब जाय तक हम स्पष्ट नहीं करेंगे, इसका लाभ बड़े किसानों को मिलेगा। इसके साथ साथ अन्त में एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलदारों को जो आप अधिकार दे रहे हैं, यह बिलकुल अनुचित है। आज का तहसीलदार क्या करता है, क्या नहीं करता इस बात से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। वह एक पटवारी से भी घटिया बिहेवियर किसान के साथ करता है। इस दृष्टि से तहसीलदारों पर आप कतई मत छोड़िये इस सवाल को जो सारे कलेक्टर्स हैं, एस० डी० ओ० हैं, एस० डी० एम० कलेक्टर हैं, वहां तक आप सीमित रखिये। इस बात को विथड्रा करिये, क्योंकि अगर आपने तहसीलदारों को अधिकार दे दिया तो मैं समझता हूं छोटे किसान परेशान होंगे मैं अधिक चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। तहसीलदार क्या करते हैं, कोर्ट का स्टे होने के बाद भी कई मामलों में रिलीज कर देते हैं। इस तरह कई अनियमितताएं करते हैं तो मेरा निवेदन है कि तहसीलदार के अधिकार को हटाइये और इस बात को लगाइये, सीमा तय कीजिए। ताकि बड़े किसानों को लाभ मिलने के बजाय छोटे किसानों को मिले छोटे किसानों से ब्याज कतई वसूल न हो, बड़े किसानों से अगर आपको ब्याज लेना हो तो लीजिए समाजवाद की दिशा में इस तरह का संशोधन प्रस्तुत कर सकते है, इसको इस तरह का बनाइये। मेरा यह निवेदन है कि इसको जमनत के लिए परिचालित करिये, क्योंकि किसानों का मामला है, 80 पर्सेन्ट गांव में किसान रहते हैं, इससे प्रभावित होने वाले हैं। मैं समझता हूं, लाभ देने की दृष्टि से संशोधन ला रहे हैं लेकिन इसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं और आपकी भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। मेरा निवेदन है किसानों को लाभ किस तरह से हो इस दृष्टि से राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 1981, जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक चन्द।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट है।

श्री सभापति : आपका अमेंडमेंट बाद में आएगा।

श्री सूर्यकुमार : आपका अमेंडमेंट बाद में है पहले मेरा अमेंडमेंट है।

श्री सभापति : अभी तक यह दूसरे विषय पर चल रहा है, अमेंडमेंट बाद में आयेगा।

श्री सूर्य कुमार : जिनका अमेंडमेंट है उनको पहले बोलने का मौका दिया जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका अमेंडमेंट क्लाज पर है। अभी दूसरा चरण आयेगा तब आयेगा।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदया, इस संशोधन एक्ट के बारे में मुझे

(श्री त्रिलोक सिंह)

कुछ बोलना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जमीन सम्बन्धी किस तरह के कानून थे। राजाओं और जमींदारों के जमाने में भी यह कायदा था कि अगर काल पड़ जाय तो लगान वसूल नहीं होता था। यह कांग्रेस की देन है कि अकाल पड़ने के बाद भी किसान, उस गरीब किसान से, जो अकाल से पीड़ित है, लगान वसूल किया जाता है और लगान वसूल करने में भी यह एक्ट लाकर यह दिखाया जाता है कि हम किसानों पर मेहरबानी कर रहे हैं, उसकी अचल सम्पत्ति जब्त की जायेगी, कुर्क की जायेगी। कोई कानून न इस प्रदेश में और न हमारे पड़ोस के प्रदेशों में कभी था। मुझे याद आता है कि पंजाब के चौधरी सर छोटूराम ने कानून बनाया था कि किसान की अचल सम्पत्ति किसी भी हालत में, चाहे 20 साल का लगान बकाया होगा जब भी जब्त नहीं की जायगी, किसान की जमीन कुर्क नहीं की जायगी। किसान का अनाज कुर्क नहीं किया जायेगा। किसान की औरत का जेवर कुर्क नहीं किया जायगा। यह कांग्रेस की देन है कि आज वह अचल सम्पत्ति जब्त करके भी उससे लगान वसूल करेगी। मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब है किसान लगान कब बकाया रखता है कि जब लगातार भयंकर अकाल पड़ता है, जमीन जवाब दे देती है, उसके बच्चे की रोटी की व्यवस्था नहीं होती तब वह सरकार को लगान देने में असमर्थ होता है। ऐसी हालत में भी सरकार क्या चाहती है कि उससे ब्याज लेगी इसका भी हमें बहुत ताज्जुब है। हमारा खुद का जिंदगी भर जागीरदारों से संघर्ष का ताल्लुक रहा है, हमको तजुर्बा है कि जागीरदार, राजा, नवाब कभी भी लगान का ब्याज नहीं लेते थे। हम जानते हैं कि लगान का कोई ब्याज नहीं होता। आज सरकार व्यवस्था देती है, अब सरकार कानून बनाती है और यह कह कर कानून बनाती है कि काश्तकार का भला करेंगे, काश्तकारों को रियायत देंगे। यह सरकार जो काश्तकारों के जोर से यहां चुन कर आई है, काश्तकारों की ताकत से यहां बैठी है और समाजवाद का नारा देती है, टाटा बिड़ला में अरबों रुपया बकाया पड़ा है सरकार का, वह वसूल नहीं कर सकती, वह उनके कारनामे बन्द नहीं कर सकती। राजा नवाबों में अरबों रुपया बकाया पड़ा है इस सरकार का, यह राजाओं के महल कुर्क नहीं कर सकती, उनकी जायदाद कुर्क नहीं कर सकती, और गरीब काश्तकार अगर लगान नहीं देगा तो उसकी बकरियां कुर्क कर ली जायेंगी, उसकी भैंस कुर्क कर ली जायेंगी, उसका हल चलाने का बैल कुर्क कर लिया जायगा। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि वह अधिकार भी किनको देती है, बहुत हल्के दर्जे के अधिकारियों को, तहसीलदारों को। तहसीलदार का कैसा ताल्लुक है। कैसा उसका तरीका है। महा भ्रष्ट अधिकारी वह काश्तकार को लूटेगा और यह सरकार कहेगी कि हमने तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा किया इसलिये वोट हमें दे दो। तो मैं चाहूंगा कि यह ब्याज कत्तई उड़ा दिया जावे लगान से और बकाया लगान की किश्त हो वह छः साल तक होनी चाहिये लगातार और उसकी अचल सम्पत्ति कभी भी जब्त नहीं होनी चाहिये। यह विधेयक जो आम लोगों को और

(श्री त्रिलोक सिंह)

काश्तकारों को मोटे तौर मे गांवों में भेजा जावे ऐसी भाषा में हो कि गांव का आदमी समझ सके, क्लिष्ट भाषा में नहीं होकर ऐसी भाषा मे हो जो गांव के लोग समझ सकते हों। गांव का किसान जाने कि यह क्या तोहफा आया है । उनकी राय से इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। यह मैं सुझाव रखता हूं और इन बातों की सख्त मुखालफत करता हूं कि किसान पर ब्याज लगाया जावे, किसान की अचल सम्पत्ति कुर्क की जावे। यह इंसानियत के खिलाफ भी है। यह सरकार जो समाजवाद की बात करती है एक ओर समाजवाद····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की बात करती है और दूसरी ओर गरीब हरिजन किसान जो लगान नहीं दे सकता, उसकी अचल सम्पत्ति कुर्क कर ली जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इन सुझावों के साथ मैं चाहता हूं कि यह विधेयक तब तक पास नहीं किया जावे जब तक कि आम किसानों की और जनता की राय नहीं आ जाय।

श्री सभापति : श्री शोभाराम।

श्री महाराम चौधरी : मेरा नाम बुला देती।

श्री सभापति :आपका भी आ जाएगा। आपको भी अवसर दे दूंगी। अभी तो इसके दो तीन चरण होंगे।

श्री शोभाराम (थानागाजी) : सभापति महोदया, मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। एक तो इसमें यह नहीं लिखा है कि मंथली इंस्टालमेंट होगा, ईयर्ली होगा या क्या होगा? दूसरी बात, अगर आप जानते हैं कि किसान की इम्मूवेबल प्रोपर्टी को अटेच करने का मतलब क्या होगा। जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मकान नहीं हैं, किराये में रहते हैं उनसे कैसे वसूल किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे अब तक के मौजूदा कानूनों में यह लिखा हुआ है कि स्केयरसिटी, फेमिन, नेचरल केलेमिटी, तीनों के लिए अभी कानून बने हुए हैं। स्केयरसिटी होती है तो एक साल का सस्पेंशन होता है और रेमिशन होता है और जहां रेमिशन के हम हकदार हैं वहां फिर क्या होगा? ब्याज की बात तो कर दी आपने लेकिन जहां रेमिशन सरकार कर रही है दूसरे एक्ट के तहत और इस एक्ट को मिला करके हम कनफ्लिक्ट कर रहे हैं। आखिर क्या करेगी यह सरकार। उस एक्ट के तहत जो रेमिशन देना चाहते हैं, तो यह कहें कि रेमिशन कभी नहीं मिलेगा। ये जो रीजन्स बताये हैं आपने मैं समझता हूं कि इसको इस तरीके से लिखा जावे—फार एनी सफिशियेंट रीजन्स—इसमें स्केयरसिटी, फेमिन, नेचरल केलेमिटी, इस प्रकार की अगर मान लीजिए हो। कलेक्टर के ऊपर मत छोड़ियेगा, खुद करियेगा। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि जब सैल की बात आएगी उस वक्त जा करके जो किरायेदार हैं उनसे कैसे वसूल करेंगे। अभी हमारे पास कानून में सभी प्रकार के रेमिशन, सस्पेंशन की सभी प्रकार की

(श्री शोभाराम)

प्रक्रिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को वापस लिया जावे, यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री चौधरी।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, मैं भू-राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब किसान गरीब होता है या कहतसाली पड़ जाती है उस वक्त में वसूली की अड़चन आती है। तो इस वसूली को करने के लिए किश्तें जो आपने बनाई हैं वह किश्तें उसकी सुविधानुसार, जो किसान स्वयं तय करें उसके अनुसार होनी चाहिए। इन किश्तों के साथ साथ में यह कहीं पर भी अव्यावहारिक नहीं है, आपसी लेन देन में, बड़े बड़े व्यापारियों से भी पूछ लीजिए, जब भी उसके लेन देन का सवाल होता है तो किश्तें बन जाने के बाद में ब्याज का सवाल नहीं होता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही सुझाव देना चाहता हूं कि किश्तें एक तो किसान की सुविधानुसार होनी चाहिए और ब्याज बिलकुल नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ एक साल कहतसाली हो जाती है, या अकाल पड़ जाता है तो उसके लिए आप छूट देते हैं, उस छूट को जैसे दूसरे साल भी अगर अकाल पड़ जाता है तो फिर बाद में यह वसूली बिलकुल ही नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप।

(व्यवधान)

आपको बाद में समय दे दिया जाएगा। आपका भी समय आ जाएगा। जल्दी क्यों करते हैं।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदया, भू-राजस्व विधेयक के बारे में सुझाव है, मेरी समझ में नहीं आया कि इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या थी? आज आपके सामने कई भू-राजस्व की उगाई के मामले में बातें बताई है, आज भू पति के पास करोड़ों रुपया राजस्थान का बाकी है। आज राज परिवारों के पास करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार का बाकी है। वह वसूल नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं, मेरी समझ में नहीं आया, इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों जरूरत पड़ी? भोले भाले किसान को धोखे में पटकेंगे। किसान कभी राज का बकाया नहीं रखना चाहता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर राजस्थान सरकार को आवश्यकता है इस बिल की तो 10-12 या 25 बीघा जमीन के नीचे जो किसान हो, उसके लिये तीन साल के बजाय 5 साल रखिये तीन साल होती है, उसकी आज आवश्यकता नहीं है, हमको एतराज नहीं है। उनको छूट दी जाती है तीन साल की, तो बिना ब्याज, बिना कुर्की के, बिना खर्च के दी जाय तब तो कोई राहत है। यह बिल पास किया जाना बिलकुल, अनजान किसान को धोखा देना है। जान बूझकर धोखा देना है।

आज गिरदावर को पावर दे रहे हैं। गिरदावर और पटवारी आज राजस्थान के

(श्री चतुर्भुज)

अग है। पटवारी झूठी रिपोर्ट करता है किसान की। उस पर लाखों रुपया पेनल्टी का मौजूद है। कभी किसान की पुकार, किसान की दरख्वास्त की पटवारी झूठी रिपोर्ट करता है आप इन्क्वायरी करवा लीजिये। हमने इस बात की ताईद की है पटवारी की झूठी रिपोर्ट की इन्क्वायरी करा ली जाय, जान बूझकर झूठी रिपोर्ट करता है। कभी ताईद नहीं की दूसरी 50. 20, 10, गुना जितना मर्जी आया, पटवारी के, कुर्की करवादी। यह तो आज राजस्थान की हालत है।

मेरा यह सुझाव है फिर यह किसान को धोखा देना है। अगर आप कुर्की लगाइये, दुगुना ब्याज लगायें, भू पति का करोड़ों रुपया राजस्थान के अन्दर बकाया है। जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, जिनके पास करोड़ों की, लाखों की सम्पत्ति है। उससे वसूल करिये। और राजस्थान का काम चलाइये। अभी आपने जवाब दिया कि एक लाख 84 हजार रुपया बकाया है राजस्व का। अगर आप तीन चार साल, की छूट देना चाहते हैं, यह बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर राज्य सरकार को आवश्यकता है। तो मेरा सुझाव है कि 25 बीघा से नीचे के किसानों को राहत देना चाहते हैं तो बिना ब्याज, बिना कुर्की की राहत दें। बाकी बिल के लिये कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा समर्थन है इस को वापस लिया जाय।

श्री सभापति : आप, एक सदस्य विराजमान हो जायं।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार का विशेषकर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो यह बिल लाया गया है, यदि इस भावना से लाया जाता, विरोधी पक्ष ने छोटे बड़े किसानों में फर्क करने की बात कही। तो मैं चाहूंगा कि हमारे किसान नेता सरदार पटेल की क्या भावना थी? राजाओं के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता था इसमे किसानों को बचाया जाय। 1935 में सरदार पटेल ने यह बात कही थी किसान सम्मेलन में कि यह लगान किसानों के साथ अन्याय है। एक व्यापारी की तीन हजार की इनकम हो जाय तो भी कोई टैक्स नहीं है और एक किसान की एक रुपये की इनकम नहीं है, अगर अकाल पड़ता है तो उसके घाटा होता है, तो भी यह कम्पलसरी टैक्स अन्याय है। दूसरी बात जब अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इसमें यह अमेंडमेंट लाना चाहिये था कि अकाल के कारण या बाढ़ के कारण या किसी दूसरे कारण से किसान का नुकसान हो जाता है, तो उसका सम्पूर्ण लगान माफ होना चाहिये। हमारा नैतिक हक भी नहीं है। बड़े और छोटे किसानों का भी भेद मैं बताऊंगा। उसमें किसानों को कोई फायदा नहीं है। किसान की 3600 रुपये की इनकम मान लें तो 3600 रुपये साल की इनकम से 300 रुपये माहवार होती है, तो क्या वह बड़ा किसान हो गया? आज एक चपरासी को भी 600 रुपये मिलते हैं। मेरा सुझाव है कि यह कोई विधेयक नहीं होना चाहिये। यह भी सुझाव है कि अगर कोई अकाल से नुकसान हो जाय तो सम्पूर्ण

(श्री तेजपाल यादव)

लगान माफ होना चाहिये। आज दूसरे वर्ग के मुकाबले हमारे किसानों के जरिये सरकार आती है। किसानों के हितैषी हैं, किसान से लगान लेना और आज यह इनकम टैक्स लिया जाता है, वह पांच हजार रुपये की इनकम होती है एक व्यापारी को जो दुकान लेकर बैठता है, और किसान अपने खेत पर पैदा करता है तो यह जीवन यापन का धंधा है, जिन्दा रहने का धंधा है, आदमी जिन्दा कैसे रहे। तो अकाल के समय की जो वसूली है, वह उसमें बकाया नहीं रहनी चाहिये। वह माफ होनी चाहिये। इसमें यह अमेंडमेंट होना चाहिये।

श्री सभापति : श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदया, राजस्व बिल जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि बिल को लाने की आवश्यकता नहीं थी। सभापति महोदया इस बिल में यह भेद नहीं किया गया एक तो जैसा पटवारी जी ने बताया कि कमांड एरिया है, दूसरा हमारा पहाड़ी इलाका है। सभापति महोदया, हमारे आदिवासियों के पास, जो छोटे किसान हैं, औसतन आधा बीघा जमीन है। लगातार अकाल की स्थिति में उनमें लगान ड्यू रहता है। कई नाजायज कब्जे हैं, तो सभापति महोदया नाजायज, कब्जों की पटवारी रिपोर्ट करने गया तो पटवारी को पैसा नहीं दिया। पटवारी ने चौगुनी, 20 गुणी लगा दी। पेनल्टी वह पेनल्टी इस तरह से वसूल की जायगी? सभापति महोदया, मैं तो कहना चाहूंगा यह छोटे किसानों के प्रति छोटे किसानों के गले में तलवार लटकाने की साजिश है। इससे सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज बड़े जमीदार हैं बड़े-बड़े कुलक हैं, उनके पास करोड़ों रुपया बकाया है वह तो वसूल नहीं किया जा सकता। छोटे किसानों पर इस तरह का कानून लाकर उनके साथ अत्याचार ही किया जायगा। मैं, सभापति महोदया, कहना चाहूंगा कि इस कानून, इस नियम को लाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिये मैं तो चाहूंगा कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिये। सभापति महोदया, यह जो तहसीलदार को अधिकार दिये जाने की बात है वह बिलकुल सही है। मैं प्रैक्टिकली मानता हूं, माननीय प्रभारी मंत्री जी काश्तकार हैं, लेकिन वह छोटे काश्तकारों, छोटे झोंपड़ियों के काश्तकारों के रूप में अगर देखें तो मैं कहना चाहूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि छोटे काश्तकारों की केटेगरी और स्तर पर जाकर मन्त्री महोदय देखेंगे तो स्वतः ही बिल को वापस ले लेंगे। आज जिन किसानों पर तहसीलदार का प्रभाव रहता है, वहां के लोकल लोगों का प्रभाव रहता है नेताओं का प्रभाव रहता है, निश्चित तौर से वह तहसीलदार काश्तकारों के साथ अन्याय करेगा, राजनैतिक आधार पर भी उसके साथ अन्याय होगा, कभी न्याय नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और यह किया भी है। आज सहायक कलेक्टर और कलेक्टर तक जो अधिकार दिये गये थे, वह तो ठीक थे, लेकिन उसके नीचे आर. ए. एस. अधिकारियों को

(श्री मेघराज तावड़)

अधिकार देने से किसानों का फायदा नहीं होगा। और ज्यादा उलझन बढ़ेगी और किसान ज्यादा परेशान होगा, किसानों के साथ अत्याचार होगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाय या इस बिल को वापस लिया जाय। इस बिल की आवश्यकता नहीं है। छोटे किसान के लिये यह एक तलवार होगी। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदया, यह जो अमेण्डिंग बिल आ रहा है इस पर सुझाव दिये गये हैं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय। मैं इसका विरोध करता हूं। कारण स्पष्ट यह है कि संक्शन 229-ए के अनुसार जितनी जल्दी स्टेट्यूट बुक पर आये उतना ही जल्दी किसान कम्युनिटी एज ए होल के हित में होगा।

सभापति महोदया, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत न केवल रेवेन्यू वसूली होती है बल्कि अन्य कानूनों में भी राज्य सरकार की जितनी राशियां किसानों से लेय होती हैं उन सभी पर यह प्रावधान लागू है। वे सभी राशियां बतौर रेवेन्यू वसूल हो जाती हैं चाहे तकाबी का पैसा हो चाहे और वह बतौर लैण्ड रेवेन्यू के वसूल होता है। उनमें कलेक्टर के पास डिमाण्ड आती है कलेक्टर के पहले 229 में रिटें जारी करते हैं जो पैसा होता है वह हजारों में हुआ करता है। छोटा किसान जो बिजली की मशीन लगा रहा है उससे भी पैसा ड्यू हुआ तो वसूली के लिए एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू होती है। उसमें जिलाधीश देखते भी हैं कि इस पैसे को किसान इस साल में दे नहीं सकता लेकिन 229 के अन्तर्गत उसको किश्त स्वीकृत नहीं कर सकते। वाजिब जो होती है। इसलिये कलेक्टर के लिये अधिकार इस तरह के होने चाहिये एक्ट में, उन परिस्थितियों में जिनमें छोटा किसान राज की रकम दे नहीं सकता, जिससे किश्तों में वसूल कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में, मैं समझता हूं, इस आब्जेक्ट को लेकर 229-ए का अमेंडमेंट राज्य सरकार ने किया है। इसका प्रभाव छोटे किसानों पर लिया जाय, बड़े किसानों पर नहीं लिया जाय। इस सम्बन्ध में 229-ए में प्रावधान किया गया है। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में जो रूल के मुताबिक होगा उनका रूल्स में प्रावधान किया जा सकता है। सभापति महोदया, छोटे किसान से ब्याज वसूली न हो रेट चाहे नोमीनल ही इन्ट्रेस्ट की हो। इस काम के लिए, डिटेल की बातें हैं, प्रवर समिति को इस अमेंडमेंट बिल को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी अमेंडमेंट हो रहा है हाउस में, उसको आज ही हाउस में कंसीडर किया जा सकता है एक्ट के साथ। प्रवर समिति को सौंपने का मतलब यह होगा कि जो किसानों पर लगान के स्टे चले आ रहे हैं, छोटे-छोटे किसानों की होल्डिंग नीलाम हो रही है वह सब हो जायंगी। इसलिये

(श्री हरिसिंह)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सुझाव आ रहा है प्रवर समिति को सौंपने का उसको सदन अस्वीकार करें।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदया, यह जो बिल आ रहा है इसमें लगान की किश्तें करने की बात है। मैं समझता हूं छोटे किसान ने तो कभी भी लगान और किश्त देने से मना नहीं किया है इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी लेकिन जो इन्स्टालमेंट करते है तो कोई भी ऐसा इन्स्टालमेंट करने के बाद किसी तरह का कोई ब्याज लिया जाय वह नहीं लिया जाना चाहिये। दूसरा, इन्स्टालमेंट वसूल करने का अधिकार जो तहसीलदार को दिया जा रहा है यह तहसीलदार को दिया गया तो सभी किसानों को परेशानी के अलावा इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और परेशानी ज्यादा होगी। इसलिए यह अधिकार तहसीलदार को न देकर एस. डी. ओ. से नीचे के आदमी को नहीं दिये जाने चाहिये और लगान की जो किश्तें है उन पर ब्याज कतई वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): आदरणीय सभापति महोदया, पहले तो मैं लगान की उस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जो कालान्तर में राजाओं के और अंग्रेजों के राज से चली आ रही है। लगान का संधारण करने के पहले जो तरीके थे वे केवल मात्र इस दृष्टिकोण से थे कि सारी प्रजा जय जय-कार करके खाने वाली और केवल किसान राज चलाने वाला, पूरा का पूरा खर्चा केवल किसान से वसूल किया जाता था वही लगान के रूप में अब वसूल किया जाता है। यह एक परिपाटी शुरू से ही चली आ रही है आज के युग में एक हजार वर्ष पुरानी परिपाटी चली आ रही है जिसको हम जारी रखें और अब वैज्ञानिक दृष्टि से नये तरीके इस्तेमाल न करें, यह उचित बात नहीं है केवल मात्र इस दृष्टि से लगान लगा दें, चाहे पूरी जमीन पर पैदावार हो या न हो इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाय तो यह दकियानूसी तरीका होगा। हमें नये जमाने में खास तौर से समाजवादी स्थिति लानी होगी। लगान के तौर-तरीके भी उसी के अनुरूप होने चाहिये और इसमें यह भी दृष्टिकोण होना चाहिये कि जमीन की पैदावार खर्च के मुकाबले में अच्छी हुई है और किसान को अपना खुद का खर्चा लगाने के बाद लाभ हुआ है तो उस पर टैक्स होना चाहिये लगान होना चाहिये, लाभ के अनुकूल। खेती में कभी घाटा होता है, कभी खर्चा ज्यादा लग जाता है ऐसी स्थिति में भी हम अनिवार्य रूप से लगान लेते हैं तो यह गलत तरीका है। लाभ पर ही लगान होना चाहिये।

जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है, मैं समझता हूं, छोटे किसानों के लिए वास्तव में जरूरत नहीं है। फिर भी छोटे किसानों के लिये किया जाता है तो इसमें ब्याज वाली बात जो भाई नारायणसिंह जी ने

(श्री मोहनलाल भारद्वाज)

बताई, ब्याज लगाने की कोई तुक नहीं है। एक तरफ रियायत इन्स्टालमेंट में करते हैं दूसरी तरफ ब्याज की बात करते हैं। इसलिए ब्याज बिलकुल नहीं लगना चाहिये। यह भी सही है कि तहसीलदार से ऊंचे अधिकारी एस. डी. ओ. तक को नीलामी के अधिकार होने चाहिये। ताकि नीचे के किसानों को कोई दिक्कत न हो। यह बात बिलकुल साफ होनी चाहिये। माननीय कृषि मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी हमारे किसान परिवार में जनमे पैदा हुए तो आखिर यह क्रान्तिकारी बात कौन लायेगा, किसानों की तरफ से? लगान नये तरीके से अधिक पैदावार हो उससे लिया जाय जिसके पैदा नहीं हो, उससे मत लीजिये। उसे तो उलटा दीजिये। यह समाजवादी व्यवस्था है। किसानों को इस समाजवादी व्यवस्था में नहीं लाना चाहते हैं तो क्या समाजवादी व्यवस्था किसानों के अतिरिक्त दूसरे लोगों पर लागू करना चाहते हैं?

इसलिये, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके यह समय है जब हिन्दुस्तान के राजस्व मंत्रियों में राजस्थान के राजस्व मंत्री का नाम हो। आप लगान के पुराने तौर तरीके बदलकर नये सिरे से समाजवादी तरीके की शुरुआत करें।

श्री सभापति : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदया, अभी-अभी भारद्वाज जी ने समाजवादी व्यवस्था की बात की और इस विधेयक की बात की तो जहां तक मुझे जानकारी है 6 एकड़ तक असिंचित जमीन पर तो कोई लगान है ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : ढाई एकड़ तक।

श्री राजबहादुर : जो कुछ भी है 6 एकड़ या ढाई एकड़ सिंचित वालों पर। इसमें पहली बात तो यह है कि इस बिल के द्वारा एक छोटी सी उदारता, रमाल मर्सी दिखलाई गई है कि तीन वर्ष तक हम किश्तें कर देंगे। जब तलबी जारी की जायगी, 229 का नोटिस जायगा, मांग पत्र भी निकल जायगा तब ही यह होगा। अकाल तो 5-7 वर्ष तक पड़े हैं और बहुत से हल्के तो ऐसे हैं जहां पैदा भी नहीं होता तो एक आध एकड़ की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई समाजवादी कदम उठाना था तो सोचते कि कितने एकड़ भूमि तक सिंचित और असिंचित पर आप लगान माफ करने को तैयार हैं तब तो मानता कि कुछ नीति, कुछ 20 सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे। लेकिन यहां तो एक ऐसी चीज आ रही है जिसका विरोध, मैं समझता हूं, सूर्य कुमार जी तक ने अपने संशोधन से किया है। मैं उनको कहूंगा कि 229 में मांग पत्र या तलबी के शब्दों को हटा कर बाकी रख दीजिये। इसके अलावा दो वर्ष और भी नहीं, यह भी ओमिट किया है, तो मैं विनती कर रहा था कि आवश्यकता तो इस बात की है कि जो देश की रीढ की हड्डी है देश का किसान, उसको

(श्री राजबहादुर)

राहत कैसे पहुंचाई जाय। क्या सचमुच यह विधेयक इस आवश्यकता को पूरी कर लेता है और वह भी राजस्थान के किसान की? जहां कभी वर्षा हुई, कभी नहीं हुई, अकाल, सूखे से पीड़ित ऐसे किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनको गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाना चाहें तो आप खुद निर्णय करें कि किस हद तक आप उनका लगान माफ करेंगे। आपने रेवेन्यू के साथ रेंट शब्द भी रखा है। रेवेन्यू और रेंट दोनों ही है। इसलिए मैं विनती करूंगा कि हमारे जो एम्स हैं सोशलिज्म के, गांधीवादी समाजवाद के ये सभी छोटे पड़ जाते है जो आप दे रहे हैं वह एक छोटी सी बात है। स्माल मर्सी है। तीन साल की किश्तें shall be paid in such number of instalments not extending beyond a period of three years....

किसान के ऊपर तीन साल करके क्यों अहसान लाद रहे हैं? एक बात और निवेदन करूंगा, पहले बिल को क्लाज बाई क्लाज नहीं लिया गया, आपकी मर्जी थी, मैंने खुद भी कहा था लेकिन यहां मैं आपसे मांग करूंगा और मुझे अधिकार है कि एक-एक क्लाज के ऊपर विचार किया जावे।

श्री सभापति : एक-एक क्लाज पर आ रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो उसमें भी बोल दीजिये।

श्री राजबहादुर : नहीं-नही, उसमें एक प्रोविजन ऐसा है। 85 तो आपने पढ़ दिया लेकिन 83 में यह....

श्री सभापति : जब प्रश्न आये तो पाइन्ट आफ आर्डर उठा लें।

श्री राजबहादुर : नहीं-नहीं। इसमें कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट रखा है उसको पहले सोच लें इस बात के लिए मैं केवल एक लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

Rule 83--"Provided that if a member requests that any clause or schedule, schedule or any clause or as amended, as the case may be, put separately, the speaker shall put that clause or schedule, ar clause of schedule as the case may be, separately."

जब मैंने एक पाइन्ट उठा दिया तो क्लाज रखना चाहिये — मौलिक प्रश्न यह है कि क्या यह मात्र स्माल मर्सी नहीं है यह क्रूर मजाक है किसान के साथ कि तीन साल की किश्तें कर दी जायेंगी। मैं इससे अधिक इस विधेयक को नहीं मानता हूं।

श्री सभापति : आज काफी समय हो गया है, माननीय सदस्य, इसको पास करना है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भू-राजस्व की वसूली करने के सम्बन्ध में जो संशोधन

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

यहां पर लाया गया है यह एक चाल है और बड़ी चतुराई से यह लाया जा रहा है। इसमें जो लगान की किश्तें करने का स्वरूप दिया है वास्तव में इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तहसीलदार को पावर देना चाहते हैं, जो कि बिलकुल ही गलत है। दूसरा क्या है, किसान लगान नहीं दे सकता है इसलिये यह चीज लाई गई है वरना आज किसान की यह स्थिति है कि रुपये की कीमत गिर जाने के कारण वह एरियाज जो बिलकुल ही डेजर्ट हैं, उनके अन्दर लगान बहुत कम है। वह लगान तीन साल का कर देंगे, अकाल के कारण पहले ही माफ हो जाता है, आगे किश्तें कर देंगे तो भी वह उसको कभी चुका नहीं पाएगा। इस साल पैसा नहीं लिया तो आने वाले तीन वर्ष में और अकाल पड़ने वाला है, फिर उसको कब लिया जाएगा? इसलिए यह चीज जो रखी है बिलकुल गलत है। इसको वापस लिया जाना चाहिये। आज जो पद्धति है वह ठीक है। उसी से काम चलाना होगा। इसमें जो संशोधन किश्तों का रखा है, आगे किश्तें जब भी किसान से ली जायेंगी तब वह नहीं दे सकेगा। आज हमारी नीयत यह होती चली जा रही है कि हम किसान पर ऋण बढ़ाते जा रहे हैं, आज कहीं हम उसको ऋण लेने के लिए टेम्प्ट कर रहे हैं, कहीं बैंक से, कहीं कोआपरेटिव सोसाइटी से, दूसरी तरफ उनको राइट दे रहे हैं ऋण बनाये रखने का अतः उन पर हम ऋण बढ़ाना चाहते हैं।

हम सब लोगों की नीयत यह होनी चाहिये कि किसी तरह से किसान ऋण से उऋण हो। यहां हम ऋण बढ़ा कर उसको ऋण से दबाना चाहते हैं। यदि सरकार की ऐसी कोई नीयत है, दो तीन बार साल में बहुत ज्यादा ऋण हो जाय तो उसको माफ करना करना है तो यह जरूर लागू करिये।

आपने समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़): सभापति महोदया, आज जो यह बिल आया है मैं समझ नहीं पाया कि किसान के नाम को लेकर कुछ लोग किसानों के हमदर्द बन कर किसान की बात करके, अगर कोई राहत किसान को दी जाती है तो उस राहत को समाजवाद के नाम पर, उस राहत को दूसरी बातों के नाम जोड़ कर तहसीलदार को पावर देने के नाम पर, उस राहत को किसान को दिलाना नहीं चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई किसान तीन साल तक लगान नहीं दे पाया, बहुत से ऐसे किसान हैं जो तीन तीन साल लगान नहीं दे पाये हैं उसकी वजह से वह कोर्ट में जाता है या कहीं आफिसर के पास जाता है तो वहां कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसकी किश्तें की जा सकें। इसलिए राज्य सरकार ने यह उचित समझा है कि उसकी किश्त कर दी जाय और किश्त कर के उसका चुकारा करवा दिया जाय तहसीलदार के माध्यम से। तहसीलदार कोई बुरा हो सकता है असिस्टेन्ट कलेक्कटर बुरा हो सकता है, एक आदमी की तरफ मत जाइये। सभापति महोदया, 50/- रु० 100/- रुपये एक आदमी की तरफ बकाया है। मान लीजिये मेरे जिले के बहुमूर का

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

रहने वाला है, अलवर में असिस्टेन्ट कलेक्टर रहता है। यदि वह असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास अलवर में आता है तो कितना खर्च होता है। अगर वह तहसीलदार वहीं पर उसकी किश्त कर देता है तो उसे कितनी सुविधा होती है। एक तरफ हम डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर की बात कहते हैं दूसरी तरफ समाजवाद के नाम पर पावर को सेन्ट्रलाइज करने की बात करते हैं। यह मनोवृत्ति जो हमारी है, उस मनोवृत्ति से किसान को फायदा नहीं पहुंचने वाला है। यह बड़े या छोटे किसान का कोई सवाल नहीं है। जिसकी क्षमता नहीं होती है, बहुत से किसानों का लगान बकाया रह जाता है इसलिए 229 का यह आया है, ब्याज का है। वह जरूरी सोचने की बात है बाकी 229 का जो यह संशोधन लाया गया है वह स्वागत योग्य है। किसान के हित को सोचकर, उस गरीब किसान के हित को सोचकर जो लगान नहीं दे पाये हैं, उनके हित में राज्य सरकार लाई है। राज्य सरकार ने किसान के हित में सोचा है वह राज्य सरकार के सोचने से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार किसान के लिए जागरूक है और किसान के हित में वह कानून लाना चाहती है। इस बात से मत जोड़िये कि कहां कितनी बकाया है। करप्शन सब जगह होता है पटवारी करप्ट हो सकता है, कलेक्टर करप्ट हो सकता है, कई बड़े बड़े लोग करप्ट होते है। एक करप्शन से इसको जोड़ कर केवल किसान के हित को दूर ले जाने की बात नहीं करें, मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्य इसको पारित करेंगे जिससे गरीब किसान लोग जिनकी तरफ लगान बकाया रह जाय उसकी किश्तें होती है, किश्तों के माध्यम से उनको रिलीफ मिल सके। उसी के तहत राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. उसकी मैं सराहना करता हूं इस कानून को पास करने के लिए अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं।

श्रीमती सभापति : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदया, भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम में जो संशोधन लाया गया है, उसके बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने अलग अलग धाराओं पर अपने विचार प्रकट किये हैं, उसमें बहुत से ऐसे विचार सामने आये हैं, जो महज कुछ गलतफहमी के कारण से उन्होंने पेश किये हैं। यह संशोधन जो सदन के सामने प्रस्तुत है इसका मात्र उद्देश्य इतना है कि अभी तक अधिनियम की जो वर्तमान धारा है 229 उसमें यह प्रावधान नहीं है कि अगर कोई बहुत ऐसे जेनुइन हार्डशिप के केसेज हों और जिनमें किसी व्यक्ति को, किसान को, कोई इन्स्टालमेन्ट में चुकारा करने की अधिकारी इजाजत भी देना चाहे या सरकार भी देना चाहे तो वह नहीं दे सकती है। इसलिए यह संशोधन लाया गया है क्योंकि हम अगर प्राव ान रखते, हैं इस प्रकार के अगर कोई केसेज आते हैं उसकी बहुत छानबीन करने के बाद में जो शब्द मैं आपके सामने उपयोग कर रही हूं कि

(श्रीमती कमला)

बहुत ही जेनुइन, हार्डशिप के केसेज जो आवें अधिकारी या सरकार इस प्रकार का प्रावधान कर सके और इजाजत दे सके या व्यवस्था कर सके जिससे कि वह धीरे धीरे उसके चुकारे में अपने को सक्षम कर सके अगर नहीं कर पाये तो आज के प्रावधान हैं, अटेचमेन्ट के तहत में नीलामी, के तहत में, जो प्रोसिजर पहले का बनाया हुआ है, उसमें जाना पड़ता है। तो यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि अकाल पड़ते रहते हैं बहुत बहुत वर्षो तक, यह आपने बहुत कम रखा है, यह जो इन्स्टालमेंट का तीन साल का रखा है यह बहुत कम हैं। यह आम तौर से लैण्ड रेवेन्यू की वसूली में रियायत देने के लिये नहीं है। यह सिर्फ उन केसेज में रियायत देने के लिये है, जैसे अकाल पड़ते हैं, या कोई भयंकर बाढ़ आ जाती है उसमें तो सरकार आम तौर से जो लगान है उसको डेफर कर देती है और डेफर करने के बाद में उसकी वसूली उसी हिसाब से धीरे धीरे करती है। उनके लिये लागू होने वाली बात नहीं है। अकाल के वक्त में यह किया गया वह तो आम तौर पर हो जाता है लेकिन बिना अकाल के समय में किसी चक स्पेसिफिक एरिया में, किसी एक खास व्यक्ति के अगर कुआं बैठ जाय, या और किसी पर कोई किस्म की दिक्कत हो गई या कोई मीटर जल गया, बीज जनरेट नहीं हुआ, फसल खराब हो गई, या कोई इन्पुट्स नहीं मिले, या और कोई कारण हो सकते हैं इन्सान के घर में, उसके कारण अगर ऐसे हार्डशिप के केसेज हों, तो उन केसेज में कलेक्टर उनके जेनुइननैस और हार्डशिप की कितनी उसकी श्रेणी है, संख्या है, उसको देखकर उसकी इन्स्टालमेन्ट बांध सकता है। एक तो इसमें उद्देश्य यह हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपनी भावनायें प्रकट कीं कि इसके पीछे बड़े बड़े कुत्नक बड़े बड़े काश्तकार इसका मिस यूज करने की कोशिश करेंगे। मैंने निवेदन किया कि इसके बारे में जो शब्द उपयोग में लिये जा रहे हैं और लिये जायेंगे और गवर्नमेंट के आर्डर के तहत जो स्पेसिफिक डायरेक्शन दिये जायेंगे उनमें सिर्फ यह लिखा जायगा कि जो इस प्रकार के मामले हैं सचमुच में कोई व्यक्ति किसी विशेष कठिनाई वश मौके पर जमा नहीं करा पाया है तो उसके लिये यह मामूली प्रावधान किया गया है।

दूसरा, आप कहते है इन्स्टालमेंट बहुत कम है तो यह तो तब होगी जब ड्यू डेट है उस पर वह लगान का चुकारा नही कर पाये और जब ड्यू डेट समाप्त होती है और वह कहता है या अगर वह रिप्रेजेन्ट करता है कि मैं इस ड्यू डेट तक लगान का चुकारा नहीं कर पाऊंगा मुझे किश्तों में

(श्रीमती कमला)

चुकारा करने की इजाजत दी जानी चाहिये किश्तों में इसको चुकाने के लिये उसके केस को एग्जामिन करेंगे कि दरअसल में उस व्यक्ति का जो केस है वह विशेष केस है बड़ी कठिनाइयों वाला है इसलिये उसको तीन किश्तों में चुकारा करने की इजाजत दी जाय।

मैं माननीय सदस्यों से, सभापति महोदया, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि एक तो सामान्य तौर पर जो डेट थी उसमें रियायत दी उसके बाद में 3 साल में इन्स्टालमेंट कायम की उसमें भी वह पे नहीं करे और आखिरी इन्स्टालमेंट का इन्तजार करे तो फिर तो सरकार की वसूली बहुत मुश्किल हो जायगी और लोग रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी अन्य परेशानी पैदा हो जायेगी। जहाँ तक उस बात की माननीय सदस्यों को आशंका है कि शायद किसान के नाम पर हमने बैंकडोर से इण्डस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े लोगों जिनकी बकाया है और जो बकाया इसके तहत वसूली में आती है को इसके तहत रिबेट देने के लिये कोई प्रोविजन किया है। लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं किया जा रहा है अदर देन एग्रीकल्चरलिस्ट किसानों को ही रियायत दी जायगी। इसलिये दूसरा मेरा निवेदन यह है कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी में भी जो हार्डशिप के केसेज हैं जो जेनुइन केसेज होंगे उनको इस प्रकार की रियायत देने का प्रावधान है।

माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने तो इम्मूवेबल प्रॉपर्टी के लिये इस तरह कर दिया तो इम्मूवेबल प्रॉपर्टी का तो पहले से ही एक्ट में है इसमें नया कुछ नहीं है सिर्फ उसको इन्स्टालमेंट बनाने के लिये, उन्हें इन्स्टालमेंट के तहत रियायत देने के लिये यह है इसमें। बाकी इस पुराने एक्ट की धारा 228 के अन्दर

Process for recovery for arrears—An arrear of revenue or rent may be recovered by one or more of the following processes:-

a) by serving a writ of demand or a citation to appear on any of the defaulters.

b) by attachment and sale of his movable property............

फिर इसके अलावा 237

Powers to proceed against interest of defaulter in property other than that in respect of which default is made-If an arrear con not be recovered by any of the above process...

इसमें यह लिखा हुआ है आलरेडी है। इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है कि मूवेबल या इम्मूवेबल कोई नया कर दिया यह नहीं किया है इट इज आलरेडी देयर

(श्रीमती कमला)

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि आपने इस संशोधन के जरिये से यह कोशिश की है कि तहसील-दार को हमने अन पावर कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जो शब्द इसके अन्दर हैं, जो प्रोविजन किये गये हैं, इसमें सिर्फ इतना है कि केवल इस वक्त कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर को जो अटेचमेंट और सेल्स का प्रोविजन है इसके अलावा तह-सीलदार को और जो फंक्शन कन्डक्ट करने के लिये अथोरिटी है इसमें अटेच-मेंट किया जाय या नहीं किया जाय इस सारी कार्यवाही में किस तरह से प्रोसेस को कडक्ट किया जाय, उसके लिये अभी धारा 235 और 237 के तहत कलेक्टर करेगा लेकिन कलेक्टर जिस प्रकार असिस-टेंट कलेक्टर को कहता है कि फलां जगह पर सेल होने वाली है उसको बताया है और छोटी मोटी रिकवरी का अटेचमेंट होग उसके लिये तहसीलदार को आथोराइज कर दिया जाय जिससे कि वह तसल्ली के साथ काम कर सके सिर्फ इतना ही प्रोविजन किया गया है।

तहसीलदार को न तो श्वेत की रिकवरी के कागज बनाने की इजाजत है न इस बात की है कि रिकवरी किस प्रकार से तय की जाय पैटर्न आफ रिकवरी नहीं दिया है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा, इसमे एक बात निवेदन की कि कितने इन्स्टालमेंट बनेंगे, किस किस एरिया के लिए किस किस ढंग से बनेगा। इसमें इतना ही है कि जिस प्रकार से कोई छोटी रिकवरी का पैसा है उसको कलेक्टर उसकी मेरिट को देखकर दो तीन इंस्टालमेंट में किस प्रकार से बांट सकता है, बड़ी है तो उसी तरह से कर सकता है। इसमें एरिया का सवाल नहीं है इसमें केसेज की नेचर का सवाल है किस तरह की नेचर है। दरअसल में वह वास्तविक कठिनाई में फंसा हुआ होगा तो उसको इसके अन्दर रियायत देने की व्यवस्था करेगा। जो इन्डस्ट्रियलिस्ट के मिसयूज करने की आशंका प्रकट की है उसके लिये निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें आशंका नहीं होनी चाहिये। यह तो शुद्ध रूप के कुछ ऐसे किसानों के लिये जिसको किसी विशेष कठिनाई के कारणवश. जिनको निजी कठिनाइयों के कारण रियायत की जरूरत हो उन्हे देने के लिए प्रावधान किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इन्ट्रेस्ट लगाया है यह ठीक नहीं है। तो कोई गवर्नमेंट का ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि अभी इन्स्टालमेंट बांधते है और रिकवरी बाकी हो और रिकवरी को लेने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, सारे खर्चे को खुद गवर्नमेंट वहन करेगी जिसके अगेंस्ट ड्यू होता है उससे हर क्षेत्र में ब्याज लिया जाता है। इसमें भी इसका प्रावधान है। तीन साल का होगा अगर वह इन्स्टालमेंट, समय समय पर देता रहेगा तो इन्ट्रेस्ट बढ़ेगा नहीं। लगान देने की नीयत ही नहीं होगी और वेट करता

(श्रीमती कमला)

रहेगा तो इन्ट्रेस्ट बढ़ेगा ही। माननीय सभानेत्री महोदया, मेरा निवेदन यह है सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि इसमें जो साधारण सी रियायत देने के लिए कुछ हार्डशिप केसेज में प्रावधान किया गया है कि वर्तमान एक्ट में नहीं है, नहीं होने के कारण ही बहुत से मामलों में इस प्रकार सरकार और अधिकारी मजबूरी महसूस करते थे कि हम इसनी सहूलियत देना चाहते है लेकिन एक्ट में नहीं है। सिर्फ यही प्रावधान करने के लिए जरूरत पड़े तो इस रियायत का उपयोग कर सकते हैं इसलिये प्रस्तुत किया गया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिये जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 विचारार्थ लिया गया।

श्री सूर्यकुमार, संशोधन पेश करेंगे।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : सभापति महोदया, मैंने इस अमेंडेड बिल के सेक्शन 279 (ए) में संशोधन पेश किये हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन के संबंध में मैं निवेदन करूं उससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने क्या संशोधन पेश किया है बता दें?

श्री सभापति : हां आप बोलिये।

श्री सूर्यकुमार : मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको बताने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मन में यह भ्रांति नहीं है कि यह छोटे काश्तकार के पक्ष में संशोधन लाया गया हो। मैं इस बात में स्वतः स्पष्ट हूं कि छोटे काश्तकारों में लगान की बकाया नहीं होती है। छोटे काश्तकार लगान समय पर जमा कराते हैं और जब कभी वह अदा करने में असमर्थ होता हैं उस समय या तो अकाल होते है या प्राकृतिक आपदाओं का समय होता है, इसके लिये लगान को स्थगित करने या लगान को रेमिट करने के प्रावधान पहले से ही अन्य कानूनों में है। इसके लिए इसका पक्ष लेने का प्रश्न नहीं है। यह दो स्थितियों में लाया गया है। जैसा मैं समझा हूं, पहला तो यह है कि कुछ बड़े बड़े जमींदार, कुछ बड़े जागीरदार हैं जिनमें काफी पुराना पैसा हजारों रुपया लगान का बाकी है, चूंकि वे एक साथ लगान अदा नहीं कर

(170)

(श्री सूर्य प्रकाश)

सकते हैं और वे चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से ऐसी स्थिति आये कि किश्तें कायम हो जाएं तो जो कुछ बकाया है उसको अदा कर दें। मैं समझता हूं कि सरकार का शायद यह मत रहा होगा कि चूंकि ये वसूलियां नहीं हो रही हैं और बड़े बड़े जमींदार जागीरदार सक्षम अधिकारी, सम्बन्धित अधिकारीगण हैं, जो हार्श रेमेडी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दी है, उसका उपयोग उनके खिलाफ नहीं हो पा रहा है तो राजस्थान के शीर्षस्थ प्रशासन पर बैठे लोगों ने यह सोचा होगा कि इन लोगों को इंस्टालमेंट कायम करके अदायगी के लिये सुविधा दी जाय। मैं समझता हूं कि यह उस बकाया की वसूली के लिये सरकार का सराहनीय कदम है। मैंने जो संशोधन पेश किया है, सभापति महोदया, वह मूल रूप से यह है कि जो अमेण्डेड बिल का प्रोविजन 229 ए है वह—

The Collector may for any sufficient reason. order that the payment of arrear of revenue or rent for which a writ of den.and or a citation has been issued under sec. 299 shall be paid in such number of instalments not extending beyond a period of three years and on such terms as to paymant of interest as may be pre scribed subject, however, to the condition that if default is made in the payment of any instalment. The entire amout of arrear and interest due thereon shall be payabl e inlump sum.

यह जो अमेण्डमेंट चाहते हैं वह यह है और जो मैंने मूव किया है वह अमेन्डमेंट यह है कि "The Collectoe may, for sufficient reason order that the payment of land revenue shall be paid in such number of instalments not extending beyond a period of three years and on such terms as to paymeut of interest as may be pre scribed subject, however to the condition that if default is made in the payment of any instalment, the entire amount and interest payable thereon shall be recoverable in lump sum."

(5.51 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैंने यह अमेण्डमेन्ट मूव करते वक्त एक यह प्रस्ताव किया है कि जो शब्द है, तीसरी पंक्ति के

the payment of arrear of revenue

इसके बाद "or rent for which a writ of demand or a citation has been issued under section 229"

(श्री सूर्यकुमार)

इसको ओमिट कर दिया जाय। एक तो मैंने यह मूव किया है। दूसरा, जो मैंने मूव किया है इसकी लास्ट लाइन में जो शब्द "due" और payable हैं उनके स्थान पर मैंने due के स्थान पर "payable" और "payable" के स्थान पर कहा है "recoverable" और अब मैंने यह निवेदन किया है तब मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो Statment of object & reasons हैं उस Statement of object & reasons में यह कहा गया है कि यह अमेण्डमेण्ट लाने का आखिर क्या कारण है। मैं यह नहीं कहता कि Statement of object & reasons से अमेण्डिग बिल या उसके जो प्रोविजन्स हैं वे बन्धे हुए हैं लेकिन निश्चित रूप से Statement of object & reasons से जो Codification of law का प्रिन्सिपल है उसी के आधार पर यह नया बिल यही कहता है कि वह कौन से सरकम्सटान्सेज थे जिनके आधार पर प्रेरित होकर सरकार ने यह अमेण्डिग बिल पेश किया है जिसमें यह कहा गया है

It is considered necessary and expedient that the payment of land revenue in instalments should be permitted in genuine cases.

इसमें जो शब्द काम में लाये गये हैं वह लाये गये हैं payment of land revenue और यदि payment of revenue इस शब्द को काम में लाया गया है तो हमको देखना पड़ेगा कि इस land-revenue से तात्पर्य क्या है। land-Revenue शब्द को न तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में डिफाइन किया है और न ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में डिफाइन किया गया है और रेन्ट शब्द को भी केवल राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में किया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 5 क्लाज 32 में "रेन्ट" को डिफाइन किया है और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 5 सब-क्लाज 34 में "रेवेन्यू" को डिफाइन किया है। इसी तरह "रेन्ट" को डिफाइन किया है। अध्यक्ष महोदय, उसकी डेफिनेशन में साफ किया गया है कि "रेवेन्यू" मीन्स लैण्ड रेवेन्यू और जो एनुअली स्टेट गवर्नमेन्ट को पेयबुल होगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने जो Statement of object & resons दिये हैं उसमें तो लैण्ड रेवेन्यू के पेमेन्ट तक को अपने आपको सीमित रखा है और यदि लैण्ड रेवेन्यू शब्द तक सीमित रखते है तो हम निश्चित रूप से जो "लैण्ड रेवेन्यू" या जो "रेवेन्यू" शब्द का अर्थ है हमें अपने आपको वहां तक सीमित रखना पड़ेगा। यदि उसको बाद में तराश करना चाहेंगे तो हमें राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो डीलिंग क्लॉज है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जिन एक्सप्रेशन्स को, जिन टर्म्स को डिफाइन किया है उनका अर्थ वही होगा, तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जिस तरह से रेवेन्यू को डिफाइन किया है उसी डेफिनेशन तक अपने आपको हमें सीमित करना पड़ेगा और यदि सीमित करते हैं तो केवल लैण्ड रेवेन्यू जो एनुअली पे किया जाता है वहीं तक हमें अपने आपको सीमित रखना पड़ेगा। जब सीमित हमें वहीं तक रखना पड़ेगा तो

(श्री सूर्य कुमार)

निश्चित रूप से हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम जिस प्रकार का अमेण्डिग बिल ला रहे हैं वह अमेण्डिग बिल कहीं उससे परे तो नहीं जा रहा। है मेरे ध्यान में जो आया है. यह जो अमेण्डिग बिल आया है, मैं समझता हूं यह उससे परे जा रहा है और वह परे दो स्थितियों में जा रहा है। एक स्थिति तो यह कि इस अमेण्डिग बिल में एरियर्स आफ रेवेन्यू के साथ-साथ रेन्ट को भी जोड़ दिया गया है जिसका कि जिक्र Stateme t of object & reasons में नहीं और रेवेन्यू और रेन्ट दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इसके अलावा एक बात जो इसमें कही गई है for which a write of demand or a citation has been issued u/s 229. यह भी इसमें कहा गया है। इस फ्रेज को जोड़ने का कारण और रिट और डिमाण्ड और साइटेशन को इश्यू करने का जो इसमें जोड़ा गया है इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह कि शायद जिस सक्षम अधिकारी कलेक्टर महोदय को यह इन्स्टालमेन्ट लेने का इस अमेण्डिग बिल के द्वारा अधिकार दिया जा रहा है, उनके लिए एक कण्डीशन प्रिसिडेन्ट कायम की जा रही है कि पहले जो होना चाहिये, रिट जारी हो जांय, उसके बाद में इन्स्टालमेन्ट लें या तो यह कारण हो सकता है या इसके पीछे यह कारण भी हो सकता है जिसके लिए माननीय मन्त्री महोदया ने आश्वस्त किया। उद्योगपतियों में जिनपें बकाया है जिसको कि एज एरियर्स आफ लैण्ड रेवेन्यू वसूल किया जा सकता है, उनके बारे में लाभ देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैंने निवेदन किया था इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, पहले भी कि हम जो कानून बनाते हैं हमारी मन्शा जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया, अगर वहीं तक है तो निश्चित रूप से समझ में आने वाली है लेकिन इन शब्दों को जोड़ा गया है कि रिट जारी होगी, डिमाण्ड जारी होगी, साइटेशन जारी होगा, सीधा अर्थ है कि हमारा ध्यान राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 256 की ओर चला जाता है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का जो सेक्शन 256 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कौन-कौन से वे एरियर्स होंगे, कौन-कौन सी बकाया होगी जो इसके अन्तर्गत रिकवरेबल हो सकती हैं, जो इसके अन्तर्गत रिकवर की जा सकती है। उसमें निश्चित रूप से वह सारे ऋण हैं, सारे लोन्स हैं, तकाबी का ऋण है जिनको लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत वसूल किया जा सकता है और उनकी रिट जारी होना, डिमाण्ड जारी होना साइटेशन जारी होना जरूरी है और मैं समझता हूं यह छद्म वेश में इन्स्टालमेन्ट जारी करने के लिए जो फ्रेज काम में लाया गया है, सेक्शन 229 के अन्तर्गत वह साइटेशन, रिट और डिमाण्ड वगैरह जारी होने चाहिये, यह इसमें जोड़ने का, एक कारण यह है, यह मैं समझता हूं, और दोनों जो अमेण्डमेन्ट्स पेश किये हैं, उसका एक कारण यही है। अगर सरकार की मन्शा केवल रेवेन्यू में काश्तकार को फायदा देने की है तो जो अमेण्डमेन्ट पेश किया है वह इसके बिलकुल अनुरूप है वह न तो छद्म वेश में आता है और न नाजायज लाभ ले

(श्री सूर्य कुमार)

सकते हैं, न कलेक्टर महोदय को अधिकार मिलेगा और न किसी और को अधिकार मिलेगा कि वह नाजायज फायदा ले सके इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि रेन्ट शब्द को हटाया जाय और इसमें लिखा गया है।

for which a writ of demand or a citation has been issued under sec. 229.

इसको भी इसमें से ओमिट किया जाय इसके साथ ही मैंने जो आखिरी पंक्ति में दो शब्दों के बजाय दूसरे शब्द जोड़ने के लिए निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय, एक शब्द है ' ड्यू'' जिसके स्थान पर मैंने सजेस्ट किया है कि वहां "पेयबल" शब्द होना चाहिए, और शब्द 'पेयबल' जिसके है स्थान पर मैंने सजेस्ट किया है "रिकवरेबल"। इसके लिए भी, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 228 की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, उसके पहले मैं अर्ज करूंगा कि यह चेप्टर 10 में एप्लीकेबल है। वह डील करता है। चेप्टर 10 जो डील करता है राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, वह डील करता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और यह कोडीफिकेशन ऑफ ला का माना हुआ सिद्धांत है।

उनका हैडिंग, चेप्टर का हैडिंग, सेक्शन व टायटल, ये सब महत्व रखते हैं और हर शब्द उसमें महत्व रखता है। तो कलेक्शन आफ रेवेन्यूज से सम्बन्ध है, दूसरा सीधा अर्थ हुआ कि रिकवरी करने का पक्ष सबसे प्रबल है, हम रिकवरी करना चाहते हैं, पेयबल और रिकवरेबल, दोनों शब्दों में डिफरेंस नहीं है लेकिन माइनर डिफरेंस जरूर है कि पेयबल एक ड्यूटी कास्ट करता है पे करने वाले पर और रिकवरेबल एक अधिकार देता है उसको जो रिकवरी करना चाहता है। आपने एक तरफ कुछ लोगों को इस बात की रियायत दी है कि वे बकाया को इन्स्टालमेंट्स करवा लें। उसके साथ साथ आप यह भी पाबन्दी लगाना चाहते है कि वह एक इन्स्टालमेंट भी न दे तो आपकी मन्शा है एक साथ वसूल करना चाहते है लेकिन शब्द ऐसे काम में ले रहे हैं ताकि कानून की पेचीदगियों में फसा कर आपकी वसूलियों को रोक दें। इसलिए कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए, कानून स्पष्ट होने के लिए यदि किसी प्रकार की भ्रांति जो उसका इन्टरप्रिटेशन करे, और जो उसके अनुसार एडमिनिस्टर करे उनमें कोई भ्रांति नहीं रहे इसलिए कोडीफिकेशन आफ लॉ का एक प्रिंसिपल माना हुआ है स्पष्ट सारे के सारे शब्द काम में लिए जायें। इसलिए ड्यू के स्थान पर 'पेयबल' कराया जाय क्योंकि अगर इन्स्टालमेंट नहीं देता है तो मय ब्याज के पेयबल' होगा इसलिए मैंने due के स्थान पर payable काम में लिया है।

इसलिए ड्यू शब्द में जो ध्वनि है वह यह कि कोई डिसाइड करे, क्या ड्यू है, कितना ड्यू है। डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने कह दिया कि इन्ट्रेस्ट और इन्स्टालमेंट जो बकाया है

(श्री सूर्यकुमार)

उसकी पेयबल होगी, ड्यू होगी तो उसके लिये शब्द पेयबल उपयुक्त है। जब आपने कह दिया कि अगर उसने एक इन्स्टालमेंट नहीं दिया तो सारे का सारा वसूल करेंगे तो आप रिकवरेबल कहिये, पेयबल नहीं कहिये। यह अमेंडमेंट पेश करने का मकसद है। मैं चाहता हूं इसको गंभीरता से लिया जाय। केवल इसलिये नहीं कि चूंकि किसी सदस्य के द्वारा यह संशोधन आया है इसलिए नामंजूर ही किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं इसको गम्भीरतापूर्वक लिया जाय और कोडीफिकेशन आफ लॉ के प्रिंसिपल्स के आधार पर विवेचन किया जाय। मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया, संशोधन प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी सदन में दो-तीन बातों के बाबत में ....

श्री अध्यक्ष : अभी आपका जवाब नहीं आयेगा। आपको एक संशोधन प्रस्तुत करना है उसके पश्चात् श्री नाथूसिंह का संशोधन है उसके पश्चात् आपका जवाब होगा।

श्रीमती कमला : मैं जवाब नहीं दे रही हूं, केवल संशोधन पुट अप कर रही हूं उसके लिए बता रही हूं। माननीय सदस्यों ने जो आशंका प्रकट की थी कि शायद इसका कुछ मिसयूज होगा, इन्फ्लूएन्शल लोग इसका उपयोग कर सकेंगे और जैनिइन केसेज इसमें नहीं आयेंगे। इसकी वर्डिंग ऐसी नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुये यह संशोधन प्रस्तुत करने की आपसे आज्ञा चाही है। इसमें मैं यह प्रस्ताव करती हूं :

"In section 229 A (1) proposed to be inserted by Clause 2 of the Bill—.

a) Substitute the words 'in case of genuine hardship' for the words 'for any sufficient reason', and

b) insert the expression 'chargeable under this Act or under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) between the expression 'arrear of revenue or rent' and the expression 'for which a writ of demand'

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं।

Section 229 A के भाग (1) में 'not exceeding beyond a period & three years' के पश्चात 'and on

(श्री नाथूसिंह)

such terms as to payment of interest as may be prescribed' डिलीट किया जाये एवं 'payment of' के पश्चात 'any' के स्थान पर 'continuous three instalments' किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट मूव करने का उद्देश्य केवल यह है कि किसानों के लिए आपने जो रियायत देने का प्रयास किया है बिल के माध्यम से, वह रियायत अच्छी तरह से किसान तक पहुंचे। मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से मिला हूं, उनकी राय जानने के पश्चात् मैंने अमेंडमेंट मूव किया है।

श्री अध्यक्ष : राय तब मालूम होगी जब वोट हो जायगा।

श्री नाथूसिंह : मैंने व्यक्तिगत रूप से बताया है। इसमें जैसा मंत्री महोदय ने बताया, छोटे से छोटे किसान अपना रेवेन्यू जमा नहीं करा सकते। क्योंकि वह छोटा है, पैसा नही है उसके पास इसलिये लगान जमा नहीं करा सकता है। इसलिए उसको कुछ राहत देने के लिये, आप यह लाये हैं। तो उस रिलीफ में एक छोटी सी कमी रख दी। आपने कह दिया कि जो पैसा जमा नहीं करा पायेगा उससे हम तीन साल तक किश्तों में लेंगे। उसके साथ-साथ आपने यह भी कह दिया कि उस पर ब्याज भी लेंगे। तो यदि 100) बकाया है तीन साल में बढ़कर 100 रुपए ब्याज सहित उससे 200) वसूल हो जायेंगे। इससे क्या होगा? ब्याज बढ़ेगा तीन साल तक। एक किश्त जमा कराएगा, बाकी जितना पैसा होगा उस पर ब्याज लगेगा, तो उसके गले में बहुत बड़ी आफत डाल दी। एक तरफ तो पैसा जमा नहीं करा पायेगा और ब्याज बढ़ता जाएगा तो उससे दुगुनी रकम वह जमा कराएगा। तो जो बिजनेसमैन है, सेठ है, व्यापारी है उसका रोल अदा करने की जिम्मेदारी सरकार की इसमें हो जाएगी। बकाया किसकी रहेगी? जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वह तो रखेगा ही नहीं। वह तुरन्त जमा कराएगा। लेकिन राहत देने की बात इसलिए कर रहे है कि जो अत्यन्त गरीब है जो अपनी लगान भी जमा नहीं करा सकता उस पर ब्याज आप लेंगे। तो मैं जो एक संशोधन लाया हूं उसमें मैंने यह बात कही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से कि जो किश्त जमा कराएगा वह, जो लगान है उसकी बकाया है उस पर ब्याज नहीं लगाना चाहिए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपने कहा है कि यदि एक इन्स्टालमेंट भी जमा नहीं करा पाएगा। तो उससे लम्पसम सारे का सारा पैसा वसूल किया जाएगा। यदि जमा नहीं करा पायेगा तो उसके बाद कुर्की होगी। एक तरफ आप राहत देने की बात करते हैं दूसरी तरफ मिसटेक हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, गलती हो गई, बेचारा एक भी किश्त जमा नहीं कराता है तो आपने क्या राहत दी? आपने तो उसका

(श्री नाथूसिंह)

नुकसान और कर दिया। लम्पसम में वसूल कर रहे हैं, कुर्क कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है पेमेंट ग्राफ एनी इन्ट्रेस्ट। तो वह किश्त जमा नहीं करा पाता है तो एक साथ वसूल किया जाएगा। इसलिये एनी के स्थान पर अमेंडमेंट लाया हूं। मैंने निवेदन किया है इसके बजाय कन्टीन्युग्रस थ्री इन्स्टालमेंट्स होने चाहिए। एक किश्त में गलती करे, दूसरे में करे, तीसरे में जमा नहीं कराए तो आपको पता लग जाएगा कि यह चालाकी कर रहा है, जान बूझकर जमा नहीं कराना चाहता तब दण्ड की कार्यवाही उस समय की जाय क्योंकि उसकी मन्शा का पता लग जायगा। लेकिन गलती से एक किश्त जमा नहीं कर पाए तो उसकी मन्शा का पता आपको नहीं लगेगा। इसलिए इसमें मैंने संशोधन पेश किया है। राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 के क्लाज दो में सेक्शन 229 के भाग 1 में not extending beyond a period of three years के पश्चात on such terms as to payment of interest as may be prescriled. यह डिलीट किया जाय एवं पेमेंट के पश्चात् एनी के स्थान पर कन्टीन्यूग्रस थ्री इन्स्टालमेंट्स किया जाय तो जो भी अमेंडमेंट किया है उसका कनसीकुएन्शल अमेंडमेंट अपने आप हो जायगा। तो मैं मंत्री महोदय और सदस्यों से निवेदन करूंगा कि किसान के हित में यह व्याज नहीं लगे और कन्टीन्युग्रस थ्री इन्स्टालमेंट तक जमा नहीं कराये उसके पश्चात् यह कार्यवाही करें। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इसमें एनी इन्स्टालमेंट का जो किया है इसके लिए हमें सोचना होगा। इसमें सोचने की बात है। वह यह है कि इसके लिये हम भी जो कि पढ़े लिखे लोग हैं कई बार बिजली के बिल भरने की तारीख को भूल जाते हैं। कभी इनकम टैक्स का इन्स्टालमेंट भरना भूल जाते हैं। उसमें तारीख निकल जाती है।

श्री अध्यक्ष : आपने कभी जमीन का लगान जमा कराया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां साहब कराया है और मान लीजिये मैंने नहीं भी कराया हो तो भी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गोविन्द देवजी के पीछे इनका खेत है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा तो गोविन्द देवजी के आगे भी खेत है। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब हमारे जैसे समझदार पढ़े लिखे लोग भी भूल कर सकते हैं तो बेचारे काश्तकार जो कि बिना पढ़े लिखे होते हैं उनसे तो चूक हो ही सकती है। इससे तो उसको बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिये इस "एनी" के स्थान पर इसको

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कम से कम कर दिया जाय। क्योंकि इसमें भूल समझदार व्यक्ति से भी हो सकती है। तो एक भूल पर उस पर कार्यवाही हो जायगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वास्तव में अगर आप काश्तकार को राहत देना चाहते हैं तो इस एनी के प्रावधान को हटा दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस संबंध में जो मूल अमेंडमेंट आया है—

श्री अध्यक्ष : आप कौन से अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। इस पर तीन अमेंडमेंट आये हैं। एक नया भी आया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो मूल बिल में आया वह जैसा उपस्थित किया गया था वैसा ही अगर पास किया जाता है तो बहुत अच्छा होता। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नया अमेंडमेंट आया है इससे तो आपने एक नया अमेंडमेंट लाकर सरकार के हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर दे दीं। सरकार को डिस्क्रिशनरी पावर देने का मतलब आप समझें। इस बिल की जो भावना है इस एक्ट को बनाने की जो हमारी भावना है वह पूरी नहीं होगी। हमारी भावना ऐसी है जिसके कारण हमारे मन में हमारी जो इन्टेन्शन है वह पूरी नहीं हो सकेगी, यह जो नया अमेंडमेंट आया है इसमें लिखा है :

'in case of genuine hardship' What is hardship? Who will define It?

इसको कौन डिफाइन करेगा। हम आप या कोई। यह डिस्क्रिशनरी पावर आपने किसको दी है?

श्री अध्यक्ष : Whose genuine hardship?

यह कहिये जेनुइन हार्डशिप जिसको हो। जैसे मन्त्री महोदय, को ही कोई डिफिकल्टी हो जाय जैसे कोई आदमी उनके पास ही चला आवे तो वह उसको वापस भेजें। तो मेरा निवेदन यह है कि यह जो मूल बिल आया है इसमें यह किसी न किसी को राहत देने वाला है तो किसान को राहत देने वाली बात समझ में आती है It is there. इसमें ही निहित है। मैं उसका स्वागत करता हूं आदर करता हूं अगर इस रूप में वह बिल पास हो जैसा कि प्रस्ताव में है लेकिन यह नया अमेंडमेंट जो बाद में आया उसमें आपने लाकर एक डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है। वह पावर जिन लोगों को दी है वह है कलेक्टर। यह आपने कलेक्टर के हाथ में पावर दी है। उसके बाद में कलेक्टर से आपने पावर दे दी है असिस्टेन्ट कलेक्टर को। उसके बाद में आपने अब दे दी है तहसीलदार को पावर। यह कहना ठीक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

है कि तहसीलदार को आप पावर दें वह तो सैल और कुर्की के लिए आप उसको नामीनेट करें। मैं मन्त्री महोदया को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह बताने की कृपा करें आज व्यवहार में क्या होता है ? क्या कभी कलेक्टर कहीं पर कुर्की करने जाता है ? वह तो सिर्फ फाइल पर आर्डर कर देता है। उसके बाद फाइल पर निर्णय होने के बाद में फाइल बन कर चली जाती है और आर्डर हो जाते हैं। उसके खिलाफ पर असिस्टेन्ट कलेक्टर वहां पर चला जाता है। अब तहसीलदार को आपने पीछे लगा दिया है उसको पीछे लगाने का मतलब है कि सिर्फ सेटिसफेक्शन, अपनी खाना पूर्ति के लिये आप यह कर रहे हैं। तहसीलदार को हाफ पावर दें, कोई बात नहीं कुछ न कुछ पावर उसको होनी चाहिये पर आप देखें कि कलेक्टर आज इतना अधिक व्यस्त रहता है कि उसको कहां फुरसत है। यह आप सिर्फ तहसीलदार को पावर देना चाहते हैं, इसका मतलब आप क्या करना चाहते हैं। ज्यादा कुर्कियां और ज्यादा से ज्यादा वसूलियां। इससे क्या होगा ? आप तहसीलदार को और पावर दे रहे हैं। तहसीलदार को सैल और कुर्की की पावर देकर आप किसान को और बहुत ज्यादा उलझन में डालना चाहते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मूल बिल आप लाये हैं उसको ही पास किया जावे। आप चाहें तो थोड़ी सी पावर तहसीलदार को देने के लिये विचार कर लें। लेकिन यह नया अमेंडमेंट जो आप लाना चाहते हैं यह किसी भी तरह से जन हितैषी नहीं है और न ही यह किसान हितैषी है। इससे तो भ्रष्टाचार का जन्म होगा, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार को बढावा देने में यह डिस्क्रिशनरी पावर है, यह बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करेगी। इसलिये मैं मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे सुझावों को कुछ वजन देंगी उसके लिये मैं आपसे अपील करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से अपने विचार प्रकट किये हैं। उनके बारे में जो जवाब था वह मेरे पूर्व के उत्तर में ही कह चुकी हूं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की है उसको मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। एक तो माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने अमेंडमेंट के जरिये जो इन्स्टालमेंट किया है उसमें आपने "एनी" शब्द को लगाकर किसान के गले में बहुत बड़ी फांसी लगा दी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें जब से किसान का इन्स्टालमेंट बंध जायगा तो उसको तीन इन्स्टालमेंट के लिए तो वैसे ही मौका मिलता है उसके लिए उसके पास, कई बार किसान के पास रिकवरी नोटिसेज जारी हो जाते हैं और ड्यू टाइम निकलने के बाद

(185)

(श्रीमती कमला)

वह अपना प्रति निवेदन देगा कि मैं ड्यू टाईम पर अपना इन्स्टालमेंट जमा नहीं करा सका हूं। इसमें तीन साल के लिए इन्स्टालमेंट होता है और आगे तीन साल का इन्स्टालमेंट बंध जाता है तो तीन साल का अमाउण्ट इन्स्टालमेंट का कम हो तो वैसे ही थोड़ा होगा और ज्यादा जब नहीं होगा तो तीन साल बाद में और ज्यादा हो जायगा। अगर एक भी इन्स्टालमेंट वह ड्यू टाइम पर नहीं दे पायेगा तो उसके आगे तीन साल में उसका इन्स्टालमेंट और ज्यादा हो जावेगा। इसके बाद वह अगर ड्यू टाइम निकाल देता है उसके बाद में वह और इन्स्टालमेंट, करवाता है चाहे वह 6 महीने के लिये हो, चाहे वह 10 महीने के लिये हो, चाहे एक साल के लिये हो, पहले भी उसने जो ड्यू इन्स्टालमेंट है वह रेगूलर नहीं दिये तो वह भी आगे जुड़ जायेंगे। तो इस प्रकार सारे के सारे वह कैसे देगा। इस प्रकार उसकी मनोवृति और बढ़ जायगी कि वह और इन्स्टालमेंट करायें तो फिर आगे तारीख पर आकर वह कैसे करेगा, उसको सारे के सारे इन्स्टालमेंट देने पड़ेंगे। हम तो इन्स्टालमेंट बांध कर उसको रियायत देना चाहते हैं, जो जो सहूलियत देना चाहते है अगर वह उस सहूलियत को नहीं लेना चाहता हैं फिर उसको हर्डशिप होगी। वह हार्डशिप में रहना चाहता है तो आप जो प्रावधान करना चाहते हैं उससे उसको हार्डशिप नहीं होगी. उसको प्रलोभन होजायेगा कि आखिरी किश्त तक कुछ न कुछ रियायत मिलती रहे। यह आपकी बात उसको मदद देने वाली बात नहीं होगी बल्कि उससे कठिनाई की बात हो जायेगी। इसलिए मैं मानती हू कि यह किसानों के मानने वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात जो अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर तहसीलदारों की जो बात उठायी गई है उसके लिये मेरा निवेदन है कि तहसीलदार के लिए तो मैंने आपसे कहा कि पहले ही एक्ट की धारा 237 है और 237 में पहले पावर मिली है। इसमें जितनी प्रोक्लेमेशन हिदायतें कलेक्टर द्वारा की जाती हैं और तमाम जो कन्सीडरेशन कलेक्टर के द्वारा किये जाते हैं वह तो सब कलेटर ही करेगा कोई दूसरा तो करेगा नहीं, उसके बिना तहसीलदार भी कुछ नहीं कर सकता है। तहसीलदार तो सिर्फ कलेक्टर के हुक्म, जो उसको मिलेगा, मानेगा जिसका प्रोक्लेमैशन किया गया जिसकी परमीशन दे उसको क्रियान्वित करता है।इस प्रोविजन के तहत,इस कन्डीशन में उसके द्वारा किया जायेगा वह ही करेगा बाकी सब आर्डर तो कलेक्टर के द्वारा ही होंगे। वह तो लिखित में बाकायदा होगा। अब असिस्टेन्ट कलेक्टर का जहां तक सवाल है वह सभी जगह पर नहीं। असिस्टेन्ट कलेक्टर्स बहुत कम होते है इसलिए तहसीलदार का उपयोग किया जाता है। इसमें इसलिये रखा है कि अगर कलेक्टर चाहे तो तहसीलदार को डेप्यूट कर सकता है। वह कहेगा तहसीलदार को कि तुम जावो और उसको दे दो इतना ही काम है उसका। जहां तक चतुर्वेदी ने कहा कि पहले हुआ प्रस्ताव जो मूल अमेंडमेंट है वह काश्तकार के भले के लिये हैं। आपने बादमें जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत बड़ा करप्शन करने वाला है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने केवल शब्दों को चैन्ज किया है इसमें जो 229 है उसमें लिखा है कि The collector may

(श्रीमती कमला)

for any sufficient rea on....

इसमें कलेक्टर को सफिसियेन्ट रीजन की बात है। कलेक्टर लिख दे तो किसान की आदत पड़ जायेगी वह जिसका इन्स्टालमेंट चाहे बंधवा देगा। इस प्रकार तो लैण्ड रेवन्यू में दिक्कत हो सकती है। इस बात को कोई भी कलेक्टर को आकर कह सकता है कि इसमें सफिशियेन्ट रीजन्स है और फिर दूसरा आकर कहेगा कि इसमें भी सफिशियन्ट रीजन है इसमें भी लिख दीजिये। यह आम तौर पर व्यवस्था हो जायेगी तो इसमें जो किसान को रियायत देने की बात है वह लागू नहीं होगी। जो जेनुइन केस में भी हार्डशिप होगी इन्स्टालमेंट के लिये कलेक्टर कन्सीडर करे और गवर्नमेन्ट कन्सीडर करे इसलिये इसका प्रावधान किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि बहुत से ऐसे बड़े काश्तकार प्रेशराइज करके सफिशियेन्ट काजेज को लेकर अपना काम निकाल लेंगे इसलिए इसको नहीं किया जाना चाहिए और इसमें और सख्ती रखनी चाहिए। इस दृष्टि से मैं भी इसको जरूरी समझती हूं कि जो हमने इसके काजेज में लिखा है क्या रीजन्स है इसको लाने के तो डिजर्विंग केसेस हों और ऐसे मामले हों कि जिनमें हम समझें कि सफिशियेन्ट रीजन्स हैं, उसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए हमने यह वर्ड्स उसमें डाले हैं।

इसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन दिया है:

Chargeable under this Act or under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1959) यह इसलिए रखा है कि कोई भी सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत या इन्डस्ट्रियल एक्ट के अन्तर्गत जो बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनकी बहुत सी रकम बकाया होती है तो इन्स्टालमेन्ट्स बांधने के लिए इसका मिसयूज नहीं करे। जैसी कि हाउस की मंशा थी उसको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक मेन्शन किया है:

This will be applicable for Rajasthan Tenancy Act, 1955 and under this particular Act.

इसलिए इसको स्पेसिफाई किया गया है। इसमें किसी प्रकार से भी किसान को कोई अधिक हानि होने की या रियायतों में कमी होने की बात नहीं है। इसलिए जो संशोधन माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनको मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्री नाथूसिंह : ब्याज के बारे में क्या है ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो आदमी कठिनाई में होते हैं और जहां किश्तें होती हैं वहां ब्याज नहीं लगाया जाता है..

श्रीमती कमला : कौन सा क्षेत्र ऐसा है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेन्ट है और कौनसी ऐसी लोनिंग एजेन्सी है जो इन्ट्रेस्ट नहीं लगाती ? there is no.

(182)

श्री महाराम चौधरी : आपस में लेनदेन में और व्यापार के अन्दर....

श्रीमती कमला : आपस के लेनदेन का तो यह सवाल है कि गांवों में मनीलेन्डर्स से लेते है वह तो ज्यादा लेते हैं और फिर भी बकाया पड़ी रहती है।

श्री महाराम चौधरी : व्यापारियों से पूछ लें कि किश्तें करने का सवाल आता है तो ब्याज का सवाल नहीं आता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रभारी मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री जी एक तरफ तो डिर्जविग काश्तकारों की बात करती हैं और दूसरी तरफ कुर्की का व्यय है वह भी किसानों से वसूल करना चाहते हैं। तो इससे छूट दी जाये। यह कुर्की का व्यय तो प्रशासनिक व्यय माना जाये।

श्रीमती कमला : सरकार को इसलिए खर्चा करना पड़ता है कि काश्तकार समय पर जमा नहीं कराते और फिर इन्स्टालमेन्ट्स बांधते हैं तो उसकी व्यवस्था करो और फिर भी नहीं देते तो फिर नीलामी की व्यवस्था करो। तो सारा खर्चा उसके नहीं देने के कारण से गवर्नमेन्ट को करना पड़ता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : तो प्रशासनिक व्यय तो वैसे ही होता रहता है। गरीब किसानों से क्यों वसूल करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं क्या वह वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो बहुमूल्य हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

श्री सूर्य कुमार : मैं वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप वापस लेने के लिए प्रार्थना कीजिए।

श्री सूर्यकुमार : अध्यय महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसको वापस लेने की मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री सूर्यकुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मैं वापस लेता हूं

श्री भंवरलाल शर्मा : आइन्दा मत लाना।

श्री सूर्यकुमार - आपका सुभाव नहीं चाहिए मुझे।

Page No 201

(188)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड2 में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री नाथूसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता

श्री अध्यक्ष : आप डिविजन चाहते है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

(मत विभाजन घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री नाथूसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

अनेक माननीय सदस्य : तीन डिफाल्टर्स तो अब आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का ध्यान रखें।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: थर्ड रीडिंग सर........

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान

(श्रीमती कमला)

भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदया, से निवेदन किया था कि मूल में जैसा बिल आया उसको पास करा देतीं किन्तु उन्होंने जो तर्क दिये हैं, वे बड़े लचर हैं, किसानों के विरुद्ध हैं और जो फायदा किसानों को, उस नाते से, कराना चाहती है वह नहीं करा पायेंगी ....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला: रात को नींद नहीं आयेगी ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शांत रहे,

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय. उन्होंने स्वयं तर्क देते हुए कहा कि असिस्टेंट कलेक्टर्स की संख्या कम रहती है इसलिए काम करने में कठिनाई होगी । तहसीलदारों की संख्या ज्यादा रहती है । इसका मतलब है वह कुर्कियां ज्यादा करवाना चाहती हैं । जमीनों की ज्यादा सेल करवाना चाहती हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे की भूमिका पर विचार करें । कलेक्टर्स को केवल अपना निर्णय देना होता है कलेक्टर इसको नामीनेट कर सकता है, कुर्कियां करने वालों की संख्या क्यों बढ़ाना चाहते हैं किसानों के बेलों की सेल और जमीनों की बिक्री क्यों कराना चाहते हैं ।

दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं एक ओर तो अरबन सीलिंग है । शहरों में कितनी भी जमीन, कितनी भी जायदाद हम अर्जित कर सकते हैं दूसरी ओर जो गरीब किसान बैठे हैं सीलिंग के ऊपर हो गई है और सीलिंग होने के पश्चात कुलक कहा जाए, किसान कहा जाए यह गलत है । इसलिए मूल बिल में जो साधना थी, भाव था वह यही था कि एक बार यदि कोई किसान अपना पैसा नहीं दे सके, लगान नहीं दे सके तो जो मूल बिल आना था उसके आधार पर वह लगान तीन साल में डिस्ट्रीब्यूट होने की व्यवस्थ थी । सचमुच किसान एक मुश्त में दुगुना लगान दे सके अगले वर्ष में यह किसी भी तरह से उचित नहीं था । इसी मन्शा के कारण मूल बिल तत्कालीन सरकार ने अपनी कैबीनेट में भी पास किया था और घोषित भी किया था, आपने भी वह करने की कोशिश की है किन्तु जो पहला क्लाज जोड़ा,दूसरा क्लाज जो आपने जोड़ा उसमें मेरी सहमति है उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो पहला क्लाज जोड़ा मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता, हूं कि जो किसानों को राहत देने वाली बात है, शायद वह चाहती है कि डिस्क्रिशन लेकर कुछ वांछित लोगों के लिए उसका उपयोग कराया जासके, फायदा पहुंचाया जा सके औरबाकी किसान जो ज्यादा अच्छी तरह से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, अपने बच्चों को मेडिकल फैसेलिटीज नहीं दे सकते, वह दुगुना लगान दुसरे वर्ष में दें जो मूल भावना, उद्देश्य था मन्त्री महोदया

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

ने उसको समाप्त कर दिया है । उन्होंने जिस प्रकार के कदम लिए हैं वे किसान विरोधी हैं, किसान को दुःख पहुंचाने वाले हैं, कष्ट पहुंचाने वाले हैं । मैं सब प्रकार से इस बात की भर्त्सना करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदया ने यह ठीक नहीं किया है ।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट । मैंने जो संशोधन रखा था वह दुर्भाग्य से गिर गया है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय, सदस्य, जो उस तरफ बैठे हैं, भी समझते हैं कि मेरा संशोधन किसान के हित में था लेकिन उन्होंने समर्थन इसलिए नहीं किया, पार्टी की दीवारों के आगे उनको झुकना पड़ा । मेरी उनके साथ सहानुभूति है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने का केवल मात्र प्रचार करती है लेकिन वास्तव में किसान को फायदा पहुंचाने की मन्शा नहीं है । वह इस लिए नहीं कि मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि गरीब से गरीब किसान जो लगान नहीं दे सकता उसकी किश्तें हमने बांध दीं । वह गरीब है समय पर लगान नहीं दे सका आपने राहत देकर किश्तें बांध दीं । लेकिन उस राहत पर आप ब्याज लगा रहे हैं । तीन साल के लिये किश्तें लगाईं और यदि वह किश्तें जमा नहीं कराता है तो उस पर आप ब्याज लेंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मान लो किसान पढ़ा लिखा नहीं होता एक किश्त जमा कराने में गलती हो गई उस किसान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा । इसके ऊपर आपने विचार नहीं किया । उसको ब्याज देना पड़ेगा । 100 रुपये की कुल किश्तें हैं। 100-150 रुपया ब्याज हो जायगा । 100 रुपये की बजाय 250 रुपये देने पड़ेंगे । इसलिए मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदया को किसानों के प्रति वास्तव में प्रेम है, सरकार को किसानों के प्रति प्रेम है और यदि आप चाहते हैं किसानों को वास्तव में लाभ पहुंचाया जाये, इस पर पुनर्विचार करें और यह संशोधन आप अपनी तरफ से ले आयें । ऐसा नहीं है मेरी तरफ से संशोधन आया है इसलिए इसको स्वीकार कर लें । मैंने जो अमेंडमेंट रखा है आप सरकार की ओर से लायें, हम बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे । पार्टी का सवाल नहीं है । सरकार के सामने हम ऐसी स्थिति पैदा करना नहीं चाहते हैं कि मैंने अमेंडमेंट रखा है आप उसे पारित करें । आप सरकार की तरफ से अमेंडमेंट लायें । मेरा उद्देश्य यह था कि किसानों को लाभ हो । मेरा निवेदन केवल यह है फिर से आप विचार करें क्योंकि किसानों के हित का मामला है । धन्यवाद ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै यह बात समझ नहीं पाया आपको मैंने जो तर्क दिये थे हम तो पढ़े लिखे हैं, किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है किसी भी कारण से देरी या गलती हो सकती है । किसानों के हितों की बात को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट आपको फिर लाना पड़ेगा, अगली बार जब हम फिर मिलेंगे तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आप कहेंगी आपने ठीक कहा था वाकई भूल हो गई हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगली बार की बजाय अभी इस अमेंडमेंट को लाने के लिए विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों को और उनके दल को बहुत ही तकलीफ हो रही है, बड़ी भारी सहानुभूति हो रही है, इनको इतना कष्ट हो रहा है कि अगर किसान के लिए....

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है।

तो ना मालूम कितना भारी कष्ट हो जायेगा। शायद रात को नींद भी नहीं आयेगी मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूं कि पूर्व के ओरिजनल एक्ट में इतना भी प्रावधान नहीं था कि तकलीफजुदा किसान को इस तरह के इन्सटालमेंट की सुविधा रियायत दी जाये। तकलीफ किसान के प्रति आज जो इतनी उमड़ी पड़ रही है उस वक्त क्यों नहीं उमड़ी जब वे इस राज में बैठे थे और जब सब कुछ करने की स्थिति में थे....

(व्यवधान)

तकलीफ मत उठाइये। सुनिये आराम से सुनिये।

जिस वक्त आपको यह करना चाहिये था सोचना चाहिये था, किसान की तकलीफ के बारे में इतनी तकलीफ आपको खुद को होनी चाहिये थी उस वक्त आपने कुछ किया नहीं। अगर किया है तो यह किया है कि किसानों की खड़ी फसलों को जलाया है। आपने और किया है तो यह किया है उनकी क्या कीमतें दी, किस प्रकार से उनकी हालत करी और किया है तो यह किया इसी असेम्बली के बाहर राजस्थान के कितने किसानों पर डंडे बरसाये, आंसु गैस चलाई, किस प्रकार से हाथ पैर तोड़े, आंखें फोडीं। आपको उस वक्त दर्द नहीं आया किसान का। इस तरह गर्दन हिलाने से पीछे जो आप कोताही कर गये, जो गलती कर गये....

श्री यदुनाथसिंह : आंखें तो आपकी सरकार ने फोड़ीं।

श्रीमती कमला : आपने बड़ा भारी किसान राज दिल्ली में, जयपुर में बनाया था। वह डण्डे बरसाने के लिए बनाया था

(व्यवधान)

आज तो बड़ा भारी दर्द है लेकिन उस समय कहां गये थे जब इसको पास किया था....

(व्यवधान)

आपने तो बड़ा भारी किसान राज बनाया था और वह किसान राज डण्डा मारने के लिए बनाया था....

(व्यवधान)

(श्रीमती कमला)

जो भी बात करें, किसान की भलाई के लिए करें।

(व्यवधान)

इनके शुभ चिन्तक कौन हैं ? और आपने क्या किया....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : 20 फरवरी को आपने भी किसानों पर डण्डे बरसाये थे....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप क्या क्या कहानी गढ़ कर कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती कमला : किसान के नाम पर जो कांग्रेस सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है वह किसी ने नहीं किया है, न कोई सरकार आज तक कर पाई है।

(व्यवधान)

आप किसान के नाम पर कितना ही नाचें, कितना ही गायें। आपके प्रति जो भावना सोच कर गये थे यह बात सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान ने यह सोचा था कि कांग्रेस कुछ धीरे धीरे कर रही है, जनता पार्टी न मालूम कितनी तेजी से हमारा काम करेगी। ये सोच कर गया जरूर था लेकिन ...

(व्यवधान)

क्या आपने उनको दिया, क्या आपके नेताओं ने उनकी झोली भरी ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आपने 20 लाख लोगों की रैली करके क्या किया हत्याए की, बताइये। आपसे प्रश्न करता हूं उसका कोई धनी-धोरी नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग विषयान्तर हो रहे हैं....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही हूं।

(व्यवधान)

जो माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं कि इसमें यह शामिल किया जाय, यह संशोधन किया जाय, इसमें यह कमी है, इसको दूर किया जाय। मैं समझती हूं सिर्फ आशंका है। इसमें पूर्णतया किसान को दुविधाजनक स्थिति में लाभ देने का सवाल है इसलिए इसको पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को संशोधित रूप में पारित किया गया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक घण्टे का समय बढ़ाकर तीसरा बिल भी ले लिया जाय ।

(व्यवधान)

कल समय नहीं रहेगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि आज कार्य सूची काफी लम्बी है और विधायी कार्य चल रहा है जो करीब यह मानते हुए कि प्रथम ही अवसर है इसलिये विषय भी काफी रोचक है इसलिए आपकी अनुमति से एक घण्टे का समय बढ़ाया जाता है ।

(व्यवधान)

कल कार्य सूची और लम्बी है । कृपया माननीय सदस्य गण सहयोग करें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । राजस्थान कृषि जोतों पर....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनने तो दीजिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिस तरह का विधेयक है, आपने देखा अगला विषय भी इस प्रकार का है-जल्दीबाजी में हो जायगा । जो बातें सामने आनी चाहिये वे नहीं आ पाती है । मेरा निवेदन है कल आप इसको रख लें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कहते हैं तो इसको कल ले लेंगे । तीसरा और है इसको आज ले लें....

(व्यवधान)

ऐसा आप कहते हैं तो....

(व्यवधान)

कल रात में 12-00 बज जायेंगे ।

श्रीमती कमला : सामान्य सा विधेयक है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : चाहे कल आप रात को दो बजे तक बैठ जाना....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी का यह विचार है और फिर माननीय विरोधी दल के जो उप नेता महोदय, हैं वे यह विश्वास दिलाते हैं कि कल तीनों बिल पास करवा देंगे इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 अप्रेल, 1981 के प्रातः 11-00 बजे तकके लिए स्थगित की गई।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.47 बजे शुक्रवार दिनांक 3अप्रेल, 1981 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(195)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 497 की सूची)

कुशलगढ़ क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यालयों की सूची

क्र० सं०	नाम छात्रावास	छात्रावास का प्रकार	छात्र संख्या
1.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास कुशलगढ़ (बालक)	राजकीय	60
2.	अनुसूचित जन जाति कन्या छात्रावास, कुशलगढ़	राजकीय	12
3.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास कुशलगढ़	अनुदानित	30
4.	तृतीय श्रेणी छात्रावास छोटी	राजकीय	25
5.	तृतीय श्रेणी छात्रावास, डूंगरा	,,	25
6.	राजकीय छात्रावास, सज्जनगढ़	,,	70

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके
तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

शिक्षा विभाग में अधिकारियों व सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

674. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग में अधिकारी वर्ग एवं सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के कई पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने व कौन-कौन से पद रिक्त हैं ?

(2) पद रिक्त होने के क्या कारण हैं ? इन्हें कब तक भरा जायेगा ?

उत्तर

(1) निम्नलिखित पद रिक्त है :—
1) प्र० अ०, मा० वि० 38
2) प्र०अ०, बा०मा०वि० 26

(2) उच्च पदों पर पदोन्नति हो जाने के कारण पद रिक्त हुये हैं। जिन्हें शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

कठूमर (अलवर) क्षेत्र में कन्या विद्यालयों में अध्यापिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति

675. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कठूमर (अलवर) क्षेत्र में कितने उच्च प्राथमिक व माध्यमिक कन्या विद्यालय हैं ?

(2) क्या इन शालाओं में निर्धारित स्टाफ के अनुसार पर्याप्त अध्यापिकाएं पदस्थापित की हुई हैं ?

(3) यदि नहीं, तो कितने दिन से इन स्कूलों में अध्यापिकाओं की कमी चली आ रही है तथा कब तक पूर्ण स्टाफ भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कठूमर (अलवर) विधान सभा क्षेत्र में निम्न कन्या पाठशालायें हैं :—
(1) रा० बा० उ० प्रा० वि० हरसाना।
(2) रा० बा० मा० वि०, कठूमर।
(3) रा० बा० मा० वि०, खेड़ली।

(2) विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना निम्न प्रकार से हैं :—

(1) रा० बा० मा० वि०, कठूमर

द्वि० श्रे० अ०	तृ० श्रे० अ०
2	1

(2) रा० बा० मा० वि०, खेड़ली

द्वि० श्रे० अ०	तृ० श्रे० अ०
1	×

(3) ये पद इसी सत्र से रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है।

आबू रोढ के राजकीय चिकित्सा व्यवस्था में सुधार

676. श्री भूराराम (पिण्डवाड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(192)

(श्री भूराराम)

(1) आबू रोड के राजकीय चिकित्सालय में भारी दुर्व्यवस्था के कारण गरीब मरीजों को अस्पताल से किसी भी प्रकार की दवा इत्यादि नहीं मिलती है? यदि हां, तो क्यों? सरकार इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपाय कर रही है?

(2) क्या यह सच है कि गरीब मरीजों के हितार्थ आने वाली दवाइयां काला बाजार में बेच दी जाती हैं? क्या सरकार इसकी जांच करेगी तथा दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

(3) क्या यह सही है कि अस्पताल के कर्मचारी, श्री राजेश पुष्करणा का स्थानान्तरण आबू रोड से पाँच बार किया गया है एवं पांच बार ही निरस्त किया गया है? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से किया जा रहा है?

(4) क्या इस घटना से उक्त अस्पताल के डाक्टर्स एवं कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है? क्या प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबू रोड इस प्रकार के वातावरण के दोषी हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आबू रोड पर आवश्यक दवाइयों की किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था नहीं है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) श्री राजेश पुष्करणा 4 खण्ड शिक्षा प्रसारक, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, आबू रोड का 3 बार स्थानान्तरण किया तथा 2 बार निरस्त किया।

(4) जी नहीं। अस्पताल के कर्मचारियों में रोष उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लाडनू में गुणपतराव सरावगी अस्पताल की व्यवस्था में सुधार

677. श्री रामधन (लाडनू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनू के गुणपत राव सरावगी अस्पताल में पांच डाक्टर्स को पदस्थापित किया गया है लेकिन मार्च के पहले सप्ताह में सिर्फ एक ही डाक्टर उपस्थित था?

(2) क्या इमरजेन्सी केसेज को देखने हेतु भी डाक्टर लोग उपस्थित नहीं होते हैं?

(3) क्या यह सही है कि ये डाक्टर ड्यूटी घन्टों में अधिक समय अपने घरों पर रोगियों के रोगों का निदान करते हैं एवं मरीजों से भारी फीस की वसूली करते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि लाडनू अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी है? यदि हां, तो इनकी पूर्ति कब तक की जायेगी?

(108)

उत्तर

(1) जी हां, 5 डाक्टरों में से 2 पद रिक्त थे तथा शेष 3 डाक्टरों में से 2 डाक्टर अवकाश पर थे।

(2) डाक्टरों का अपने पद पर नहीं रहने के कारण ऐसी स्थिति कभी आई हो सकती है।

(3) इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। निर्धारित पैटर्न के अनुसार पूरा स्टाफ स्वीकृत है।

कस्बा मंडावा व बिसाऊ नगरपालिकाओं को सड़क निर्माण हेतु विशेष अनुदान

678. **श्री लच्छूराम** (मण्डावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनू के कस्बा मण्डावा व बिसाऊ की नगरपालिका क्षेत्र की सड़कें जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन दोनों नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो इन सड़कों की मरम्मत करा सके?

(3) क्या सरकार इन दोनों नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप में सड़कों की मरम्मत हेतु कुछ विशेष अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक उन्हें विशेष अनुदान स्वीकृत कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

(3) नगरपालिका, मण्डावा को इस वर्ष 30,000/—रुपये तथा बिसाऊ को गत वर्ष 25000/—रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

ग्राम मंडोला (बारां) के विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ अशालीन व्यवहार

679. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ग्राम बारां के कार्यालय में ग्राम मंडोला, तहसील बारां के स्कूल में प्रधानाध्यापक को अपशब्द कहने की दिनांक 4 फरवरी. 1980 को शिकायत हुई थी?

(2) क्या यह सही है कि डिप्टी इन्सपेक्टर, श्री नन्दलाल गालव ने दिनांक 4 मार्च, 1980 को स्कूल में जाकर इसकी जांच की थी?

(3) क्या यह सही है कि श्री जगदीश आत्मज श्री लक्ष्मी चन्द्र, सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को अपशब्दों से सम्बोधित किया था?

(4) कृपया जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 4-2-80 को श्री राम नारायण साहू, स०अ०उ०प्रा०वि० मण्डोला ने श्री दुर्गाशंकर स०अ० के विरुद्ध श्री साहू को अपशब्द कहने सम्बन्धी शिकायत अति०जि०शि०अ० बारां को प्रस्तुत की थी। प्रधानाध्यापक को अपशब्द कहने की कोई शिकायत नहीं थी।

(2) जी हां दिनांक 4-4-80 को की थी।

(3) जी नहीं।

(4) जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है।

जन जाति उपयोजना क्षेत्र आदिवासियों की खातेदारी भूमि के अवैध हस्तान्तरण के प्रकरण

680. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों को खातेदारी भूमि के अवैध हस्तान्तरण के मामलों की छानबीन कर न्यायालयों में प्रार्थना-पत्र पेश करवाने हेतु जिलों में विशेष राजस्व स्टाफ की नियुक्ति की गयी थी? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले अदालतों में चलाये गये हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। ऐसे मामलों की तहसीलवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है

बागीदोरा (कुशलगढ़) में अवधि विशेष हेतु उपखंड के कोर्ट्स के शिविर लगाना

681. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कुशलगढ़ सब-डिविजन में मुन्सिफ कोर्ट व एस. डी. ओ. कोर्ट प्रति माह में 15 दिन बागीदोरा में रखने की व्यवस्था करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से की जायेगी ?

उत्तर

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कुशलगढ़ का बागीदोरा में कैम्प कोर्ट लगाने बाबत बागीदोरा क्षेत्र की जनता की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय विचार कर रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश आने पर राज्य सरकार इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी।

नदबई स्थित जनता आटो सर्विस द्वारा डीजल के वितरण में धांधली तथा काला बाजारी किया जाना

682. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नदबई (भरतपुर) स्थित जनता आटो सर्विस के विरुद्ध डीजल में भारी धांधली तथा ब्लैक की जिलाधीश से

Page No 213

(श्री यदुनाथ सिंह)

शिकायत की गई है ? यदि हां, तो अभी तक इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या एक विधायक द्वारा उक्त डीजल पम्प मालिक द्वारा की जाने वाली काला बाजारी के विरुद्ध सबूत प्रस्तुत किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) शिकायत अवश्य की गई परन्तु कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया।

सत्र न्यायाधीश सीकर का शिविर न्यायालय पूर्ववत् नीम का थाना में लगाना

683. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1978 में सत्र न्यायाधीश सीकर की कैम्प कोर्ट नीम का थाना में लगती थी ? यदि हां, तो अब क्यों बन्द कर दी गई ?

(2) क्या सरकार के समक्ष नीम का-थाना उपखण्ड के नागरिकों द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत नीम का थाना में खोलने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीकर का सन् 1978 में पुराने मुकदमात की सुनवाई हेतु नीम-का थाना में कैम्प कोर्ट लगाया गया था। जो पुराने समस्त मुकदमात का फैसला किये जाने के पश्चात बन्द कर दिया गया।

(2) नीम का थाना उपखण्ड के नागरिकों एवं अभिभाषक संघ द्वारा नीम का थाना में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित करने की मांग की गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचारोपरान्त उसका कोई औचित्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दी गई।

छठी पंचवर्षीय योजना में नहरी क्षेत्र विकास पर प्रस्तावित व्यय

684. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर परियोजना पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में नहरी क्षेत्र के विकास हेतु कितनी राशि रखी गई है ?

(3) कृपया छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(201)

उत्तर

(1) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में राजस्थान नहर के लिए रु० 162.50 करोड़ की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) राजस्थान की छठी पंच-वर्षीय योजना 1980-85 में नहरी क्षेत्र (सी. ए. डी.) के विकास हेतु 113.77 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(3) राजस्थान की छठी पंचवर्षीय 1980–85 को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी व उप जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर कार्यरत पदाधिकारी

685. श्री **जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अलवर में वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी व उप जिला शिक्षा अधिकारी के कितने पद हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त पदों पर दिनांक 1 जुलाई, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक किस-किस अधिकारी ने कितने-कितने समय कार्य किया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर कार्यालय में एक वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा पांच उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं।

(2) सूची संलग्न है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं, अलवर (राजस्थान)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं, अलवर (राजस्थान) में वरिष्ठ जिला उप शिक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 1-7-80 से 31-12-80 तक कार्यरत अधिकारियों का विवरण :

क्रमांक	नाम अधिकारी	कार्य अवधि
1—	श्री रामस्वरूप शर्मा	1-7-80 से 8-8-80 तक
2—	श्री श्यामलाल शर्मा	11-8-80 से 1-9-80 तक
3—	श्री अजी राम डागुर	1-9-80 से लगातार
4—	श्री घीसालाल तिवाड़ी	20-9-80 से 21-10-80 तक

श्री जिलाधीश महोदय, अलवर (राज0) के आदेशानुसार क्रमांक 3 पर अंकित श्री अजी राम डागुर, वरिष्ठ जिला उप शिक्षा अधिकारी को जन गणना कार्य में नियुक्त किया गया तथा ये दिनांक 6—9—80 से जनगणना कार्य में व्यस्त रहे। जनगणना कार्य एक राष्ट्र व्यापी कार्य होने के कारण इन्हें कार्य मुक्त नहीं किया जा सका तथा इसी अवधि में श्री डागुर का स्थानान्तरण निरस्त हो गया। क्रमांक 4 पर अंकित श्री घीसालाल तिवाड़ी ने वरिष्ठ जिला उप शिक्षा अधिकारी के पद पर इस कार्यालय में दिनांक 20–9–80 को अपनी उपस्थिति दी तथा इनका स्थानान्तरण पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा (अलवर) में प्रधानाध्यापक के पद पर हो जाने के कारण इन्हें इस कार्यालय से दिनांक 21-10-80 को कार्य मुक्त किया गया।

ह0/-
जिला शिक्षा अधिकारी
छात्र संस्थाएं, अलवर

(203) (203)

जिला शिक्षा अधिकारी अलवर कार्यालय में उप जिला शिक्षा अधिकारी पद पर दिनांक 1-7-80 से 31-12-80 तक निम्न उप जिला शिक्षा अधिकारियों ने काम किया :—

(1) उप जिला शिक्षा अधिकारी संस्थापन शाखा :

1—श्री सोमप्रकाश तिवाड़ी	1—7—70 से 16—8—80
2—श्री अवतार चन्द शर्मा	12—8—80 से 22—9—80
3—श्री नरेन्द्र कुमार माथुर	13—9—80 से 30—11—80
4—श्री बाबूलाल राजपाली	1—12—80 से 31—12—80

(2) उप जिला शिक्षा अधिकारी लेखा शाखा :

1—श्री राममिलाप त्रिपाठी	1—7—80 से 31—7—80
2—श्री जगदीश प्रसाद जैन	28—7—80 से 26—9—80
3—श्री मनोहरलाल गुप्ता	13—9—80 से 31—10—80
4—श्री जगदीश प्रसाद जैन	30—10—80 से 31—12—80

(3) उप जिला शिक्षा अधिकारी सामान्य शाखा :

1—श्री कृष्णानन्द शर्मा	1—7—80 से 28—7—80
2—श्री सतीशचन्द गुप्ता	16—8—80 से 31—8—80
3—श्री रामजीलाल कांवत	6—9—80 से 13—10—80
4—श्री बाबूलाल राजपाली	1—11 80 से 30—11—80
5—श्री रामजीलाल कांवत	1—12—80 से 31—12—80

(4) उप जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक शाखा :

1—श्री रामजीलाल कांवत	1—7—80 से 31—7—80
2—श्री सम्पतराम विजयवर्गीय	21—8—80 से 23—9—80
4—श्री सोमप्रकाश तिवाड़ी	12—9—80 से 31—12—80

(5) उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा :

1—श्री महेशनारायण माथुर	16—7—80 से 31—12—80

ह/- 10-3-81

उप जिला शिक्षा अधिकारी

अलवर छात्र संस्थाएं

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

अवैध भूमि हस्तान्तरण के पेन्डिग मामलों का तहसीलदार विवरण

जिला	तहसील	पेन्डिग मामले
1. डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	2
	2. सागवाड़ा	3
	3. आसपुर	3
		8
2. बांसवाड़ा	1. बांसवाड़ा	10
	2. गढी	1
	3. घाटोल	42
	4. बागीदोरा	5
	5. कुशलगढ़	12
		70
3. उदयपुर	1. गिर्वा	24
	2. धरियावद	2
	3. सलूम्बर	3
	4. सराड़ा	—
	5. खेरवाड़ा	5
	6. झाडोल	45
	7. कोटडा	—
		70
4. चित्तौड़गढ़	1. प्रतापगढ़	70
5. सिरोही	1. आबू रोड	1

नगरपालिकाओं के चुनावों के संदर्भ में मतदाता आयु 18 वर्ष निश्चित करना

686. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य में नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता की आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई है ? यदि हां, तो इस आधार पर मतदाता सूची अन्तिम रूप से कब तक तैयार हो चुकी है ?

उत्तर

जी हां। मतदाता सूची 1/1/78 के संदर्भ से 30-10-78 तक अन्तिम घोषित कर दी गई थी।

जयपुर में शास्त्री नगर व उसकी विस्तार योजना में सम्मिलित उप-नगरों के विकास की योजनायें

687. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन-पोल, जयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शास्त्री नगर, जयपुर व उसकी बिस्तार योजना के अन्तर्गत आने वाली कॉलोनीज के विकास की क्या क्या योजनाए सरकार के विचाराधीन हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में कुल कितने अविकसित पार्क्स हैं और उनके विकास की क्या योजना है तथा कब तक इन्हें पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) शास्त्री नगर, जयपुर व उसका विस्तार योजना में आने वाले कालोनीज के विकास कार्य जैसे नालियों का निर्माण कार्य काफी हो चुका है व कुछ नई नालियों के निर्माण कार्य प्रगति पर ही अन्य विकास कार्य पूरे हो चुके है।

(2) इस क्षेत्र में कुल 8 अविकसित पार्क हैं इनमें दो पार्कों का विकास कार्य प्रगति में है। उपरोक्त पार्कों के विकास कार्य का प्रावधान वर्ष 81-82 में रखने का प्रावधान है।

अनुदानित संस्कृत शिक्षण संस्थायें

688. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) :

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुदानित संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में मासिक वेतन क्रॉस चैक से भुगतान करने की नीति कई वर्षों से लागू की हुयी है ?

(2) क्या सभी संस्कृत शिक्षण संस्थाओं द्वारा इसकी पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो किन किन के द्वारा ? कृपया ऐसी संस्थाओं की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसी अनियमित

(206)

(श्री शिवराम शर्मा)

संस्थाओं का अनुदान बन्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो वहां शिक्षकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेशों की प्रति संलग्न है। क—ख

(2) जी, नहीं। केवल 6 संस्थाएं आदेशों की पालना नहीं कर रही हैं। सूची संलग्न है। ग

(3) जी, नहीं। भविष्य में क्रास चैक के बिना दिये गये वेतन भुगतान को सरकारी अनुदान हेतु मान्य नहीं समझा जायेगा

(221)

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नि. सं. शि./सहा/सामान्य/जिला/76-77 49958-50022 दिनांक 17-12-76

कार्यालय—आदेश

अनुदान प्राप्त संस्कृत शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त माहवारी अनुदान के बिल व अनुदान नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन फार्मो की जांच करते समय देखा गया है कि संस्थाओं द्वारा वांछित सूचना बिल। अनुदान फार्मों के साथ प्रेषित नहीं की जाती जिस के कारण बिल समय पर पारित कर संस्थाओं को लौटाने में कठिनाई होती है व अनुदान अन्तिमीकरण में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है संस्था से सूचना के अभाव में बार बार पत्र व्यवहार करना पड़ता है जिस से संस्था का व राज्य सरकार का अनावश्यक खर्चा होता है व संस्था को समय पर भुगतान न प्राप्त होने पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं को निर्देश दिए जाते है कि भविष्य में बिलों से व अनदान आवेदन फार्म से संबंधित सूचना एक साथ प्रस्तुत की जायेगी। यदि किसी प्रकार की सूचना समय पर प्रस्तुत नहीं की जावेगी तो अविलम्ब अनुदान नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी जिस के अनुसार अनुदान बन्द करने का भी प्रावधान है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो अतः समस्त संस्थाएं इस ओर विशेष ध्यान देकर इस प्रकार व्यवस्था करें कि जिस से समस्त सूचना समय पर प्रस्तुत कर दी जावें।

ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ सस्थाएं कर्मचारियों को भुगतान चैंक द्वारा नहीं करती है। अतः समस्त संस्थाओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुदान बिल की कार्यालय प्रति पर यह प्रमाण-पत्र अंकित करें कि समस्त कर्मचारियों को भुगतान क्रास्ड चैंक द्वारा कर दिया गया है। गलत प्रमाण पत्र देने पर अनुदान बन्द कर दिया जावेगा व मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।

पत्र प्राप्ति की सूचना मुझे भेजी जावे।

ह०- निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान- जयपुर।

प्रतिलिपि समस्त सहायता प्राप्त संस्कृत शिक्षण संस्थाओं को पालनार्थ प्रेषित है।

ह०- निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान- जयपुर।

(108)

राजस्थान—सरकार

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: नि सं. शि/सहा/80-81/8689-8769 दिनांक 1-4-81

व्यवस्थापक/मंत्री

1— भारतीय बाल मंदिर, सुभाष चौक जयपुर।

2— नेहरू संस्कृत विद्या मन्दिर, भरतपुर।

3— सुगम शिक्षा समिति, सिविल लाइन्स जयपुर।

4— कुन्द कुन्द संस्कृत विद्यालय, राजाखेड़ा भरतपुर।

5— कुन्द कुन्द पालिका संस्कृत विद्यालय राजाखेड़ा भरतपुर।

6— विक्रम बाल निकेतन बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, जयपुर।

विषय:- संस्था के कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के संबध में।

वर्ष 79—80 के संस्था लेखों की जांच करने वाले अंकेक्षण दल की रिपोर्ट तथा अनुदान बिलों की कार्यालय प्रति पर विभागीय आदेश संख्या निसंशि/सहा/सामान्य/बिल/ 76-77/ 49958-50032 दिनांक 17-12-76 के प्रकाश में दिये जाने वाले प्रमाण पत्र की समस्त कर्मचारियों को भुगतान क्रोस्ड चैंक द्वारा कर दिया गया है के अनुसार विभाग के यह ध्यान में आया है कि संस्था कर्मचारियों को आपके द्वारा भुगतान क्रोस्ड चैंक द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा विभागीय निर्देशों की परिपालना नहीं की जा रही है जो कि अनियमित है

अत: एतद्द्वारा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था अनुदान नियम 1963 के नियम सं0 4(घ) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि आप कर्मचारीगण को वेतन पूरा तथा नियमित रूप से हर माह क्रोस्ड चैंक द्वारा ही वितरित किया करें। अन्यथा यह समझा जावेगा कि कर्मचारीगण को पूरा वेतन संस्था द्वारा नहीं चुकाया जाता और उसमें कोई अनधिकृत कटौती की जाती है और ऐसा मानकर संस्था कर्मचारीगण को बिना क्रास्ड चैंक द्वारा किये गये वेतन भुगतान को सरकारी अनुदान हेतु मान्य व्यय में संगणित नहीं किया जावेगा। इस प्रकार संस्था को होने वाली सरकारी अनुदान की अंश हानि के लिये संस्था प्रबन्ध समिति स्वयं उत्तरदायी होगी।

इसकी कडाई के साथ पालना की जाये तथा प्राप्ति स्वीकार भिजवाया जाये।

ह० रामनारायण चतुर्वेदी
निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थानी, जयपुर

प्रतिलिपिः—

1— समस्त अनुदानित संस्कृत शिक्षण संस्थायें राजस्थान के व्यवस्थापकों/मंत्रियों को भेजते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों की कड़ाई से पालना की जाये अन्यथा वैसे भुगतान को सरकारी अनुदान के लिये अमान्य माना जायेगा।

2— उप निरीक्षक संस्कृत शिक्षा(अनुदान)। सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार निदेशालय को इन निर्देशों के साथ दी जाती है कि वे प्रत्येक वर्ष आडिट के समय इसकी पालना का पूरा ध्यान रखें तथा ऐसे भुगतान को मान्य व्यय में सम्मिलित नही करेंगे।

3— संरक्षण पंजिका।

रामनारायण चतुर्वेदी
निदेशक,संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

संस्थाओं की सूची :-

1—भारती बाल मंदिर सुभाष चौक, जयपुर।

2— नेहरू संस्कृत विद्यामंदिर, भरतपुर।

3— सुगम शिक्षा समिति, सिविल लाइन्स, जयपुर।

4— कुन्द कुन्द संस्कृत विद्यालय,राजाखेड़ा, (भरतपुर)।

5— कुन्द कुन्द बालिका संस्कृत विद्यालय, राजाखेड़ा (भरतपुर)।

6— विक्रम बाल निकेतन बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, जयपुर।

इन्द्रगढ़ माध्यमिक विद्यालय

689. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1)क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ माध्यमिक विद्यालय माह फरवरी 1981 में कुछ समय के लिये बंद रहा ? यदि हां, तो कितने दिनों के लिये तथा क्यों ?

(2) इस स्कूल में हुई हड़ताल के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) दोषी व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ माह फरवरी, 81 में दिनांक 4-2-81 से 12-2-81 तक 9 दिन छात्राओं

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण बन्द रहा।

(2) प्रथम दृष्टि में श्री महावीर सिंह राजावत, अंग्रेजी अध्यापक उत्तरदायी है।

(3) श्री महावीर सिंह के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच आरम्भ कर दी गई है। इन्हें फिलहाल विद्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी कोटा के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है।

नगरपालिका बड़ी सादड़ी के तालाब की मरम्मत

690, श्री उदयराम (बड़ी सादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,

(1) क्या यह सही है कि बडी सादड़ी नगरपालिका का तालाब वर्तमान में टूटा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार आगामी मानसून से पूर्व उक्त तालाब को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। करीब 100 फीट तक टूटा हुआ है।

(2) जी हां। नगर पालिका की वितीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मरम्मत करा दी जावेगी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान के रिक्त पद पर नियुक्ति

691. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उपरोक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 27 जुलाई, 1980 से अध्यक्ष का पद रिक्त है। अभी निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर इस पद पर कार्य कर रहे हैं

(2) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(211)

बालोतरा में वाकिया गन्दे नाले के पानी का निकास

692. श्री अमरा राम चोधरी (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बालोतरा नगरपालिका ने वार्ड नं. 8 में वाकिया गन्दे नाले का पानी शहर के बाहर निकालने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हा, तो इस योजना के तहत गन्दे पानी की निकासी का कार्य कब पूरा हो जाएगा तथा इस पर कुल कितनी धन राशि व्यय होगी ?

(2) नगरपालिका बालोतरा ने सन्-1980 में कुल कितने आवासीय भू-खण्डों के पट्टे दिये ? कृपया सूची-सदन के पटल पर रखें।

प्रश्न

(1) क्या बालोतरा नगरपालिका ने वार्ड नं08वाकिया गंदे नाले का पानी शहर के बाहर निकालने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना के तहत गंदे पानी के निकासी का कार्य कब पूरा हो जायगा ?

(5) बालोतरा नगरपालिका ने सन् 1980 में कुल कितने आवासीय भू-खण्डों के पट्टे दिये उसकी सूची सदन के पटल रखें।

कार्यालय नगर पालिका बालोतरा

वर्ष 1980 में जारी किये गये पट्टो को आसानी बार सूची

क्र० सं०	आसामी का नाम वल्दियत	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग गज	दर	कुल राशि	विशेष विवरण निर्णय दिनांक	परिपत्र दि. के अनुसार निम्न
1	2	3	4	5	6	7
1—श्री	देवाराम रतनाराम भीलवार्ड 6 पु०	55	10	559—00	19-10-79	पत्रांक F5 (58)DLB/71 39317D22.7.71
2—श्री	जैनाराम चिपनाराम भील,,	79	2-00	159—52	16-10-79	,,
3—श्री	मिश्रीमल सागर जी माली ,,7	226	1-00	226—43	17-11-79	,,
4—श्री	बाबूलाल धेनराज मि०जसराज ,,5	453	4-00	2419—98	20-11-79	पत्रांक F7 (81)Lsag/581 115/163207 9 5 77
5—श्री	हीरालाल हस्तीमल ओसवाल ,,3	622	3-50	2361—65	12-11-79	22.7.71
	,,6	328	5-00	1668—48	30-10-79	9.5.77
6—श्री	जगदीश प्रसाद मदनलाल ,,4	00				
	अग्रवाल ,,6	00				
7—श्री	मांगीलाल डूगर जी मेगवाल ,,5	142	2-00	283—26	3-11-79	,,
8—श्री	गंगाराम हरीराम पालीवाल ,,2	517	0-50व 5-00	335—30	12-11-79	22.7.71
9	श्री गुणेश धनाजी जटीया ,,5	229	1-50	343—50	17.11.79	,,

1	2	3	4	5	6	7
10—श्री कालु करीमजी घांसी वार्ड नं.1		498	2-00 व 3-00	1345—98	17-11-79	9.5.77
11—श्रीमती लीलादेवी पत्नी हेमनदास	,,5	207	4-00 व 6-00	943—98	29-10-79	,,
12—श्री हनुमानदाए राजूराम पालीवाल	,,2	587	0-50 व 5-00	686—95	12-11-79	22.7.71
13—श्री रघु नाथ-हंजारी जी घांची	,,7 पु०	309	3-50	1082—66	19-11-79	,,
14—श्री सोनाराम मोटाराम मेगवाल	,,7	125	3-00	250—00	23-10-79	9.5.77
15—,, जोगाराम चौथाराम मेघवाल	7	49	1-50	73—50	10-10-79	22.7.71
16—,, मडाराम गिरधारी मेघवाल	7	95	1-50	143—10	5-10-79	22.7.71
17—,, सीताराम मोतीजी भील	8पु०	154	1-50	42—34	11-10-79	,,
18—,, मदनलाल अणदाराम भीमाराम मेगवाल वार्ड,, (नं.7 प.)		154	1-50 3-50	500—50	5-10-79	,,
19—,, मिसरीमल पु०खेताजी भील	,,8	183	2-00 व 3-00	400—00	16-10-79	9.5.77
20—,, नरसिंहपु०दानाजी माली	,,7	517	0-50 व 5-00	336—00	17-11-79	22.7.71
21—,, चेलारामपु०वगताराम माली	,,7	335	1-00	335—11	14-12-79	,,

1	2	3	4	5	6	7
22—,,	तुलसीरामपु०किस्तुरजी वार्ड नं.5पु०	850	1-00 व 5-00	2253—15	10-12-79	22.7.71
23—,,	शंकरलाल छोगालाल कुम्हार,,5	46	3-50	163—35	,,	,,
24—,,	मोहनलाल छोगालाल ,,5	55	5-00	277—80	,,	,,
25—,,	तुलसीराम हिमताराम घांची ,,5	510	2-00 व 5-00 एवं 18-00	1536—00	15-12-79	9.5.77
26—,,	नथरमलपु०सूरजमल जी कलाल अर्जुनदास नथरमल वार्ड 6 पु०	178	1-50	268—02	7-11-79	22.7.
27—,,	ओखाराम अणदाराम माली वार्ड न. 7 पु०	112	5-00	564—45	15-12-79	,,
28—,,	मुल्तानमल नरसिहमल वार्ड 5पु०	728	0-59 व 15-00	1391—65	17-11-79	,,
29—,,	राणाराम केराराम घांची,,	440	1-00	442—42	15-12-79	,,
30—,,	खुबाराम पेमाराम मि. गुणेशजी,,	1369	1-00 व 2-00	484—00	10-12-76	,,
31—,,	गोरखमल भगवानदासओसवाल 2	259	4-00 व 5-00	1254—61	11-12-79	9,5.77
32—,,	हु गारी पु०अमराजी ,,5	240	1-50	201—31	12-12-79	22.7.71
33—,,	कलाराम हीम माली ,,0घांची	794	5-00	3222—20	11-12-79	,,

215

1	2	3	4	5	6	7
34—,,	फकीरमोहम्मद गैनीखां मि. मौहम्मदजी वार्ड नं. 6 पुराना	110	6—50	350—25	11.12.79	22.7.71
35—,,	मालाराम पूनमाराम मेघवाल वार्ड नं. 5 पु०	353	1—50	530—74	17.11.79	,,
36—,,	हरिसिंह गोकलसिंह पंवार वार्ड नं. 5 पु०	195	0—50	97—78	15.11.79	,,
37—,,	गणपतसिंह पुत्र गोकलसिंह वार्ड नं. 5 पु०	216	0—50	108—34	15.12.79	,,
38—,,	अमरराम मिश्रीमल हरिजन वार्ड नं. 6 पु०	890	0—25	22—40	17.12.79	,,
39—,,	खेताराम हुकमाराम मेगवाल वार्ड नं. 5 पु०	124	1—50	186—86	17.11.79	,,
40—,,	मंहीगा पुत्र अमराजी कुम्हार वार्ड नं. 5 पु०	177	0—50	88—69	12.12.79	,,
41—,,	पेमाराम सरूपाराम घांची वार्ड नं. 3 नया	524	2—00 व 3—00 एवं 18—00	1787—40	29.12.79	9.5.77
42—श्रीमती पानीदेवी अजाराम	वार्ड नं 3 नया	485	2—00 व 3—00	1306—80	29.12.79	,,
43—श्री सांवलराम सरूपाराम	वार्ड नं 3 नया	519	2—00 व 3—00 एवं 3—00	1701—00	29.12.79	,,

1	2	3	4	5	6	7
44—,,	बंशीलाल सरूपाराम वार्ड नं. 3 नया	490	2—00 व 2—00	1320—30	29.12.79	9.5.77
45—,,	सोहनराज पुत्र सेजराम वार्ड नं. 3 नया	148	2—00	206—12	23.1.80	,,
46—,,	जमनादेवी बेवा सेजराम	173	2—00 व 3—00	334—93	24.1.80	,,
47—,,	घीसूलाल/हनुमानदास पुत्र मुननाजी घांची वार्ड नं. 5 पु०	1042	3—50 व 5—00	4424—00	2.2.80	22.7.71
48—,,	लाखा पुत्र चिमना कुम्हार वार्ड नं. 5 पु०	671	0—50 व 5—00	1105—50	2.2.89	,,
49—,,	चिमना पुत्र टीकमाजी घांची वार्ड नं. 5 पु०	931	0—50 व 5—00	2408—35	2.2.80	,,
50—,,	शैषकरण पुत्र जयनारायणजी श्रीमाली वार्ड नं. 5 पु०	593	4—00 व 6—00 एवं 18—0)	4390—74	24.1.80	9.5.77
51—,,	खीमाराम पुत्र सोनाजी घांची वार्ड नं. 5 पु०	717	1—00 व 5—00	1588—25	2.2.80	22.7.71
52—,,	शेरखां पुत्र अजीमखां तेली वार्ड नं. 3 पु०	543	0—50 व 5—00	465—00	19.2.80	,,

1	2	3	4	5	6	7
53—	श्री राणा पु० अचला घांची वार्ड नं. 5 पुराना	405	3—50	1420—23	2.2.80	22.7.71
54—	,, हिमता पु० अचला घांची वार्ड नं 5 पु०	218.17	1—00	218—17	,,	9.5.77
55—	,, शंकर पु० नेना जी कुम्हार वार्ड नं. 5 पु०	489	0—50	244—00	,,	,,
56—	,, मांगीलाल पु० गिरधारी जी लुहार वार्ड नं. 5 पु०	299	5—00 व 6—00	1498—68	19.1.80	,,
57—	,, वनाराम, केवलचन्द, मोहनलाल मि० चिमना जी घांची वार्ड नं. 5 पु०	1104	1—00 व 5—00	3524—45	2.2.80	22.7.71
58—	,, ढलाराम, सवाराम, मि० गणेश जी कुम्हार वार्ड नं. 5 पु०	650	0—50 व 5—00	1000—00	2.2.80	,,
59—	,, मेराराम पुत्र लक्ष्मण जी घांची वार्ड नं 5 पु०	657	3—50 व 45—00	2535—00	2.2.80	9.5.77
60—	,, बाबूलाल पु० पोकरजी नाई वार्ड नं. 6 पु०	131.33	10—00	1313—30	2.1.80	22.7.71

1	2	3	4	5	6	7
61—	,, भूरचन्द पु० किशना जी सर्राफ वार्ड नं. 2 पु०	445	4—00 व 6—00	2374—50	24.1.80	9.5.77
62—	,, सरदारमल पु० गवरीशंकर दिशान्तरी वार्ड नं. 2 पु०	116	4—00	416—68	27.12.79	,,
63—	,, उकाराम पु० घूड़ाराम घांची वार्ड नं. 5 पु०	271	4—00 व 6—00	1330—98	24.1.80	,,
64—	,, नारायण पु० पन्नाजी जीसुथार वार्ड नं. 2 पु०	1500 / 2—2	2 आना	177—50	2.2.80	11.7.58 8/20
65—	श्रीमती शारदा देवी पत्नी बाकूलाल कसारा वार्ड नं 5 पु०	220	4—00 व 6—00	1020—00	25.2.80	9.5.77
66—	श्री बद्रीप्रसाद पु० जयनारायण श्रीमाली वार्ड नं. 5 पु०	533	4—00 व 6—00	3310—56	24.1.80	,,
67—	,, तुलसी वेवा चिमनाजी घांची वार्ड नं. 5 पु०	905	0—50 5—00	2265—00	19.2.80	22.7.71
68—	,, गणपतलाल पु० प्रीतमचन्द वार्ड नं. 5 पु०	138	4—00 व 6—00	555—56	5.12.79	9.5.77

1	2	3	4	5	6	7
69—,,	ओमप्रकाश पु० पूनमचन्द ,,	333	4—00 व 6—00	1700—00	5.12.79	9.5.77
70—,,	लेखराज पु० जुगताराम जी वार्ड नं. 5 पु०	221	4—00 व 6—00	1030—02	29.2.80	9.5.77
—71 ,,	राणा पु० ज्वारा जी नाई वार्ड नं. 2 पु०	483	3—50	1691—65	7.4.80	22.7.71
72—,,	मीरा वैवा दीपाराम हरिजन वार्ड नं. 6 पु०	211	0—50	105—90-	9.5.80	,,
73—,,	गोपाराम पुत्र भलाराम पुरोहित वार्ड नं. 2 पु०	517	4—00 व 6—00	3006—00	17.6.80	9.5.77
74—,,	मेवाराम कृष्णजी कंसारा वार्ड नं. 2 पु०	135	2—00 व	270—22	18.6.80	9.5.77
75—,,	रतनलाल/कुशलराज मि० गेकचन्द	211	15—00	3166—65	13.6.80	22.7.71 13.6.80
76—,,	धनजी गिरधारी जी माली वार्ड नं. 2 पु०	409	0—50	204—86	17.6.80	22.7.71
77—,,	मेघराज मूलचन्द जी वार्ड नं. 6 पु०	291	4—00 व 6—00	1450—00	13.6.80	9.5.77
78—,,	रामेश्वरदास पुत्र मछाराम जी मंत वार्ड नं. 2 पु०	257	5—00 व 6—00	1244—25	16.6.80	,,

(220)

1	2	3	4	5	6	7
79—	श्री काना पुत्र प्रभूजी माली वार्ड न. 2 पु०	433	2—00 व 3—00	1149—24	17.6.80	9.5.77
80—	,, शालू पुत्र टीकमजी कुम्हार वार्ड नं. 2 पु०	1200 2-2	3—00	150—00	29.4.80 13.5.61	बोर्ड प्र. 8 28—20 2.33-51
81—	,, मोहम्मद पुत्र भूराजी घांची वार्ड नं. 2 पु०	189	2—00 व 3—00	419—76	20.6.80	9.5.77
82—	,, दलूपतराज पुत्र भीकमचन्द जी वार्ड नं. 7 पु०	1716	3—50 व 5—00	7834—00	27.3.80	22.7.71
83—	,, जामता पुत्र देराम जी माली वार्ड नं. 2 पु०	247	3—50	866—00	17.6.80	22.7.71
८4—	,, नारायण पुत्र राणाजी माली वार्ड नं. 2 पु०	399	0—50	199—78	17.6.80	,,
85—	,, चुन्नीलाल पुत्र राणाजी माली वार्ड नं. 2 पु०	287	0—50 व 5—00	313—50	16.6.80	,,
86—	,, सोना पुत्र पुनमजी पालीवाल वार्ड नं. 5 पु०	453—33	1—00	453—33	20.5.80	,,
87—	,, गणेशराज पुत्र शिवलालजी सोनी वार्ड नं. 5 पु०	985	3—50 व 5—00	4177—50	20.5.80	9.5.77

221

1	2	3	4	5	6	7
88—	श्री मंगलदास पुत्र श्री रामजी संत वार्ड नं. 3 पु०	300	1—00	314—00	17.6.80	22.7.71
89—	,, श्रोटाराम पुत्र नेमाजी नाई वार्ड नं. 3 पुराना	123	0—50	61—98	4.7.80	,,
90—	,, हेमाराम पुत्र वजाजी जटीया वार्ड नं. 5 पु०	256	1—50	384—00	17.11.79	,,
91—	,, गनपतलाल पुत्र मांगीलाल नाई वार्ड नं. 3 पु०	375	0—50	191—50	27.6.80	,,
92—	,, मरगो पत्नी गोकल जी पुरोहित वार्ड नं. 3 पु०	101	2—00	203—66	27.6.80	,,
93—	,, घमण्डा पुत्र मैनाजी मेगवाल वार्ड नं. 5 पु०	172	1—50	228—66	17.11.79	,,

ह०
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, बालोतरा

2222

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न 662 की सूची

प्रश्न के भाग 2 की सूची

(मात्रा कि0 ली0 में)

क्र. सं.	सप्ताह	नवम्बर, 80	दिसम्बर, 80	जनवरी, 81	फरवरी, 81
1–	प्रथम	22	24	12	11
2–	द्वितीय	22	22	24	22
3–	तृतीय	24	24	24	24
4–	चतुर्थ	36	23	21	34

प्रश्न के भाग 3 की सूची

क्र. सं.	नाम माह	ट्रैक्टर संख्या	पम्प सेट सं.	
1–	नवम्बर, 80	683	3431	ट्रैक्टरों को 60 लीटर पम्पों को 15 लीटर
2–	दिसम्बर, 80	672	3167	,,
3–	जनवरी, 81	979	4598	ट्रैक्टर 20 लीटर पम्प सेट 15 लीटर
4–	फरवरी, 81	459	2589	,,

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न सं० 694 का विवरण

परिशिष्ट—1

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत स्वीकृति राशि का वर्षवार एवं संक्टर अनुसार व्यय का विवरण

संक्टर	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (जनवरी 81 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ) 1. कृषि एवं अन्य सेवायें	—	—	3.54	5.50	10.21	20.97	25.33
अ) भूमि सुधार	—	—	6.05	15.99	14.59	13.14	2.42
ब) कृषि उत्पादन							
2. लघु सिचाई							
अ) भू-जल विभाग	—	—	9.45	21.68	2.79	8.36	3.15
ब) लघु सिचाई	54.78	119.23	85.00	109.32	91.65	45 71	16.48
स) ए. आर. डी.सी.स्कीम	—	—	—	—	1.48	—	—
3 3. भू-संरक्षण							
अ) कृषि विभाग	—	—	—	—	5.20	6.94	2.79
ब) वन विभाग	—	—	1.86	5.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4. पशुपालन							
अ) पशु पालन विभाग	—	—	4.40	16.55	16.28	6.29	2.66
ब) भेड़ व ऊन विभाग	—	—	—	—	—	0.30	0.95
5. दुग्ध विकास	—	—	—	24.20	30.05	24.00	0.01
6. मत्स्य पालन	—	—	5.00	11.00	6.14	5.60	0.62
7. वन (वन विभाग)	—	—	—	2.79	3.66	46.29	19.98
8. विशेष योजना							
अ) सूखा सम्भावित कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—
ब) कमाण्ड एरिया डवलपमेंट	—	—	—	—	1.39	—	—
आ) सहकारिता	—	21.75	97.80	18.10	—	22.70	9. 79
इ) जल एवं विद्युत							
अ) सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—
ब) विद्युत विकास	—	—	—	—	—	3.00	—
ई) उद्योग व खनन							
अ) उद्योग	—	—	22.95	4.00	18.38	13.98	4.48
ब) खनन	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
उ) परिवहन एवं संचार							
अ) सड़कें	—	—	—	—	—	—	—
ब) पर्यटन	—	—	—	—	—	—	—
ऊ) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं							
1. शिक्षा							
अ) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	—	—	2.16	19.86	54.17	48.96	27.70
ब) महाविद्यालयीक शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—
2. आधुनिक औषधियाँ	—	—	—	—	4.70	6.77	1.24
3. आयुर्वेद	—	—	—	—	1.34	3.38	4.30
4. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं	—	—	—	—	5.00	—	—
5. सूचना एवं प्रसारण	—	—	1.40	1.41	0.96	—	—
6. गृह निर्माण	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7. श्रम एवं श्रम कल्याण							
अ) नियोजना	—	—	3.41	0.61	0.88	0.87	0.83
ब) क्राफ्ट प्रशिक्षण	—	—	—	8.20	6.30	7.97	2.54
8. अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण	—	—	—	—	—	2.00	0.82
9. समाज कल्याण	—	—	—	—	—	—	—
10. पोषाहार	—	—	—	—	—	—	—
ए) आर्थिक सेवाएं							
अ) आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाएं							
ब) मूल्यांकन	—	—	—	—	—	—	—
ऐ) सामान्य सेवाएं							
अ) प्रशासन	1.03	3.49	5.40	20.87	13.28	17.10	11.38
ब) कोर बजट	—	—	—	—	23.74	6.44	2.27
स) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	—	—	—	—	—	1.59	—

227

1	2	3	4	5	6	7	8
1) अन्य							
अ) सहरिया विकास	—	0.63	1.62	7.00	10.00	20.00	20.00
ब) प्रिमिटिव ट्राइबल	—	—	—	—	10.00	—	—
स) एम. ए. डी. ए.स्कीम	—	—	—	—	31.50	190.00	190.00
द) आश्रम स्कूल	—	—	—	—	10.00	—	—
	55.81	145.10	250.04	292.08	373.69	522.86	

228

परिशिष्ट—2 अप्रैल 1981–परिशिष्ट [448

वर्ष 1979--80 में विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

जिला	पंचायत समिति	गांव का नाम
उदयपुर	1. धरियावद	1—भोराई घाटी
		2—लालपुरिया सेमारी
		3—सगतपुरा (सतपुर)
		4—भोपालकला बदकडी
		5—बूजों का पाडा
		6—टटाकिया
		7—भगोर
	2. गिर्वा	8—अम्बूथ्रा
		9—वनकोडा,
		10—नला
		11—आर
		12—उपला चिरिया
		13—पगंवा
		14—चौकड़िया
		15—मामादेव
		16—पाराखेडा
		17—कोडियात
		18—रायता
		19—भेकड़ा
	3. खैरवाडा	20—लीलड़ी पण्डेरी
		21—माण्डव कला
		22—रहटा
	4. कोटड़ा	23—उपला वाला वास
		24—डूगरिया
	5. झाड़ोल	25—डाठ
		26—आलमिया तालाब
		27—पालावाडा
		28—माण्डवा
		29—बोबरावाडा
		30—चितरपुरा

(229)

जिला	पंचायत समिति	गांव का नाम
डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	31—रंगपुर
	2. सागवाड़ा	32—रणसागर पछोर
		33—मलवाड़ा
बांसवाड़ा	1. बांसवाड़ा	34—तलवाडा
	2. कुशलगढ़	35—सुलियामालपाडा
	3. घाटोल	36—ओडा देवजी
	4. पीपलखूंट	37—वाडा
प्रतापगढ़	1. प्रतापगढ़	38—चीरवा
		39—पालखालेड
		40—अण्डगोरा
		41—पठार
		42—चौकड़ी
		43—लापरिया रूण्डी
		44—कडोली
सिरोही	1. आबूरोड	45—क्यारा
		46—साकोड़ा
		47—मीरगढ
		48—क्यारा

230

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न सं.. 695 की सूची

जिन जिन विद्यालयों मै जो जो ट्रेड्स व्यवसायिक कोर्स के अन्तंगत चल रहे हैं उनकी सूची

क्र0सं0 1	विद्यालय का नाम 2	जो ट्रेडोस चल रहे हैं 3
	सत्र 1974-75	
	इन्जीनियरिगं पाठ्यक्रम	
1.	रा0उ0मा0 विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर।	ओटोमैकेनिक तथा रेडियो ट्रांजिस्टर मैकेनिक
2.	रा0दरबार उ0मा0विद्यालय, जयपुर।	ओटोमैकेनिक तथा मोटर,वाईडिंग
3.	रा0महात्मा गांधी उ0मा0विद्यालय, जोधपुर।	ओटोमैकेनिक तथा मोटर बाइडिगं।
4.	रा0गुरू गोविन्द सिंह उ0मा0विद्यालय, उदयपुर।	रेडियो एवं ट्रांजिस्टर मैकेनिक मोटर वाइडिगं।
	नोन इन्जीनियरिगं	
1.	रा0महात्मा गांधी उ0मा0विद्यालय,रामपुरा, कोटा।	स्टेनोग्राफो, आफिस प्रोसिजर एण्ड ड्राटिगं (स्टेनो टाइपिग और सैक्रेटियर प्रेक्टिस व्यवसाय)
2.	रा0बालिका उ0मा0विद्यालय,दयानन्द मार्ग वीकानेर	टेलरिगं एण्ड ड्रेस डिजाइनिग (सिलाई का व्यवसाय)
	सत्र 1975-76	
	इन्जीनियरिगं पाठ्यक्रम	
1.	रा0यशवन्तराव उ0मा0विद्यालय,अलवर।	कारपेन्टरी और फर्नीचर मेकिंग
2.	रा0बालिका उ0मा0 विद्यालय,चूरू।	रेडियो ट्रांजिस्टर मैकेनिक। (विषय चालू नहीं किया गया।)

(237)

1	2	3	4
3.	रा0महात्मा गांधी उ0मा0विद्यालय,कोटा।		कारपेन्टरी और फर्नीचर मेकिंग।
4.	रा0पटेल उ0मा0विद्यालय,ब्यावर,(अजमेर)		कारपेन्टरी और फर्नीचर मेकिंग
5.	रा0उ0मा0विद्यालय,जालौर।		पम्प मैकेनिक (विषय चालू नहीं किया है।)

नोन-इन्जीनियरिंग

1.	रा0उ0मा0विद्यालय,झालावाड़।	स्टेनोग्राफरी (स्टेनो टाइपिंग और सेक्रेटियर प्रेक्टिस।)
2.	रा0उ0मा0विद्यालय,बांसवाड़ा।	,,
3.	रा0उ0मा0विद्यालय,पाली।	,,
4.	रा0बालिका उ0मा0विद्यालय,बनीपार्क, जयपुर	ड्रेस डिजाइनिंग एण्ड टेलरिंग (सिलाई का व्यवसाय)
5.	रा0 बालिका उ0मा0 विद्यालय, श्री गंगानगर	,,
6.	रा0 बालिका उ0मा0विद्यालय, भरतपुर।	,,

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 697 की सूची

क्र० सं०	नाम तहसील		प्रति तिमाही मांग
1.	झुन्झुनू	–	550 मै० टन
2.	खेतड़ी		325 मै० टन
3.	उदयपुर वाटी	–	325 मै० टन
4.	चिड़ावा	–	300. मै० टन
		योग :–	1500 मै० टन

233

परिशिष्ट—6

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा-संस्थाएें) अजमेर

बालिका विद्यालयों की सूची

अजमेर—जिला

(अ) उच्च माध्यमिक विद्यालय

राजकीय

1 रा० के० बा० उ० मा० वि०, अजमेर
2 रा० बा० उ० मा० वि०, ब्यावर
3 रा० बा० उ० मा० वि०, नसीराबाद

सहायता प्राप्त:—

4 सावित्री बा० उ० मा० वि०, अजमेर
5 सोफिया बा० उ० मा० वि०, अजमेर
6 कान्वेन्ट बा० उ० मा० वि०, अजमेर
7 सरस्वती बा० उ० मा० वि०, अजमेर
8 आर्य पुत्री बा० उ० मा० वि०, अजमेर
9 गुरुनानक बा० उ० मा० वि०, अजमेर
10 गोदावरी बा० उ० मा० वि०, ब्यावर

(ब) माध्यमिक विद्यालय

(राजकीय)

1 रा० बा० मा० वि०: आदर्श अजमेर
2 रा० बा० मा० वि०. आदर्श नगर अजमेर
3 रा० बा० मा० वि०, रामगंज अजमेर
4 रा० बा० मा० वि०, गुलाबबाड़ी अजमेर
5 रा० बा० मा० वि०, डि० मौ० ब्यावर
6 रा० बा० मा० वि०, विजयनगर
7 रा० बा० मा० वि०, केकड़ी
8 रा० बा० मा० वि०, किशनगढ़
9 रा० बा० मा० वि०, पुष्कर
10 रा० बा० मा० वि०, श्रीनगर
11 रा० बा० मा० वि०, सरवाड़

12. रा० बा० मा० वि०, भिनाय
13. रा० बा० मा० वि०, सावर
14. रा० बा० मा० वि०, मसूदा
15. रा० बा० मा० वि०, पीसागन

सहायता प्राप्त:—

16. मिशन बा० मा० वि०, अजमेर
17. मथुरा प्रसाद बा० मा० वि०, अजमेर
18. जियालाल बा० मा० वि०, अजमेर
19. आदर्श बा० मा० वि०, अजमेर
20. हरिसुन्दर बा० मा० वि०, अजमेर
21. कमला नेहरू बा० मा० वि०, अजमेर
22. महिला शिक्षा सदन बा० मा० वि०, अजमेर
23. सोफिया हिन्दी बा० मा० वि०, अजमेर
24. अग्रवाल बा० मा० वि०, किशनगढ़

(स) उच्च प्राथमिक विद्यालय

(राजकीय)

1. रा० बा० उ० प्रा० वि०, (केन्द्रीय) अजमेर
2. रा० बा० उ० प्रा० वि०, नगरा अजमेर
3. रा० बा० उ० प्रा० वि०, होलीदड़ा अजमेर
4. रा० बा० उ० प्रा० वि०, नलाबाजार अजमेर
5. रा० बा० उ० प्रा० वि०, श्रीनगर रोड, अजमेर
6. रा० बा० उ० प्रा० बि०, क्रिश्चयन गंज अजमेर
7. रा० बा० उ० प्रा० वि०, खादिम मौ० अजमेर
8. रा० बा० उ० प्रा० वि०, छावनी ब्यावर
9. रा० बा० उ० प्रा० वि०, शाहपुरा मौ० ब्यावर
10. रा० बा० उ० प्रा० वि०, मदनगंज किशनगढ़
11. रा० बा० उ० प्रा० वि०, नसीराबाद
12. रा० बा० उ० प्रा० वि०, अराई
13. रा० बा० उ० प्रा० वि०, सापला
14. रा० बा० उ० प्रा० वि०, फतहगढ़
15. रा० बा० उ० प्रा० वि०, बान्दनवाड़ा
16. रा० बा० उ० प्रा० वि०, देवलिया कलां
17. रा० बा० उ० प्रा० वि०, टाटोटी
18. रा० बा० उ० प्रा० वि०, जवाजा

(235)

19. रा० बा० उ० प्रा० वि०, टाडगढ़
20. रा० बा० उ० प्रा० वि०, मेहेरू कला
21. रा० बा० उ० प्रा० वि०, बघेरा
22. रा० बा० उ० प्रा० वि०, जँनिया
23. रा० बा० उ० प्रा० वि०, कादेडा
24. रा० बा० उ० प्रा० वि०, रूपनगढ़
25. रा० बा० उ० प्रा० वि०, हरयाड़ा
26. रा० बा० उ० प्रा० वि०, खरवां
27. रा० बा० उ० प्रा० वि०, जालिया । ।
28 रा० बा० उ० प्रा० वि०, गोविन्दगढ़
29. रा० बा० उ० प्रा० वि०, जेठाना
30. रा० बा० उ० प्रा० वि०, सराधना
31. रा० बा० उ० प्रा० वि०, रामसर
32. रा० बा० उ० प्रा० वि०, गगवाना
33. रा० बा० उ० प्रा० वि०, करकेड़ी (किशनगढ़)

सहायता प्राप्त

34. शिशु शिक्षा सदन बा० उ० प्रा० वि०, अजमेर
35. गुलाब कंवर ओसवाल बा० उ० प्रा० वि०, अजमेर
36. मिशन बा० उ० प्रा० वि०, ब्यावर
37. गुरुनानक रिफ्यूजी बा० उ० प्रा० वि०, ब्यावर
38. गंगा विद्या मन्दिर बा० उ० प्रा० वि०, किशनगढ़
39. श्री कन्या बा० उ० प्रा० वि०, नसीराबाद
40. जीजामाता बा० उ० प्रा० वि०, अजमेर

प्राथमिक विद्यालय (राजकीय)

1. रा० बा० प्रा० वि०, भीमों का बाड़ा अजमेर
2. रा० बा० प्रा० वि०, शोरग्रान, अजमेर
3. रा० बा० प्रा० वि०, खारीचा, अजमेर
4. रा० बा० प्रा० वि०, लाखन कोटड़ा अजमेर
5. रा० बा० प्रा० वि०, पहाड़गंज अजमेर
6. रा० बा० प्रा० वि०, डिग्गी बाजिखा, अजमेर
7. रा० बा० प्रा० वि०, इन्दर कमेड अजमेर
8. रा० बा० प्रा० वि०, हिन्दू मोची नौ० अजमेर
9. रा० बा० प्रा० वि०, माडल अजमेर

आदर्श नगर, अजमेर

11. रा० बा० प्रा० वि०, रामनगर, अजमेर
12. रा० बा० प्रा० वि०, मदार अजमेर
13. रा० बा० प्रा० वि०, रामगंज, अजमेर
14. रा० बा० प्रा० वि०, गोपालजी मो० ब्यावर
15. रा० बा० प्रा० वि०, डिग्गी मो० ब्यावर
16. रा० बा० प्रा० वि०, विजय नगर
17. रा० बा० प्रा० वि०, जूनिया गेट
18. रा० बा० प्रा० वि०. केकड़ी
19. रा० बा० प्रा० वि०, चारभंजा केकड़ी
20. रा० बा० प्रा० वि०, किशनगढ़
21. रा० बा० प्रा० वि०, नसीराबाद
22. रा० बा० प्रा० वि०, कोटा रोड, नसीराबाद
23. रा० बा० प्रा० वि०, पुष्कर
24. रा० बा० प्रा० वि०, सरवाड
25. रा० बा० उ० प्रा० वि०, गुलाबबाडी अजमेर
26. रा० बा० उ० प्रा० वि०, सुभाष नगर अजमेर
27. रा० बा० उ० प्रा० वि०, पुलिस लाईन अजमेर
58. रा० बा० उ० प्रा० वि०, कुन्दन नगर अजमेर
29. रा० बा० उ० प्रा० वि०, सेन्दडा रोड, ब्यावर
30. रा० बा० उ० प्रा० वि०, शिवाजी नगर, किशनगढ़

सहायता प्राप्त

31. कस्तूरबा नारी शाला बा० प्रा० वि०, अजमेर
32. कुसमियां (मदार) बा० प्रा० वि०, अजमेर
33. राष्ट्रीय गोविन्द बा० प्रा० वि०, अजमेर
34. जियालाल बा० प्रा० वि०, अजमेर
35. मिशन बा० प्रा० वि०, अजमेर
36. सरस्वती बा० प्रा० वि०, अजमेर
37. सावित्री बा० प्रा० वि०, अजमेर
38. बंसीलाल रामनाथ बा० प्रा० वि०, अजमेर (मान्टेसरी)
39. सरदार बाल मन्दिर बा० प्रा० वि०, अजमेर (मान्टेसरी)
40. रेलवे एडलर बा० प्रा० वि०, अजमेर

(237)

मान्यता प्राप्त

41. कोन्वेन्ट बा० प्रा० वि०, अजमेर
42. सोफिया बा० प्रा० वि०, अजमेर
43. प्रताप बा० प्रा० वि०, अममेर
44. भाग्य मातेश्वरी बा० प्रा० वि०, अजमेर

टौंक जिला

(अ) उच्च माध्यमिक विद्यालय

(राजकीय)

1. रा० बा० उ० मा० वि०, टौंक

सहायता प्राप्त

2. वनस्थली विद्यापीठ बा० उ० मा० वि०, बनस्थली

(ब) **माध्यमिक विद्यालय**

(राजकीय)

1. रा० बा० मा० वि०, देवली
2. रा० बा० मा० वि०, मालपुरा
3. रा० बा० मा० वि०, निवाई
4. रा० बा० मा० वि०, टोडारायसिंह
5. रा० बा० मा० वि०, उनियारा

(स) **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय**

(राजकीय)

1. रा० बा० उ० प्रा० वि०, कोहना (टौंक)
2. रा० बा० उ० प्रा० वि०, केन्द्रीय टौंक
3. रा० बा० उ० प्रा० वि०, बदेनी टौंक
4. रा० बा० उ० प्रा० वि०, डिग्गी
5. रा० बा० उ० प्रा० वि०, लाम्बा हरिसिंह
6. रा० बा० उ० प्रा० वि०, भिलाय
7. रा० बा० उ० प्रा० वि०, अलीगढ़

(द) प्राथमिक विद्यालय

1. रा० बा० प्रा० वि०, देवली
2. रा० बा० प्रा० वि०, मालपुरा
3. रा० बा० प्रा० वि०, निदीयाई

(238)

4 रा० उ० प्रा० वि०, टोडारायसिंह
5 रा० बा० प्रा० वि०, सीटी नं० 4, टौंक
6 रा० बा० प्रा० वि०, लाल ढाबा टौडारायसिंह

सहायता प्राप्त

1. बनस्थली विद्यापीठ बापावि बनस्थली

(अ) सवाई माधोपुर जिला

उच्च माध्यमिक विद्यालय

राजकीय

1 रा० बा० उ० मा० वि०, सवाई माधोपुर

(ब) माध्यमिक विद्यालय (राजकीय)

1 रा० बा० मा० वि०, गंगापुर सिटी
2 रा० बा० मा० वि०, करौली
3 रा० बा० मा० वि०, हिण्डौन
4 रा० बा० मा० वि०, टोडाभीम
5 रा० बा० मा० वि०, महुआ
6 रा० बा० मा० वि०, मण्डावर
7 रा० बा० मा० वि०, बोंल
8 रा० बा० मा० वि०, खण्डार
9 रा० बा० मा० वि०, सपोटर

(स) उच्च प्राथमिक विद्यालय

1 रा० बा० उ० प्रा० वि०, पालनपुर
2 रा० बा० उ० प्रा० वि०, गंगापुर
3 रा० बा० उ० प्रा० वि०, खिलचीपुर
4 रा० बा० उ० प्रा० वि०, श्यामपुरा
5 रा० बा० उ० प्रा० वि०, सरवाड़ा
6 रा० बा० उ० प्रा० वि०, चौथ का बरवाड़ा
7 रा० बा० उ० प्रा० वि०, ईसरदा
8 रा० बा० उ० प्रा० वि०, भगवतगढ़
9 रा० बा० उ० प्रा० वि०, खिरनी
10 रा० बा० उ० प्रा० वि०, मलारना डूंगर
11 रा० बा० उ० प्रा० वि०, वजीरपुर
12 रा० बा० उ० प्रा० वि०, मासलपुर
13 रा० बा० उ० प्रा० वि०, मण्डारायल

239.

14 रा० बा० उ० प्रा० वि०, बामनवास
15 रा० बा० उ० प्रा० वि०, नादौती
16 रा० बा० उ० प्रा० वि०, पिपलाई
17 रा० बा० उ० प्रा० वि०, गुढा चन्द्रजी
18 रा० बा० उ० प्रा० वि०, सूरौठ
19 रा० बा० उ० प्रा० वि०, रसीदपुर
20 रा० बा० उ० प्रा० वि०, बालाहेडी
21 रा० बा० उ० प्रा० वि०. पावटा
22 रा० बा० उ० प्रा० वि०, नारौली डांग
23 रा० बा० उ० प्रा० वि०, शिवाड
24 रा० बा० उ० प्रा० वि०, महु इब्राहीमपुर

(द) प्राथमिक विद्यालय

1 रा० बा० प्रा० वि०, सवाई माधोपुर
2 रा० बा० प्रा० वि०, आदर्श नगर सवाई माधोपुर
3 रा० बा० प्रा० वि०, गंगापुर सिटी
4 रा० बा० प्रा० वि०, करौली
5 रा० बा० प्रा० वि०, हिण्डौन
6 रा० बा० प्रा० वि०, टोडाभीम
7 रा० बा० प्रा० वि०, मित्रियान पुरा हिण्डौन
8 रा० बा० प्रा० वि०, कुडो का पुरा हिण्डौन
9 रा० बा० प्रा० वि०. वार्ड न० 20 करौली

जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्रा संस्थाऐ) अजमेर

विद्यालयों के नाम रिक्त पद विषय सहित

क्र०सं०	संस्था का नाम	रिक्त पद	श्रंखला व विषय	नियुक्ति अधिकारी
1.	रा. बा. मा. वि, खन्डार	एक	प्र.अ.	निदेशक
2.	रा. बा. मा. वि, थालौ	एक	प्र.अ.	,,
3.	रा, बा: मा. वि, टोडाभीम	एक	प्र.अ.	,,
4.	रा. बा. उ. मा. वि, अजमेर	एक	व.व्या.इतिहास	,,
5.	रा बा. उ. मा. वि. स.मा.	एक	व.व्या. इतिहास	,,
		,,	एक नागरिक शास्त्र	,,
6.	रा. बा. उ. मा. वि, टौंक	एक	व. व्या. नागरिक शास्त्र	,,
		,,	,, हिन्दी	,,
7.	रा. बा. मा. वि, टौंक	एक	व.व्या. गृहविज्ञान	,,
8.	रा बा. मा- वि, पीसांगन	एक	वि. वे.श्रं. अंग्रेजी	संयुक्त निदेशक/मं जयपुर
9.	रा बा. मा. वि, मसूदा	,,	,, ,,	,,
10.	रा. बा. मा. वि, उनियारा	,,	,, भूगोल	,,
11.	रा. बा. मा. वि, सपोटरा	,,	,, नागरिक शास्त्र	,,
12.	रा. बा उ. प्रा. वि, खन्डार	,,	,, गृह विज्ञान	,,
13.	रा. बा. उ. प्रा. वि, रसोदपुर	,,	प्र. अ. वि. वे. श्रं.	,,
14.	रा. बा. उ: प्रा. वि, मलारनाडूंगर	,,	,, ,,	,,
15,	रा. बा. उ. प्रा. वि, सूरोठ	,,	,, ,,	,,

उपर्युक्त सभी पद अधिकतर इस सत्र के आरम्भ से ही रिक्त हैं तृतीय वेतन श्रंखला का कोई पद रिक्त नहीं हैं।

गुप्ता
उप निदेशक/प्रशासन

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 715 की सूची

अजमेर नगर परिषद सीमा में बीड़ी बनाने के कच्चे माल जरदा व पत्ता दिनांक 1–1–80 से 31-12-80 तक आयात हुआ जिस पर चुंगी वसूली का विवरण :—

क्रमांक	नाम पार्टी	जरदा क्वि0 में	चुंगी की राशि रु0 में	पत्ता क्वि में	चुंगी राशि रु0 में
1.	श्री चन्द्र प्रकाश	33.5	99-15	—	—
2.	,, चन्दन एन्टर प्राईज	48.0	144-00	—	—
3.	,, आनन्द कुमार	86.94	260-82	—	—
4.	,, अशोक कुमार अम्बालाल	38.47	115-41	20.0	10.00
5.	,, चोरसिया तम्बाकू	7.4	21-12	—	—
6.	,, सेवाराम मन्साराम	186.69	560-07	—	—
7.	,, श्री राम टोबेको	32.17	96-31	—	—
8.	,, त्रिलोक चन्द हंसराज	11.58	34-74	257.30	128.65
9.	,, चम्पालाल बालाप्रसाद	11.80	35-40	—	—
10.	,, माणक चन्द	—	—	27.0	13.50

1	2	3	4	5	7
11.	गोपाल बीड़ी वर्क्स	4.68	13-86	63.30	31.65
12.	,, नन्दराम कुन्दनमल	—	—	29,01	14.51
13.	,, ठाकुर दास रेवा चन्द	143.58	430-74	307.00	153.50
14.	,, जनता बीड़ी	91.57	274-71	255.90	127.95
15.	,, रामसिंह शंकरसिंह	80.62	242.46	4965.15	2482.58
16.	,, जयनारायण	37.75	113-25	68.00	34.00
17.	,, खण्डेलवाल ब्रदर्स	36.00	108-00	40.00	20.00
18.	,, पेसूमल नारायण दास	—	—	65.50	32.75
19.	,, मोरलमल	—	—	7.00	3.50
20.	,, प्यारसी लाल	—	—	600.00	300.00
21.	,, रामस्वरूप	—	—	36.00	18.00
22.	,, नित्यू मल	—	—	36.00	18.00
23.	,, जय मोहनी	21.10	63-30	—	—
24.	,, मुरलीधर रामधन	—	—	202.00	101.00
25.	,, रामजी लाल	—	—	116.00	58.00
26.	,, कल्याण	1.20	3-60	—	—
27.	,, समशुदीन	—	—	713 00	356.50
28.	,, मोहम्द हुसैन	—	—	154.00	77.00
29.	,, हबीब रहमान	—	—	116.00	58.00
30.	,, अजमेर तम्बाकू	18.64	55-92	—	—

२५२१

२५३

1	2	3	4	5	6
31.	,, राधा किशन	.30	-90	—	—
32.	,, खूब चन्द	23.10	60-30	—	—
33.	,, गेंदीमल पेसूमल	—	—	85.00	42.50
34.	,, सेवाराम	28.84	86-52	185.20	92.60
35.	,, नानगराम	—	—	27.90	13.95
36:	,, प्रेमचन्द इन्द्रसिंह	—	—	645.50	322.75
37.	,, ईसर दास	—	—	42.00	21.00
38.	,, ज्ञान चन्द	—	—	37.60	18.90
39.	,, शकर लाल नाथूराम	—	—	355.25	177.64
40.	,, जमना लाल	13.50	41-50	30.00	19.00
41.	,, जेठमल गोपीकिशन	—	—	165.98	82.89
42.	,, चुहड़ मल	—	—	56.07	28.04
43.	,, मामन राम	—	—	27.90	13.95
44.	,, सूरजमल	27.36	82-00	50.00	25.00
45.	,, जी. सी. पटेल	140.61	421.83	—	—
46.	,, रामजीलाल	—	—	35.20	17.60
47.	,, राजेन्द्र कुमार	117.37	352-11	—	—
48.	,, दयाल दास	—	—	36.00	18.00
49.	,, रामचन्द्र	—	—	2.00	1.00
[illegible]	,, कालू राम	2.50	7.50	—	—
			—	56.82	28.41

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न 719 की सूची

सूची—1

राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्कमैन कम्पनसैशन एक्ट, मोटर दुर्घटना अधिकरण तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले विचाराधीन मामलों का विवरण पत्र

वर्ष	वर्कमैन कम्फनसैशन एक्ट	मोटर दुर्घटना अधिकरण	औद्योगिक विवाद अधिकरण
1972	—	11	—
1973	—	21	7
1974	2	92	20
1975	7	40	27
1976	6	30	33
1977	6	44	15
1978	8	53	47
1979	7	52	36
1980	1	70	54
7.3.81	1	19	21
योग	50	432	261

(२५८)

सूची—2

राजस्थान उच्च न्यायालय में नौकरी से पृथकीकरण संबंधी विचाराधीन मामलों का विवरण—पत्र

वर्ष	याचिकाएं	स्पेशल अपील
1971	—	5
1972	1	3
1973	3	2
1974	41	2
1975	33	4
1976	64	3
1977	23	5
1978	33	3
1979	31	3
1980	40	95
7.3.81	9	—
योग	278	122

अतारांकित प्रश्न 723 की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	नियुक्ति दिनांक	नियुक्ति स्थान	नियुक्ति पर उपस्थिति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री केoडीoभार्गव	अधीक्षक भूवैज्ञानिक (मुख्यालय)	1.6.74	उदयपुर	1.6.74
2	,, एनoपीoकुलश्रेष्ठ	अधीक्षक भूवैज्ञानिक	6.6.75	जोधपुर	31.7.69
3	,, आरoएसoशर्मा	अधीक्षक भूवैज्ञानिक	25.8.76	जयपुर	17.7.79
4	,, जेoएनoसिंह	अधीक्षक भूवैज्ञामिक (फास्फेट)	19.2.76	उदयपुर	19.2.77
5	,, केoबीoकेसवानी	अधीक्षक भूवैज्ञानिक उदयपुर वृत	7.7.79	उदयपुर	7.7.79
6	,, आरoएलoसुराना	अधीक्षक भूवैज्ञानिक	11.2.70	उदयपुर	17.10.77
7	,, केoएल श्रीमाली	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक	30.11.77	झामरकोटडा	28.9.74
8	,, आरoसीoसक्सेना	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक	22.5.73	उदयपुर	16.10.77
9	,, एमoकेoभार्गव	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक	22.10.73	उदयपुर	28.1.80
10	,, जेoपीoशर्मा	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक	28.5.74	झालावाड	28.11.75
11	,, एनoएसoखिची	,, ,,	5.8.74	झामरकोटडा	25.7.78
12	, पीoसीoवापना	,, ,,	16.6.75	जोधपुर	25.7.78
13	,, जीoएलoबाबेल	,, ,,	16.6.75	बाडमेर	19.7.75
14	,, ओoएनकन्सल	,, ,,	13.6.75	जयपुर	2.2.80
15	,, डीoएसoमेहता	,, ,,	14.6.75	अजमेर	15.7.78

1	2	3	4	5	6
16	श्री श्री के०सी०लुहाड़िया	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक	17.6.75	आबूरोड	24.7.78
17	,, एन०एस०खमेसरा	,, ,,	21.6.80	बासवाडा	21.6.80
18	,, एन०एस०कावडिया	,, ,,	28.12.76	जयपुर स०चि०	5.12.77
19	,, आर०एस०खूटेटा	,, ,, (एम०ई०सी)	7.10.79	उदयपुर	28.7.78
20	,, मोहम्मद उमर अगवानी	व०भूवै० (एम०ई०सी०	16.6.75	उदयपुर	4.10.77
21	,, आर०एस०दशोरा	व०भूवै० (पब्लिकेशन)	26.6.78	उदयपुर	26.6.78
22	,, सी०एस०द्विवेदी	पेट्रोलोजिस्ट	22.170	उदयपुर	1.4.76
23	,, एस०सी०अग्रवाल	मिनरल इकोनोमिस्ट	1.6.73	उदयतुर	15.7.78
24	,, के०सी०शर्मा	भूवैज्ञानिक	14.8.70	उदयपुर	14.8.70
25	,, रविदयाल	-एजन-	25.2.70	जयपुर	15.5.76
26	,. आर०के०रायजादा	,,	13.5,70	उदयपुर	15.9.79
27	,, एस०के०स्वामी	,,	31.3.72	अजमेर	9.1.76
28	,, एस0के0गोटेचा	,,	10.5.74	उदयपुर	10.5.74
29	,, ओ०एस०सिरोया	,,	9.12.74	झामरकोटडा	23.12.75
30	,, एस०सी०भार्गव	,,	7.8.72	आबूरोड	15.10.80
31	,, ऐ०के०वैश्य	,,	18.11.74	उदयपुर	18.7.78
32	,, पी०के०वडिया	,,	10.2.71	उदयपुर	1.11.77
33	,, एस०सी०मेहता	मिनरल इकोनामिस्ट	19.12.74	सामरकोटडा	19.7.75

1	2	3	4	5		6
34	,, एस०एस०शेखावत	-एजन-		14.1.75	उदयपुर	2.8.80
35	,, एल०एस०सुराना	,,		15.1.75	उदयपुर	29.5.75
36	,, ए०पी०भटनागर	भूवैज्ञानिक		15.1.75	उदयपुर वृत्त झालावाड़	30.8.76
37	,, आर०पीविजयवर्गीय	-एजन-		17.3.75	अजमेर	24.4.80
38	,, एस०पी०सिंह	,,		17.3.75	बाड़मेर	19.8.76
39	,, एस०एस०दाबाई	,,		4.4.75	कामरकोटडा	17.11.76
40	,, एम०एम०पितलिया	,,		25.4.75	उदयपुर	23.1.81
41	,, आर०सी०सुवालका	,,		2.9.75	मकराना	2.9.75
42	,, एम०एम०शर्मा	,,		6.9.75	जयपुर	5.6.75
43	,, प्रदीप भटनागर	,,		15.9.76	व०भूवैज्ञा० उदयपुर	10.11.46
44	,, ओ०एस०सुखवाल	,,		7.1.77	बासवाड़ा	29.10.80
45	,, ए०के०श्रीमाली	,,		11.1.77	उदयपुर	11.1.77
46	,, एस०वी०जोशी	,,		11.1.77	उदयपुर	14.11.77
47	,, अशोक कोठारी	,,		14.1.77	उदयपुर (अन्डर ससपेन्शन)	18.10.79
48	,, मान सिंह कोठारी	,,		15.1.79	बाड़मेर	21.10.80
49	,, ए०के०त्रिवेदी	,,		29.1.77	जयपुर	29.1.77
50	,, एस०सी०सोय	,,		25.5.77	बाड़मेर	25.5.77
51	,, टी०एस०रानावत	,,		1.5.78	उदयपुर	2.5.78

Page No 262

(249)

1	2	3	4	5	6
52	,, मोती सिंह मेहता	एजन		2.5.78 जोधपुर	5.6.78
53	,. के०एल०सुखवाल	,,		14.6.78 आबूरोड	14.6.78
54	,. टी०सी०रामपुरिया	,,		9.12.74 हिन्दुस्तान जिंक लि० उदयपुर प्रति नियुक्ति पर	9.4.80
55	,, वी०पी०गहलोत	,,		12.8.76 आर०एस०एम०डी०सी० जयपुर प्रति नियुक्ति पर	21.4.80
56	,, एम0एस0भन्डारी	भूवैज्ञानिक		26.6.77 उदयपुर	26.7.77
57	,, एन0एल0भटनागर	-एजन-		12.9.77 उदयपुर	16 3.78

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न 726 की सूची

अजमेर में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की देख रेख हेतु निम्न प्रभारी रहे हैं।

नाम अधिकारी	दिनांक
1— श्री पदम कुमार जैन	दि0 19-9-73 से 10-1-70 तक
2— श्री एस0डी0गुप्ता (व0अभि0) (रा0रा0वि0मं0 से प्रतिनियुक्त)	दि0 11-1-78 से 30-6-78 तक
3— श्री पदम कुमार जैन	दि0 1-7-78 से 31-8-78 तक
4— एच0सं0शर्मा-(क0अभि0) (रा0रा0वि0मं0 से प्रतिनियुक्ति)	दि0 1-9-78 से 6-10-79 तक
5— श्री पदम कुमार जैन	दि0 7-10-79 से गिरमार

निम्न कर्मचारी सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु रखे हैं:—

1— श्री दयाल दास	रा0निरीक्षक	सन् 75 से 31-10-78 तक (सेवानिवृत
2— श्री टीकमचन्द	रा0रा0मिरी0	सन् 75 से लगातार
3— श्री प्रमोद कुमार	,,	,, ,,
4— श्री हीरो लख्यानी	,,	,, ,,
5— श्री करतार हिंगोरानी	,,	,, ,,
6— श्री रमाकांत	,,	,, ,,
7— श्री भैरूलाल	,,	25-4-80 से निरन्तर
8— श्री रामदेव	चपरासी	75से निरन्तर

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत अधिकारी

1— श्री भगवान स्वरूप हैल्पर	19-1-78 से 22-6-78
2— श्री पी०सी० महाराव	,, ,,
3— श्री अमरचन्द	,, ,,
4— श्री सुधीर दास	20-1-78 ,,
5— श्री भानुलक्ष्मण	,, ,,
6— श्री कृष्णदत	25-1-78 ,,
7— श्री भैरुंसिह	,, ,,
8— श्री शिवकरण गोयल	27-1-76 ,,
9— श्री रेगुलदासर	25-10-78 से लगातार

(251)

10— श्री पी0सी0महाराज	16-10-78
11— श्री रामरतन	21-2-79 ,,
12— श्री शिवकरण	21-2-79 ,,
13— श्री भंवरलाल	27-10-78 से 31-12-79
14— श्री भैरूसिंह	21-10-78 से 30-11-80 तक
15— श्री भगवान स्वरुप	16-10-78 से31-12-79
16— श्री जुगलकिशोर	21-2-79 से 31-5-80
17— श्री मोहनलाल	21-2-79 से 26-2-80
18— श्री कृष्णदत्त	21-2-79 स 31-12-79
19— श्री भागू	24-2-79 से 25-2-79

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 731 की सूची

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भाषायी अल्पसंख्यक अजमेर में कार्यरत अध्यापकों की सूची :—

क्र. सं.	व्याख्याता का नाम	विषय	पद	भाषा योग्यता
1-	श्री बशीर अहमद शेख	उर्दू	व्याख्याता	उर्दू
2-	,, मुहम्मद बख्श कुरेशी	भूगोल	,,	,,
3-	,, जे. सी. केसवानी	इतिहास	,,	सिन्धी
4-	सुश्री गोपी वीरूमल	नागरिक शास्त्र	,,	,,
5-	,, सावित्री बालानी	गणित	,,	,,
6-	श्री करम चन्द्र सोलंकी	उद्योग	,,	उर्दू
7-	श्रीमती साधना जोशी	विज्ञान	,,	अन्य
8-	,, अन्जना रानी सक्सेना	हिन्दी	,,	,,
9-	,, राजकुमारी रावत	अंग्रेजी	,,	,,
10-	श्री टीकम चन्द शर्मा	चित्रकला	,,	,,
11-	,, विजय शंकर सिंघल	शारीरिक शिक्षा	,,	,,

(253)

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 732 की सूची

कार्यालय उप निदेशक समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक संशि/पु.प्र-1/एफ़-11/70/2161 दिनांक 28-9-70

विषय:-शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत अल्प भाषाई पत्र/पत्रिकाओं, उर्दू/सिन्धी एवं पंजाबी की सूची।

उर्दू भाषा

क्र. सं.	दैनिक	मिलाप	आसफअली रोड, नई दिल्ली
2-	-- "	प्रताप	प्रताप भवन मथुरा रोड, नई दिल्ली
3-	--	तेज	तेज प्रेस नई दिल्ली
4-	—	अजमत	अजमत प्रेस, दिल्ली-6
5-	मासिक	आजकल	डाइरेक्टर पब्लिकेशन डिवीजन नई दिल्ली
6-	—	बीसवीं सदी	पेज बाजार, दिल्ली
7-	—	चान	हिन्दुस्तानी तामील संघ सेवाग्राम वरदा
8-	त्रैमासिक	नखलिस्तान	राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम) उदयपुर
0-	—	रियासत	पाठक पाठक मुक्तिवालान बेराह बेरामसा दिल्ली

(राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें)

सिन्धी भाषा

क्र.सं.	दैनिक	हिन्दु	खारी कुई अजमेर (वर्ष 1961-62 पेज 31)
2-	दैनिक	ज्वाला	पुरानी मण्डी अजमेर
3-	साप्ताहिक	हिन्दवासी	हिन्दवासी (वीकली) बॉम्बे।
4-	साप्ताहिक	हिन्दुस्तान	हिन्दवासी प्रेस, पी बी 108 केशरगज अजमेर
5-	मासिक	कुमारी	केशरगंज हिन्दवासी आफिस, अजमेर

पंजाबी भाषा

1-	दैनिक	वर्तमान	अमृतसर
2-	मासिक	पंखड़िया	बी-72/8 ए चण्डीगढ़

(सशि/पु. प्र-1/एफ-9/11/71/344 दिनांक 22-11-71)

ह0/- उप निदेशक,
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

अतारांकित प्रश्न 517 की सूची

भू-जल विभाग की वर्तमान में कार्यरत रिग्स का जिलेवार विवरण

क्र0सं0	जिला	रिग्स रोटरी	डी0टी0एच0	परकशन	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जोधपुर	—	1	1	2	
2.	पाली	1	3	2	6	
3.	जालौर	1	1	—	2	
4.	नागौर	2	1	2	5	
5.	बीकानेर	2	—	—	2	
6.	चुरू	2	—	—	2	
7.	बाड़मेर	3	—	—	3	
8.	जैसलमेर	2	—	1	3	
9.	जयपुर	—	—	1	1	
10.	अलवर	1	—	—	1	
11.	सीकर	1	—	—	1	
12.	झुन्झुनू	1	—	—	1	
13.	भरतपुर	—	—	—	—	
14.	उदयपुर	—	1	—	1	
15.	बांसवाड़ा	—	1	—	1	
	योग	16	8	7	31	